जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)

Role of MNREGA in Socio-Economic Development of Jaipur District (2005-2015)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
की पीएच.डी. (भूगोल) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

(सामाजिक विज्ञान संकाय)

शोधार्थी
राकेश कुमार सामोता

शोध–पर्यवेक्षक
प्रो. वी.सी. जैन

सह पर्यवेक्षक
डॉ. एन.के. जेतवाल
सह–आचार्य

भूगोल विभाग
राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

2020

CERTIFICATE

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled **“जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)”** by **Rakesh Kumar Samota** under my guidance.

He has completed the following requirements as per Ph.D. regulations of the University.

a) Course work as per the university rules.
b) Residential requirements of the university. (200 days)
c) Regularly submitted annual progress report.
d) Presented her work in the departmental committee.
e) Published research papers in a referred research journal

I recommend the submission of the thesis.

Date :
Place : Kota

Dr. V.C. Jain
Research Supervisor

ANTI-PLAGIARISM CERTIFICATE

It is certified that Ph.D. Thesis Titled **"जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)"** by Rakesh Kumar Samota has been examined by us with the following anti-plagiarism tools. We undertake the follows:

a. Thesis has significant new work/knowledge as compared already published or are under consideration to be published elsewhere. No sentence, equation, diagram, table, paragraph or section has been copied verbatim from previous work unless it is placed under quotation marks and duly referenced.
b. The work presented is original and own work of the author (i.e. there is no plagiarism). No ideas, processes, results or words of others have been presented as author's own work.
c. There is no fabrication of data or results which have been compiled and analyzed.
d. There is no falsification by manipulating research materials, equipment or processes, or changing or omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research record.
e. The thesis has been checked using URKUND software and found within limits as per HEC plagiarism Policy and instructions issued from time to time.

Rakesh Kumar Samota
Research Scholar

Place :
Date :

Dr. V.C. Jain
Research Supervisor

Place:
Date:

शोध–सार

वैश्वीकरण के युग में आज विश्व के समक्ष सबसे बडा खतरा उभरकर आया है वह है रोजगार संकट का। आज विश्व अर्थव्यवस्था का स्वरूप एकीकृत रहा है। इससे एक देश में आयी मंदी दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष अधिक खतरा उत्पन्न हो जाता है क्योंकि भारत की एक–तिहाई आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है। ऐसे में इस आबादी के मूलभूत अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उन्हे जीवन जीने की न्यूनतम दशायें कैसे उपलब्ध करायी जाए इन सभी चिंताओं ने भारत सरकार को इस वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए रोजगार योजना लेकर आयी जिससे इन लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। 2004 में सत्ता में आई यू.पी.ए. सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2005 मे मनरेगा की शुरूआत की, जो विश्व की सबसे बडी सामाजिक क्षेत्र की रोजगार गारंटी योजना थी। जिससे 2014–15 तक तकरीबन 5 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ।

मनरेगा योजना सामाजिक उद्देश्यों को संचालित करने वाली विश्व की सबसे बडी सरकारी क्षेत्र की योजना है। जो लोगो को मांग आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। इस योजना की संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक से लेकर विश्व के विकसित व विकासशील देशों ने भूरी–भूरी प्रशंसा की है। फरवरी, 2006 से शुरूआत की गई योजना को तीन चरणों में 1 अप्रैल, 2008 को सम्पूर्ण भारत के सभी जिलों में लागू कर दिया। कुछ राज्यों जैसे दिल्ली उत्तर–पूर्व के कुछ क्षेत्रों को छोडकर सम्पूर्ण ग्रामीण भारत के लागो को 100 कार्य दिवसों को रोजगार उनके आवास क्षेत्र के 5 कि.मी. के दायरे में मिलता है। इसलिए मनरेगा गांधीजी के ग्रामीण भारत की संकल्पना को भी साकारित करती है। गांधीजी कहा करते थे कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा जब तक भारत का विकास अधूरा रहेगा उन्होने कहा था कि आधुनिक भारत के विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरेगा अर्थात गांधी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का केन्द्र गांव थे। वे गांवों के विकास पर प्रमुखता से बल देते थे गांवों में स्वरोजगार, कुटीर उद्योग व शारीरिक श्रम वाले कार्यो पर बल देते थे जिससे गांव आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बन सके इसलिए भारत सरकार की सामाजिक समावेशी विकास की इस योजना का अंतिम लक्ष्य गांधीजी के ग्रांम स्वराज के सपने को पूरा करना है।

मनरेगा रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण भारत के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है आज गांवों में सभी समुदायों व जातियों के लोग मनरेगा में मिलकर कार्य करते है इससे उनमें सामाजिक सौहार्द व शारीरिक श्रम जैसे गुणों का विकास हुआ है वहीं इस योजना में महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है मनेरगा के अन्दर कार्य करने वालों में 1/3 महिलाओं का होना जरूरी है। इसलिए मनरेगा ने महिलाओं का सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्तिरण किया है। आज महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकलकर गांव के विकास में अह्म भागीदारी निभा रही है।

मनरेगा के कारण समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का और उनकी महिलाओं का भी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा जो कल तक हाशिये पर था मनरेगा के परिणामस्वरूप समाज की मुख्यधारा में आ सका है। मनरेगा के कारण गांवों के विकास के स्वरूप में तो बदलाव आया ही साथ ही गांवो के सामाजिक और जातीय संरचना के स्वरूप में भी बदलाव आया कल तक गांवों में अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई घर जमाएँ बैठी थी मनरेगा के कारण ऐसी सामाजिक बुराईयों का धीरे–धीरे पतन हो रहा है अब मनरेगा कार्यस्थल पर गांव के सभी लोग एक साथ कार्य करते है, एक जगह पानी पीते है अर्थात एक जैसी परिस्थिति में सभी चीजों को शेयर करते हैं, इससे गांवो के सामाजिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आया है। जिसमें मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मनरेगा कानून आने के कारण ग्रामीण भारत में व्यापक बदलाव आया। मनरेगा को एक रोजगार गारंटी स्कीम तक ही सीमित न मानकर इसने गांवों के विकास जिसमें सड़कों का जाल, बाँध, एनिकट, वर्षा जल का सग्रंहण, मेडबंदी कच्ची एवं पक्की परिसम्पत्तियों का निर्माण कार्य, और अब तो इसे और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसमें 30 से अधिक नए और कार्य जोड़ दिये गए है जैसे नरेगा को कृषि के साथ संलग्न, गांवों में कुटिर उद्योगों की स्थापना, वृक्षारोपण, कच्चे कार्यों की अपेक्षा पक्के कार्यो के निर्माण कार्य अधिक कराना जैसे कार्यों को शामिल कर इसे अधिक विकासगामी बनाकर वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था में अधिक प्रासंगिक बनाया जा रहा है।

जयपुर जिले में मनरेगा के कारण यहाँ के जनसांख्यिकीय संरचना में काफी बदलाव आया है, गांवो से शहरो की और पलायन रूका है। गांवो को अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है इसके लिए जयपुर जिले के सभी ब्लाकों में नियमित रूप से मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा और मानिटरींग की जा रही है। जिससे इसमें उत्पन्न होने वाली कमियों को

तत्काल सुधारा जा सकें। जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा के महत्व के कारण ही प्रस्तुत शोध में **"जयपुर जिलों के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (जयपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में)"** के कारण इसे एक अध्ययन विषय के रूप में अध्ययन किया गया है। **प्रथम अध्याय** में प्रस्तावना, शोध के उद्देश्य, उपलब्ध साहित्य की समीक्षा एवं शोध पद्धति को रखा गया है। **द्वितीय अध्याय** में अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि और **तृतीय अध्याय** में मनरेगा का स्वरूप एवं उद्देश्य का अध्ययन, **चतुर्थ अध्याय** में जिले की सामाजिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन विषय पर प्रकाश डाला गया है। **पंचम अध्याय** में जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक स्वरूप का मूल्यांकन पर चर्चा की गई और अन्तिम अध्याय में प्रस्तुत शोध का तार्किक, विश्लेषणात्मक, सारगर्भित तथ्यात्मक और शोधउन्मुखी निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया है।

CANDIDATE'S DECLARATION

I, hereby, certify that the work which is being presented in the thesis entitled, **"जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)"** in partial fulfilment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy, carried out under the supervision of **Dr. V.C. Jain** and Co-supervisor **Dr. N.K. Jaitwal** submitted to university of Kota, Kota represents my idea in my own words and where other ideas or words have been included, I have adequately cited and referenced the original sources. The work presented in this thesis has not been submitted elsewhere for the award of any other degree or diploma from any institution.

I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission. I understand that any violation of the above will cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited or from whom proper permission has not been taken when needed.

Date : **Rakesh Kumar Samota**

Place:

This is to certify that the above statements made by Rakesh Kumar Samota (Regd. No. RS/591/15) is correct to the best of my knowledge.

Dr. V.C. Jain
Research Supervisor
Date:..........................
Place:.........................

आभार

भूगोल के मर्मज्ञ मुनीष अध्येता **डॉ. वी.सी. जैन**, राजकीय महाविद्यालय, बूंदी ने **"जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)"** के विशिष्ट महत्त्व के कारण इस विषय पर अनुशीलन कार्य करने की प्रेरणा ओर प्रोत्साहन दिया। साथ ही मैं अपने सह–पर्यवेक्षक **डॉ. नन्दकिशोर जेतवाल**, सह–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बूंदी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य को सम्पन्न कराने में अहम भूमिका निभाई है। मैं अपने गुरूजनों के प्रति हार्दिक भाव व्यक्त करना अपना पुनीत कर्तव्य समझाता हूँ, जिन्होंने मुझे यथासमय अपरिमित ज्ञान, उत्साह एव सहयोग प्रदान कर अनुगृहित किया। मैंने उनके सानिध्य में रहकर शोध कार्य के अतिरिक्त जो जीवनपयोगी ज्ञान प्राप्त किया उसके लिए मैं जीवनपर्यन्त कृतज्ञ रहूँगा। सर का स्नेहिल उत्साही और मृदुल स्वभाव मुझे आजीवन प्रेरणा देता रहेगा।

मेरे समस्त गुरूजनों विशेषतः **डॉ. संदीप यादव**, **डॉ. भारतेन्दु गौतम**, **डॉ. जुबेर खान**, **डॉ. महेन्द्र मीणा**, **लालचन्द गठाला**, **चन्द्रप्रकाश सैनी** एवं **राधेश्याम जांगीड़** का विशेष आभारी हूँ जिन्होने मेरा प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्द्धन करते हुए शोध सम्बन्धी जानकारी प्रदान कर मेरे शोधकार्य में सहयोग प्रदान किया।

प्रस्तुत प्रबंध में उक्त विषय पर किया गया यह प्रयास कहाँ तक सफल हो पाया है, इसका निर्णय तो विद्वान भूगोलवेत्ताओं एवं विषयविज्ञों को ही करना है, लेकिन जिस प्रक्रिया से होकर यह प्रयास सम्पन्न हो पाया है, उस प्रसंग में उन समस्त भूगोलवेत्ताओं, विषयविशेषज्ञों एवं लेखकों के प्रति मैं नतमस्तक हूँ, जिनके विचार और रचनाएँ इस शोध प्रबंध के प्रणयन का आधार रही हैं।

जीवन में अनेक कार्य इस प्रकार हो जाते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और यह केवल ईश्वर की कृपा, गुरूजनों व परिजनों के प्रेम व आशीर्वाद के फलस्वरूप ही संभव है। मैं अपने माता–पिता (**श्रीमती कोयली देवी एवं श्री बलदेव सिंह**) के असीम प्यार, प्रेरणा एवं आशीर्वाद के लिए अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी हमेशा मुझे इस शोध को पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया।

प्रिय अग्रज **कुम्भाराम**, अनुज **अभय सिंह**, **रोहिताश**, **डॉ. अजयवीर**, बहिन **सुमित्रा**, **सरोज**, **सुमन**, **सुलेखा** एवं **सुनिता**, मेरी धर्मपत्नी **अभिलाषा चौधरी**, भाभी **श्रीमती कविता चौधरी**

का कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनके अविरल स्नेह तथा अपरिमित सहयोग से मैं इस स्तर तक आ सका हूँ।

मेरे इस शोध लेखन में हमेशा सहयोगी की भूमिका निभाने वाले **डॉ. धर्मेन्द्र कुमार** (Junior Scientist), **डॉ. मोहन जाखड़,** का भी दिल की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूँ। यह शोध कार्य पूर्ण नहीं हो पाता यदि मुझे मेरी राजकीय सेवा के दौरान **श्री रामप्रसाद जी मीणा** (प्रधानाचार्य) एवं समस्त स्टॉफ (रा.उ.मा.वि., रामचन्द्रजी का खेड़ा, ब्लॉक–हिण्डौली, जिला–बूंदी) का सहयोग व प्रेरणा न मिली होती। मैं इनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगा।

मैं केन्द्रीय पुस्तकालय राजस्थान विश्वविद्यालय, डॉ. राधाकृष्णन पुस्तकालय जयपुर, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय पुस्तकालय दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय और सांख्यिकी विभाग कलेक्ट्रेट, जयपुर के समस्त स्टॉफ का आभार व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने आवश्क शोध सामग्री उपलब्ध कराने में विशेष सहयोग किया।

सुन्दर एवं बेहतरीन टंकण, प्रिंटिंग तथा बाईडिंग कार्य हेतु **'टीवीके कम्प्यूटर्स एण्ड कॉपियर्स'** टोंक फाटक, जयपुर के **राकेश कुमार शर्मा** का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

इस प्रकार जो कुछ भी है वह ईश्वर, माता–पिता, गुरूजनों एवं मित्रों की शुभेच्छुओं का ही दिया हुआ है। इस शोध–प्रबंध को प्रस्तुत करते हुए एक विलक्षण एवं विचित्र आनन्द का अनुभव हो रहा है। **'मनरेगा'** जैसी सरकारी योजना का भौगोलिक विश्लेषण गूढ़ विषय पर आधारित यह शोध प्रबंध यदि राजस्थान भूगोल के क्षेत्र में पहचान बनाने तथा योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन में किंचित् भी उपादेय सिद्ध हो सका तो निश्चय ही मेरा परिश्रम सार्थक सिद्ध होगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि विद्वत समाज मेरी इस साधना व तप से लाभान्वित होगा।

शोधकर्ता

राकेश कुमार सामोता
भूगोल विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, बूंदी
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

समर्पण

मेरा यह शोध ग्रन्थ मैं अपने दादाजी

स्व. श्री गणपतराम सामोता

के श्रीचरणों में समर्पित करता हूँ आशा ही नहीं,

विश्वास है, कि वे इसे स्वीकार कर मुझे

आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

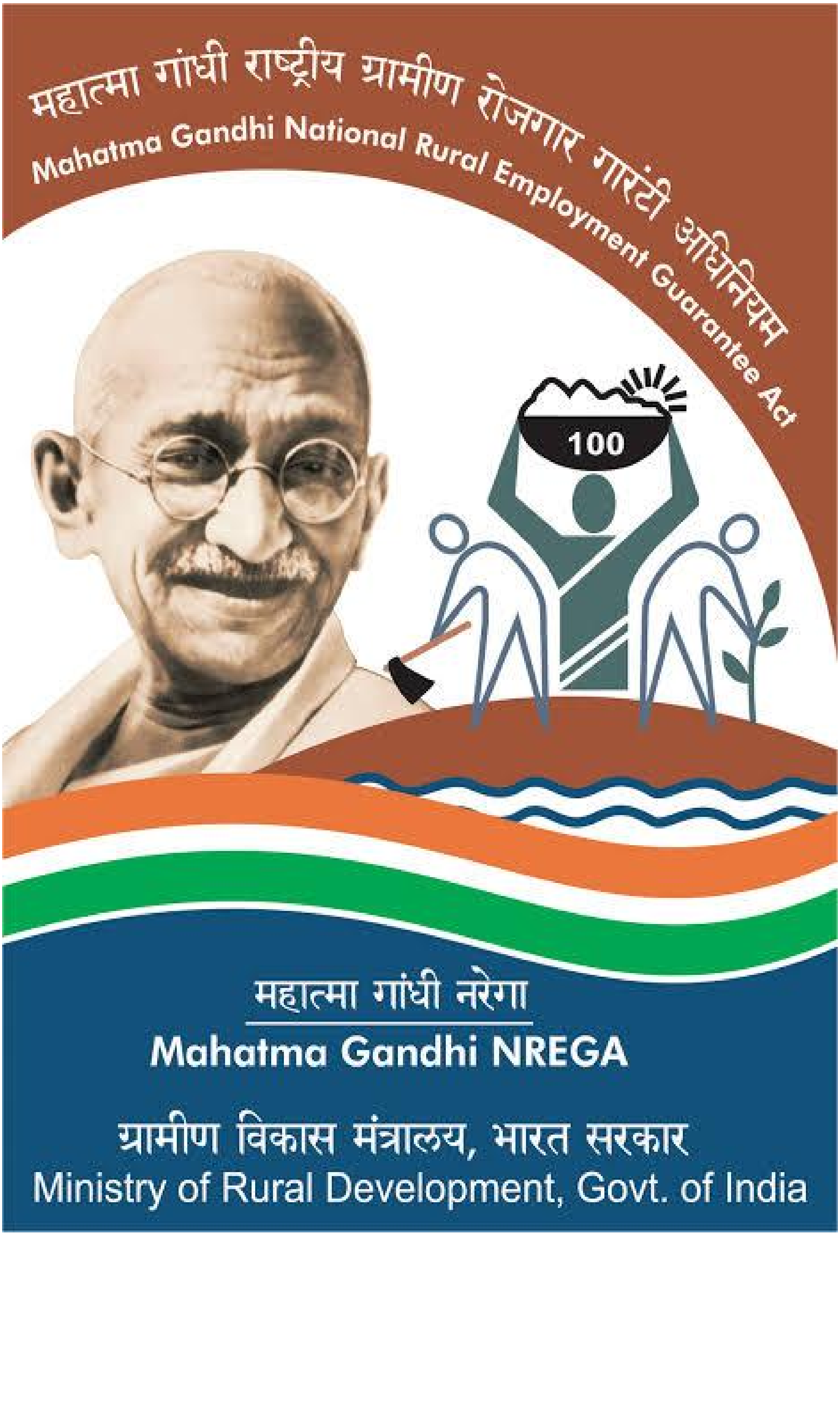
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
100
महात्मा गांधी नरेगा
Mahatma Gandhi NREGA
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Rural Development, Govt. of India

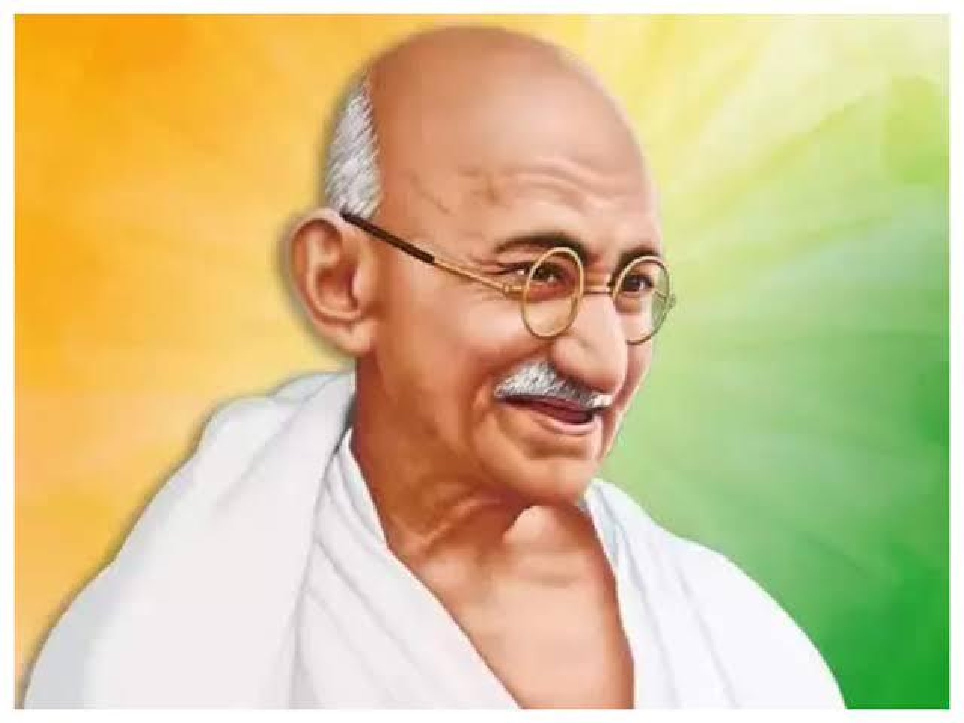

"जब भी तुम्हें संदेह हो.....तो यह कसौटी आजमाओं, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उसे वह अपने ही जीवन व भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा?......तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा हैं।"

महात्मा गाँधी

विषयानुक्रमणिका

अध्याय	विवरण		पृ.सं.
प्रथम	**परिचयात्मक**	:	**1–14**
1.1	परिचय		
1.2	मनरेगा की सामाजिक–आर्थिक विकास की संकल्पना		
1.3	शोध के उद्देश्य		
1.4	शोध की परिकल्पनाएँ		
1.5	उपलब्ध शोध साहित्य की समीक्षा		
1.6	शोध विधि तंत्र		
द्वितीय	**अध्ययन क्षेत्र का परिचय**	:	**15–56**
2.1	स्थापना एवं परिचय		
2.2	अवस्थिति		
2.3	प्रशासनिक इकाईयाँ (2014 के अनुसार)		
2.4	भूगर्भिक संरचना		
2.5	भौतिक स्वरूप		
2.6	अपवाह तन्त्र		
2.7	मृदा संरचना		
2.8	प्राकृतिक वनस्पति		
2.9	जलवायु		
	2.9.1 तापमान		
	2.9.2 सापेक्षिक आर्द्रता		
	2.9.3 वर्षा		
	2.9.4 वायुदाब की दशाएँ		
	2.9.5 ऋतु चक्र एवं वाष्पीकरण		

2.10	जनसंख्या वितरण		
	2.10.1 जनसंख्या घनत्व		
	2.10.2 साक्षरता		
	2.10.3 ग्रामीण नगरीय अनुपात		
	2.10.4 जनसंख्या की कार्यात्मक संरचना		
	2.10.5 जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना		
2.11	भूमि उपयोग		
2.12	उद्योग धन्धे		
2.13	परिवहन		
तृतीय	**मनरेगा का स्वरूप एवं उद्देश्य**	:	**57–81**
3.1	मनरेगा का परिचय		
3.2	मनरेगा का सैद्धान्तिक पक्ष		
3.3	ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी		
3.4	नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता		
3.5	कार्यान्वित और मॉनीटर करने वाली प्राधिकारी		
3.6	राष्ट्रीय और राज्य रोजगार गारंटी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा		
3.7	प्रकीर्ण		
3.8	मनरेगा के उद्देश्य और विशेषताएँ		
3.9	अधिनियम की प्रकृति		
3.10	मनरेगा का कार्यनिष्पादन		
चतुर्थ	**सामाजिक–आर्थिक संरचना में परिवर्तन**	:	**81–114**
4.1	शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति		
4.2	स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति		
4.3	ग्रामीण आधारभूत संरचना		
4.4	सड़कों की स्थिति		

4.5	परिवहन सुविधाएँ		
4.6	रोजगार की स्थिति		
4.7	विद्युतीकरण		
4.8	भूमि उपयोग (भूमि विकास)		
पंचम	**जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक स्वरूप का मूल्यांकन**	**:**	**115–141**
5.1	सामाजिक–आर्थिक विकास का स्तर		
5.2	प्रतिदर्श सर्वेक्षण का विवेचन		
षष्ठम्	**सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव**	**:**	**142–156**
6.1	शोध सारांश	:	
6.2	समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव	:	
	शोध सार	**:**	**157–173**
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची **प्रकाशित शोध पत्र** **सेमीनार में सहभागिता प्रमाण–पत्र** **परिशिष्ट**	**:**	**174–179**

तालिका सूची

तालिका संख्या	तालिका		पृ.सं.
2.1	जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वनों का वर्गीकरण (प्रतिशत में)	:	26
2.2	जयपुर जिले का वार्षिक तापान्तर व औसत तापमान	:	27
2.3	जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वर्षा का वितरण (सेमी में)	:	29
2.4	जयपुर जिले के प्रमुख केन्द्रों पर वार्षिक वर्षा की मात्रा, 2015	:	30
2.5	जयपुर जिले की ब्लॉकवार जनसंख्या का वितरण	:	36
2.6	जयपुर जिले में ब्लॉकवार साक्षरता प्रतिशत (स्त्री एवं पुरुष संख्या के आधार पर)	:	39
2.7	जयपुर जिले में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत (1991–2011)	:	43
2.8	जयपुर जिले की कार्यात्मक जनसंख्या की संरचना 2001 एवं 2011 प्रतिशत	:	44
2.9	जिले की कार्यशील, सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में 2001 व 2011)	:	45
2.10	व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)	:	47
2.11	जयपुर जिले का भूमि उपयोग	:	51
2.12	इण्डस्ट्रीयल एस्टेट (2014–15)	:	53
3.1	मांग के आधार पर दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के कार्य–निष्पादन का सिंहावलोकन	:	79
3.2	श्रम दिवस के आधार पर दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के कार्य–निष्पादन का सिंहावलोकन	:	80
4.1	जयपुर जिले में ब्लॉक के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति	:	84
4.2	जयपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन (2005–2015)	:	86
4.3	जयपुर जिले में आधारभूत सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन (2005–2015)	:	93

4.4	जयपुर जिले में सड़क सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन (2005–2015)	:	94
4.5	मोटर वाहनों का पंजीकरण (संख्या में)	:	97
4.6	व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)	:	99
4.7	ब्लॉकवार व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों का वितरण (प्रतिशत में)	:	101
4.8	आयु वर्ग के आधार पर रोजगारों की संख्या वित्तीय वर्ष 2014–15	:	105
4.9	विद्युत सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन	:	109
4.10	जयपुर जिले का भूमि उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन	:	110
4.11	ब्लॉकवार सिंचाई साधनों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्रफल	:	111
5.1	चर और मानक प्रभाग का वर्गीकरण	:	118
5.2	मानकीकृत मूल्यों का वर्गीकरण	:	119
5.3	सकल मूल्य और कम्पोजिट इंडेक्स	:	120
5.4	जयपुर जिले की ब्लॉकों में विकास कटिबंध	:	121
5.5	महापुरा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011	:	126
5.6	महापुरा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011	:	129
5.7	अमरसर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2011	:	132
5.8	अमरसर ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011	:	134
5.9	चकवाड़ा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011	:	137
5.10	चकवाड़ा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011	:	140

आरेख सूची

आरेख संख्या	आरेख		पृ.सं.
2.1	जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वनों का वर्गीकरण (प्रतिशत में)	:	26
2.2	जयपुर जिले का वार्षिक तापान्तर व औसत तापमान से.ग्रेड में	:	28
2.3	जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वर्षा का वितरण (सेमी में)	:	30
2.4	जयपुर जिले के प्रमुख केन्द्रों पर वार्षिक वर्षा की मात्रा, 2015	:	31
2.5	जयपुर जिले की तहसीलवार जनसंख्या का वितरण	:	36
2.6	जयपुर जिले में स्त्री एवं पुरुष संख्या के आधार पर साक्षरता प्रतिशत	:	42
2.7	जयपुर जिले में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत (1991–2011)	:	43
2.8	जयपुर जिले की कार्यात्मक जनसंख्या की संरचना 2001 एवं 2011 प्रतिशत	:	45
2.9	जिले की कार्यशील, सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)	:	46
2.10	व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)	:	47
2.11	जयपुर जिले का भूमि उपयोग (2005–06)	:	52
2.12	जयपुर जिले का भूमि उपयोग (2014–15)	:	52
2.13	उद्योगों के प्रकार एवं रोजगार की संख्या (2014–15)	:	54
3.1	माँग के आधार पर (दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गाँधी नरेगा के कार्य निष्पादन का सिंहावलोकन	:	79
3.2	श्रम दिवस के आधार पर दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के कार्य–निष्पादन का सिंहावलोकन	:	80
4.1	जयपुर जिले में ब्लॉक के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति (प्रतिशत में)	:	85

4.2	जयपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन (2005–2015)	:	87
4.3	मोटर वाहनों का पंजीकरण (संख्या में)	:	97
4.4	व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या	:	99
4.5	जयपुर जिले में भूमि उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन	:	110
5.1	महापुरा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011	:	128
5.2	महापुरा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011	:	129
5.3	अमरसर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2011	:	132
5.4	अमरसर ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011	:	135
5.5	चकवाड़ा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011	:	139
5.6	चकवाड़ा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011	:	140

मानचित्र सूची

मानचित्र संख्या	मानचित्र		पृ.सं.
01	अध्ययन क्षेत्र का अवस्थिति मानचित्र	:	16
02	भूवैज्ञानिक	:	18
03	भौतिक स्वरूप	:	20
04	प्रमुख नदी एवं बांध	:	22
05	मृदा	:	23
06	वन	:	25
07	सामान्य वर्षा (2005–2015)	:	32
08	तुलनात्मक सामान्य वर्षा	:	33
09	जनसंख्या घनत्व 2011	:	38
10	पुरुष साक्षरता (2005–2015)	:	40
11	स्त्री साक्षरता (2005–2015)	:	41
12	कार्यशील जनसंख्या (2001–2011)	:	48
13	अकार्यशील जनसंख्या (2001–2011)	:	49
14	सीमान्त जनसंख्या (2001–2011)	:	50
15	परिवहन	:	55
16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (2005–2015)	:	88
17	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2005–2015)	:	89
18	उपस्वास्थ्य केन्द्र (2005–2015)	:	90
19	व्यावसायिक संरचना का तुलनात्मक विवरण (2001–2011)	:	102
20	आयु वर्ग के आधार पर रोजगारों की संख्या (2014–15)	:	106
21	सिंचित क्षेत्रफल (2005–2015)	:	112
22	तुलनात्मक सिंचित क्षेत्र (2005–2015)	:	113

23	सामाजिक–आर्थिक विकास का स्तर (2005–2015)	:	122
24	सामाजिक–आर्थिक स्वरूप के मूल्यांकन एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण में चयनित ब्लॉकों की ग्राम पंचायतें	:	124
25	ग्राम पंचायत महापुरा	:	127
26	ग्राम पंचायत अमरसर	:	133
27	ग्राम पंचायत चकवाड़ा	:	138

छायाचित्र सूची

छायाचित्र संख्या	छायाचित्र		पृ.सं.
01	ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप	:	92
02	अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण ग्रेवल सड़क का एक दृश्य	:	95
03	अध्ययन क्षेत्र में डामरीकृत सड़क का एक दृश्य	:	95
04	अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण सीसी सड़क का एक दृश्य	:	96
05	मनरेगा श्रमिकों के बीच शोधार्थी	:	103
06	सांगानेर ब्लॉक में मनरेगा योजना के तहत् कार्य करते मजदूर	:	104

अध्याय प्रथम

परिचयात्मक

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

1.1 परिचय

विश्व के करोड़ों निर्धन एवं लाभ से वंचित लोगो के जीवन पर रोजगार के संकट का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। प्रतिदिन 1.25 यू.एस.डालर से कम राशि पर जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 2 बिलियन तक पहुँच चुकी है, क्योंकि 1.25 यू.एस. डालर से कम की राशि पर जीवन–यापन करने वाली कुल आबादी की लगभग तीन–चौथाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। खाद्य और विद्युत की कीमतों में तीव्र वृद्धि, राष्ट्रीय मुद्रा का गिरता मूल्य, घटते रोजगार के अवसरों की वजह से क्रय शक्ति का ह्रास, अनेक देशों में संसाधनों की कमी की वजह से सामाजिक क्षेत्रों से सरकारी कर्मियों को लगातार हटाए जाने की वजह से विश्व के अधिकांश देशों में आमतौर पर निर्धन एवं हाशिए पर चले गये। समुदायों की विशेष रूप से ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है।

इन सभी वैश्विक घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने गाँधीजी के ग्रामीण भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए एक क्रांतिकारी और महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर आई जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना और हर हाथ को रोजगार देने के साथ–साथ ग्रामीण भारत के लोगों को आर्थिक स्वावलम्बी बनाना था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का सूत्रधार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी एवं भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे। यह योजना विश्व की सामाजिक कल्याण की सबसे बडी परियोजना है। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैक समेत विश्व के अनेक देशों ने इस सामाजिक कल्याण की परियोजना की प्रशंसा की है। विश्व बैंक के आकंडों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में 27.1 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं और गरीबी दर 55.11 प्रतिशत से घटकर आधी 27.09 प्रतिशत रह गई है।

इस प्रकार विश्व की स्वतंत्र एजेंसियों के आंकलन के अनुसार इस महत्वांकाक्षी परियोजना ने भारत में ग्रामीण गरीबी को कम करने, रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करना, लोगों की आजीविका की सुरक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढने के कारण

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भी गांवों की अर्थव्यवस्था को मनरेगा ने एक मजबूत संबल प्रदान किया है। जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलें।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा, प्रत्येक ऐसे गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे सशक्त या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को भारतीय गणराज्य की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियिम के रूप में अधिनियमित किया है। इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत में है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी, 2006 को देश के 200 जिलों में लागू की गई। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया गया है। देश में इसका शुभारंभ आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत से किया गया। सन् 2007–08 में इसे देश के 130 जिलों में और लागू किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से इसे सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2009–10 में 2 अक्टूबर, 2009 में इस योजना का नाम बदलकर **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)** कर दिया। भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है जब ग्रामीण श्रमिको को लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

राजस्थान में इस योजना की शुरूआत 2 फरवरी, 2006 को माकड़ादेव ग्राम पंचायत (झाड़ोल, उदयपुर) में की गई। **प्रथम चरण** में यह राज्य के 6 जिलों–बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में लागू की गई। **द्वितीय चरण** में 6 अन्य जिलों बाडमेर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर एव टोंक में 2 मई, 2007 से लागू की गई। दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना राज्य के समस्त जिलों सहित सम्पूर्ण देश में लागू हो गई है।

इस प्रकार की दूरदर्शी सोच और मानवता के कल्याण का स्वप्न महात्मा गाँधी ने देखा था उनका मानना था कि जब तक ग्रामीण भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और स्वावलंबन नहीं बनाएगे तब तक सच्चे अर्थों में भारत का निर्माण अधूरा है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा व बाजारवादी अर्थव्यवस्था में गाँधीजी के विचारों और अंतिम पंक्ति में खड़े

व्यक्ति के कल्याण के लिए यू.पी.ए. सरकार अपनी कार्यनीति में मनरेगा जैसी सामाजिक उत्थान की योजना को शामिल कर गाँधीजी के सपने को साकारित करने का प्रयास किया है। विगत 15 वर्षों से केन्द्र में मौजूदा सरकार द्वारा खासकर ग्रामीण विकास संबंधी सामाजिक क्षेत्र पर निरंतर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ–साथ "समावेशी आर्थिक विकास" के सिद्धान्त को बढावा दिया गया। सरकार द्वारा निरंतर अति सक्रिय और अनुकूल नीतिगत निर्णय लिए जाने की वजह से हमारी विशाल ग्रामीण आबादी न केवल वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से अछूती रही, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी तेजी से प्रगति के पथ पर भी आगे बढ़ी।

1.2 मनरेगा की सामाजिक–आर्थिक विकास की संकल्पना

प्रस्तुत शोध विषय का संबंध **"जयपुर जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)"** के विषय पर है। जो एक बेहतर सामाजिक–आर्थिक विकास से ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी परिर्वतन लाने में मील का पत्थर साबित होगी। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है तथा उन ग्रामीण परिवारों के प्रौढ़ सदस्यों को जो अपनी इच्छा से अकुशल कार्य करना चाहते है उन्हे 100 दिवस का गांरटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है।

महात्मा गाँधी नरेगा एक मांग आधारित रोजगार उन्मुख स्कीम है जो मुख्यतः रोजगार प्रदान करने पर बल देती है। यह योजना अपनी तरह का प्रथम कार्यक्रम है जिसके तहत् पात्रता को प्रदान किए जाने वाले सीमित लाभ के रूप में नहीं देखा जाता अपितु इसे शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के अधिकार के रूप में दिखा जाता हैं। प्रत्येक पंचायत को कार्य करने के लिए निधियाँ प्रदान करने से स्थानीय योजना बनाने की संभावना उत्पन्न हुई है और गरीब व्यक्तियों के लिए परिसम्पत्तियाँ तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अनेक कारणों से यह संभावना पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई है जो मुख्यतः गरीब व्यक्तियों के अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने और स्थानीय अभिशासन को प्रत्युत्तर आधारित बनाने में सक्षम नहीं होने की वजह से उत्पन्न हुए है।

मनरेगा में बडे पैमाने पर ग्रामीण बेरोजगारी के संकट को दूर करने का प्रयास किया और लोगों को आजीविका की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की तभी विश्व बैंक ने दुनिया का सबसे बडा सार्वजनिक कार्यक्रम बताया था, जिसका उद्देश्य हाशिए पर खडे उस आदमी के जीवन की

न्यूनतम रोजगार सुरक्षा करना था ताकि वह भी सम्मान के साथ जीवनयापन कर सके। मनरेगा से 4.50 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। रोजगार मिलने से उनका आत्मबल एवं स्वावलबन बढा है।

इस प्रकार मनरेगा के परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक परिर्वतनों के साथ–साथ समाज अधिक समावेशी भी हुआ है। इससे सामाजिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आया और सामाजिक गैप (ऊँच–नीच) काफी कम हुआ है। इससे गांवों के सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिर्वतन आया है। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है इसमें भी आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं की संख्या अधिक है। मनरेगा के कारण महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता बढ़ी है। इन सब सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबंध में जयपुर जिले की सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका विषय पर एक विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

1.3 शोध के उद्देश्य

किसी भी क्षेत्र या विषय से संबंधित शोध कार्य का उद्देश्य उस विषय या समस्या को अधिक गहनता और विस्तार से समझना होता है, तो किसी शोध कार्य का उद्देश्य विषय से संबंधित विरोधाभासों एवं संदेहो का निराकरण कर उसे उत्कृष्टता प्रदान करना होता है।

प्रस्तुत शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य–

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–

1. मनरेगा के पूर्व एवं मनरेगा के पश्चात् ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. मनरेगा के फलस्वरूप जयपुर जिले में भूमि उपयोग में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. मनरेगा के फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन के सकारात्मक परिवर्तन का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रवास पर लगी रोक का अध्ययन करना।
5. पर्यावरण एवं जल प्रबन्धन में आये परिवर्तन का अध्ययन करना।

6. जिले में सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रवृत्ति ज्ञात करना।

जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका का स्तर क्षेत्र में अध्ययन से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी एवं उपरोक्त अध्ययन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर मनरेगा को अधिक प्रासंगिक एवं तर्कसंगत बनाये जा सके जिससे इस क्षेत्र के विकास में अहम सहयोग मिलेगा।

1.4 शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध शीर्षक **"जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)"** पर निम्नलिखित परिकल्पनाएँ हैं–

1. मनरेगा से आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।
2. मनरेगा से श्रमिक प्रवास रूका है।
3. मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता में कमी हुई है।
4. मनरेगा के कारण ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया है।

1.5 उपलब्ध शोध साहित्य की समीक्षा

जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विषय पर मनरेगा का अध्ययन भूगोलवेताओं, राजनीति विज्ञान के अध्येताओं और सामाजिक विषयों पर अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं एवं अन्य पाठकों एवं विद्वानों के लिए अत्यन्त रूचिकर विषय है। महात्मा गाँधी नरेगा योजना ने गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। जिससे सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सौहार्द और जनसांख्यकिय लांभाश का गांव के विकास में अहम् योगदान रहा है। महात्मा गाँधी नरेगा की समीक्षा उस अनुसंधान रुचि का विषय है क्योंकि विश्व के सबसे बडे सार्वजनिक कार्यक्रम को लागू करने एवं इसके परिणामों और लाभों को जानने का प्रयास भारत और विश्व के अनुसंधानकर्ताओं और छात्रों की अनगिनत जिज्ञासाओं का समाधान और रोचकता भी पैदा करता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में महात्मा गांधी नरेगा में कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जीवन की गुणवत्ता पर महात्मा गांधी नरेगा के सम्भावित प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा में सतत् परिसम्पत्तियों के निर्माण पर बल

दिया गया है। मनरेगा के तहत् सम्पादित होने वाले कार्यों में परिवर्तन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी नई पहल को शुरू करके कार्यक्रम के कियान्वयन स्तर पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में मनरेगा के 2005–2015 के दौरान होने वाले विभिन्न परिवर्तनों एवं सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस शोध अध्ययन में अध्येताओं, विकासकर्त्ताओं, अनुसंधानकर्त्ताओं, नीति–निर्माताओं तथा सरकार को इसका यथोचित लाभ प्राप्त हो सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत् जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास विषय पर भारतीय विद्वानों एवं शोधार्थियों ने पर्याप्त लेखन कार्य किया। मनरेगा विषय पर अनेक विद्वानों ने अनेक साहित्यिक ग्रंथ लिखे, वहीं भारत सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, राजस्थान सरकार, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे अनेक संस्थाओं एवं मंत्रालयों ने अनेक प्रपत्र एवं दस्तावेजों का प्रकाशित किया है। शोध की प्रासंगिकता व शोध कार्य की प्रकृति तभी व्यावहारिक रहती है जब वह समस्या के समाधान का हल निकाल सके या उसके प्रभाव को कम कर सके, तभी शोध की व्यावहारिकता बनी रहती है। यहाँ उपलब्ध शोध साहित्य की समीक्षा में अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों एवं लेखों को चाहकर भी उल्लेख न कर केवल महात्मा गांधी नरेगा पर उपलब्ध शोध साहित्य से सम्बन्धित प्रस्तुत कतिपय पुस्तकों का ही उल्लेख किया गया है।

शर्मा महेश "Poverty Alleviation and MNREGA"–**'नरेगा'** (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) 'प्रभात प्रकाशन', जयपुर 2016–नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) भारत सरकार का एक प्रमुख बेरोजगारी उन्मूलन अधिनियम है, जो सीधे–सीधे गरीबों के जीवन से जुड़ा है और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देता है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है, जिसके तहत ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो योजनाएँ बनाई जाती है, वे स्थानीय ग्राम विकास से जुडी होती है, जिससे कि ग्रामीण विकास के साथ–साथ स्थानीय वयस्क बेरोजगारों को रोजगार भी सतत् मिलता रहे। अधिनियम के अन्तर्गत समयबद्ध रोजगार गांरटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान जैसी विशेषताएँ शामिल है। इसके अलावा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि रोजगार शारीरिक श्रम (मजदूरी) पर आधारित हो, जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई हस्तक्षेप न हो। प्रस्तुत पुस्तक में मनरेगा के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है; जैसे–बेरोजगारी ग्रामीणजन पंजीकरण कैसे कराएँ? जॉब कार्ड कैसे बनवाएँ? बेरोजगारी भत्ता कैसे पाएँ? कोई अधिकारी परेशान करे तो शिकायत कहाँ और कैसे करे? आवेदक के क्या–क्या

अधिकार है? पुस्तक में इसी तरह के अनेक सवालों के जवाब भी दिए गए है और इस अधिनियम की पूरी जानकारी सरल शब्दों में दी गई है। इस दृष्टि से यह पुस्तक न केवल ग्रामीण जन के लिए बल्कि जिज्ञासु पाठकों के लिए भी उपयोगी एवं जानकारीपरक है।

शर्मा धर्मराज "भारत निर्माण एवं मनरेगा"—(रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2019) प्रस्तुत पुस्तक में महात्मा गाँधी नरेगा योजना तथा भारत निर्माण एवं आर्थिक व सामाजिकोत्थान में इसके योगदान की व्यापक रूप से विवेचना की गई है। पुस्तक में विषय से संबंधित नवीनतम, महत्त्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक सामग्री के समावेश के साथ—साथ महात्मा गाँधी नरेगा के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों का विश्लेषण भी किया गया है।

पारीक सीमा, पारीक अशोक "मनरेगा के सामाजिक—आर्थिक प्रभाव" (पायोनीर पब्लिकेशन, 2016) प्रस्तुत पुस्तक में मनरेगा के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आए बदलावों का विश्लेषण किया गया है। मनरेगा से पहले और मनरेगा कानून लागू होने के बाद की परिस्थितियों को तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। मनरेगा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, गाँवों से पलायन, युवाओं को रोजगार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिवासी समुदायों की जीवन की बेहतर स्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

रंजन अनिता "मनरेगा और महिला सशक्तिकरण" (प्रभात प्रकाशन, जयपुर 2016) अनिता रंजन ने अपनी इस पुस्तक में 2006 के बाद के वर्षो में महिलाओं की स्थितियों में आये परिवर्तनों का उल्लेख किया है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मनरेगा योजना की है। मनरेगा का उद्देश्य समाज के निर्धनतम और निर्बलतम वर्गो को रोजगार उपलब्ध कराना है, इस अधिनियम में एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाने की व्यवस्था है, और 2012—13 से ही इसका अनुपात 50 प्रतिशत से ऊपर रहा है। इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। इस योजना से पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी जो महिलाओं को इस तरह प्रत्यक्ष लाभ की राशि सीधे उन तक पहुँचाये। इस योजना में प्रत्येक महिला लाभार्थी को उसके कार्य का पारिश्रमिक सीधे उसके बैंक खाते में जाता है। इसलिए उसके पारिश्रमिक पर किसी का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। आमतौर पर हमारा समाज पितृसत्तात्मक है और समाज में महिलाओं से ज्यादा पुरूषों को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन मनरेगा योजना ने समाज से पितृसत्तात्मक सत्ता को कमजोर करने में कहीं अधिक सकारात्मक भूमिका निभाई है। अब महिलाओं को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कहीं अधिक आजादी का

अनुभव हुआ और यह सब मनरेगा योजना के परिणामस्वरूप हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आये परिवर्तनों को समझने के लिए यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।

गुप्ता प्रसाद माधव "मनरेगा पंचायती राज एवं जनजातीय विकास" (रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2009) प्रस्तुत पुस्तक में माधव प्रसाद गुप्ता ने मनरेगा के फलस्वरूप पंचायती राज एवं जनजातीय विकास में आये परिवर्तनों और क्रियान्वयन के स्तर पर आने वाली चुनौतियों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आने वाली बाधाओं को समझाने का प्रयास किया है। मनरेगा ने ग्रामीण स्तर पर अनेक ऐसे निर्माण कार्यों के द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किये जिसके परिणाम अधिक उत्साहजनक रहे है। लेकिन साथ ही इसमें समय के साथ अनेक खामियाँ भी उभरकर आई जिसने मनरेगा कि क्रियान्वयन स्तर से लेकर नीति निर्माताओं तक के स्तर पर इस योजना के प्रति उदासीनता का भाव दिखाई दिया, परन्तु आज ग्रामीण स्तर पर व्यापक बदलाव हुए उसका कारण भी मनरेगा ही है। मनरेगा ने पंचायातीराज संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाया क्योंकि इस योजना के प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता और ऑनलाईन की व्यवस्था है जिससे पंचायतीराज का सशक्तिकरण भी हुआ साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में भी इस योजनान्तर्गत प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यो को पूर्ण किया गया इसलिए प्रस्तुत ग्रन्थ में विभिन्न उपागमों को शामिल करते हुए नरेगा में आए परिवर्तनों को विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया गया है।

कुमार मनोज, अगोरिंया बी. "ग्रामीण गरीबी पर मनरेगा का प्रभाव" (पब्लिशर वी.एल. मीडिया जून, 2015 दिल्ली) प्रस्तुत पुस्तक में मनरेगा के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ में वर्ष 2012–14 के दौरान किए गये अपने शोध कार्यों के माध्यम से उल्लेख किया है। कि गाँवों में मनरेगा कि परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय, कार्य की गरिमा और प्राप्त की गई वैयक्तिक तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों की उत्पादन क्षमता और सतत् क्षमता के मुद्‌दों पर आधारित कार्यों को उल्लेखित किया है। क्योंकि ये महात्मा गाँधी नरेगा की भावना तथा कार्यान्वयन के केन्द्र में है। प्रस्तुत ग्रन्थ में न्याय इस कार्यक्रम की सामाजिक नीति, कार्य–संरचना, अभिशासन और कार्यान्वयन का मुख्य आधार है। कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने की विधिक गारंटी को अधिनियमित करके भारत के नागरिकों की इच्छा को प्रकट किया गया है और औचित्यपूर्ण अधिकार के रूप में कार्य करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है जिसके तहत कमजोर तथा गरीब व्यक्तियों को सक्रिय रूप से रोजगार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार महात्मा गाँधी नरेगा के तहत पात्रता वितरण आधारित न्याय को दर्शाती है जिसकी परिकल्पना इस अभूतपूर्व अधिनियम को निर्धारित करने में की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में मनरेगा से जुड़े सभी पक्षों को जानने की कोशिश की

गई है इसलिए इस ग्रंथ में वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक और सुझावात्मक अध्ययन शैली को अपनाया गया है।

जोशी, देसाई, वन्नेमन और दुबे (2014) महात्मा गांधी नरेगाः अंतिम विकल्प का नियोक्ता? नई दिल्लीः भारत मानव विकास सर्वेक्षण, अनुसंधान पेपर 2014–15 जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण डाटा के माध्यम से लगभग 42,000 समग्र नमूनों को शामिल किया गया है, से संबंधित अपने अनुसंधान पेपर में यह निष्कर्ष निकाला है कि कम परिसम्पत्तियों वाले गरीब परिवार और कमजोर समुदायों के सदस्यों को महात्मा गाँधी नरेगा में भाग लेने की प्रबल इच्छा है। ग्रामीण परिवारों के नमूने में 27,579 परिवारों को शामिल किया गया था जिनमें परिवार के कम से कम एक सदस्य का सर्वेक्षण किया गया था। जैसा कि देखा जा सकता है इस नमूने में लगभग दो–तिहाई परिवार की बेहतरी से संबंधित निर्धारित प्रश्न पूछे गए थे। अनुसंधान मूल्यांकन प्रश्न के अनुरूप इस अध्ययन में यह पता चला कि शिक्षा के स्तर का ऋणात्मक रूप से महात्मा गाँधी नरेगा में सहभागिता के साथ अंतर–संबंध था। लेखक ने इस परिणाम का अपने इस निष्कर्ष में सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया है कि महात्मा गाँधी नरेगा के तहत गरीब, कमजोर और 'कम अवसर प्राप्त' व्यक्तियों को लक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में यह नोट किया जाए कि यह अनुसंधान राष्ट्रीय प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षण है इसमें 384 जिलों और 1420 ग्रामों को शामिल किया गया है। इस नमूने की कवरेज में अंतर–राज्य वितरण नमूना को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। इस अनुसंधान में राज्य और ग्राम स्तरीय नियंत्रण के साथ दोहरी तर्क आधारित गिरावट का उपयोग किया गया है। इसके परिणामों में यह दर्शाया गया है कि इस कार्यक्रम में पर्याप्त रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लक्षित किया गया है। इन समुदायों में से अनुसूचित जातियों को बेहतर रूप से लक्षित किया गया। इन परिणामों में स्पष्ट रूप से सुझाव दिया गया है कि जैसे–जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे–वैसे महात्मा गाँधी नरेगा की सहभागिता में कमी होती है।

लियू और वरीट ने वर्ष 2013 में 2009–10 के NSSO 66वें दौर के डाटा का उपयोग करके महात्मा गांधी नरेगा के उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित कर विश्लेषण किया और यह पाया कि राष्ट्रीय स्तर पर महात्मागांधी नरेगा के स्व–लक्षित डिजाइन से गरीब और अनुसूचित जनजातीय तथा अनुसूचित जातीय परिवारों द्वारा स्वयं इस कार्यक्रम में चयन कराने की दर में वृद्धि होती है। तथापि, लेखकों ने प्रशासनिक गरीब समर्थक प्रतिबद्धता अथवा इसके अभाव में जब महात्मा गाँधी नरेगा कार्यों का प्रशासनिक नियंत्रण गरीब समर्थक नहीं रहा अपितु इसके बजाय 'इसमें एक प्रकार का मध्यम वर्ग पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ' के बारे में उल्लेख किया है। राज्य स्तर पर 27

राज्यों में से लगभग आधे राज्यों ने प्रस्तुत किए गए सहभागिता विवरण में यह उल्लेख किया है कि कामगार गरीब समर्थक लक्ष्य निर्धारण अपनाया गया है। भारत के अन्य आधे राज्य महात्मा गाँधी नरेगा रोजगार 'जिसका गरीबों को विधिक अधिकार प्राप्त है', के प्रशासनिक नियंत्रण के नकारात्मक पैटर्न और उच्च दर से बचने के लिए संघर्ष करते प्रतीत होते है। लेखकों ने गरीब समर्थक लक्ष्य निर्धारण कार्य–निष्पादन के चार अंतर के बारे में उल्लेख किया है। सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान जैसे राज्यों ने 'आदर्श पैटर्न' प्रस्तुत किया है। अन्य राज्यों में 'आदर्श पैटर्न' की अपेक्षा कम पैटर्न दर्शाया हैः (i) गरीबों के बीच कम सहभागिता, (ii) नियंत्रण दर और एक समान अथवा नकारात्मक सहभागिता और (iii) गरीबों के बीच उच्च नियंत्रण दर।

दासगुप्ता, अपराजिता (2013), क्या बाल्यकाल पूर्व अवस्था में नकारात्मक स्थिति से प्रमुख सार्वजनिक कार्य नीति सुरक्षा प्रदान कर सकती है? लेख में नरेगा कवरेज में स्थानिक और अल्पकालिक अंतरों के आधार पर उस सीमा का अनुमान लगाया है जिस तक पूर्व बाल्यकाल अवस्था में महात्मा गाँधी नरेगा की सुविधा प्रदान करके पोषण की कमी को दूर की जा सकती है। इस अध्ययन से यह पता चल रहा है कि नीति में पिछली दीर्घकालिक कमियों को दूर नहीं किया गया तथापि यह सूखे की स्थिति से होने वाली कमी को दूर करने में उपयोगी रही जिसका प्रभाव नीति का अधिक प्रासंगिक उप–समूहों के आधार पर भिन्न–भिन्न था। इस कार्यक्रम को उपलब्ध कराने से हाशिए पर रहने वाले और सामाजिक रूप से अलग रहने वाले परिवारों के बच्चों को सुरक्षित स्थिति प्रदान की गई है। इसके निष्कर्ष में शिक्षा के स्तर तथा नृजातीय स्तर पर ग्रामीण गरीब परिवारों के सामने अत्यधिक कमजोरियों को विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिससे इस प्रकार नकारात्मक स्थिति का सामना करने के लिए इन परिवारों के लिए सामाजिक संरक्षण स्कीमें और आवश्यक हो जाती है। इसके साथ–साथ जब खाद्य अनुपूरक सामग्री को डाटा विश्लेषण में शामिल किया गया तो इस अध्ययन में बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण पर सुदृढ़ सकारात्मक प्रभावों का पता चला है।

यादव, सी.बी., मनरेगा और पंचायती राज, (कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2010) देश की करीब 70 फीसदी आबादी गाँवों में रहती है। ग्रामीणों का पलायन रोकने और उन्हें गाँव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार की और से विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं। यूपीए सरकार ने इस दिशा में दो कदम आगे बढ़ते हुए हर व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती स्वीकार की। चूँकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की और से पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र

का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भूखमरी हटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव और शहर के अन्तराल को पाटने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना जरूरी है। इसलिए सरकार की और से एक नयी पहल की गई है।

प्रसाद अवध (1998) ने अपनी पुस्तक **"गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन"** में कहा है कि मजदूरी की तलाश में व्यक्तियों का गांवों से बाहर जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की परम्परा प्रायः प्रत्येक समय रही है। इसे एक स्वभाविक प्रक्रिया कहा जा सकता है, इसमें मनुष्य अपने अनुकूल काम की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करता है। कई परिस्थितियों में वर्तमान स्थान पर काम न होने की स्थिति में दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाता है। पिछले कुछ दशकों में रोजगार के लिये पलायन की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अब गांवों में ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार के साधन घटते जा रहे हैं। वर्तमान सर्वेक्षण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सिलसिले में गांव से निकट का सम्पर्क होने के कारण यह साफतौर पर दिखता है कि दूर के गांवों में रोजगार के साधनों का पूर्णतया अभाव है। इन्होंने अनुभवात्मक और प्रायोगिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जिसमें इन्हें उत्तरदाताओं ने बताया कि गांवों में क्या करें? रोजगार के साधन न होने के कारण रोजगार की खोज में गांव से बाहर जाना ही पड़ता है।

शर्मा, अनीता ने **"रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम इन इण्डिया"** में राजस्थान में निर्धनता को खत्म करने एवं अकाल राहत कार्यक्रमों का अध्ययन किया था जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रमुख हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले अक्टूबर, 1980 में चालू किया गया था जिसे अप्रैल 1981 से लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से 40 श्रम दिवस प्रतिवर्ष के बराबर स्थाई सामुदायिक सम्पत्ति तैयार करना तथा गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाये रखना था। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल राहत कार्यक्रमों को चालू करने में इन दो लक्ष्यों के अलावा एक और लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में श्रमिकों के पलायन को रोकना था। उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व जल निकासी योजनाओं को प्राथमिकता देने से कहीं अधिक लाभ होगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने भी में सहायता मिलेगी।

1.6 शोध विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया है। शोध मुख्यतः आंकडों के प्राथमिक स्रोत पर आधारित रहेगा जिसे निम्न तरीकों से प्राप्त किया गया है–

1. जिले का सर्वेक्षण
2. चयनित क्षेत्रों का सर्वेक्षण
3. मनरेगा श्रमिकों एवं सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ बातचीतों एवं साक्षात्कार द्वारा।

द्वितीयक स्रोतों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण मुख्यतः सरकारी प्रतिवेदनों, और मनरेगा से संबंधित पत्र–पत्रिकाओं द्वारा किया गया है।

अध्ययन के सही परिणाम प्राप्त करने के लिए एकत्रित अव्यवस्थित आंकडों का संक्षेपण, सारणीयन और विश्लेषण करके विभिन्न गणितीय व सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया है। अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के अध्ययन के लिए सारणी और मानचित्रों द्वारा अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। मनरेगा के दशक 2005–2015 को आधार मानकर मानक वर्ष 2005–2015 में आये दशकीय सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन से सम्बन्धित अध्ययन किया गया है तथा जयपुर जिले की समस्त ब्लाकों को क्षेत्रीय इकाई का आधार मानकर मनरेगा के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया तथा विविध गणितीय एवं सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुये अध्ययन का विश्लेषण किया गया एवं अध्ययन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मानचित्रों, आरेखों और सारणी का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015) देखने के लिए दो तथ्यों को चुना है।

1. सामयिक अन्तर देखना।
2. क्षेत्रीय अन्तर देखना।

सामयिक अन्तर देखने के लिए 2005–10 से 2011–2015 तक मनरेगा में किये गये कार्यों तथा सरकारी क्षेत्र के आंकड़ों में आये विभिन्न परिवर्तनों का तथा तकनीकीकरण के प्रभाव को आंकडों के अन्तर के आधार पर धनात्मक व ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है जिसे

भौगोलिक रूप से दर्शाने हेतु क्षेत्रीय अध्ययन की विभिन्न कार्टोग्राफी विधियों के माध्यम से जयपुर जिले कि विभिन्न ब्लॉकों में दिखाया गया है।

कम्पोजिट इन्डेक्स का उपयोग

मनरेगा के परिणामस्वरूप क्षेत्र के विकास स्तर के मापन हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कम्पोजिट इन्डेक्स का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में जयपुर जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में मनरेगा के अन्तर्गत किये गये विकास कार्यों का विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तरों को ज्ञात किया जायेगा। जिनका आधार मनरेगा के अन्तर्गत सम्पादित भौतिक एवं सामुदायिक गतिविधियाँ होगी। अध्ययन क्षेत्र के विकास के स्तर को ज्ञात करने के लिए कम्पोजित इन्डेक्स का प्रयोग किया गया है। सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किये गये तत्वों के मानक मूल्यों की सहायता ली गयी हैं इस विधि का प्रयोग दो चरणों में किया गया है।

प्रथम चरण

1. ब्लॉकवाइज तत्वों का वर्गीकरण
2. प्रयुक्त प्रत्येक तत्व का समान्तर माध्य ज्ञात करना।

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

यहाँ

$\bar{X}$ = समान्तर माध्य

$\sum$ = योग

X = मानक या मूल्य

N = पदों की संख्या

समानतर माध्य से मानक विचलन ज्ञात करना।

मानक विचलन $SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$

$\sum$ = योग

d = समान्तर माध्य से विचलन

N = पदों की संख्या

द्वितीय चरण

1. मानक मूल्य ज्ञात करना $= \frac{X-\bar{X}}{sd}$
2. क्षेत्रानुसार प्रयुक्त सभी तत्वों के मानक मूल्यों के योग से सकल मूल्य ज्ञात करना।
3. कम्पोजित इन्डेक्स ज्ञात करना–

$$\text{Composit Index} = \frac{\text{Gross Value}}{\text{No. of Variable}}$$

4. कम्पोजित इंडेक्स के माध्यम से विकास कटिबंधों का निर्धारण किया जायेगा।

अध्ययन की सुगमता एवं उचित क्षेत्रीय विकास वितरण प्रतिरूप प्रदर्शित करने के लिए कोरोप्लेथ (वर्णमात्री) विधि का प्रयोग किया गया है। महत्त्वपूर्ण तथ्यों के स्पष्ट एवं सुगम प्रदर्शन के लिए सारणी व आलेखों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में निम्न कार्यालयों से द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया है–

1. जिला गजेटियर्स जयपुर ।
2. भारतीय मौसम विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर।
3. सांख्यिकी कार्यालय, जयपुर ।
4. उपक्षेत्रीय विकास मण्डल कार्यालय, जयपुर।
5. भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर।
6. भू–राजस्व मण्डल, अजमेर।

❑❑❑

अध्याय द्वितीय

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

अध्याय द्वितीय

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

2.1 स्थापना एवं परिचय

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जयपुर जिले की भौगोलिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास किया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगरी तथा प्राचीन कालीन रजवाड़ों की शरणस्थली रहा है। स्थापत्य कला, शहरी नियोजन तथा सौन्दर्यता के लिए पहचाना जाने वाला जयपुर वर्तमान में भारत के महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। जिसकी उत्पत्ति लगभग 292 वर्ष पूर्व हुई थी जो मध्यकालीन युग का एक प्रमुख सुनियोजित शहर कहलाता है। इस प्राचीन शहर को सुनियोजित स्वरूप देने का प्रयास विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था तथा उसके द्वारा बनाया गया नक्शा शहर की सुन्दरता में चार चाँद लगाता है।

2.2 अवस्थिति

राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में स्थित जयपुर जिला 26°23´–27°57´ उत्तरी अक्षांश एवं 74°55´–76°50´ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह अर्द्धशुष्क जलवायु की विशेषताओं से युक्त अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्तरी–पूर्वी स्थिति को भी दर्शाता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई होने के कारण यह जिला भारत के प्रमुख नगरों से स्थलीय एवं वायु परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। स्थलीय परिवहन में रेल एवं सड़क यातायात मार्गों से जुड़ा हुआ है। इस जिले की सीमाओं का निर्धारण विभिन्न राज्यों के जिलों एवं स्थानीय जिलों द्वारा किया गया है, जिनमें उत्तर की ओर सीकर एवं महेन्द्रगढ़ जिला, दक्षिण में टोंक, पूर्व में अलवर एवं दौसा तथा पश्चिम में नागौर एवं अजमेर जिलों द्वारा सीमांकित होता है। **(मानचित्र संख्या 01)**

जयपुर जिला पर्यटक आगमन एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देश के प्रमुख नगरों में सम्मिलित किया जाता है, जयपुर शहर अपने गुलाबी रंग, स्वच्छ परिवेश एवं रात्रिकालीन प्रकाशीय व्यवस्था के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध है। पर्यटकों को यहाँ के किले सुन्दर बगीचे अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें आमेर का किला, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सैन्ट्रल पार्क, सिटी पैलेस, जलमहल, कनक वृंदावन, रामगढ़ बांध, चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलोजिकल पार्क, बी.एम. बिड़ला ऑडोटोरियम, सिसोदिया रानी बाग, गैटोर की छतरियाँ, विराटनगर, मेट्रो

मानचित्र संख्या 01

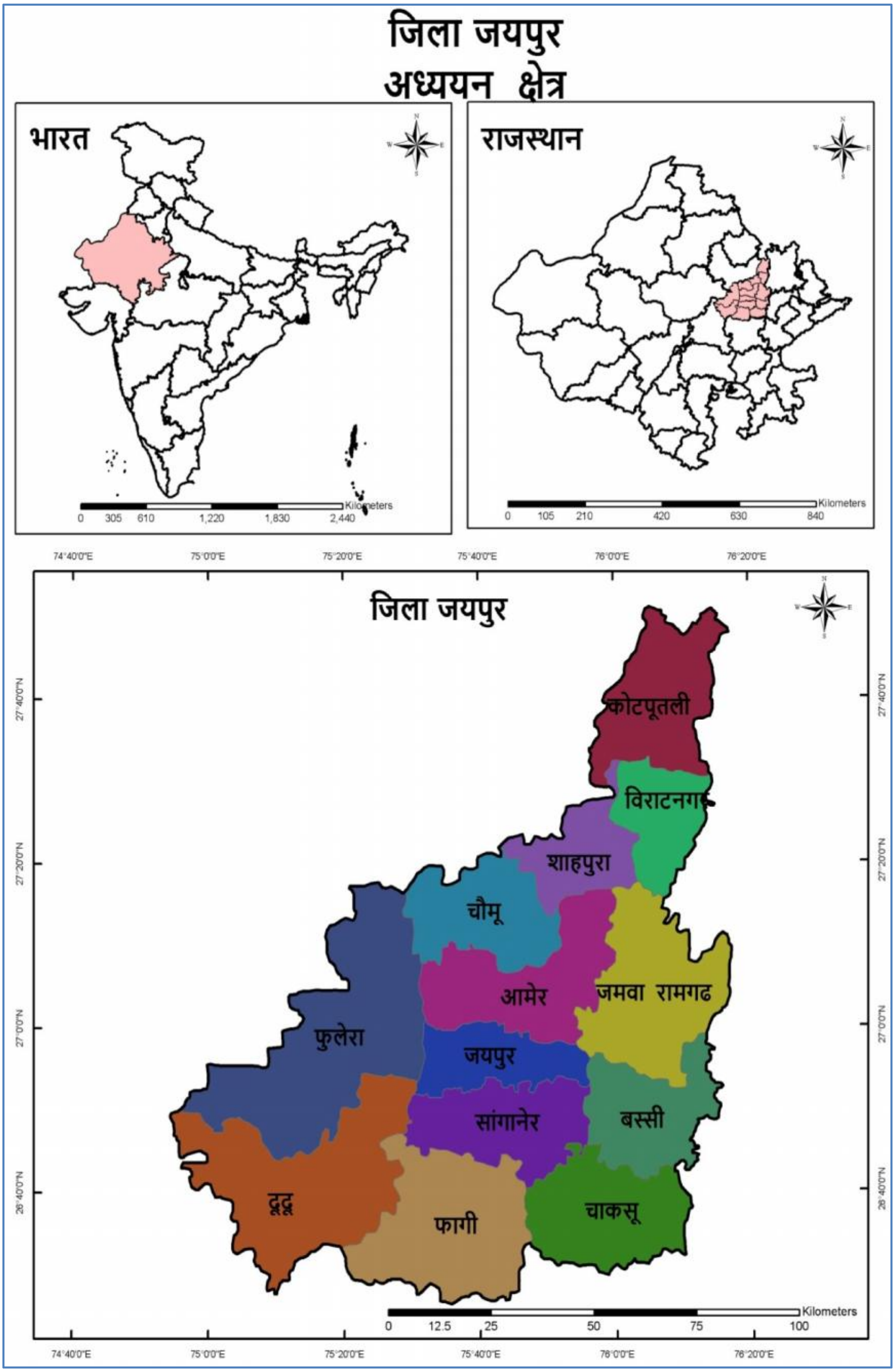
जिला जयपुर
अध्ययन क्षेत्र
भारत
राजस्थान
जिला जयपुर
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
Kilometers

रेल एवं शहर के अन्य प्रमुख स्थान आते हैं। जयपुर जिला दिल्ली आगरा, बीकानेर, जोधपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, चैन्नई, मुम्बई, सवाईमाधोपुर, बैंगलुरू आदि स्थानों से रेल परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जबकि वायु परिवहन दिल्ली, मुम्बई, आगरा, अहमदाबाद, कोटा, उदयपुर तथा अन्तर्राष्ट्रीय उडानों से जुड़ा हुआ है। समीपस्थ जिलों एवं राज्यों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं निजी परिवहन सुविधा सड़क परिवहन के सघन जाल को प्रदर्शित करता है।

2.3 प्रशासनिक इकाईयाँ (2014 के अनुसार)

2014 के अनुसार		**संख्या**
उपखण्ड	–	13
ब्लॉक	–	16
विकास खण्ड	–	15
ग्राम (आबाद)	–	2338
ग्राम (गैर आबाद)	–	55
कस्बे	–	11
नगरपालिका	–	10
नगर निगम	–	1

2.4 भूगर्भिक संरचना

जयपुर जिले की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के आधार पर जिले की विभिन्न भागों में पायी जाने वाली चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार चट्टाने पायी जाती है जिससे उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। इसके विपरित प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मृदा अनुपजाऊ होती है लेकिन ऐसी चट्टानें धात्विक खनिजों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती है। जयपुर जिले में पाँच प्रकार की भूगर्भिक चट्टाने पायी जाती हैं। **(मानचित्र संख्या 02)**

1. **अजबगढ़ ग्रुप**–कोटपूतली एवं विराटनगर उपखण्ड में।
2. **Alluvium and Wind, blown Sand:**–दूदू, फूलेरा, कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा एवं जमवारामगढ़ उपखण्डों में।
3. **Alwar Group:**–विराटनगर एवं कोटपूतली उपखण्डों में।
4. **Kishangarh Syenite:**–दूदू उपखण्ड में।
5. **Mangalwar Complex:**–दूदू, फागी, सांगानेर, जयपुर, आमेर, चौमू, फूलेरा, जमवरामगढ़, चाकसू एवं शाहपुरा उपखण्डों में। **(मानचित्र संख्या 03)**

(मानचित्र संख्या 02)

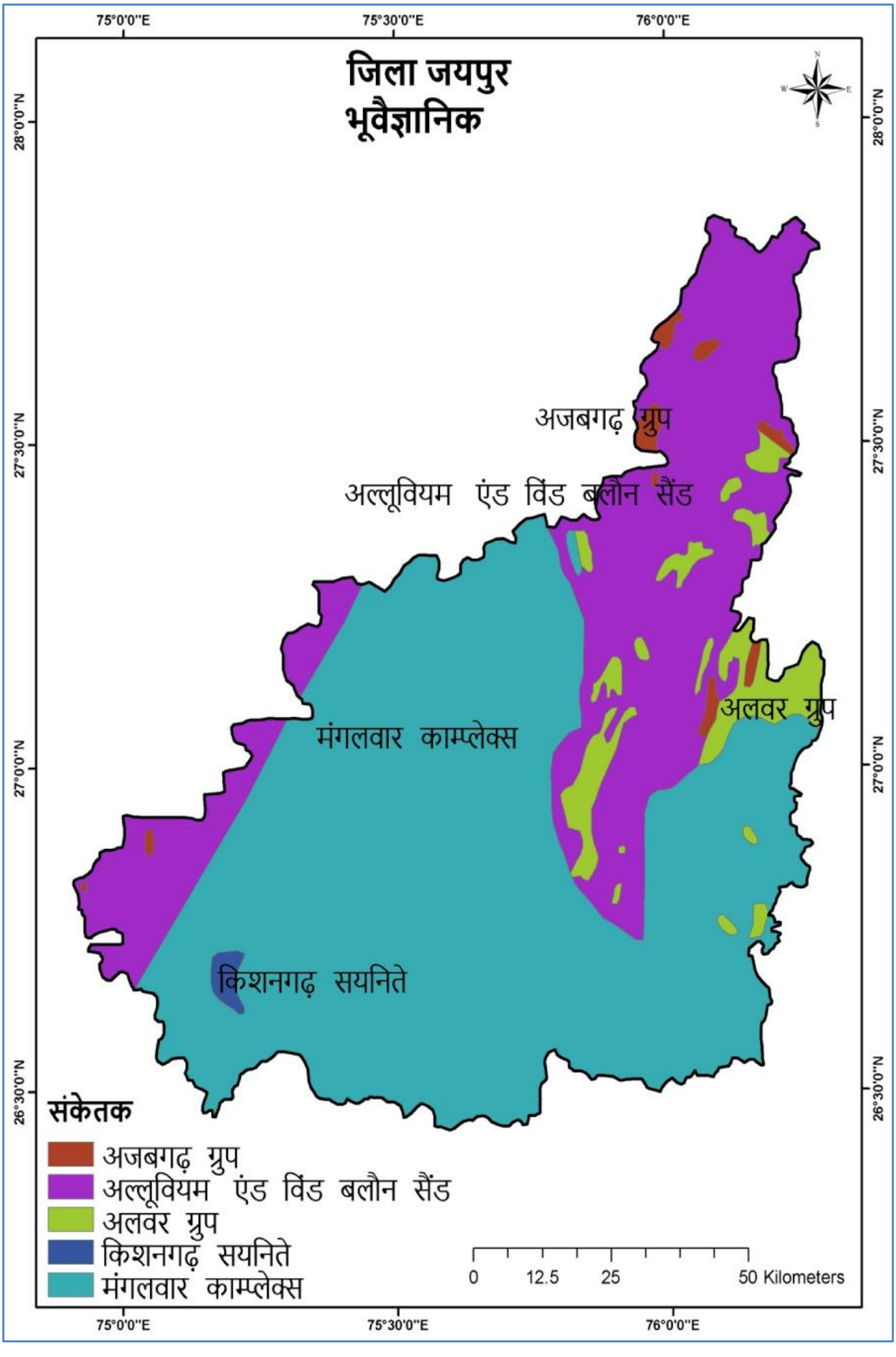
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
जिला जयपुर
भूवैज्ञानिक
अजबगढ़ ग्रुप
अल्लूवियम एंड विंड बलौन सैंड
मंगलवार काम्प्लेक्स
अलवर ग्रुप
किशनगढ़ सयनिते
संकेतक
अजबगढ़ ग्रुप
अल्लूवियम एंड विंड बलौन सैंड
अलवर ग्रुप
किशनगढ़ सयनिते
मंगलवार काम्प्लेक्स
0 12.5 25 50 Kilometers

2.5 भौतिक स्वरूप

स्थलाकृतिक दृष्टिकोण से जयपुर जिला आर्कियन युग की अरावली शृंखला के पठारी क्षेत्र पर बसा हुआ है। जयपुर में नाहरगढ़, झालाना की पहाड़ियों के रूप में दिल्ली समूह का भाग भी पाया जाता है। पूर्वी एवं उत्तरी भागों में अरावली की पर्वत शृंखला स्थित है तथा साथ ही विन्ध्यन पर्वत श्रेणी का पर्वतीय भाग भी विस्तृत है। पश्चिमी क्षेत्र ग्रेनाइट तथा माइका चट्टानों की प्रधानता को प्रदर्शित करता है।

जयपुर जिले की भूमि का ढाल उत्तर–दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्व की ओर है। यहाँ उच्चावचों के रूप में नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, बांसखोह की पहाड़ियाँ प्रमुख है। अरावली का विस्तार कोटपूतली ब्लॉक से होते हुए अलवर तक विस्तृत मिलता है। **(मानचित्र संख्या 3)**

जयपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा जलोढ़ मृदा व वातोढ़ मृदा की एक मोटी परत से आच्छादित है। जयपुर का उत्तरी व पूर्वी भाग पहाड़ियों द्वारा घिरा है जो की मैदानी भूमि से लगभग 200 मीटर का उच्चावच लिये हुए है। जयपुर जिला औसत समुद्र तल से 431.90 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। जयपुर जिले की प्रमुख चोटियाँ मनोहरपुरा (747), नाहरगढ (599 मीटर), खो (920 मीटर), बरवाड़ा (786 मीटर), बैराठ (704 मीटर), व जयगढ़ (648 मीटर) है।

2.6 अपवाह तन्त्र

अपवाह तन्त्र दृष्टिकोण से बाणगंगा नदी जिले की प्रमुख नदी है। इस नदी पर रामगढ़ बांध का निर्माण किया गया है। ढूँढ नदी पर जयपुर शहर बसा हुआ है जिसे यूरोप की सीन नदी की उपमा दी जाती है। यह मोरेल की सहायक नदी है।

साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जो उत्तर–पूर्वी जयपुर में बहते हुए अलवर में प्रवेश करती है।

सांभर झील जयपुर जिले के दक्षिण–पश्चिम भाग में स्थित एक प्राकृतिक लवणीय झील है। नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, और आन्तरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण भी है।

द्रव्यवती नदी जयपुर शहरी क्षेत्र के अन्दर अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) एक प्रमुख जल अपवाह तंत्र का स्रोत है जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों से प्रारम्भ होकर शहर के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है।

(मानचित्र संख्या 03)

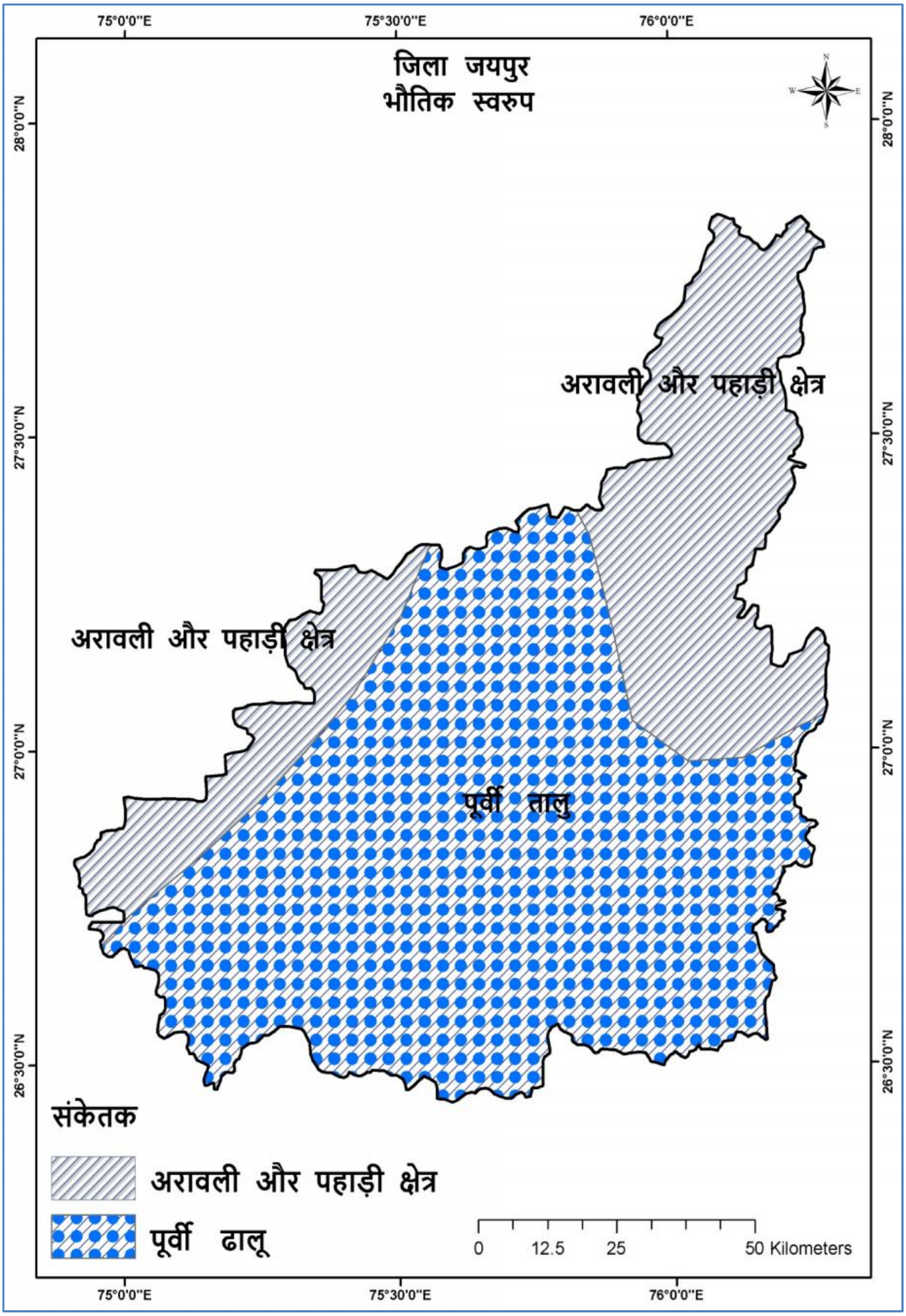

75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
जिला जयपुर
भौतिक स्वरुप
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
अरावली और पहाड़ी क्षेत्र
अरावली और पहाड़ी क्षेत्र
पूर्वी ढालु
संकेतक
अरावली और पहाड़ी क्षेत्र
पूर्वी ढालू
0
12.5
25
50 Kilometers

मानसी नदी जिले के दक्षिण–पश्चिम भाग से निकलती हैं। मानसी नदी दूदू एवं फागी ब्लॉक में बहती है जो बनास की सहायक नदी है।

बांडी नदी जो चौमू, आमेर, जयपुर, सांगानेर में बहती हुई फागी एवं चाकसू की सीमा बनाती है तथा बनास नदी में मिल जाती है।

बाणगंगा नदी–जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी एक प्रमुख आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदी है, क्योंकि वर्तमान में इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंच कर भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैल जाता है। किसी समय यह यमुना की सहायक नदी थी, किन्तु कालान्तर मे यमुना के पूर्व में मार्ग परिवर्तन से यह पीछे छूट गई अब यह मात्र अन्तःसरिता के रूप में प्रवाहित है। बाणगंगा एक रूण्डित नदी है जो अवसादों के बीच विलुप्त हो जाती है। **(सन्दर्भ मानचित्र संख्या 04)**

झील व तालाब

राजस्थान का अरावली प्रदेश नदियों की दृष्टि से धनी होने के साथ ही स्वतः जल के अन्य प्रमुखों स्त्रोतों जैसे झील, तालाब से भी धनी हैं। अरावली क्षेत्र में धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध गलताजी व जल आपूर्ति के लिए रामगढ़ बांध तथा आर्थिक दृष्टि से नमक उत्पादन के लिए सांभर झील का विशेष महत्त्व है।

जयपुर जिले की प्रमुख झीलें छापरवाड़ा, मानसागर, देवयानी, घितोली, बुचारा, कानोता बांध, और सांभर झील है जयपुर में स्थित कानोता बांध राज्य का सबसे बड़ा मत्स्य पालन बांध है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अर्न्तवर्ती झील है, यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7 प्रतिशत नमक उत्पादित होता है। इसकी लम्बाई दक्षिण–पूर्व से उत्तर–पश्चिम की ओर लगभग 32 किमी. है तथा चौड़ाई 3–12 किमी. है इसका अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किमी. है। यहां उत्तम किस्म का नमक उत्पादित होता है। **(मानचित्र संख्या 05)**

2.7 मृदा संरचना

मृदा का कृषि उत्पादन से सीधा सम्बन्ध होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें व व्यापारिक फसलें पैदा की जाती है। मिट्टी के भौतिक व रासायनिक गुणों पर यह निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौनसी फसलें बोई जाएगी और किस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। जयपुर जिले के अन्दर पायी जाने वाली मृदा भूगर्भिक एवं जलवायु दशाओं के आधार पर अनेक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करती है। जयपुर जिले में मुख्य रूप से दो प्रकार की मृदा पायी जाती है–

(मानचित्र संख्या 04)

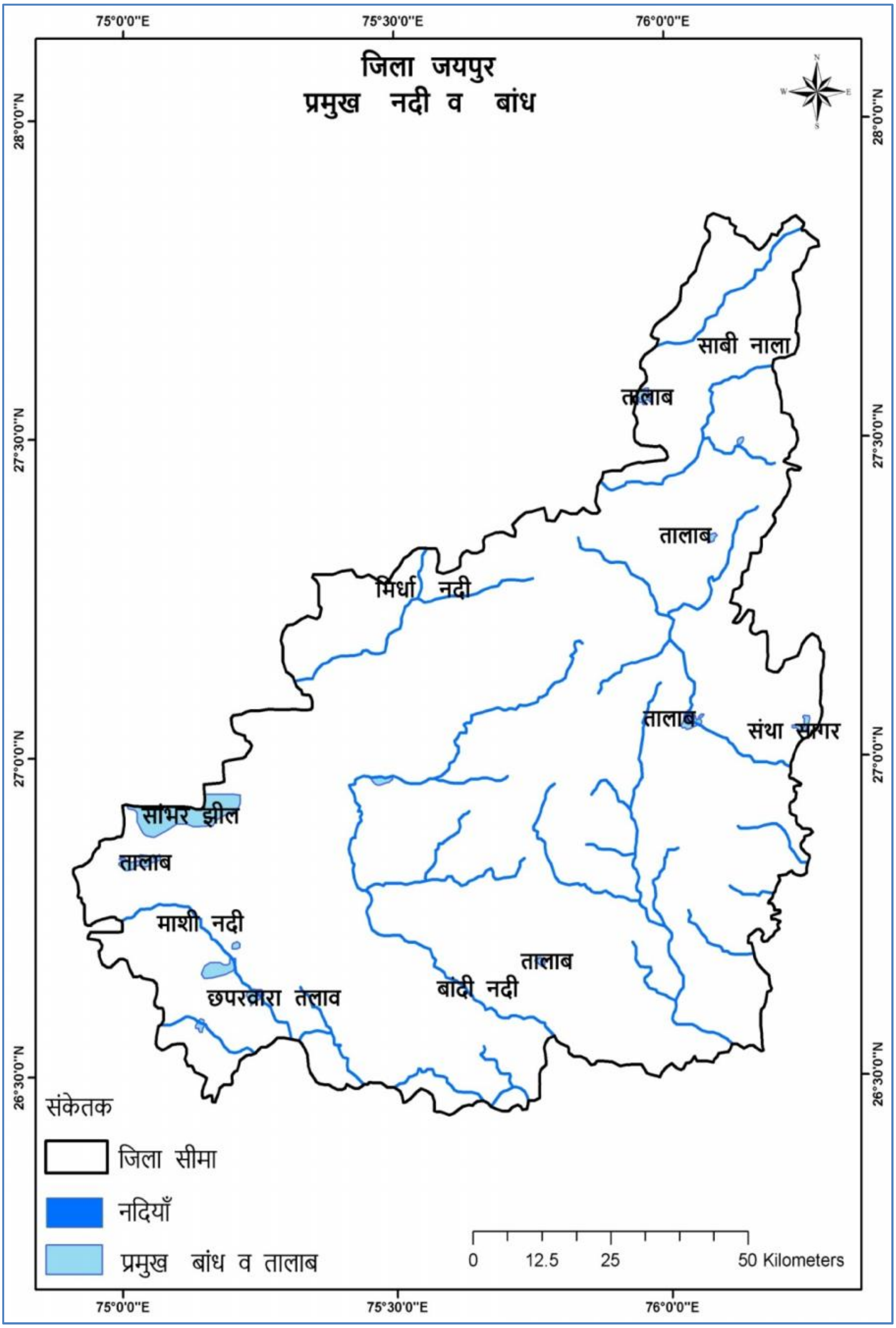
जिला जयपुर
प्रमुख नदी व बांध
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
N
S
E
W
साबी नाला
तालाब
तालाब
मिर्धा नदी
तालाब
संथा सागर
सांभर झील
तालाब
माशी नदी
तालाब
छपरवारा तलाव
बांदी नदी
संकेतक
जिला सीमा
नदियाँ
प्रमुख बांध व तालाब
0
12.5
25
50 Kilometers

(मानचित्र संख्या 05)

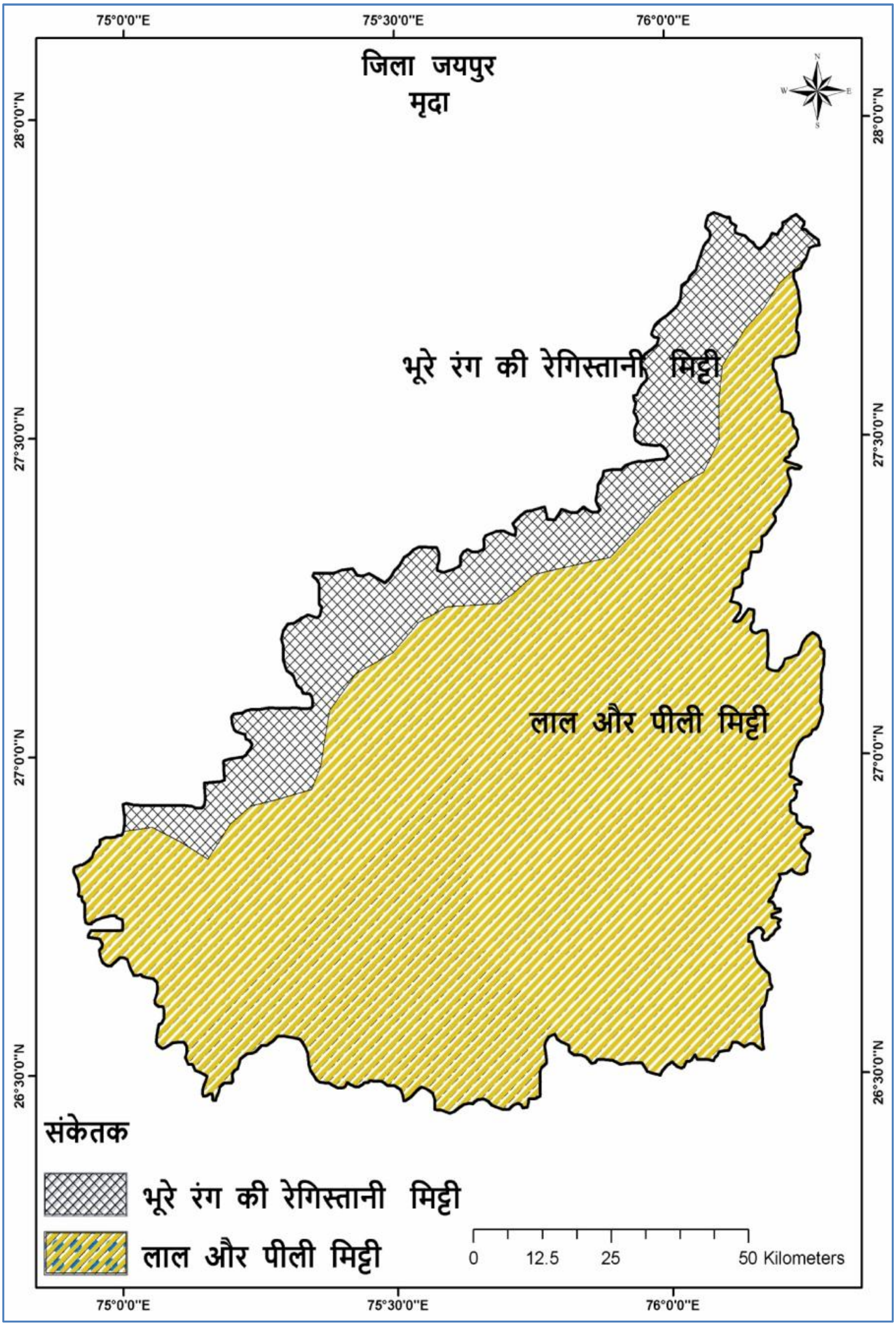
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
जिला जयपुर
मृदा
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
भूरे रंग की रेगिस्तानी मिट्टी
लाल और पीली मिट्टी
संकेतक
भूरे रंग की रेगिस्तानी मिट्टी
लाल और पीली मिट्टी
0
12.5
25
50 Kilometers

1). धूसर व भूरी मरूस्थलीय मृदा–यह मृदा कोटपूतली, शाहपुरा, चौमू, फूलेरा ब्लॉक के पश्चिम भाग में पायी जाती है। धूसर मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पायी जाती है जिसकी गहराई कम होने से कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। मरूस्थलीय मृदा नागौर एवं सीकर जिलों के समीप क्षेत्रों में पायी जाती है। इसकी विशेषताएँ मोटे कण, नमी धारण करने की कम क्षमता, नाइट्रोजन की कमी, कैल्सियम लवणों की अधिकता, पवन अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित, ह्यूमस की कमी आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र में पानी की कमी है, लेकिन पानी मिलने पर अच्छी फसलों की पैदावार होती है।

2). लाल और पीली मिट्‌टी–यह मृदा कोटपूतली, शाहपुरा, चौमू, फूलेरा ब्लॉक के पूर्वी भाग में तथा सांगानेर, बस्सी, जमवारामगढ़, सांभर, आमेर, विराटनगर, दूदू एवं जयपुर ब्लॉक में पायी जाती है। यह मृदा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्रों का भाग है। इस मृदा की विशेषताएँ हल्का लाल रंग, सर्वाधिक गहराई, राजस्थान की मिट्‌टीयों में सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक गहराई वाली, नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता, फॉस्फेट तथा कैल्सियम के लवणों एवं जिंक की कमी पायी जाती है। यह मृदा गेहूँ, चावल, कपास, जौ, ज्वार, सरसों आदि फसलों हेतु उपयुक्त है।

2.8 प्राकृतिक वनस्पति

वन सभ्यता के प्रारम्भिक काल से पृथ्वी पर पशु–पक्षी एवं मानव जाति की शरणस्थली तथा जीवन यापन का प्रमुख साधन रहे हैं। प्रकृति का सन्तुलन बनाने में सहयोग करने, मृदा व जल का संरक्षण करने तथा शैशवकाल से मृत्यु तक सभी अवस्थाओं में मानव के लिए उपयोगी होने के कारण वृक्ष प्राकृतिक संसाधनों का अभिन्न अंग बने हुए हैं। प्राकृतिक वनस्पति द्वारा पर्यावरणीय दशाएँ नियंत्रित रहती हैं। इसके द्वारा वायुमण्डलीय एवं जलवायु सम्बन्धी दशाएँ सन्तुलित रहती हैं। जयपुर शहरी क्षेत्र एवं इसके उपखण्डीय कस्बों में विकास का प्रभाव अधिक पड़ रहा है। बढ़ते विकास के कारण जयपुर जिले की वनस्पति में कमी आ रही हैं। जयपुर जिले में मिलने वाली भौतिक, जैविक भिन्नता के कारण वनस्पति के स्थानीय वितरण में भी असमानता पायी जाती है। जयपुर जिले की जलवायु दशाओं के कारण यहाँ पतझड़ मानसूनी वनस्पति की प्रधानता पायी जाती है। **(मानचित्र संख्या 06)**

मानचित्र संख्या 06

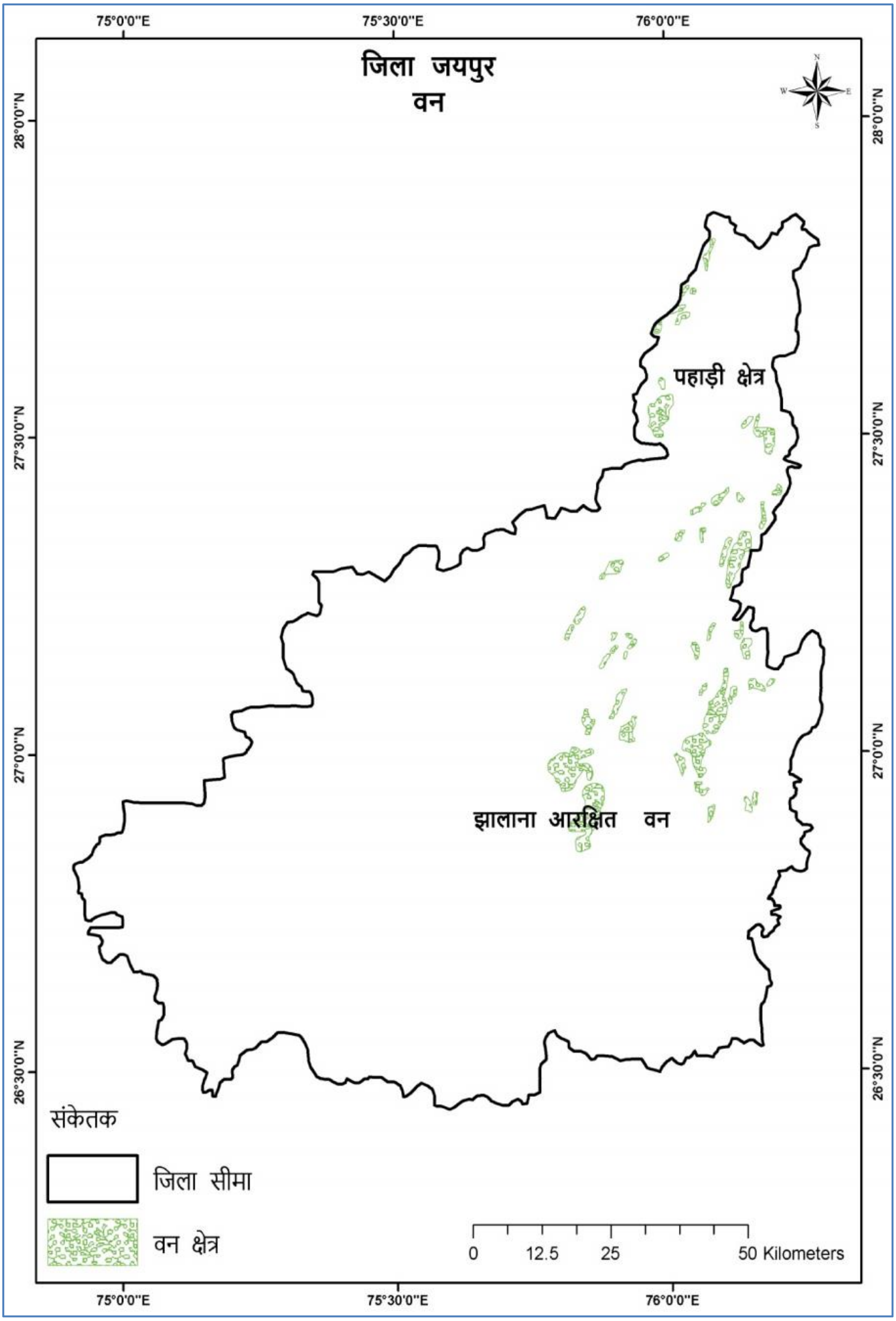

75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
जिला जयपुर
वन
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
पहाड़ी क्षेत्र
झालाना आरक्षित वन
संकेतक
जिला सीमा
वन क्षेत्र
0
12.5
25
50 Kilometers

जयपुर जिले के कुल क्षेत्रफल 11588 वर्ग किलोमीटर में से 948.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण पाया जाता है जो कुल क्षेत्रफल का 8.49 प्रतिशत है। जयपुर जिले में वनों का वितरण तालिका की सहायता से प्रदर्शित किया गया है।

जयपुर जिले के वनस्पति मानचित्र में देखें तो जिन ब्लॉकों में पहाड़ी क्षेत्र आता है उन ब्लॉकों में वनस्पति अधिक पायी जाती है। जिसमें मुख्य रूप से कोटपूतली, विराटनगर, जमवारामगढ़, आमेर, बस्सी एवं शाहपुरा ब्लॉक में वनस्पति का विस्तार अधिक पाया जाता है। जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वनों का वर्गीकरण निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है–

तालिका संख्या 2.1

जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वनों का वर्गीकरण (प्रतिशत में)

क्र.सं.	वनों का प्रकार	वन क्षेत्र का प्रतिशत (2005)	वन क्षेत्र का प्रतिशत (2015)
1.	आरक्षित वन	83.29	59.63
2.	संरक्षित वन	15.73	40.34
3.	अवर्गीकृत वन	0.98	0.03
	योग	**100**	**100**

स्रोतः उपवन संरक्षक, जयपुर

आरेख 2.1

जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वनों का वर्गीकरण (प्रतिशत में)

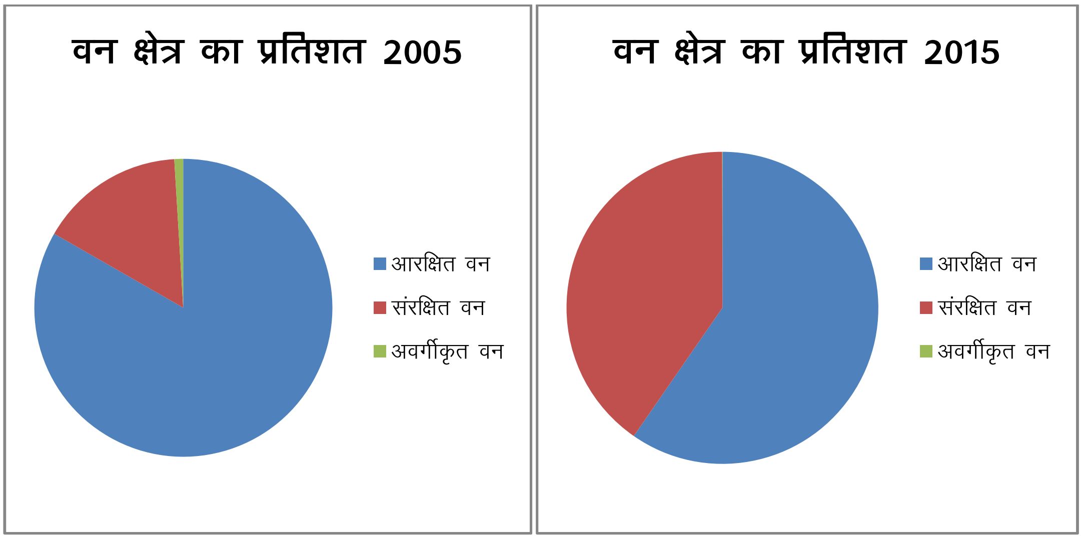

स्रोतः उपवन संरक्षक, जयपुर

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005 में आरक्षित वनों का प्रतिशत 83.29, संरक्षित वन 15.73 एवं अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत 0.98 रहा है। वहीं दूसरी ओर 2015 में क्रमशः 59.63, 40.34 एवं 0.03 प्रतिशत रह गया। इसका प्रमुख कारण नगरीकरण एवं औद्योगिक विकास रहा है।

2.9 जलवायु

जयपुर जिला उपार्द्र जलवायु क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल है यहाँ पर मौसम एवं जलवायु सम्बन्धी भिन्नताएँ पायी जाती हैं। यहाँ जलवायु के लक्षणों में उच्च तापमान, कम वर्षा तथा ठण्डी शीतऋतु प्रमुख है। एक ओर जून माह में जहाँ सर्वाधिक तापमान पाया जाता हैं वहीं दूसरी ओर जनवरी में सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वर्षा सम्बन्धी दशाओं की प्राप्ति ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा होती है शीत ऋतु में 10 प्रतिशत वर्षा की प्राप्ति शीतकालीन चक्रवातों से होती है। जयपुर जिले की जलवायु से सम्बन्धित कुछ तथ्य निम्नानुसार है–

2.9.1 तापमान

तापमान के द्वारा मानवीय क्रियाकलाप एवं कुशलता का नियंत्रण होता है। जयपुर जिले में सबसे ठण्डा महीना जनवरी होता है, जबकि जून सबसे गर्म माह होता है। 2015 में अधिकतम तापमान 48.0 डिग्री अंकित किया गया जबकि न्यूनतम तापमान जनवरी में 1.0 डिग्री अंकित किया गया था। शीत ऋतु के समय जयपुर जिले में शीतलहर एवं पाले का भय बना रहता है।

तालिका संख्या 2.2
जयपुर जिले का वार्षिक तापान्तर व औसत तापमान

(0ºC)

वर्ष	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान	औसत तापमान	औसत आर्द्रता (प्रतिशत)
2012	45.8	2.2	26.8	53
2013	46	1.4	25.9	52
2014	45.2	2.9	25.9	48
2015	44.6	2.3	26.1	52
2016	47	2.8	26.4	49

स्त्रोतः– कार्यालय भारतीय मौसम विभाग, राजस्थान जयपुर

आरेख 2.2

जयपुर जिले का वार्षिक तापान्तर व औसत तापमान से.ग्रेड में

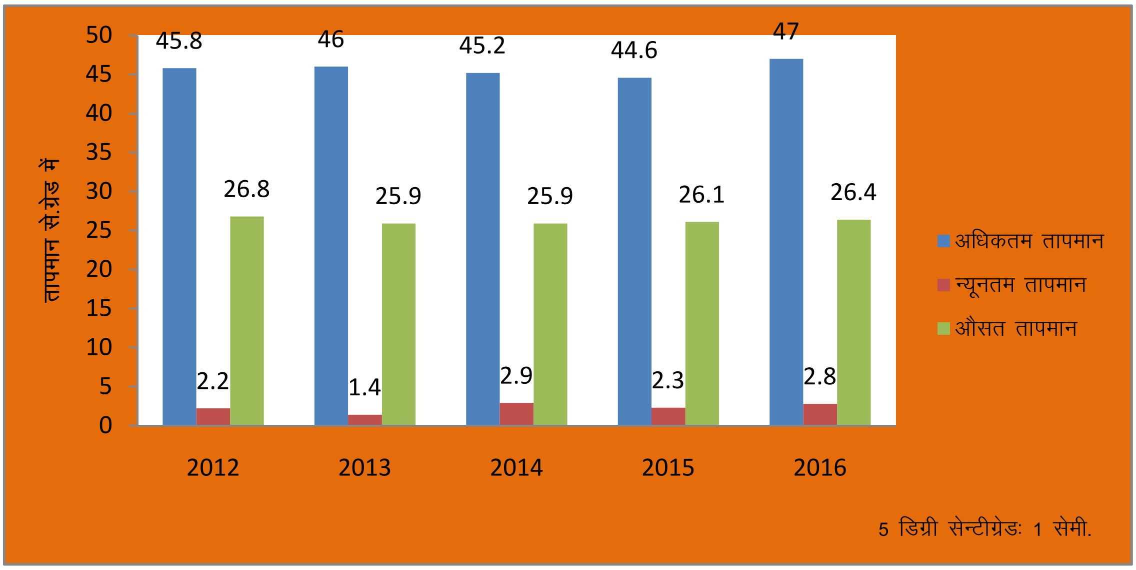

स्त्रोत– कार्यालय भारतीय मौसम विभाग, राजस्थान जयपुर

जयपुर जिले में अधिक गर्मी व शीत ऋतु में अधिक सर्दी होती है, मई माह में अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है, जो लगभग 40^0 सेन्टीग्रेड से 47^0 सेन्टीग्रेड के मध्य होता है। ग्रीष्म ऋतु में कभी–कभी गर्म हवाओं के प्रभाव से दिन का तापमान 4^0 से 6^0 सेन्टीग्रेड बढ़ जाता है। शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान का विस्तार लगभग 4^0 से 9^0 सेन्टीग्रेड के बीच होता है। लेकिन कभी हिमालय से आने वाली ठण्डी हवायें तापमान को 0^0 सेन्टीग्रेड तक पहुंचा देती है। पश्चिमी विक्षोभों के बाद कभी–कभी दिन में कुछ कुहरा व धुंध दिखायी दे जाती है। न्यूनतम तापमान -2.2^0 सेन्टीग्रेड 31 जनवरी 1905 व 16 जनवरी, 1964 को अंकित किया गया था। अप्रेल माह से तापमान बढ़ना प्रारम्भ हो जाता है, जो मई में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। सितम्बर से जनवरी में तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है तथा जनवरी में न्यूनतम तापमान अंकित किया जाता है।

2.9.2 सापेक्षिक आर्द्रता

जयपुर जिले में वर्षा के दिनों को छोड़कर शेष समय इस जिले में वातावरणीय दशाएँ शुष्क पायी जाती हैं। इस शुष्क अवधि में आर्द्रता घटकर 30 प्रतिशत तक पहुँच जाती है जबकि वर्षा के दिनों में यह बढ़कर 78 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। तापमान कम ज्यादा होने के साथ–साथ आर्द्रता भी घटती–बढ़ती रहती है।

जयपुर जिले में वर्षा ऋतु में अर्थात जुलाई से सितम्बर के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक रहती है। सर्वाधिक सापेक्षिक आर्द्रता 76.5 प्रतिशत अगस्त माह में रहती है जबकि अप्रेल व मई के महिनों में सापेक्षिक आर्द्रता 24 से 26 प्रतिशत रहती है, जो कि वर्ष में न्यूनतम है। इन महिनों में ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ हो जाती है जिससे हवा में आर्द्रता बहुत कम हो जाती है।

मेघाच्छादन–जयपुर जिले में वर्षा ऋतु को छोडकर मेघाच्छादन न्यून पाया जाता है। दक्षिणी–पश्चिमी मानसून के दौरान आकाश मध्यम या घने काले बादलों से घिरा रहता है, कुछ दिनों तक पूरा आकाश मेघाच्छादित भी रहता है, शेष वर्ष भर आकाश हल्के बादलों से भरा रहता है। किन्तु शीत ऋतु में जब पश्चिमी विक्षोभ के पास से गुजरने से जयपुर जिले की जलवायु प्रभावित होती है, तब कुछ दिन आकाश में बादल छा जाते है।

2.9.3 वर्षा

जयपुर जिले में वर्षा के वितरण में असमानताएँ पायी जाती हैं। जिले में औसत वर्षा 54.82 सेमी है, किन्तु वार्षिक वर्षा प्राप्ति का प्रारूप भिन्नता को प्रदर्शित करता है। **(मानचित्र संख्या 07)** इसमें से जुलाई एवं अगस्त के महिनों में वर्षा की प्राप्ति सर्वाधिक होती है, जबकि दिसम्बर से फरवरी अधिकांशतः शुष्क महिने होते हैं जयपुर जिले में वर्षा का वितरण 2005 से 2015 तक निम्नानुसार है–

तालिका संख्या 2.3

जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वर्षा का वितरण (सेमी में)

क्र.सं.	सत्र	वर्षा (सेमी. में)
1.	2005	38.30
2.	2006	59.93
3.	2007	48.52
4.	2008	50.51
5.	2009	54.82
6.	2010	68.67
7.	2011	59.00
8.	2012	64.12
9.	2013	65.12
10.	2014	58.03
11.	2015	36.6

स्रोतः कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) जयपुर

आरेख 2.3

जयपुर जिले के 2005 एवं 2015 में वर्षा का वितरण (सेमी में)

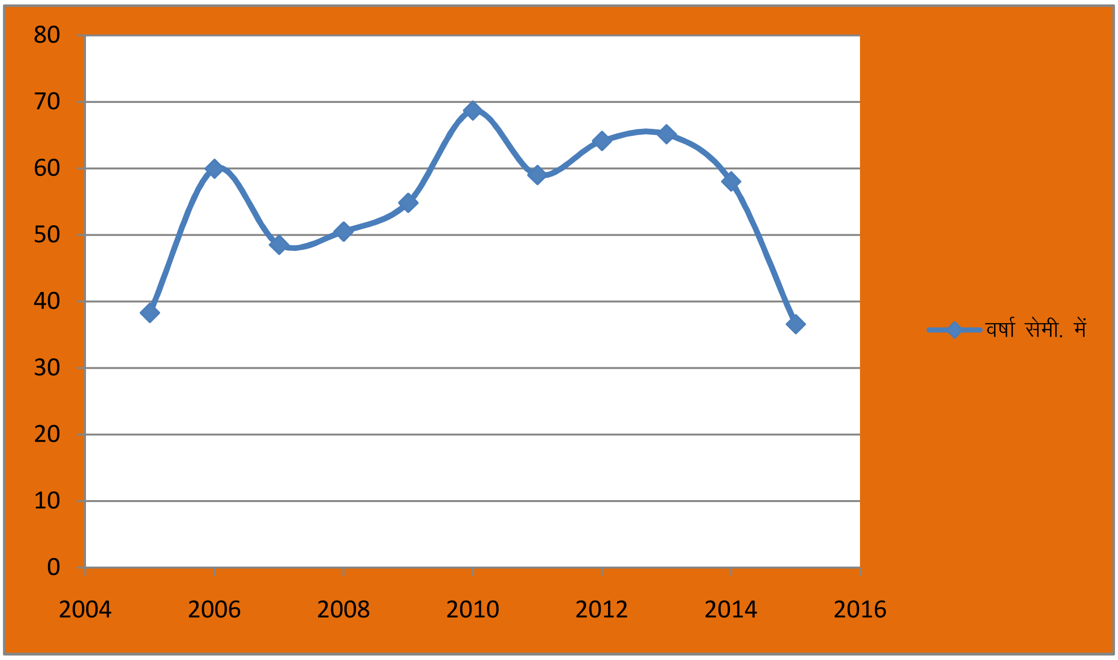

स्रोतः कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) जयपुर

जयपुर जिले की कुल वार्षिक वर्षा की अधिकतर वर्षा जून से सितम्बर माह के मध्य होती है। जयपुर जिले में अधिकतम वर्षा जुलाई व अगस्त माह में होती है जिले की औसत वार्षिक वर्षा 53 सेमी. है। जयपुर जिले में वर्षा का परिवर्तन गुणांक अधिक पाया जाता है, यहाँ वर्षा के वितरण में विषमता पायी जाती है। **(मानचित्र संख्या** 08)

तालिका संख्या 2.4

जयपुर जिले के प्रमुख केन्द्रों पर वार्षिक वर्षा की मात्रा, 2015

केन्द्र	**सामान्य वर्षा (से.मी.)**	**वास्तविक वर्षा (से.मी.)**
जयपुर	53.83	46.80
बस्सी	62.50	58.00
चाकसू	58.25	83.70
सांगानेर	50.05	54.40
आमेर	52.91	49.20
जमवा रामगढ	65.91	60.40

चोमू	47.66	65.10
सांभर	42.83	54.80
फुलेरा	32.25	45.80
नरेना	42.41	75.70
दूदू	36.66	53.80
फागी	43.33	65.50
कोटपुतली	49.50	47.90
पावटा	34.16	60.50
शाहपुरा	38.05	91.00
विराटनगर	42.83	69.60
मौजमाबाद	नवस्थापित	35.80
कोटखावदा	नवस्थापित	67.00
किशनगढ़—रेनवाल	नवस्थापित	41.40

स्रोत : कार्यालय जिला कलेक्टर(भू.अ.), जिला जयपुर

आरेख 2.4

जयपुर जिले के प्रमुख केन्द्रों पर वार्षिक वर्षा की मात्रा, 2015

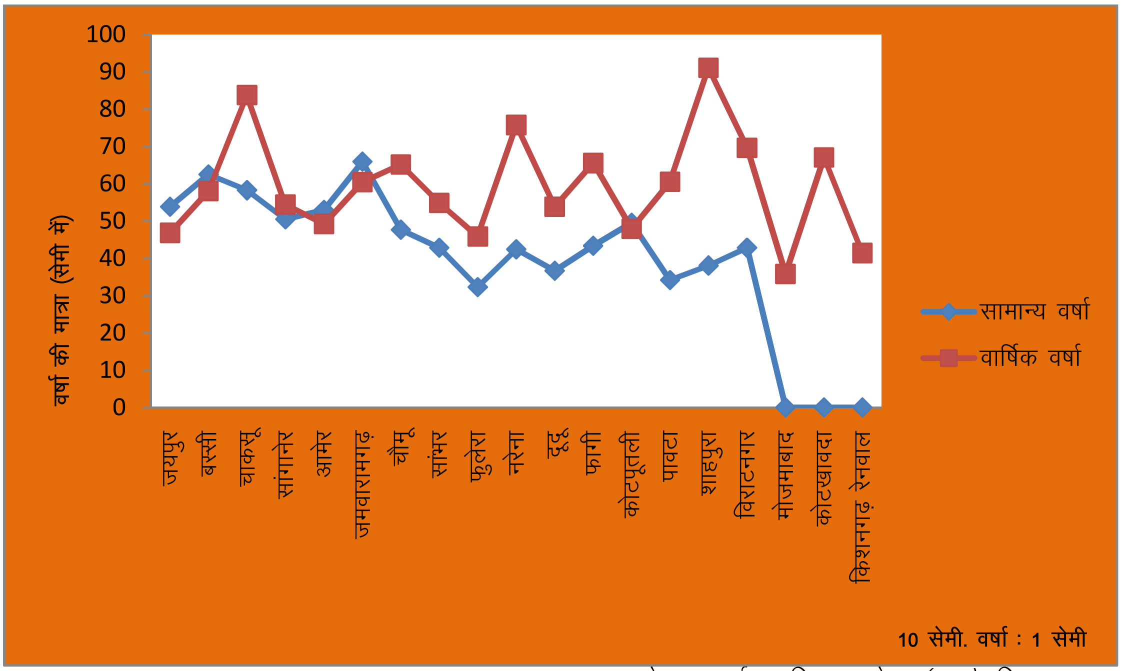

स्रोत : कार्यालय जिला कलेक्टर(भू.अ.), जिला जयपुर

मानचित्र संख्या 07

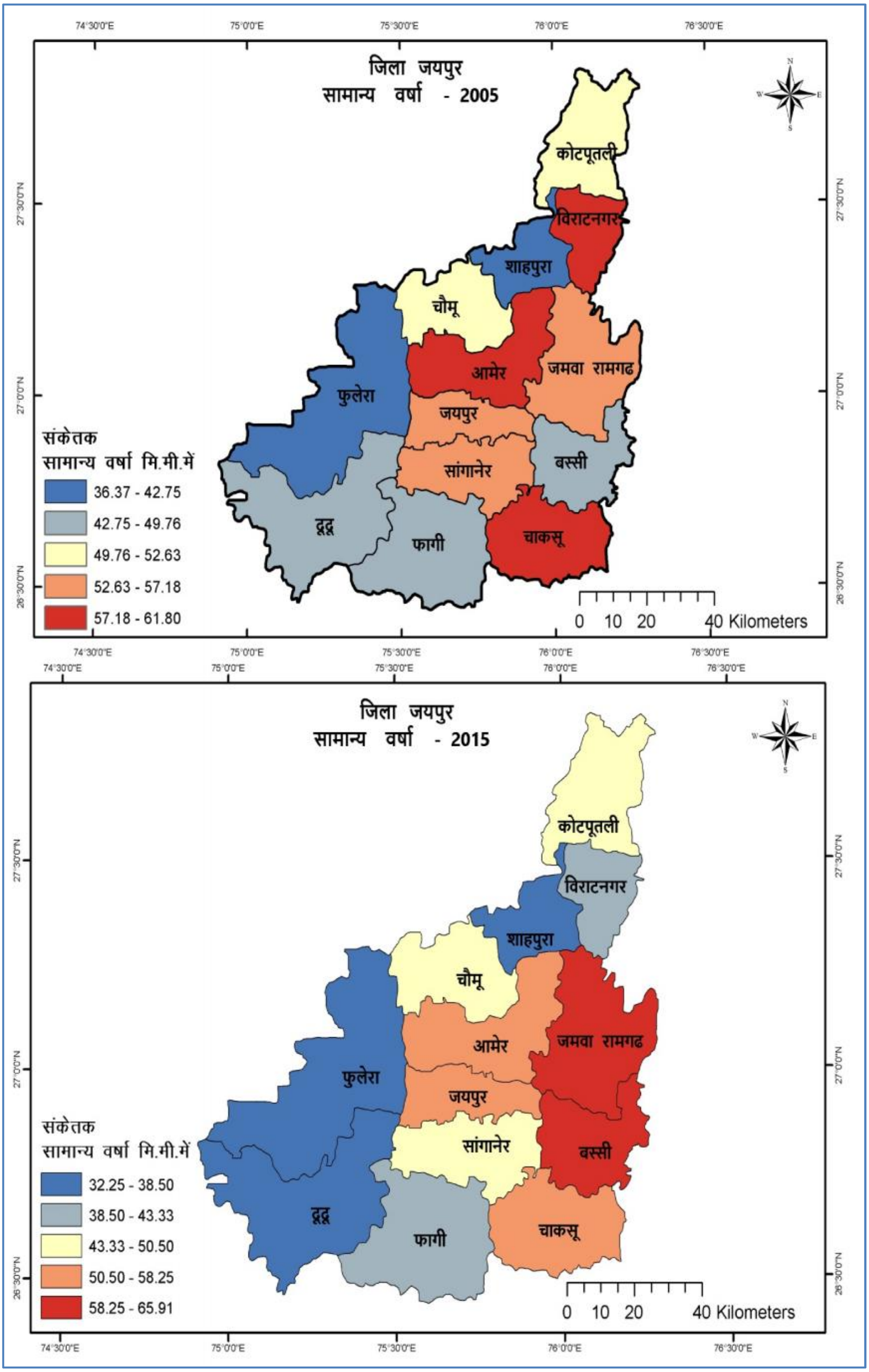
जिला जयपुर
सामान्य वर्षा - 2005
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
सामान्य वर्षा मि.मी.में
36.37 - 42.75
42.75 - 49.76
49.76 - 52.63
52.63 - 57.18
57.18 - 61.80
0 10 20 40 Kilometers
जिला जयपुर
सामान्य वर्षा - 2015
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
सामान्य वर्षा मि.मी.में
32.25 - 38.50
38.50 - 43.33
43.33 - 50.50
50.50 - 58.25
58.25 - 65.91
0 10 20 40 Kilometers

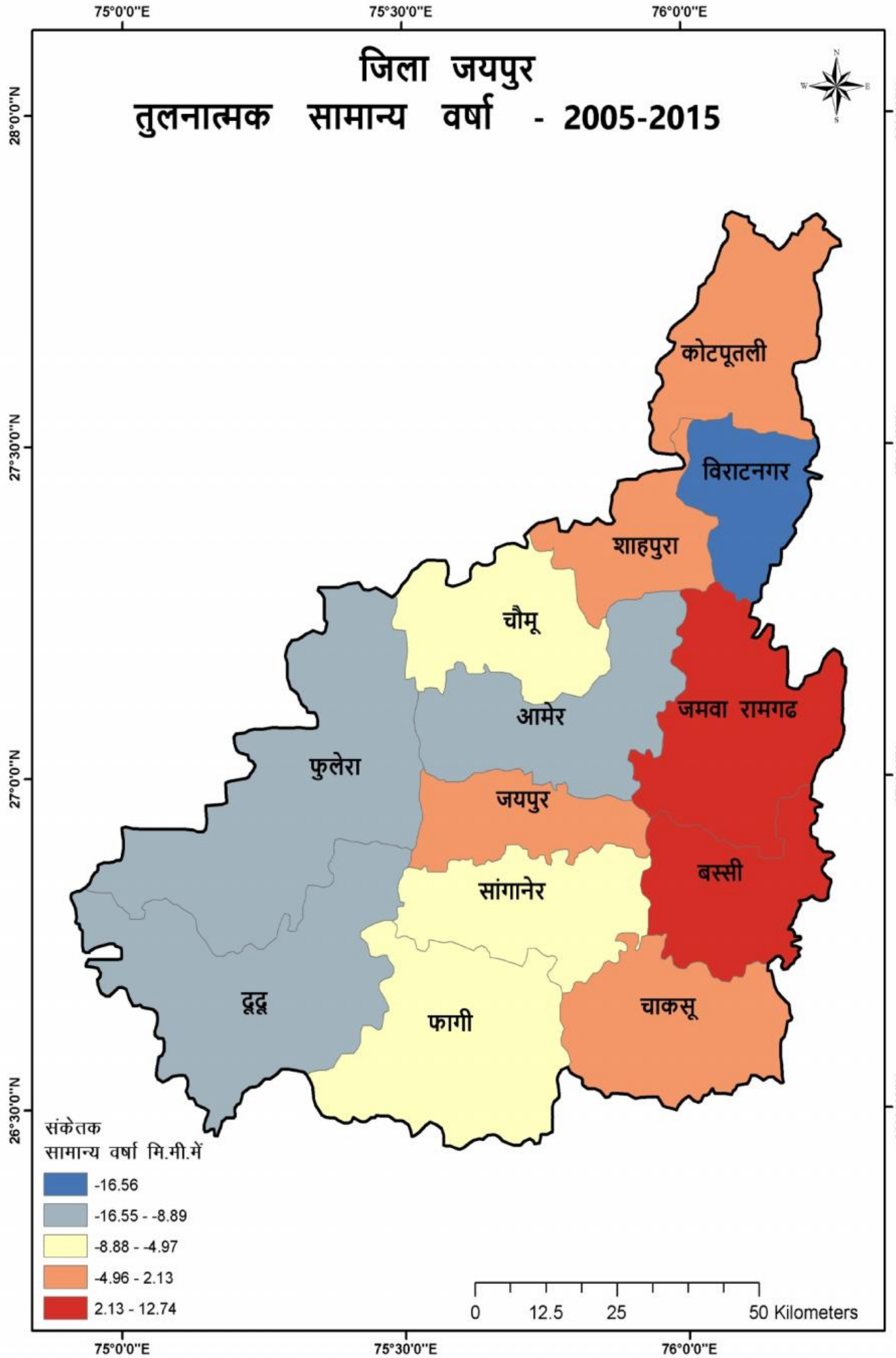
जिला जयपुर
तुलनात्मक सामान्य वर्षा - 2005-2015
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
बस्सी
सांगानेर
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
सामान्य वर्षा मि.मी.में
-16.56
-16.55 - -8.89
-8.88 - -4.97
-4.96 - 2.13
2.13 - 12.74
0
12.5
25
50 Kilometers

2.9.4 वायुदाब की दशाएँ

ग्रीष्मकालीन उच्च तापीय दशाओं के कारण जयपुर निम्न वायुदाब की पेटी में रहता है, जो मुख्यतः जून में सर्वाधिक न्यून स्तर पर होती है। मानसून प्रत्यावर्तन काल के साथ ही मौसम परिवर्तन के साथ अधिकांशतः फरवरी के पूर्वार्द्ध तक शीतकालीन दशाएँ मिलने से इस जिले में कम ताप एवं उच्च वायुदाब की दशाएँ विकसित हो जाती हैं। शीतकालीन अवधि में हवाएँ शांत रहती हैं। जबकि ग्रीष्मकालीन अवधि में हवाएँ तीव्रता से चलती हैं। ग्रीष्मकाल में कभी–कभी तीव्र बौछारों के साथ ओले भी गिरते हैं। ग्रीष्मकाल अवधि में चलने वाली अत्यधिक उष्ण हवाएँ लू के कारण स्थानीय जन–जीवन भी प्रभावित होता है।

2.9.5 ऋतु चक्र एवं वाष्पीकरण

ऋतु चक्र–अर्द्धशुष्क जलवायु दशाओं का क्षेत्र होने के कारण जिले में शुष्क ऋतु की दशाएँ अधिक समय तक पायी जाती हैं। ऋतु चक्र निम्नानुसार पाया जाता है–

ग्रीष्मकाल–फरवरी के उत्तरार्द्ध के साथ ही तापक्रम में वृद्धि होने लगती है, जो जून तक 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अधिक तापमान के कारण इस काल में सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है। दोपहर के पश्चात् धूलभरी आंधियाँ भी चलती है जिन्हें स्थानीय भाषा में 'लू' के नाम से जाना जाता है।

वर्षाकाल–जून के उत्तरार्द्ध के पश्चात् इस जिले में मानसूनी हवाएँ परिसंचरित होने लगती है। जिले में वर्षा की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा होती है जो कभी जून के अंत में तो कभी जुलाई के अंत तक पहुँच जाता है। इस समय उसकी वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है जिले में वर्षा की औसत प्राप्ति 54.82 सेमी है जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा जुलाई से सितम्बर तक होता है इन महिनों में वायुमण्डलीय दशाएँ सर्वाधिक नमी की स्थिति को प्रदर्शित करती है।

शीतकाल–मानसून प्रत्यावर्तन काल के पश्चात् शीत ऋतु के आगमन होने से इस जिले में शीत ऋतु की दशाएँ पायी जाती हैं। तापमान न्यूनतम स्तर तक पहुँचने से उच्च वायुदाबीय दशाएँ विकसित हो जाती हैं। कभी–कभी शीत ऋतु में अमृतदायिनी वर्षा होती है जिसे स्थानीय लोग मावठ के नाम से जानते हैं।

वाष्पीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः मई माह में सर्वाधिक अंकित की जाती है जबकि न्यूनतम औसत वाष्पीकरण दिसम्बर में होता है।

2.10 जनसंख्या वितरण

किसी भी क्षेत्र या भौगोलिक इकाई के अध्ययन के लिये जनसंख्या का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि मानव के द्वारा ही समस्त संसाधनों पर्यावरणीय कारकों एवं विकास को प्रभावित किया जाता है। आधुनिक युग का प्रभाव जयपुर जिले पर भी पड़ता है। जयपुर जिले के विकास एवं बाहरी प्रवास के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सन् 1881 में इसकी जनसंख्या 1,42,578 थी जो 1981 में बढ़कर 10,15,160 हो गयी तथा 2011 में जनसंख्या 66,26,178 पर पहुँच गयी। इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि किस प्रकार कुछ दशकों में जयपुर जिले में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ी है। जयपुर जिले में इस अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जिले का जनघनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. पर पहुँच गया है। जो राजस्थान के सभी जिलों के जनघनत्व में सर्वाधिक जनघनत्व है। इस कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 33,67,879 तथा ग्रामीण जनसंख्या 32,58,299 है। जयपुर जिले की कुल जनसंख्या 66,26,178 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें 34,68,507 पुरुष और 31,57,671 स्त्रियाँ हैं। जनसंख्या का लिंगानुपात 910 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है।

वितरण–जिले में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। इस असमान वितरण का प्रमुख कारण जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जो आर्थिक विकास में भिन्नता का प्रमुख कारण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अन्तिम आंकड़ों के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 66,26,178 अंकित की गई है। जिले की जनसंख्या वितरण असमान है। जयपुर ब्लॉक की सर्वाधिक जनसंख्या 22,98,782 है। इसके पश्चात् सांगानेर एवं आमेर ब्लॉक का स्थान है। जिसकी जनसंख्या क्रमशः 9,69,696 एवं 4,52,005 अंकित की गई। विराटनगर ब्लॉक में सबसे कम जनसंख्या अर्थात् 1,66,087 व्यक्ति रहते हैं। जिले में 2 लाख से कम जनसंख्या वाले ब्लॉक विराटनगर एवं फागी ब्लॉक हैं। जिले की ब्लॉकवार जनसंख्या का वितरण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है–

तालिका संख्या 2.5

जयपुर जिले की ब्लॉकवार जनसंख्या का वितरण

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री
1.	कोटपूतली	413256	217764	195492
2.	विराटनगर	166087	87069	79018
3.	शाहपुरा	272632	143387	129245
4.	चौमू	395009	205667	189342
5.	फुलेरा	444105	230074	214031
6.	दूदू	213016	109983	103033
7.	फागी	191126	99226	91900
8.	सांगानेर	969696	510393	459303
9.	जयपुर	2298782	1206497	1092285
10.	आमेर	452005	236469	215536
11.	जमवारामगढ़	303236	158429	144807
12.	बस्सी	283594	147383	136211
13.	चाकसू	223634	116166	107468

स्रोतः जिला सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, जयपुर

आरेख 2.5

जयपुर जिले की ब्लॉकवार जनसंख्या का वितरण

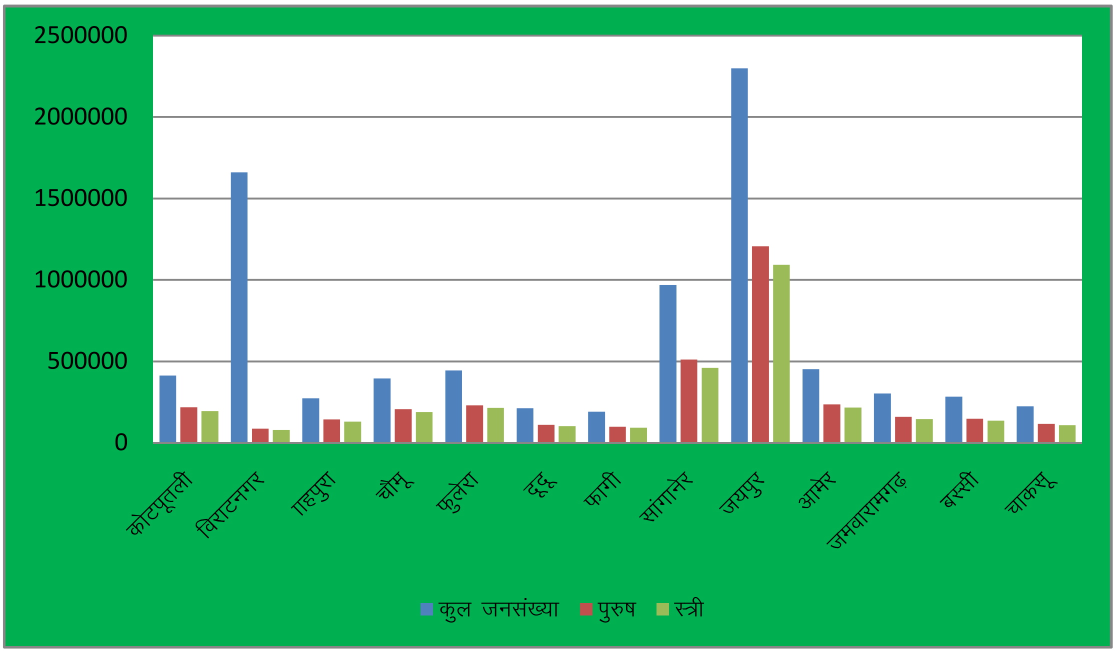

स्रोतः जिला सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, जयपुर

2.10.1 जनसंख्या घनत्व

जयपुर जिले में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक असमान है। इस असमान वितरण का प्रमुख कारण जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो आर्थिक विकास में भिन्नता का प्रमुख कारण है। जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दूदू एवं फागी में है। इन दोनों उपखण्डों में अधिक घनत्व लेकिन कम घनत्व की श्रेणी में विराटनगर, जमवारामगढ़, कानोता एवं फुलेरा उपखण्ड हैं। अधिक घनत्व की श्रेणी में कोटपूतली, शाहपुरा, चौमू एवं आमेर ब्लॉक हैं। अधिक घनत्व की श्रेणी में सांगानेर ब्लॉक है। सर्वाधिक घनत्व की श्रेणी में जयपुर ब्लॉक है। **(मानचित्र संख्या 09)**

2.10.2 साक्षरता

साक्षरता किसी भी सभ्य समाज के विकास का मापदण्ड है। इसका प्रभाव जनता के मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। दूसरी ओर जयपुर जिले की अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जातीय संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षिक सुविधाएँ, यातायात एवं परिवहन साधनों तकनीकी विकास का भी सूचक है।

मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक पक्ष है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदण्ड निश्चित किया जा सकता है। वस्तुतः साक्षरता के विकास से मनुष्य सीमित परिवेश से बाहर निकलकर अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश से अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित कर लेता है जिसे एक इकाई के रूप में मानव ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज विकास क्रम में आगे आ जाता है।

जयपुर जिले में साक्षरता का स्वरूप भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में विविधता को प्रदर्शित करता है। जयपुर जिले में साक्षरता का प्रतिशत 69.9 (2001), 75.51 (2011) है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत 2001 में 62.15 था जो 2011 में बढ़कर 67.62 हो गया जबकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत 2001 में 77.46 से बढ़कर 2011 में 82.47 हो गया। जिले की साक्षरता ब्लॉकवार पुरुष एवं स्त्रियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रतिशत के रूप में स्पष्ट किया गया है। **(मानचित्र संख्या 10, 11)**

(मानचित्र संख्या 09)

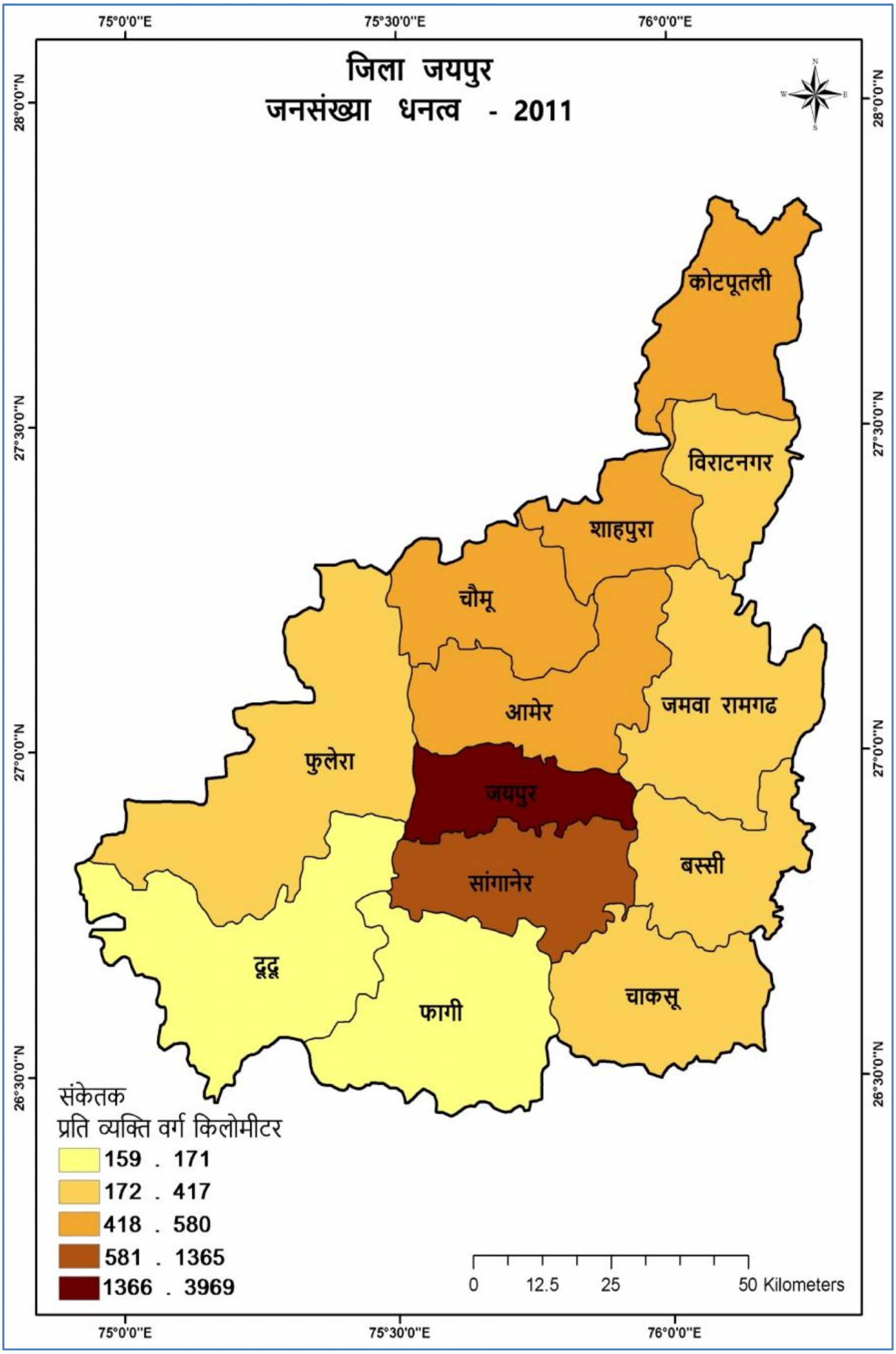

जिला जयपुर
जनसंख्या धनत्व - 2011
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर
159 . 171
172 . 417
418 . 580
581 . 1365
1366 . 3969
0
12.5
25
50 Kilometers

तालिका संख्या 2.6

जयपुर जिले में ब्लॉकवार साक्षरता प्रतिशत (स्त्री एवं पुरुष संख्या के आधार पर)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कुल जनसंख्या		पुरुष		स्त्री	
		2001	2011	2001	2011	2001	2011
1.	कोटपूतली	71.74	71.71	83.76	84.95	58.58	57.12
2.	विराटनगर	65.42	64.93	79.56	80.75	49.66	47.65
3.	शाहपुरा	65.29	770.29	81.50	85.19	47.32	53.99
4.	चौमू	66.81	72.97	83.69	86.76	48.43	58.24
5.	फुलेरा	67.04	70.83	82.12	84.30	50.86	56.45
6.	दूदू	52.69	61.29	71.56	76.41	32.46	45.30
7.	फागी	60.28	61.70	75.65	76.25	43.55	46.17
8.	सांगानेर	72.79	71.12	85.10	89.79	58.85	73.00
9.	जयपुर	78.00	82.69	86.24	88.67	68.60	76.13
10.	आमेर	59.80	71.52	78.46	85.01	39.17	56.87
11.	जमवारामगढ़	62.21	64.49	79.06	81.22	43.58	46.37
12.	बस्सी	58.14	68.07	77.99	83.86	36.30	51.14
13.	चाकसू	53.36	64.23	72.97	79.55	31.96	47.80

***स्रोतः** जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर*

मानचित्र संख्या 10

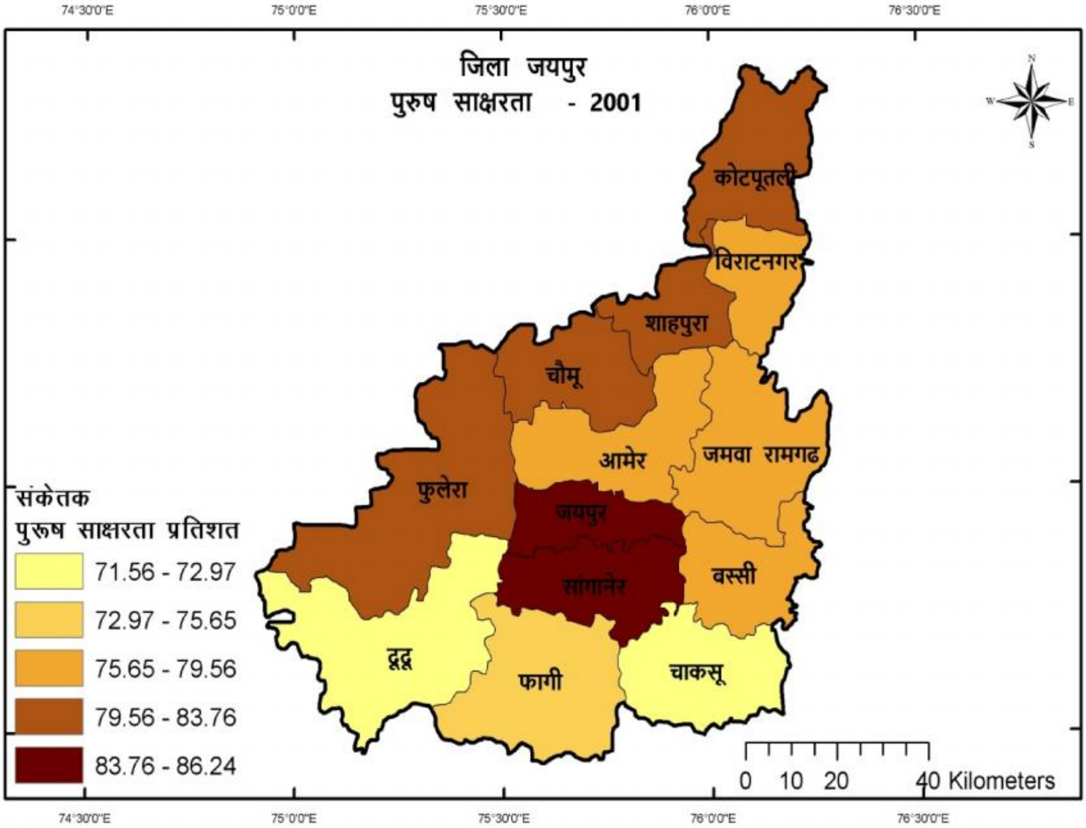

जिला जयपुर
पुरुष साक्षरता - 2001
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
पुरूष साक्षरता प्रतिशत
71.56 - 72.97
72.97 - 75.65
75.65 - 79.56
79.56 - 83.76
83.76 - 86.24
0 10 20 40 Kilometers
74°30'0"E
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
76°30'0"E
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N

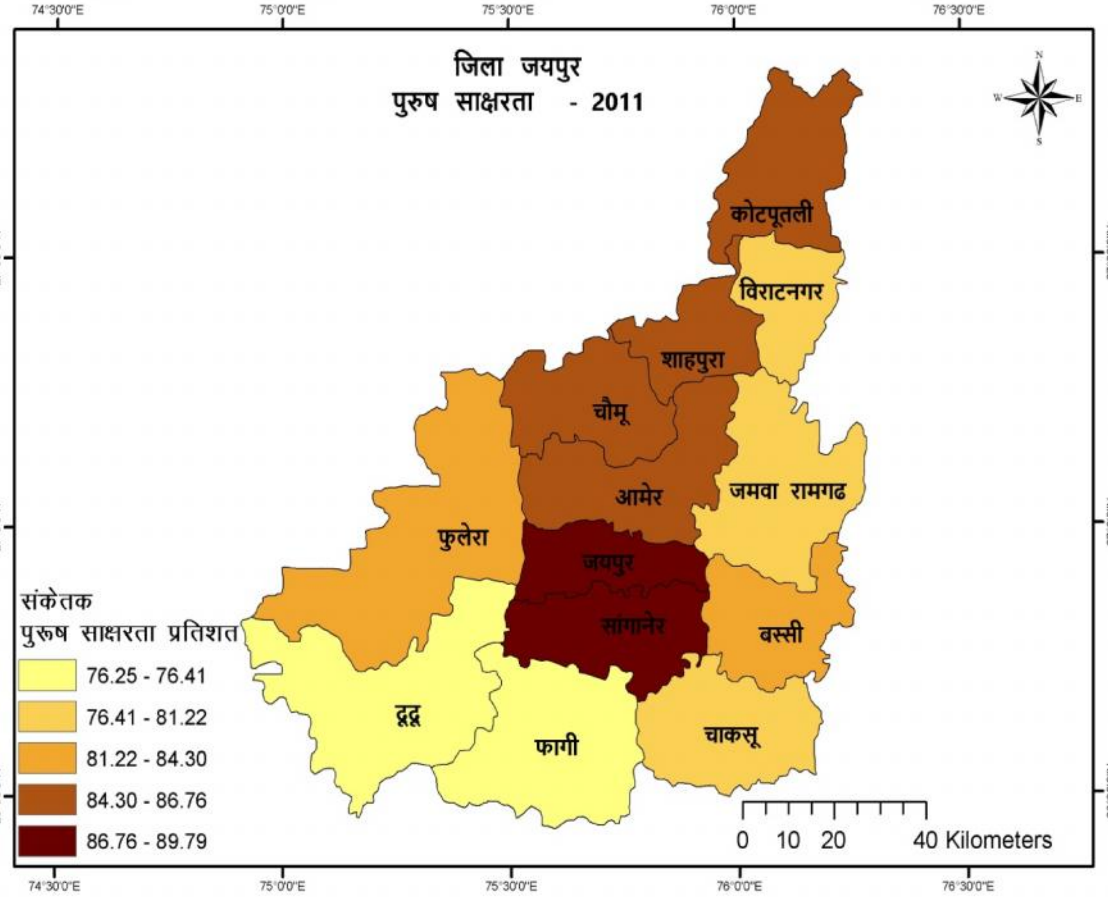

जिला जयपुर
पुरुष साक्षरता - 2011
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
पुरूष साक्षरता प्रतिशत
76.25 - 76.41
76.41 - 81.22
81.22 - 84.30
84.30 - 86.76
86.76 - 89.79
0 10 20 40 Kilometers
74°30'0"E
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
76°30'0"E
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N

मानचित्र संख्या 11

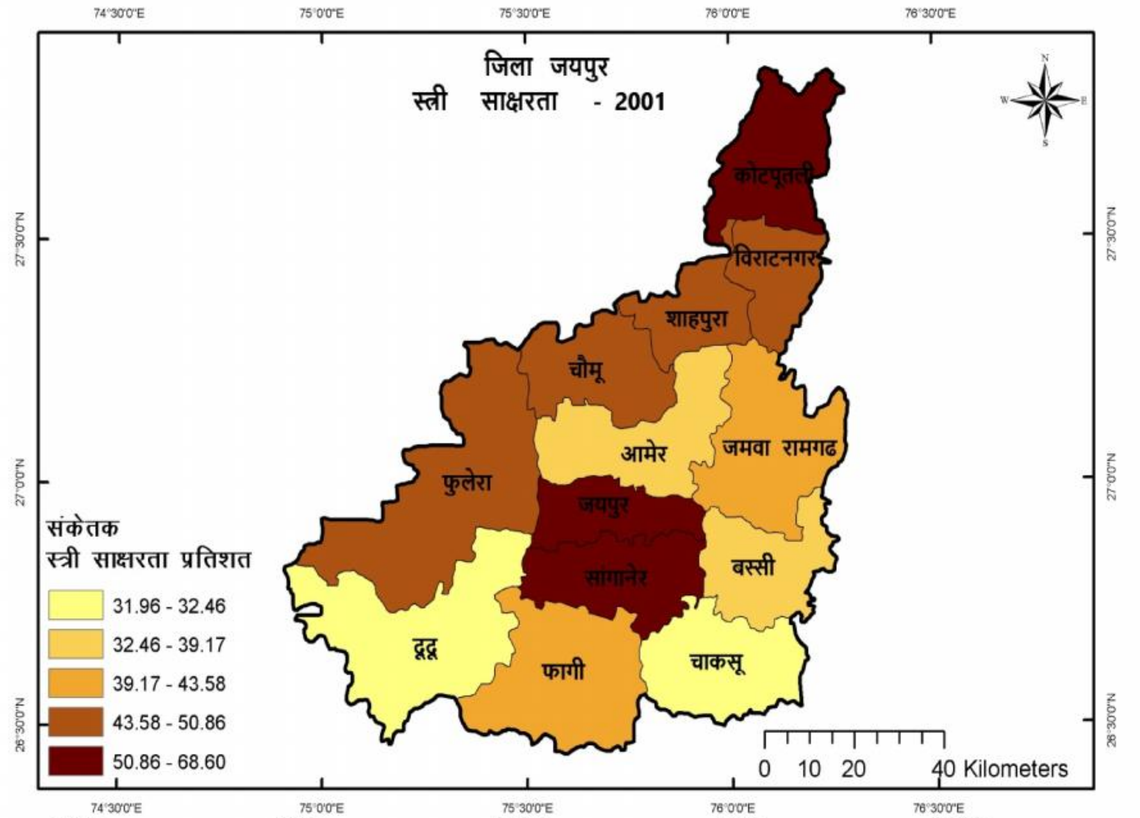

जिला जयपुर
स्त्री साक्षरता - 2001
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
स्त्री साक्षरता प्रतिशत
31.96 - 32.46
32.46 - 39.17
39.17 - 43.58
43.58 - 50.86
50.86 - 68.60
0 10 20 40 Kilometers

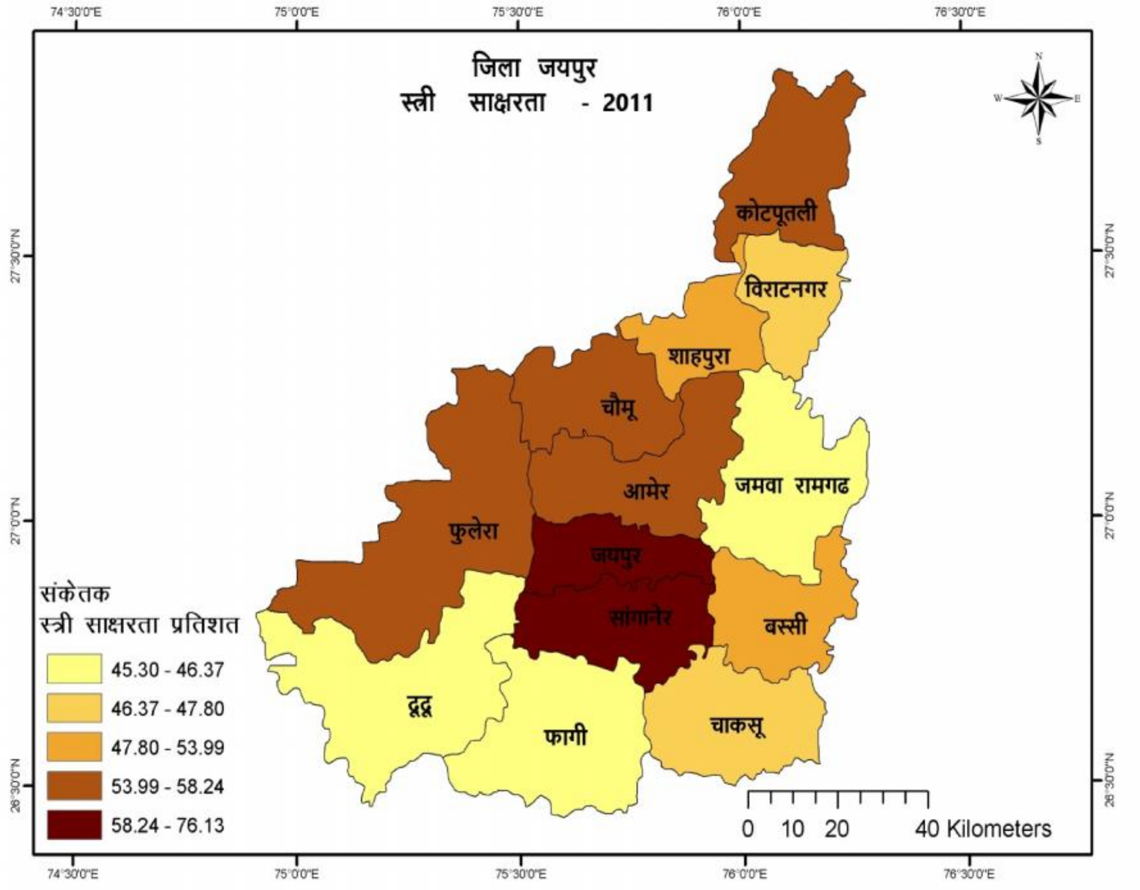

जिला जयपुर
स्त्री साक्षरता - 2011
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
स्त्री साक्षरता प्रतिशत
45.30 - 46.37
46.37 - 47.80
47.80 - 53.99
53.99 - 58.24
58.24 - 76.13
0 10 20 40 Kilometers

आरेख 2.6

जयपुर जिले में स्त्री एवं पुरुष संख्या के आधार पर साक्षरता प्रतिशत

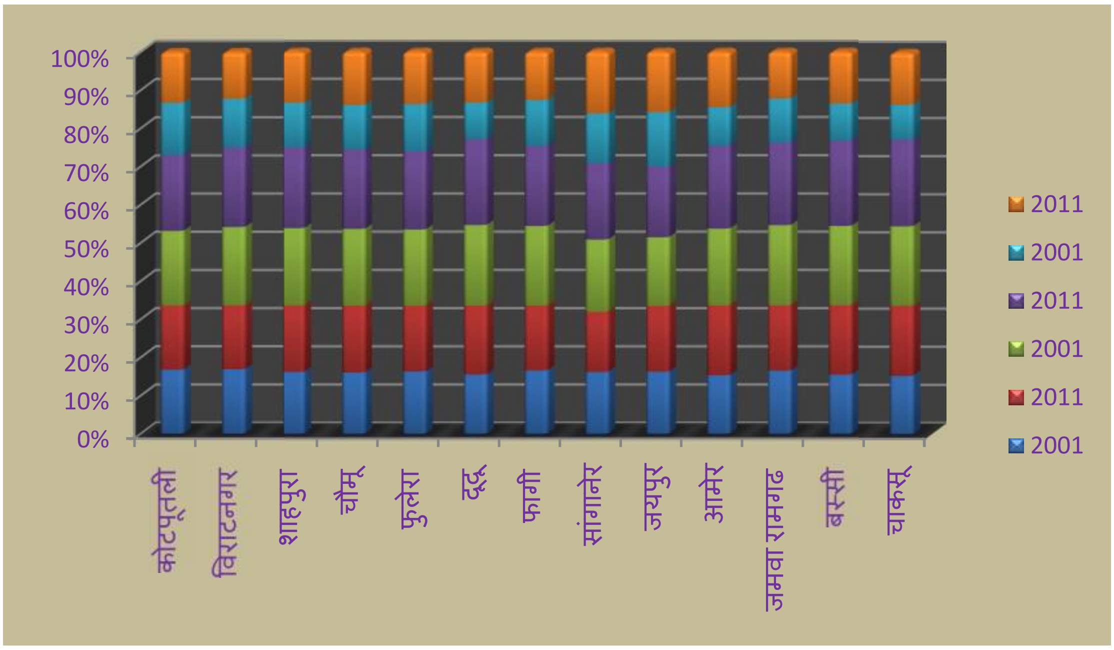

स्रोत: जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

2.10.3 ग्रामीण–नगरीय अनुपात

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले की जनसंख्या 66,26,178 है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 32,58,299 और नगरीय जनसंख्या 33,67,879 है अर्थात् ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 49.17 है और नगरीय जनसंख्या का 51.83 प्रतिशत है। जिले में आधे से भी अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तालिका संख्या 2.7 से स्पष्ट होता है कि 1991–2001 के दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि 3.72 प्रतिशत थी जो 2001–2011 के दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि 2.46 प्रतिशत हो गयी। इससे स्पष्ट होता है कि 2001–2011 के दशक में नगरीय जनसंख्या में 1.26 प्रतिशत की कमी हुई है। ग्रामीण–नगरीय अनुपात का प्रतिशत तालिका संख्या 2.7 में स्पष्ट किया गया है–

तालिका संख्या 2.7

जयपुर जिले में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत (1991–2011)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कुल जनसंख्या	
		ग्रामीण	नगरीय
1.	1991	54.35	45.65
2.	2001	50.63	49.37
3.	2011	49.17	51.83

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 2.7

जयपुर जिले में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत (1991–2011)

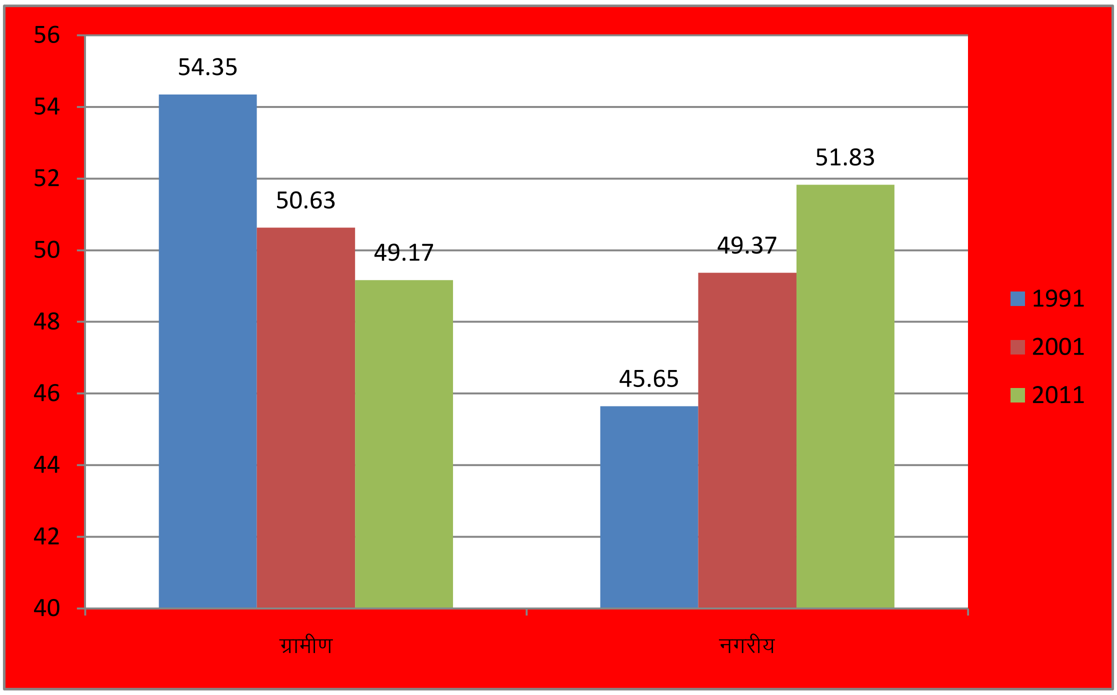

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

2.10.4 जनसंख्या की कार्यात्मक संरचना

जयपुर जिले की कार्यात्मक संरचना से आर्थिक व सामाजिक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जनसंख्या की कार्यात्मक संरचना को तीन भागों में विभक्त करते हैं। 1) कार्यशील, 2) सीमान्त एवं 3) अकार्यशील

कार्यशील जनसंख्या में उन सभी लोगों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें किसी–न–किसी रूप में रोजगार प्राप्त है। निजी एवं कृषि क्षेत्र में कृषकों को 183 दिन या 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त होता उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। जिले में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 2001 के अनुसार 30.17 है एवं 2011 के अनुसार 31.09 प्रतिशत है। इस प्रकार जिले में गत् दस वर्षों में कार्यशील जनसंख्या में लगभग 1 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सीमान्त श्रमिक वे होते हैं जो 183 दिन या 6 माह से कम समय तक ही किसी कार्य में भागीदारी रखता है तो वह सीमान्त कामगार कहलायेगा। मनरेगा के श्रमिकों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। मौसमी मजदूरी करने वाले श्रमिकों एवं एक वर्ष में एक फसल उत्पादित करने वाले कृषक भी सीमान्त श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। जिले में सीमान्त श्रमिकों की जनसंख्या का प्रतिशत 2001 के अनुसार 3.93 है एवं 2011 के अनुसार 6.11 प्रतिशत था। इस प्रकार जिले में दस वर्षों में सीमान्त श्रमिकों की संख्या में 2.17 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सीमान्त श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत में वृद्धि होने का प्रमुख कारण मनरेगा है। **(मानचित्र संख्या 11(क)(ख)**

अकार्यशील जनसंख्या में श्रमिकों को पूरे वर्ष भर किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण इसे अकार्यशील जनसंख्या कहते हैं। जिले में अकार्यशील श्रमिकों की जनसंख्या का प्रतिशत 2001 के अनुसार 65.90 है एवं 2011 के अनुसार 62.8 है। अकार्यशील श्रमिकों की जनसंख्या में 3.10 प्रतिशत की गिरावट आयी है। इसका प्रमुख कारण मनरेगा ही है।

तालिका संख्या 2.8

जयपुर जिले की कार्यात्मक जनसंख्या की संरचना 2001 एवं 2011 प्रतिशत

सत्र	कार्यशील	सीमान्त	अकार्यशील	योग
2001	30.17	3.93	65.90	100
2011	31.09	6.11	62.80	100

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 2.8

जयपुर जिले की कार्यात्मक जनसंख्या की संरचना 2001 एवं 2011 प्रतिशत

स्रोत: जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

तालिका संख्या 2.9

जिले की कार्यशील, सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में 2001 व 2011)

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	कार्यशील		सीमान्त		अकार्यशील	
		2001	2011	2001	2011	2001	2011
1	कोटपूतली	32.41	29.87	7.72	9.43	59.87	60.7
2	विराटनगर	29.58	31.41	9.96	10.86	60.46	57.73
3	शाहपुरा	31.16	30.25	6.07	8.29	62.7	61.45
4	चौमू	28.42	32.83	6.61	8.27	64.97	58.91
5	फुलेरा	26.93	29.52	7.35	10.87	65.72	59.61
6	दूदू	33.42	34.69	9.81	11.71	56.77	53.62
7	फागी	35.43	34.8	7.74	11.58	56.83	53.62

8	सांगानेर	30.26	31.23	3.45	2.92	66.29	65.85
9	जयपुर	28.36	28.36	2.31	2.31	69.33	69.33
10	आमेर	30.51	30.51	6.26	6.26	63.24	63.24
11	जमवारामगढ़	33.49	33.49	12.07	12.07	54.44	54.44
12	बस्सी	30.48	34.48	7.53	7.53	57.99	57.99
13	चाकसू	35.96	36.08	8.07	8.38	59.97	55.54

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 2.9

जिले की कार्यशील, सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)

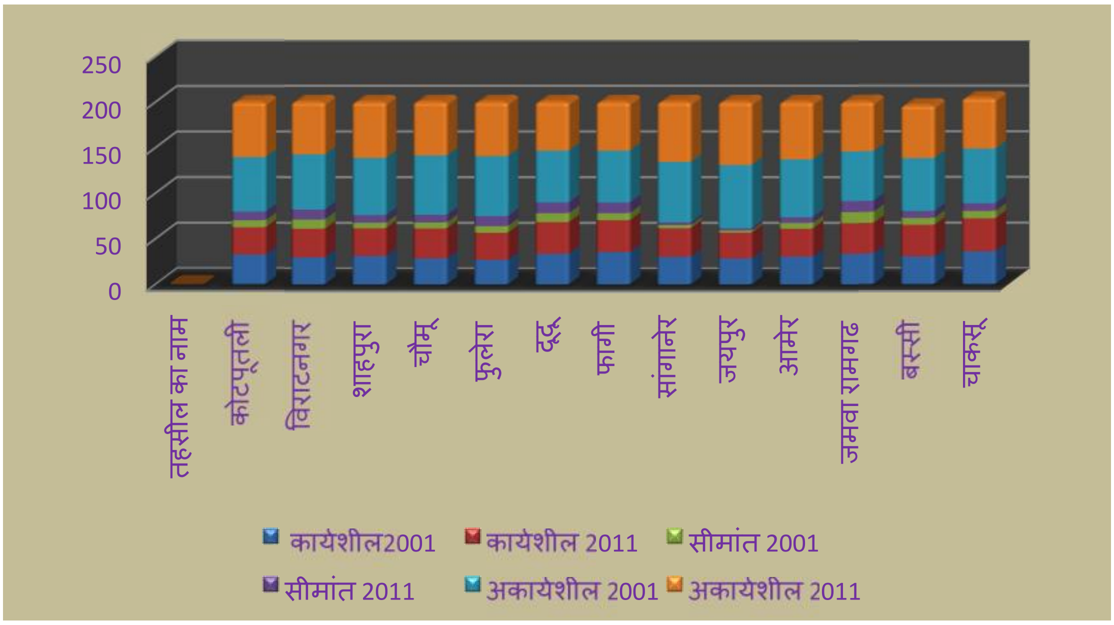

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

2.10.5 जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना के अन्तर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। परिश्रमयुक्त व्यावसायिक कार्यों से जुड़े तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अन्तर्गत जुड़ी हुई है इसी सक्रिय

जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। इस संरचना को चार भागों में बांट सकते हैं। 1) काश्तकार, 2) खेतीहर मजदूर, 3) पारिवारिक उद्योग एवं 4) अन्य कार्य करने वाले। जयपुर जिले की व्यावसायिक संरचना की तुलना 2001 से 2011 की तालिका संख्या 2.10 में स्पष्ट की गई है–

तालिका संख्या 2.10

व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)

सत्र	काश्तकार		खेतीहर मजदूर		पारिवारिक उद्योग		अन्य कार्य करने वाले	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
2001	26.71	59.60	2.53	9.14	4.13	5.06	66.63	26.21
2011	22.23	48.42	3.39	9.78	3.59	3.93	70.79	37.87

स्रोत: जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 2.10

व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)

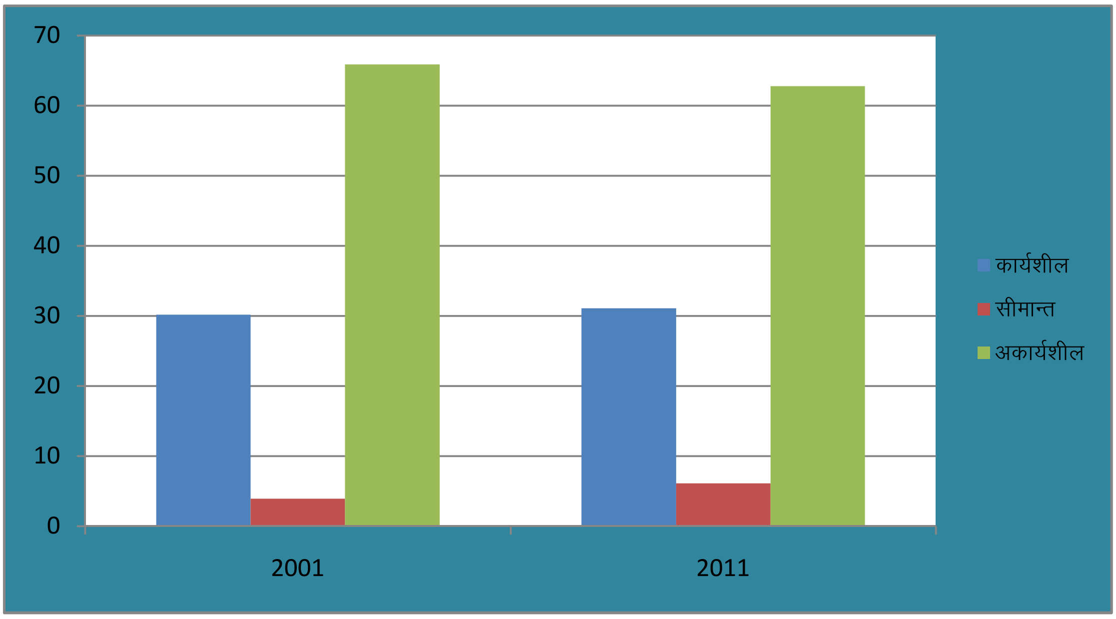

स्रोत: जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

मानचित्र संख्या 12

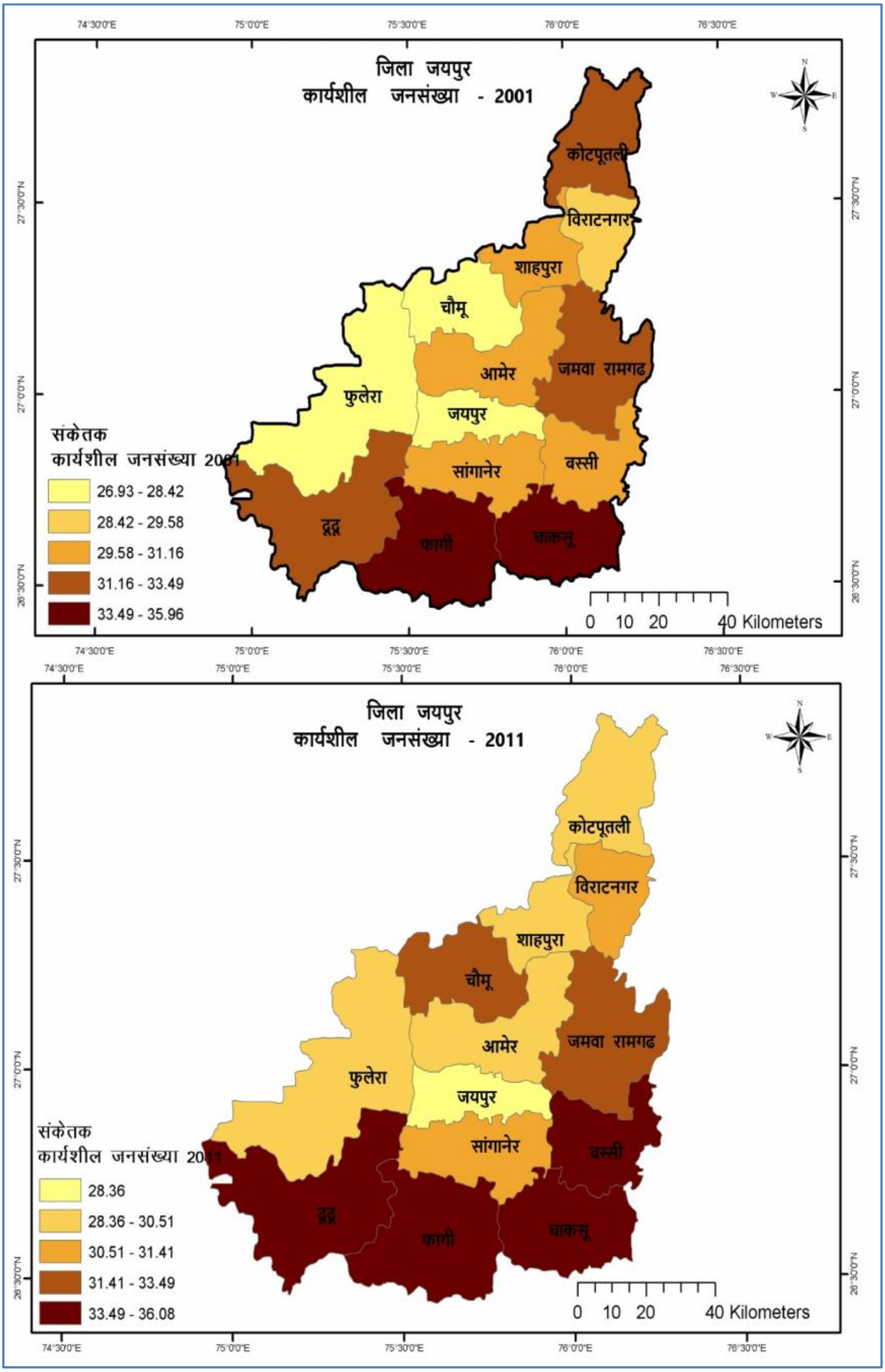
जिला जयपुर
कार्यशील जनसंख्या - 2001
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
कार्यशील जनसंख्या 2001
26.93 - 28.42
28.42 - 29.58
29.58 - 31.16
31.16 - 33.49
33.49 - 35.96
0 10 20 40 Kilometers
जिला जयपुर
कार्यशील जनसंख्या - 2011
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
कार्यशील जनसंख्या 2011
28.36
28.36 - 30.51
30.51 - 31.41
31.41 - 33.49
33.49 - 36.08
0 10 20 40 Kilometers

मानचित्र संख्या 13

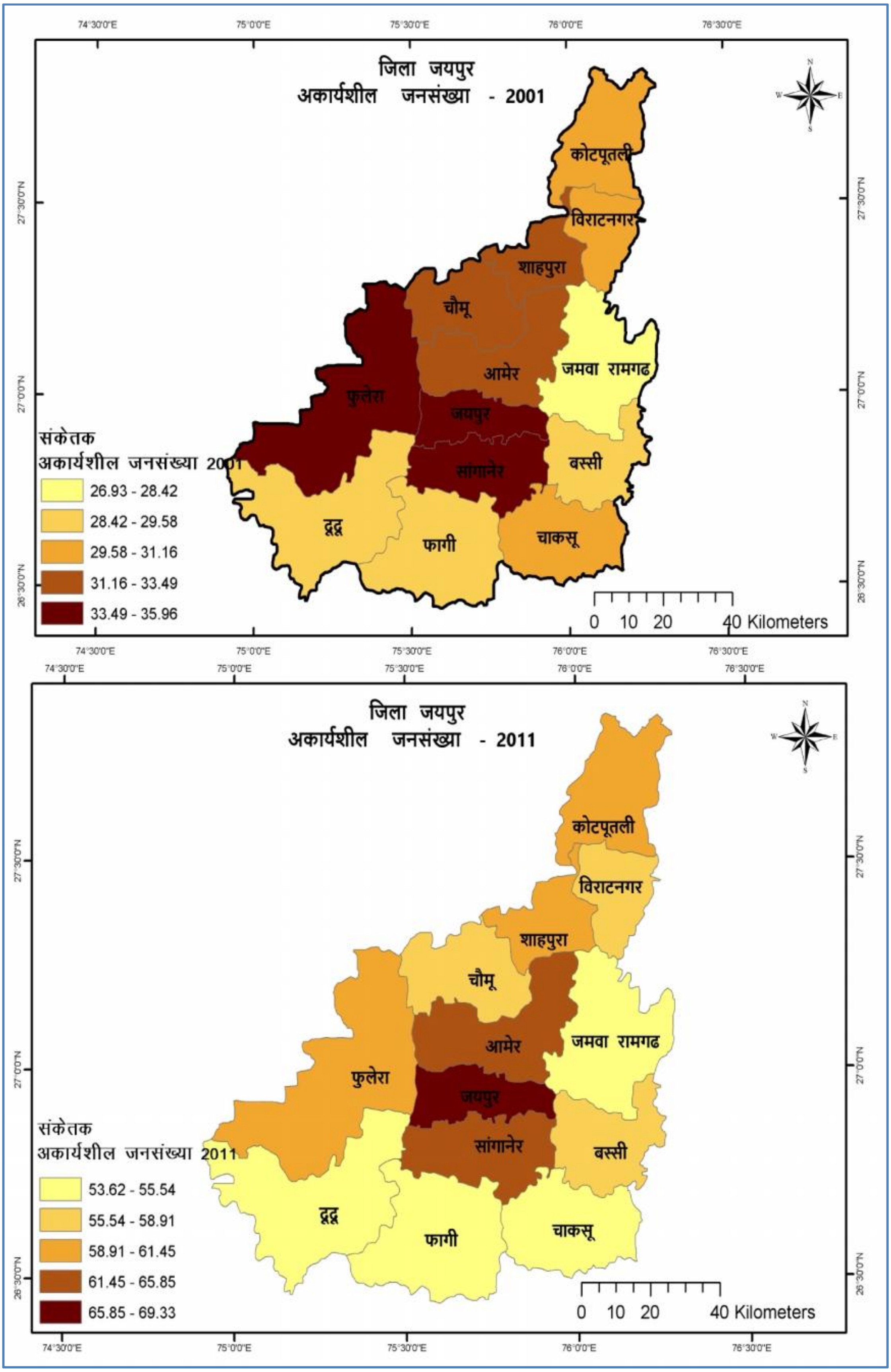

जिला जयपुर
अकार्यशील जनसंख्या - 2001
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
अकार्यशील जनसंख्या 2001
26.93 - 28.42
28.42 - 29.58
29.58 - 31.16
31.16 - 33.49
33.49 - 35.96
0 10 20 40 Kilometers
जिला जयपुर
अकार्यशील जनसंख्या - 2011
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
अकार्यशील जनसंख्या 2011
53.62 - 55.54
55.54 - 58.91
58.91 - 61.45
61.45 - 65.85
65.85 - 69.33
0 10 20 40 Kilometers

मानचित्र संख्या 14

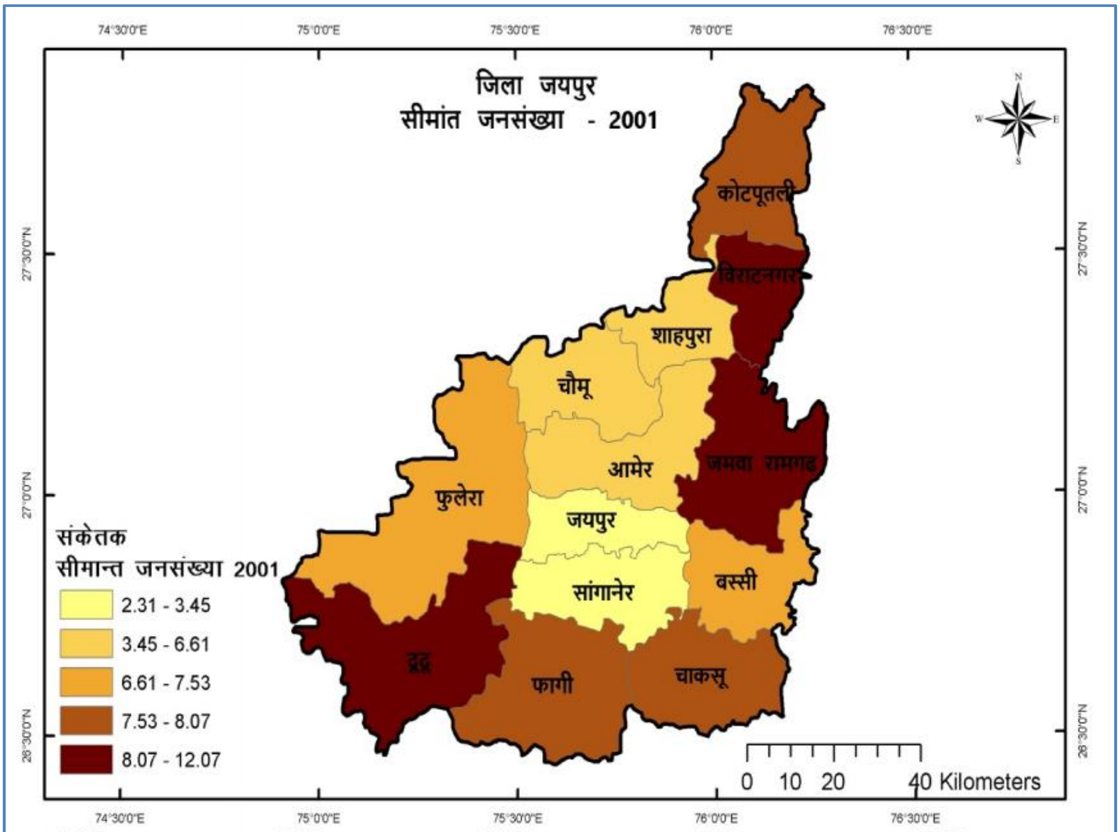
जिला जयपुर
सीमांत जनसंख्या - 2001
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ़
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
सीमान्त जनसंख्या 2001
2.31 - 3.45
3.45 - 6.61
6.61 - 7.53
7.53 - 8.07
8.07 - 12.07
0 10 20 40 Kilometers

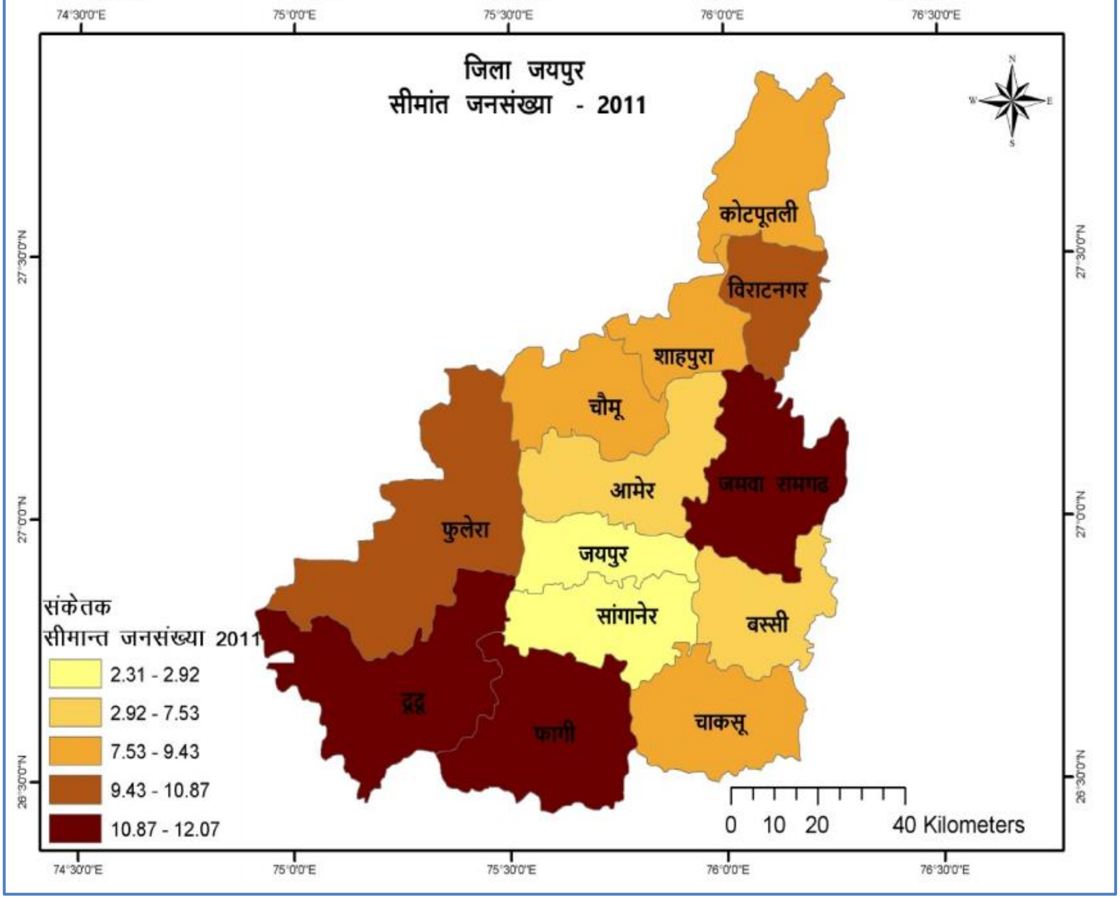
जिला जयपुर
सीमांत जनसंख्या - 2011
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ़
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
सीमान्त जनसंख्या 2011
2.31 - 2.92
2.92 - 7.53
7.53 - 9.43
9.43 - 10.87
10.87 - 12.07
0 10 20 40 Kilometers

2.11 भूमि उपयोग

कृषि भूमि उपयोग के सिद्धान्त इस सन्दर्भ पर निर्भर हैं कि भूमि के निश्चित क्षेत्र से किन विधियों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाये और कृषि कार्य में प्रयुक्त लागत अपेक्षाकृत निम्नतम हो जिससे उत्पादन में अधिकतम लाभ सुलभ हो सके। जयपुर जिले के भूमि उपयोग यहाँ की कृषि में प्रयुक्त भूमि एवं अन्य प्रकार के उपयोग में ली गई भूमि से सम्बन्धित है। इससे न केवल वर्तमान में विभिन्न उपयोगों में ली गई भूमि का ज्ञान होता है। अपितु भविष्य के नियोजन हेतु भी इसे आधार प्राप्त होता है। जिले का भूमि उपयोग तालिका संख्या 2.9 से स्पष्ट है–

तालिका संख्या 2.11

जयपुर जिले का भूमि उपयोग

भूमि उपयोग श्रेणी	**कुल क्षेत्र का प्रतिशत (2005–06)**	**कुल क्षेत्र का प्रतिशत (2014–15)**
वन	7.33	8.49
अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि	6.94	7.72
बंजर तथा अकृषिकृत क्षेत्र	4.92	3.7
स्थायी चारागाह भूमि	6.96	6.68
वृक्ष एवं उपवनों के अन्तर्गत	0.08	0.05
कृषि एवं उपवनों के अन्तर्गत (बंजर)	3.09	3.94
चालू परती के अतिरिक्त अन्य परती	5.51	4.99
चालू परती	8.89	4.19
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	56.28	60.24
कुल योग	**100**	**100**

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 2.11

जयपुर जिले का भूमि उपयोग (2005–06)

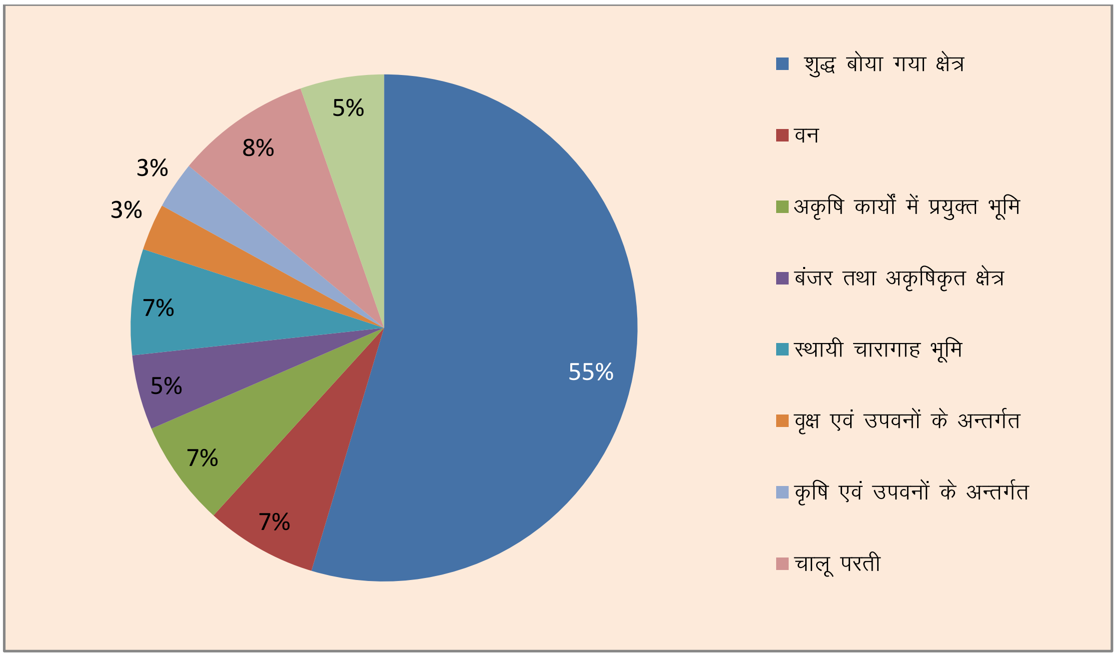

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 2.12

जयपुर जिले का भूमि उपयोग (2014–15)

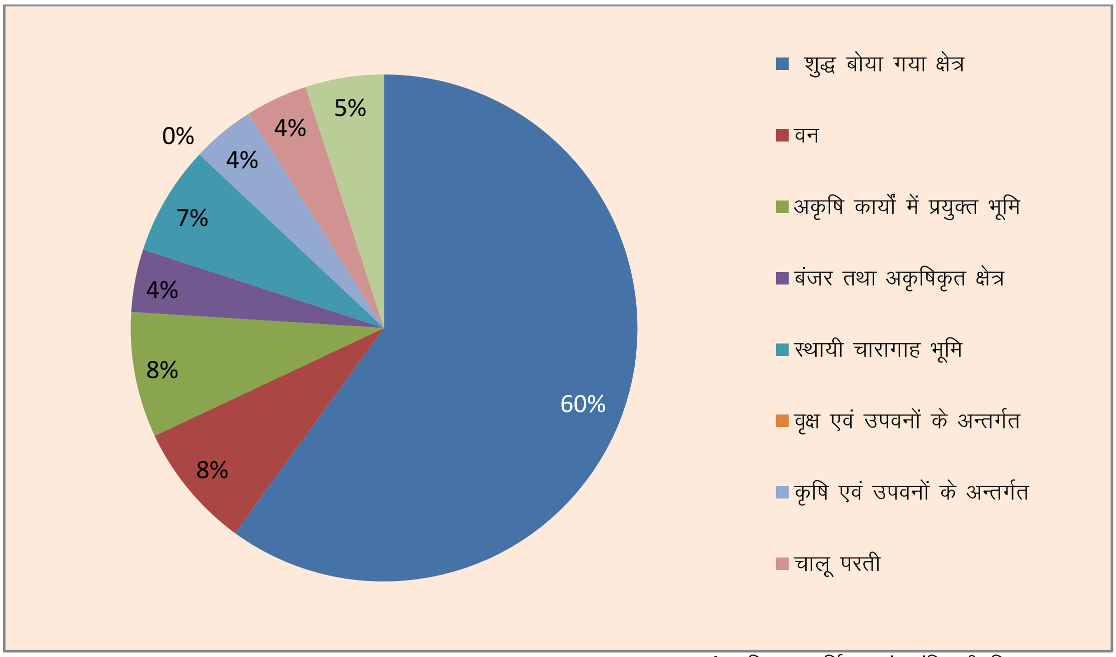

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

2.12 उद्योग धन्धे

मानव क्रियाओं में द्वितीयक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जिसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण की प्रक्रिया मुख्य रूप से सम्पन्न होती है। औद्योगिक उन्नति किसी भी राष्ट्र के विकास की द्योतक होती है। औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा ही किसी भौगोलिक क्षेत्र या इकाई में निवास करने वाले मानव की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक राजधानी क्षेत्र होने के कारण यह राजस्थान में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। बाजार की मांग, परिवहन सुविधा, श्रमिक उपलब्धता, पूंजी प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान एवं यांत्रिकीकरण के कारण इस जिले में कच्ची सामग्री की उपलब्धता के अनुसार अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। इसलिए जिले में कुटीर, लघु एवं वृहद् तीनों प्रकार के उद्योगों की अवस्थिति पायी जाती है। जयपुर के प्रमुख उद्योगों में कृषि आधारित उद्योग का स्थानीयकरण पाया जाता है। सन् 2015 के प्रारम्भ में जयपुर जिले में 11867 फैक्ट्रियाँ पंजीकृत थीं, जिनकी संख्या 2015 के अन्त तक बढ़कर 12226 हो गई। इस प्रकार 2015 में कुल 413 नई फैक्ट्रियाँ नामांकित हुईं और पुरानी फैक्ट्रियों में से 54 फैक्ट्रियाँ बन्द हो गयी। जयपुर जिले में उद्योगों के स्वरूप एवं उनकी संख्या को तालिका संख्या 2.12 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका संख्या 2.12

इण्डस्ट्रीयल एस्टेट (2014–15)

क्र.सं.	उद्योगों का प्रकार	उद्योगों की संख्या	रोजगार की संख्या
1.	खाद्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग	31	173
2.	सूती वस्त्र उद्योग	510	1805
3.	लकड़ी उद्योग	98	638
4.	कागज उद्योग	79	485
5.	चमड़ा उद्योग	20	82
6.	खनिज उद्योग	35	203
7.	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, कैमिकल	26	169
8.	मशीनरी एवं मशीन टूल्स	52	163
9.	इलेक्ट्रिकल उद्योग	64	210
10.	सर्विस एवं रिपेयर	124	480
11.	ट्रांसपोर्ट पार्टस	28	120
12.	अन्य	–	–

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 2.13

उद्योगों के प्रकार एवं रोजगार की संख्या (2014–15)

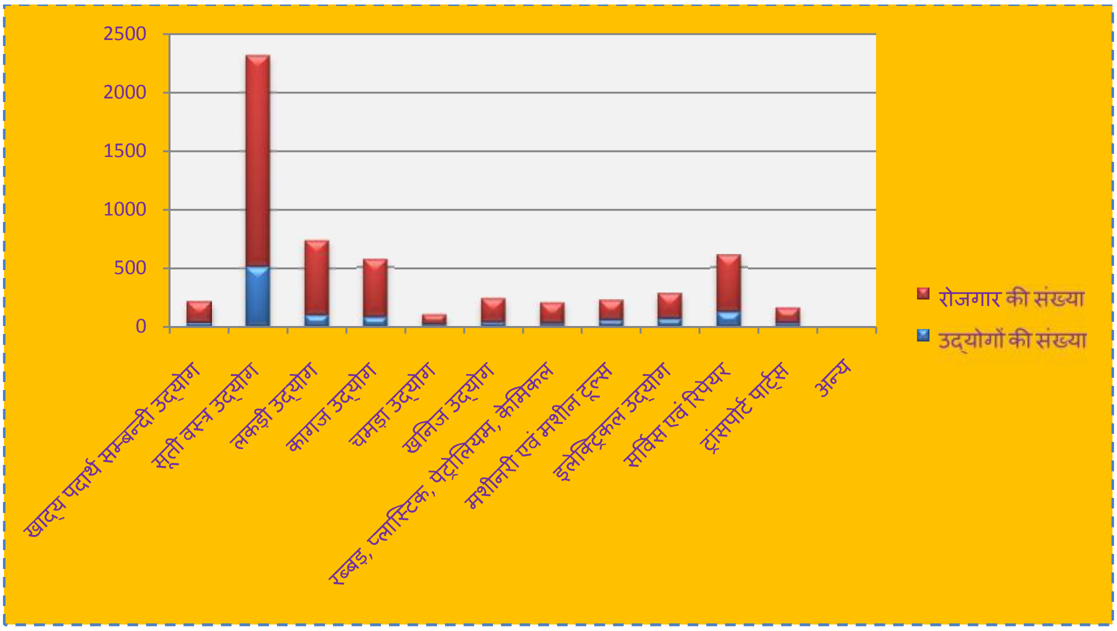

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

2.13 परिवहन

जयपुर जिले में परिवहन के साधनों में सड़क, रेल एवं वायु परिवहन प्रमुख है।

सड़क परिवहन आर्थिक विकास में सड़कों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विकास को भी आधार–ढाँचे के विकास में उच्च स्थान दिया जाता है। सड़कों के विकास के बिना किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता है। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार लोगों के आवागमन आदि की प्रगति बहुत कुछ सड़कों के विकास पर निर्भर करती है। सड़क विकास की योजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अकाल के समय राहत कार्य चलाये जाते हैं तथा आधारभूत क्षेत्रों का विकास किया जाता है और सामाजिक–आर्थिक विकास का आधार तैयार किया जाता है। **(सन्दर्भ मानचित्र संख्या 15)** जयपुर जिले के सड़क नेटवर्क को चार भागों में बांट सकते हैं–

1. **राष्ट्रीय राजमार्ग**–जिले में पाँच राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जो इस प्रकार हैं–NH-8, NH-11, NH-11A, NH-11C, NH-12(52) जयपुर जिले में भारत की महत्त्वपूर्ण महत्वाकांक्षी उत्तरी–दक्षिण कोरिडोर परियोजना का भाग है।
2. **राज्यों के राज्यमार्ग**–राज्य राज मार्ग द्वारा सभी ब्लॉक आपस में जुड़ी हुई हैं।
3. **जिला सड़कें**–जिला सड़कों के द्वारा सभी बड़े कस्बे जयपुर मुख्यालय से जोड़ने की है।

मानचित्र संख्या 15

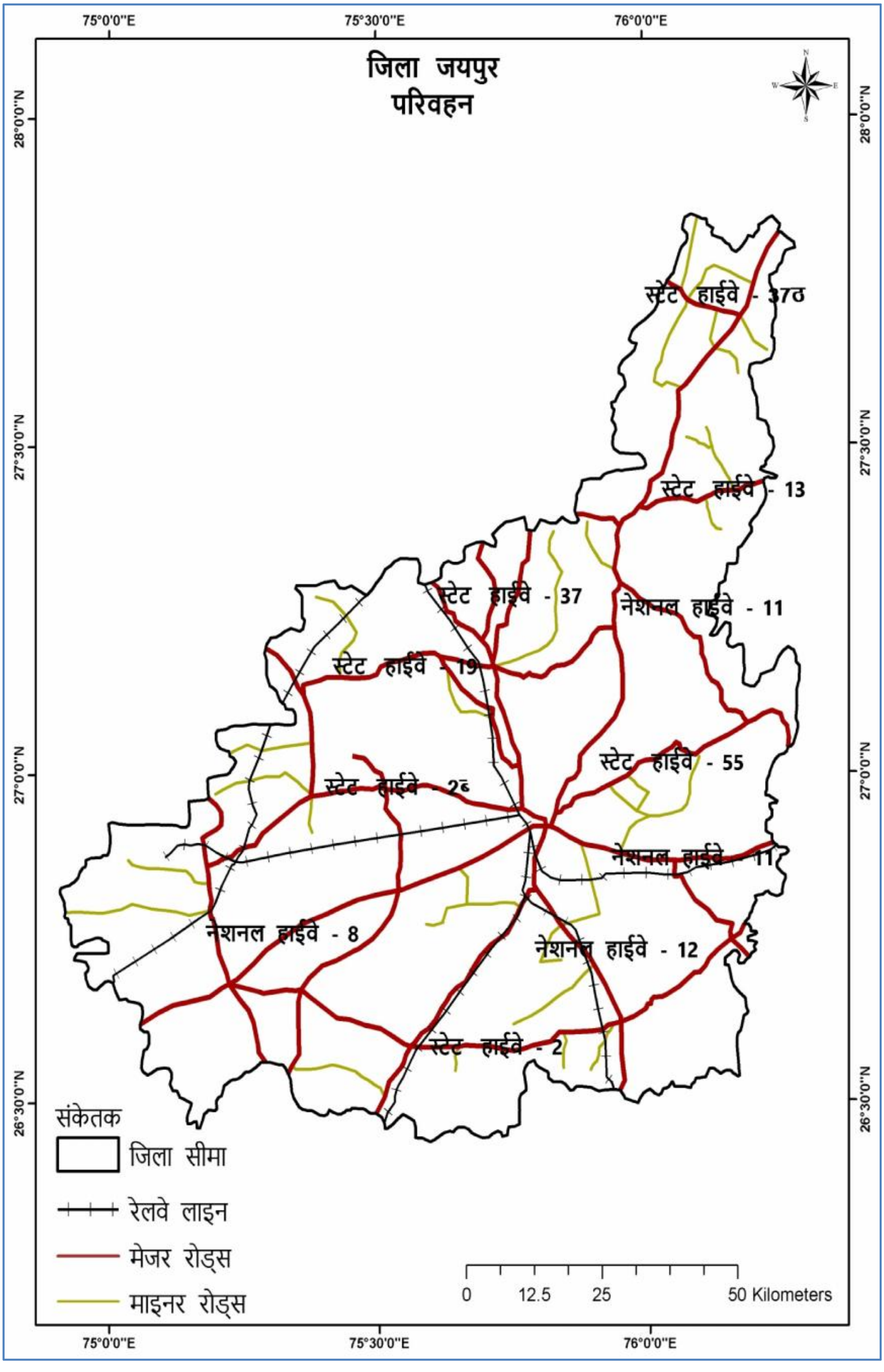

75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
जिला जयपुर
परिवहन
स्टेट हाईवे - 37ठ
स्टेट हाईवे - 13
स्टेट हाईवे - 37
नेशनल हाईवे - 11
स्टेट हाईवे - 19
स्टेट हाईवे - 55
स्टेट हाईवे - 2ε
नेशनल हाईवे - 11
नेशनल हाईवे - 8
नेशनल हाईवे - 12
स्टेट हाईवे - 2
संकेतक
जिला सीमा
रेलवे लाइन
मेजर रोड्स
माइनर रोड्स
0
12.5
25
50 Kilometers

4. **ग्रामीण सड़कें**–इन सड़कों के द्वारा जिले के सभी गांव आपस में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् सभी गांवों को बारहमासी सड़कों द्वारा जोड़ने की योजना है।

रेल परिवहन–जिले में माल ढ़ोने एवं यात्री परिवहन का सस्ता एवं द्रूतगामी मुख्य साधन है। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरूआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल, 1874 में हुई। 1 अक्टूबर, 2002, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर को बनाया गया। जिसके अधीनस्थ मण्डल चार आते हैं। जो इस प्रकार हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर।

जयपुर शहर में बढ़ती आबादी को अधिक सुरक्षित, शीघ्र सस्ता एवं सुविधाजनक आवागमन साधन उपलब्ध कराने हेतु मेट्रो रेल परियोजना की शुरूआत की गई।

वायु परिवहन–भारतीय संविधान में विमानपत्तन को संघ सूची का विषय बनाया गया है। वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र एवं आधुनिक साधन है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह उपयोगी जरूर है लेकिन संसाधन एवं धन की कमी के कारण इसका पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। सांगानेर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। 29 सितम्बर, 2005 को इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। यह देश का 14वाँ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है।

❑❑❑

अध्याय तृतीय

मनरेगा का स्वरूप एवं उद्देश्य

अध्याय–तृतीय

मनरेगा का स्वरूप एवं उद्देश्य

3.1 मनरेगा का परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, 5 सितम्बर, 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित कर दिया गया जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियत हो:–

3.2 मनरेगा सैद्धान्तिक पक्ष

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 हैं।
   (2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर हैं।
   (3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और विभिन्न राज्यों या किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी।

परन्तु यह अधिनियम उस सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र को, जिस पर इसका विस्तार हैं, इस अधिनियम के अधिनियमन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर लागू होगा।

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) ''वयस्क'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो ;

(ख) ''आवेदक'' से किसी गृहस्थी का प्रमुख या उसके अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई अभिप्रेत हैं, जिसने स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है;

(ग) ''ब्लाक'' से किसी जिले के भीतर कोई सामुदायिक विकास क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ग्राम पंचायतों का एक समूह है;

(घ) ''केन्द्रीय परिषद्'' से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय नियोजन गारंटी परिषद अभिप्रेत है;

(ड.) ''जिला कार्यक्रम समन्वयक'' से किसी जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में पदचिन्हित राज्य सरकार का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

(च) ''गृहस्थी'' से किसी कुटुम्ब के सदस्य अभिप्रेत है, जो एक–दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित है और सामान्यतः एक साथ निवास करते है तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते है या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं।

(छ) ''कार्यान्वयन अभिकरण'' में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला परिषद्, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर सरकारी संगठन, जिसे किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता गया हैं, सम्मिलित है;

(ज) किसी क्षेत्र के संबंध मे 'न्यूनतम मजदूरी'' से कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी अभिप्रेत है, जो उस क्षेत्र में लागू है;

(झ) ''राष्ट्रीय निधि'' से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि अभिप्रेत हैं;

(ड) ''कार्यक्रम अधिकारी'' से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत हैं।

(ढ) ''परियोजना'' से आवेदकों का नियोजन उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी स्कीम के अधीन किया जाने वाला कोई कार्य अभिप्रेत है;

(ण) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य मे कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

(थ) ''राज्य परिषद'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य नियोजन गारंटी परिषद् अभिप्रेत हैं;

(द) ''अकुशल शारीरिक कार्य'' से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ हैं:

(ध) ''मजदूरी दर'' से धारा 6 में निर्दिष्ट मजदूरी दर अभिप्रेत हैं।

3.3 ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी

3. (1) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार राज्य में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से अन्यून के लिए ऐसा कार्य उपलब्ध कराएगी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसने स्कीम के अधीन उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी दशा में उस तारीख के पश्चात् जिसकों ऐसा कार्य किया गया था पन्द्रह दिन के अपश्चात किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, किसी स्कीम के अधीन किसी गृहस्थी के प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए उपधारा (1) के अधीन गारंटीकृत अवधि के परे किसी अवधि के लिए, जो समीचीन हो, कार्य सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेगी।

3.4 नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता

4. (1) धारा 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से छः मास के भीतर स्कीम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन और स्कीम में अधिकथित शर्तो के अधीन रहते हुए अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, किसी

भी वित्तीय वर्ष में सौ दिनों से अन्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बनाएगी।

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसी स्कीम को अधिसूचित किए जाने तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना या भावी योजना या राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्य कार्यक्रम, जो ऐसी अधिसूचना से ठीक पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र में प्रवृत है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्कीम हेतु कार्रवाई योजना समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में जिनमें से एक ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिसको ऐसी स्कीम लागू होगी, परिचालित जन भाषा में होगा, उसके द्वारा बनाई गई स्कीम का सार प्रकाशित करेगी।

6 (1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी; परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न–भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी;

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय–समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रूपये प्रतिदिन से कम की दर पर नहीं होगी।

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जाएगी।

7. (1) यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेकारी भत्ते का हकदार होगा।[7]

(2) पात्रता के ऐसे निबंधनों और शर्तो के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा इस अधिनियम और स्कीमों और राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन संदेय बेकारी भत्ता किसी गृहस्थी के आवेदको को गृहस्थी की हकदारी के अधीन रहते हुए, ऐसी

दर से जो राज्य परिषद् के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, राज्य रसकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संदत किया जाएगा;

परन्तु यह कि कोई ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तिय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के एक बटा दो से अन्यून नहीं होगी।

(3) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी गृहस्थी को बेकारी भत्ते का संदाय करने का राज्य सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा जैसे ही–

(क) आवेदक को ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा या तो स्वयं कार्य के लिए रिपोर्ट करने या उसकी गृहस्थी के कम से कम एक वयस्क सदस्य को तैनात करने के लिए निर्देशित किया जाता है; या

(ख) वह अवधि जिसके लिए नियोजन चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक की गृहस्थी का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है; या

(ग) आवेदक की गृहस्थी के वयस्क सदस्यों ने उस वित्तिय वर्ष के भीतर कुल मिलाकर कम से कम सौ दिनों का कार्य प्राप्त कर लिया है; या

(घ) आवेदक की गृहस्थी ने मजदूरी और बेकारी भत्ता, दोनो को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है।

(4) गृहस्थी के किसी आवेदक को संयुक्त रूप से संदेय बेकारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा (जिसके अन्तर्गत जिला मध्यवर्ती या ग्राम स्तर का पंचायत हैं), जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इसे निमित प्राधिकृत करें मंजूर और संवितरित किया जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन बेकारी भत्ते का प्रत्येक संदाय, उस तारीख से जिसकों वह संदाय के लिए शोध हो जाता है, पन्द्रह दिन के अपश्चात् किया जाएगा या प्रस्तावित किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

8. (1) यदि कार्यक्रम अधिकारी, अपने नियंत्रण के परे किसी कारण से बेकारी भत्ते का समय पर या बिल्कुल संवितरण करने की स्थिति में नहीं है, तो वह जिला कार्यक्रम समन्वयक को मामले की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना पट्ट पर और ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर तथा ऐसे अन्य सहज दृश्य स्थानों पर जो वह आवश्यक समझ, संप्रदर्शित की जाने वाली किसी सूचना में ऐसे कारणों की घोषणा करेगा।

(2) बेकारी भत्ते का संदाय न करने या विलम्ब से संदाय के प्रत्येक मामले की जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे संदाय न करने या विलम्ब से संदाय के कारणों सहित रिपोर्ट की जाएगी।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट किए गए बेकारी भत्ते का संबंधित गृहस्थी को यथासंभव शीघ्रता से संदाय करने के सभी उपाय करेगी।

3.5 कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी

10. (1) ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के नाम से एक परिषद इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए गठित की जाएगी।

(2) केन्द्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

(3) केन्द्रीय परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त किया जाएगा अर्थातः—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों के, जिनके अंतर्गत योजना आयोग भी है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून की पंक्ति के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(ग) राज्य सरकारों के उतनी संख्या से अनधिक में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिनिधि ;

(घ) पंचायती राज संस्थाओं, कर्मकारों संगठनों और असुविधाग्रस्त समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह से अनधिक गैर सरकारी सदस्य ;

परन्तु यह कि ऐसे गैर सरकारी सदस्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से नाम निर्देशित जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष सम्मिलित होगें ;

परन्तु यह भी कि गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यक वर्गो के होगें ;

(ड.) राज्यों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि होगें, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित नियमों द्वारा अवधारित करें ;

(च) भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून की पंक्ति का एक सदस्य सचिव।

(4) वे निबन्धन और शर्ते जिनके अधीन रहते हुए, केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे तथा केन्द्रीय परिषद की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों मे गणपूर्ति भी हैं) वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

11. (1) केन्द्रीय परिषद् निम्नलिखित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेंगी अर्थात;—

(क) केन्द्रीय मूल्यांकन और मानीटरी प्रणाली स्थापित करना;

(ख) इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ग) समय—समय पर मानीटरी और प्रतितोष तंत्र का पुनरवलोकन करना तथा अपेक्षित सुधारों की सिफारिश करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों के संबंध में जानकारी के विस्तृत संभव प्रसार का संवर्धन करना;

(ड) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करना।

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्टे तैयार करना;

(छ) कोई अन्य कर्तव्य और कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(2) केन्द्रीय परिषद् को इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विभिन्न स्कीमों का मूल्यांकन करने की शक्ति होगी और उस प्रयोजना के लिए ग्रामीण अर्थव्यस्था और स्कीमों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आंकडे संगृहीत करेगी।

(12) (1) राज्य रोजगार परिषद, राज्य स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन का नियमित रूप से मानीटर और पुनर्विलोकन करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नाम से एक राज्य परिषद का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में गैर सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं तथा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं, कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों से नाम निर्दिष्ट पन्द्रह से अनधिक गैर–सरकारी सदस्य होगें–

शेष कर्तव्य व शर्ते केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद की जैसी की वैसी ही;

13. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें, प्रधान प्राधिकारी होगें।

(2) जिला स्तर पर पंचायतों के निम्नलिखित कृत्य होंगे–

(क) स्कीम के अधीन किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के ब्लॉक अनुसार शेल्फ को अंतिम रूप देना और उसका अनुमोदन करना;

(ख) ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय–समय पर उसे समनुर्देशित किए जाएं।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के निम्नलिखित कृत्य होगें–

(क) अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजने के लिए ब्लॉक योजना का अनुमोदन करनाः

(ख) ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानीटर करना : और

(ग) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो राज्य परिषद् द्वारा समय–समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने में पंचायत की सहायता करेगा।

(14) (1) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या जिले के कलक्टर या समुचित पंक्ति के किसी अन्य जिला स्तर के अधिकारी को, जिसका राज्य सरकार विनिश्चय करें, जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार जिले में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के निम्नलिखित कृत्य होगें–

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में जिला पंचायत की सहायता करना;

(ख) ब्लॉक द्वारा तैयार की गई योजनाओं और जिला स्तर पर पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के शैल्फ में सम्मिलित करने के लिए अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का समेकन करना;

(ग) आवश्यक मंजूरी और प्रशासनिक अनापति, जहाँ कही आवश्यक हो, प्रदान करना।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदकों को इस अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार नियोजन उपलब्ध कराए जा रहें हैं, अपनी अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहे कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ समन्वय करना;

(ड.) कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यपालन का पुनर्विलोकन, मानीटर और पर्यवेक्षण करना;

(च) चल रहें कार्य का नियतकालिक निरीक्षण करना ; और

(छ) आवेदकों की शिकायतों को दूर करना।

(4) राज्य सरकार, ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्यायोजन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने हेतु उसे समर्थ बनाने के अपेक्षित है।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर मास में तैयार करेगा जिसमें जिलें में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित मॉग और स्कीम के अंतर्गत आने वाले कार्यो में श्रमिकों को लगाने की योजना के ब्यौरे होंगे और उसे जिला पंचायत की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगा।

15 (1) मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो ब्लाक विकास अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसी अर्हताओं और अनुभवों के साथ जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के लिए कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करेगा।

(3) कार्यक्रम अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से उद्‌भूत नियोजन अवसरों के साथ नियोजन की मांग का मेल करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों और मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लाक के लिए एक योजना तैयार करेगा।

(5) कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगें–

(क) ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं को मानीटर करना;

(ख) पात्र गृहस्थियों को बेकारी भत्ता मंजूर करना और उसका संदाय सुनिश्चित करना;

(ग) ब्लाक के भीतर स्कीम के किसी कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी का तुरन्त और उचित संदाय सुनिश्चित करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर सभी कार्यों की नियमित सामाजिक संपरीक्षा की जा रही है और यह कि सामाजिक संपरीक्षा में उठाए गए आक्षेपों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है;

(ङ) सभी शिकायतों को तत्परता से निपटाना जो ब्लाक से भीतर स्कीम से कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; और

(च) कोई अन्य कार्य करना जो जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए।

(7) राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किन्ही कृत्यों का ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

16. (1) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) कोई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर किसी स्कीम के अधीन किसी परियोजना को जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर किया जाए, ले सकेगी।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब कभी कार्य की मांग उत्पन्न होती है, किए जाने वाले संभव कार्यो का एक शैल्फ रखेगी।

(4) ग्राम पंचायत, परियोजनाओं के विकास के लिए जिसके अंतर्गत उस वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें इसे निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है, की संवीक्षा और

प्रारम्भिक पूर्वानुमोदन के कार्यक्रम अधिकारी को विभिन्न कार्यो के बीच क्षमता का क्रम सम्मिलित है, अपने प्रस्तावों को अग्रेषित करेगी।

(5) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली किसी स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत कार्य का आवंटित करेगा।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य प्रदान करेगा–

(क) उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य के लिए मस्टर रोल; और

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों को अन्यत्र उपलब्ध नियोजन के अवसरों की एक सूची।

(7) ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच नियोजन के अवसरों का आवंटन करेगी तथा कार्य के लिए उनसें रिपोर्ट करने के लिए कहेगी।

(8) किसी स्कीम के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किया गया कार्य अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापमानों को पूरा करेगा।

17. (1) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मानीटर करेगी।

(2) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी।

(3) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिसके अन्तर्गत मस्टर रोल, बिल वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियाँ और अन्य संबंधित लेखा बहियाँ और कागजपत्र भी है, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी।

18. राज्य सरकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों को ऐसे अनिवार्य कर्मचारिवृन्द और तकनीकी सहायता, जो स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराएगी।

19. राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत के निपटने के लिए, नियमों द्वारा ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर शिकायत दूर करने हेतु समुचित तंत्र अवधारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटारें के लिए प्रक्रिया अधिकथित करेंगी।

3.6 राष्ट्रीय और राज्य रोजगार गारंटी निधियों की स्थापना और संपरीक्षा

20. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशि, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय निधि के लिए आवश्यक समझे, जमा कर सकेगी।

(3) राष्ट्रीय निधि के खाते में जमा रकम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उपयोग किया जाएगा।

21. (1) राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजनो के लिए अधिसूचना द्वारा, राज्य रोजगार गारंटी निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगी।

(2) राज्य निधि के खाते में जमा रकम, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनो के लिए राज्य सरकार द्वारा निहित की जाए और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए व्यय की जाएगी।

(3) राज्य निधि, राज्य सरकार की और से ऐसी रीति में और ऐसे प्रधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, धारित और प्रशासित की जाएगी।

22. (1) ऐसे नियमों के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित बनाएं जाएं , अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी अर्थात्–

(क) स्कीम के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी के संदाय के लिए अपेक्षित रकम;

(ख) स्कीम के सामग्री लागत के तीन चौथाई तक रकम, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के उपबंधो के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों को मजदूरी का संदाय भी है;

(ग) स्कीम की कुल लागत का ऐसा प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों के प्रति अवधारित किया जाए, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन भत्ते, केन्द्रीय प्रशासनिक खर्च अनुसूची 2 के अधीन दी जाने वाली सुविधाएं और ऐसी अन्य मद भी है ,जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चिय की जाएं।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात

(क) स्कीम के अंतर्गत संदेय बेकारी भत्ते की लागत;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत का एक चौथाई, जिसके अन्तर्गत अनुसूची 2 के अधीन रहते हुए कुशल और अर्द्वकुशल कर्मकारों की मजदूरी का संदाय भी हैं।

(ग) राज्य परिषद के प्रशासनिक खर्च।

23. (1) जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी कार्यान्वयन अभिकरण, किसी स्कीम के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए उनके व्ययन पर रखी गई निधि के उचित उपयोग और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के नियोजन और उपगत व्यय की समुचित बहियाँ और लेखा रखने की रीति विहित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, नियमों द्वारा स्कीमों और स्कीमों के अधीन कार्यक्रमों के उचित निस्पादन के लिए और स्कीमों के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को अवधारित कर सकेगी।

(4) नगद रूप में मजदूरी और बेकारी भत्ते के सभी संदाय, सीधे संबंध व्यक्ति को और पूर्व घोषित तारीखों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जाएंगें।

(5) यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन कोई विवाद या शिकायत उत्पन्न होती है ता यह मामला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा।

(6) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत की उसके द्वारा शिकायत रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा और विवादों तथा शिकायतों को उसकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटाएगा और यदि वे ऐसे मामले से संबंधित है जिसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुलझाया जाना है तो वह उसे शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए, ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, स्कीमों के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं विहित कर सकेगी।

(2) स्कीम के लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, रखे जाए रखे जाऐगें।

3.7 प्रकीर्ण

25. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह दोष सिद्धी पर जुर्माने का, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

26. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ (नियम बनाने की शक्ति को छोडकर) ऐसी परिस्थितियों मे तथा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम और स्कीम बनाने की शक्ति को छोडकर) ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें, प्रयोक्तव्य होगी।

27. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार किसी स्कीम के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त निधियों को जारी करने या अनुचित उपयोग के संबंध में, किसी शिकायत की प्राप्ति पर, यदि प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि कोई मामला बनता है तो उसके द्वारा पदाभिहित किसी अभिकरण द्वारा की गई शिकायत का अन्वेषण करा सकेगी, और यदि आवश्यक हो तो स्कीम की निधियों के निर्मोचन को रोकने का आदेश कर सकेगी और उचित कालावधि के भीतर इसके उचित कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारी उपाय कर सकेगी।

28. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगे;[28]

परन्तु जहाँ कोई ऐसी राज्य अधिनियमित विद्यमान है या इस अधिनियम के उपबंधो से संगत ग्रामीण गृहस्थी में अर्धकुशल शारीरिक कार्य के लिए नियोजन गारंटी का उपबंध करने के लिए अधिनियमित की जाती है, जिसके अधीन गृहस्थी की हकदारी उससे कम नहीं है और नियोजन की शर्तें उससे न्यूनत्तर नहीं है, जिनकी इस अधिनियम के अधीन गारंटी दी गई हैं, वहां राज्य सरकार को अपनी निजी अधिनियमिति को कार्यान्वित करने का विकल्प होगा;

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता, संबद्व राज्य सरकार को ऐसी रीति से संदत्त की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी, जो उससे अधिक न होगी, जिसे वह राज्य इस अधिनियम के अधीन प्राप्त करने का तब हकदार होता जब इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई स्कीम कार्यान्वित की जानी होती।

29. (1) यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची1 या अनुसूची 2 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

30. जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्व, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है, किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है कोई वाद अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

31. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

32. राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत नियम बना सकेगी।

33. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनो सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनो सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी नहीं होगा, तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के जहाँ दो सदन है, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान मण्डल का एक ही सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध, जो इस

अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हैं;[34]

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम में छः अध्याय है और 34 धाराएँ और अनेक उपधाराएँ है जिसमें महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 के उपबंधों का उल्लेख किया गया है। जिसमें मनरेगा का संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी, नियोजन गारंटी स्कीमें और बेकारी भत्ता और मनरेगा के कार्यान्वित और मानीटर करने वाले प्राधिकारी और उसकी संपरीक्षा के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम में दो अनुसूची है जिसमें ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम की विशेषताएँ और स्कीम के अधीन गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार के लिए शर्तें और श्रमिकों के न्यूनत्तम हकदारियों का उल्लेख किया गया है।

3.8 मनरेगा के उद्देश्य और विशेषताएँ

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम दिनांक 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस अकुशल अधिनियम में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को किसी वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देने का अधिदेश दिया गया है इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं;[35]

यथा–निर्धारित गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता वाली उत्पादक परिसत्पत्तियों को सृजित करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न माँग के अनुसार कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करना;

- गरीबों के जीवन–यापन संसाधन आधार को सुदृढ करना;
- सामाजिक समावेश को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना; और
- पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ करना।

कवरेज–

इस अधिनियम को (दिनांक 2 फरवरी, 2006 से प्रभावी) इसके कार्यान्वयन के प्रथम चरण में 200 ग्रामीण जिलों में अधिसूचित किया गया था। वित्त वर्ष 2007–08 में और 130 जिलों तक इसका विस्तार किया गया था। इसके बाद दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी महात्मा गाँधी नरेगा के तहत शेष जिलों को अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2008 महात्मा गाँधी नरेगा के तहत शत–प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाले जिलों को छोडकर पूरे देश का कवर किया गया हैं।

3.9 अधिनियम की प्रकृतिः–

1. **पंजीकरणः** किसी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है, स्थानीय ग्राम पंचायत में लिखित में अथवा मौखिक रूप से अपने पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते है। पंजीकरण के लिए परिवार एक यूनिट है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का पात्र है। इसके साथ–साथ एफ.आर.ए. लाभार्थी 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने के पात्र है। राजस्थान जैसे राज्यों में सहरिया जैसे समुदायों की पात्रता 200 दिनों की हैं।
2. **कार्य के लिए आवेदन करनाः** समय और रोजगार मांगने की अवधि का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक कार्यालय को कार्य प्राप्त करने के लिए लिखित/मौखिक आवेदन करना होता हैं। ग्राम पंचायत रोजगार प्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होने की तारीख अंकित रसीद जारी करेगी जिसके आधार पर 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रभावी हो जाती हैं।
3. **जॉब कार्डः** सदस्य/ सदस्यों के निवास स्थान और आयु (केवल वयस्क सदस्य रोजगार प्राप्त करने के पात्र है) का सत्यापन किए जाने के बाद उस पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड (जे.सी) जारी किया जाता हैं। यह जॉब कार्ड रोजगार की मांग करने के अभिनिर्धारण का आधार होता है। इस प्रकार का जॉब कार्ड पंजीकरण करने के 15 दिनों के भीतर जारी करना होता है। प्रत्येक जॉब कार्ड पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होती है। इस प्रकार के जॉब कार्ड के आधार पर ही ग्राम पंचायत में अथवा ब्लॉक स्तर पर रोजगार की मॉग की जाती है। इन जॉब कार्ड को कार्य के दिवसों के

आधार पर अद्यतन करना होता है और कार्य किए जाने पर लाभार्थी को भुगतान किया जाता हैं।

4. **बेरोजगारी भत्ताः** मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने की स्थिति में राज्य (अधिनियम के अनुसार) उस लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगा।

5. **कार्य का प्रावधानः** कार्य आवंटित करते समय निम्नलिखित का अनुपालन किया जाता है;

इस प्रकार का कार्य ग्राम की 5 किमी. की परिधि में ही प्रदान किया जाता है। 5 किमी से अधिक दूरी पर रोजगार प्रदान किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त परिवहन और जीवन–यापन व्यय को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत अधिक वेतन का भुगतान किया जाता है। महिलाओं को इस प्रकार प्राथमिकता प्रदान की जाती है कि इस स्कीम के तहत कम से कम एक – तिहाई महिलाएं लाभार्थी रहें। लागत के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जाता है। इससे संबंधित साठ प्रतिशत लागत को कृषि संबंधी कार्यो पर व्यय करना होता हैं।

6. **मजदूरी** : भारत सरकार इसकी मजदूरी दर राज्य–वार अधिसूचित करती है और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा यथा–निर्धारित मुद्रा–स्फीति के अनुसार तय की जाती है। इसमें वेतन का भुगतान भी दर सूची (एस.ओ.आर.) के अनुसार मूल्य दर के अनुसार करना होता है।

7. **समय पर भुगतान** : इसमें वेतन का भुगतान साप्ताहिक आधार पर और किसी स्थिति में पाक्षिक आधार से अधिक नहीं करना होता है। वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से वैयक्तिक/संयुक्त बैंक/ डाकघर लाभार्थी खाते के माध्यम से किया जाता है। महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम में यह अधिदेश दिया गया है कि इसके कामगारों को भुगतान करने में होने वाले विलम्ब, यदि कोई हो, का समाधान करने का उत्तरदायी राज्य का है।

8. **आयोजन** : किसी वित्त वर्ष में किए जाने वाले कार्यो के स्वरूप और विकल्प के संबंध में आयोजना तथा निर्णय ग्राम सभा की खुली सभा में निर्धारित किया जाता है। कार्यों को ब्लॉक और जिला स्तरों पर भी निर्धारित किया जा सकता है जिन्हें प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने से पहले ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कराना होगा तथा प्राथमिकता प्रदान करानी होगी।

9. **लागत साझा करनाः** भारत सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की शत–प्रतिशत लागत और सामग्री की 75 प्रतिशत लागत के साथ–साथ कुशल और अर्ध–कुशल कामगारों के वेतन की लागत तथा कुल व्यय की 6 प्रतिशत प्रशासनिक लागत वहन करती हैं। शेष व्यय राज्य सरकारें वहन करती हैं।

10. **कार्यस्थल प्रबंधनः** इस स्कीम के तहत कामगारों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के तहत कार्यो को निष्पादित करने में संविदाकारों अथवा मशीनरी के उपयोग को निषिद्ध किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम की भावना कमजोर न हो और वेतन आधारित रोजगार पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता रहें, महात्मा गाँधी नरेगा में यह अधिदेश दिया गया है कि किसी ग्राम पंचायत से किए गए कार्यो की कुल लागत, वेतन व्यय से सामग्री व्यय का अनुपात 60:40 होना चाहिए। सभी कार्य स्थलों पर शिशु गृह, पेयजल तथा शेड जैसी कार्य स्थल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

11. **पारदर्शिता और जवाबदेहिताः** निम्नलिखित के माध्यम से इस कार्यक्रम में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है;

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह माह में एक बार इस स्कीम के सभी रिकार्ड और कार्यो की सामाजिक लेखा–परीक्षा की जाती हैं। इस प्रकार की सामाजिक लेखा–परीक्षा नियमावली 2011 में यथा–निर्धारित तरीके से की जाती है। इस प्रकार की सामाजिक लेखा–परीक्षा नियमावली 2011 में यथा– निर्धारित तरीके से की जाती है।
- प्रत्येक जिले में लोकपाल की व्यवस्था की जाएगी जिसे शिकायतों को प्राप्त करने, उनका सत्यापन करने और निर्णय देने का अधिदेश दिया जाएगा, जिसका प्रशासन को अनुपालन करना होगा।
- कार्यान्वयन के बारे में सभी प्रकार की सूचना की वेब पोर्टल का उपयोग करके सार्थक जानकारी प्रदान की जाएगी।

12. **आमूल–चूल परिवर्तनः** महात्मा गाँधी नरेगा के तहत इसकी अधिकार आधारित कार्य–संरचना जिसमें वेतन आधारित रोजगार की विधिक गारंटी तथा स्टेकहोल्डरों की अधिकारिता के इसके उपायों की व्यवस्था की जाती है, के माध्यम से पिछले रोजगार आधारित कार्यक्रमों से प्रतिमान अंतरण निर्धारित किया जाता है; और अपने अनुमानित वार्षिक व्यय 40,000 करोड रूपये (6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) के कारण यह विश्व का सबसे बडा सार्वजनिक कार्यक्रम हैं। इसमें अभिन्न प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा

जीवनयापन अर्जन परिप्रेक्ष्य की व्यवस्था की गई है। महात्मा गाँधी नरेगा के तहत पारदर्शी और जवाबदेही तंत्र से विशेष रूप से मध्यस्थ स्टेकहोल्डरों के लिए कार्य–निष्पादन की जबाबदेही की अभूतपूर्व संभावना बनी है। इसके कुछ बेमिसाल पहलू इस प्रकार हैः–

- यह समग्र, जन–केन्द्रित आयोजना आधारित कार्य है।
- यह मांग आधारित कार्यक्रम है जिसमें काम की तलाश करने वालो की कार्य मांग के आधार पर कार्य का प्रावधान किया जाता है।
- यथा–समय कार्य प्रदान न किए जाने की स्थिति में राज्य बेरोजगार भत्ते की लागत का वहन करते हैं।
- इसमें लाभार्थी चयन के स्वयं लक्षित तंत्र के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित करने संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता हैं।
- लागत के आधार पर 50 प्रतिशत कार्यों को ग्राम पंचायतों से करवाकर इससे सबसे निचले स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाया जाता है।
- इसमें सम्पूर्ण पारदर्शी एम.आइ.एस. (MIS) प्रणाली की व्यवस्था की गई है जिससे कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सभी कार्यान्वयन स्थलों से वास्तविक समय पर डाटा की समीक्षा की जा सकती हैं।

3.10 मनरेगा का कार्य–निष्पादन

संक्षेप में अब महात्मा गाँधी नरेगा के तहत प्रशासन पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तियों जो इस अधिनियम के वास्तविक स्टेकहोल्डर है, पर ध्यान दिया जाता हैं। इसमें महिला संवेदनशील दर अनुसूची और कार्यस्थल सुविधाओं का अधिदेश देकर बेहतर कार्य के सिद्वान्तों का अनुपालन किया जाता है। चुनिंदा पैरामीटर के आधार पर महात्मा गाँधी नरेगा के कार्य–निष्पादन का सिंहावलोकन निम्नलिखित खण्ड में प्रस्तुत किया गया है। इसके दो भाग है–प्रथम भाग में मुख्य पैरामीटरों के आधार पर (आकृति 3.1 और 3.2) प्रशासनिक एम.आई.एस. (MIS) से डाटा प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय भाग मे चूंकि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के कुछ ऐसे पहलू है जो मापन योग्य संकेतकों के अनुसार वास्तविक रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते इसलिए महात्मा गाँधी नरेगा के वास्तविक प्रभाव की जानकारी प्रदान करने के लिए भी एक मामला अध्ययन प्रस्तुत किया जाता हैं।

तालिका संख्या 3.1

मांग के आधार पर दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के कार्य–निष्पादन का सिंहावलोकन

वित्त वर्ष	जारी किए गए कुल कार्ड	कुल जॉब कार्ड (अ.जा.)	कुल जॉब कार्ड (अ.ज.जा.)	कार्य की मांग करने वाले कुल परिवार	कार्य करने वाले कुल परिवार
2014–2015	1272.096	273.778	173.095	464.858	413.379
2013–2014	1315.986	280.691	179.127	518.0145	479.292
2012–2013	1303.266	277.359	177.72	514.58984	498.876
2011–2012	1247.623	258.045	170.625	511.28994	506.451

स्रोतः महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर

आरेख 3.1

माँग के आधार पर (दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गाँधी नरेगा के कार्य निष्पादन का सिंहावलोकन

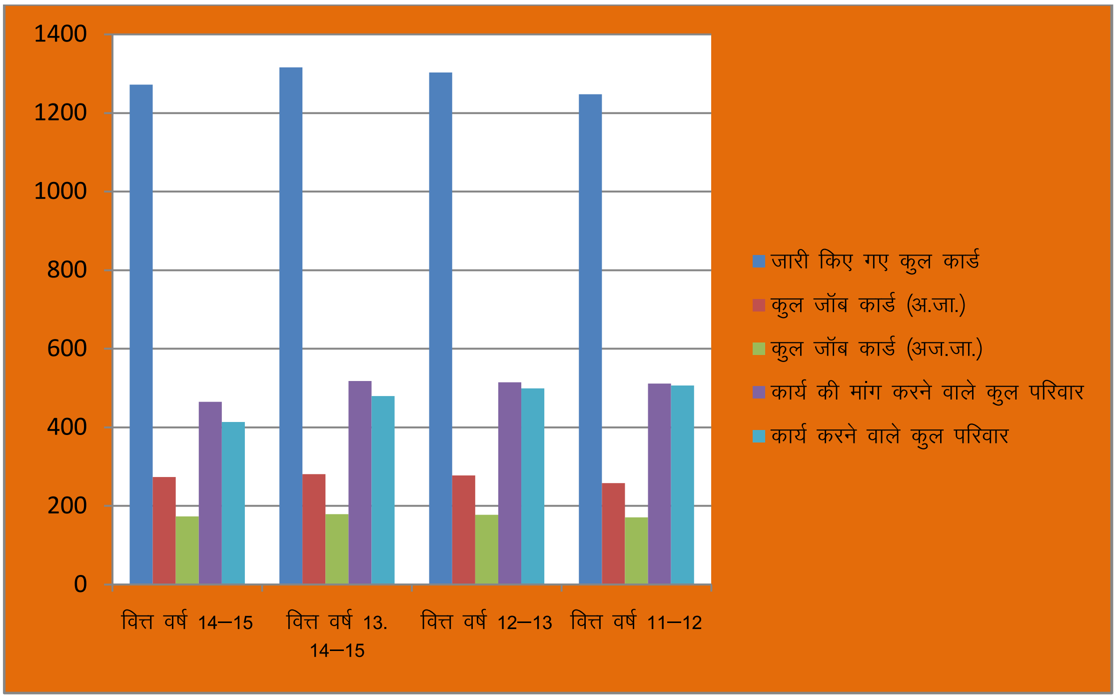

स्रोतः महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर

तालिका संख्या 3.2

श्रम दिवस के आधार पर दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के कार्य–निष्पादन का सिंहावलोकन

वित्त वर्ष	पहुँचने वाले कुल परिवार 100 दिन की सीमा	कुल विकलांग व्यक्ति	अ.जा. द्वारा किए गए कुल श्रम दिवस	अ.ज.जा. द्वारा किए गए कुल श्रम दिवस	महिलाओं द्वारा किए गए श्रम दिवस	कुल श्रम दिवस
2014–15	2476121	410692	37058095	282003051	910076650	1658812264
2013–14	4658965	484264	500863239	383874496	1163461853	2203447786
2012–13	5173796	455307	512098875	410010688	1182334148	2304767361
2011–12	4166070	395200	484685018	409184140	1052665278	2187636403

स्रोतः महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर

आरेख 3.2

श्रम दिवस के आधार पर (दिनांक 5 मई, 2015 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गाँधी नरेगा के कार्य निष्पादन का सिंहावलोकन

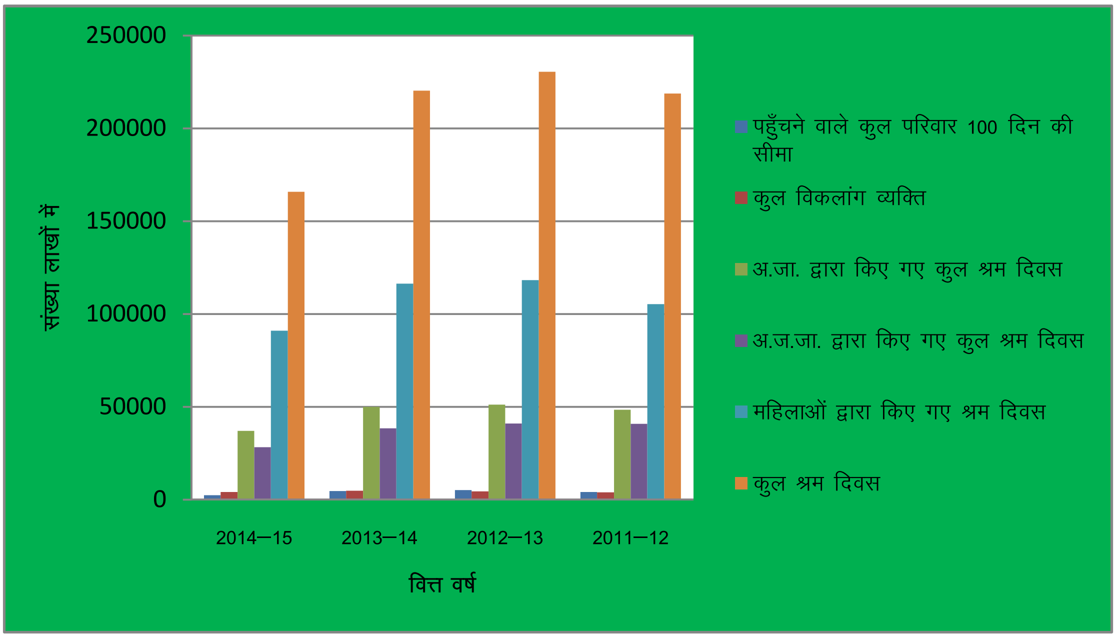

स्रोतः महात्मा गांधी नरेगा की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर

मनरेगा योजनान्तर्गत वेतनः–प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, जिसे प्रतिदिन 220 रूपये की न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मनरेगा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी दर सभी राज्यों में समान नहीं दी जाती है। अलग–अलग राज्यों मे मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी अलग–अलग हैं। नीचे दी गई सारणी में राज्यों में नरेगा श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का राज्यवार विश्लेषण किया गया हैं। जो 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हैं।

❑❑❑

अध्याय चतुर्थ

सामाजिक–आर्थिक संरचना में परिवर्तन

अध्याय–चतुर्थ

सामाजिक–आर्थिक संरचना में परिवर्तन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ग्रामीण परिवार जिनके पास रोजगार के पर्याप्त साधन अपने स्वयं के गांव में उपलब्ध नहीं है, से जुड़ा हुआ तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला यह कार्यक्रम सामान्य भाषा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम से अधिक प्रचलित है।

महात्मा गांधी नरेगा एक ऐसा कानून है जिसमें रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम का प्रारम्भिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार बढ़ाना है, वहीं इसका सहायक उद्देश्य मजदूरी रोजगार के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करना है जिसके माध्यम से सूखा, वनों की कटाई तथा मृदा क्षरण जैसे कारणों को दूर करना तथा स्थायी विकास को बढ़ावा देना है।

यह कानून रोजगार के अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत जैसे विकासशील देश के सामने आर्थिक विकास में मुख्य बाधा गरीबी और बेरोजगारी है। इसलिए इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा विकसित किये जाने की विपुल सम्भावनाएँ है, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार के नियमित अवसर प्राप्त हुए हैं एवं मजदूरों के मजबूरी में पलायन पर रोक व महिलाओं के सशक्तिकरण में लाभकारी रहा है।

अध्ययन क्षेत्र के सामान्य बिन्दुओं के अतिरिक्त उसके विशेष बिन्दुओं, जो कि उसे अन्य क्षेत्रों से अलग या विशेष पहचान देता हो, को विकास के तुलनात्मक अध्ययन में समाहित किया जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए अध्याय में निम्नलिखित चरों का वर्ष 2005–2006 एवं 2014–2015 को आधार मानकर अध्ययन किया है–

I.	शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति	II.	स्वास्थ्य
III.	ग्रामीण आधारभूत संरचना	IV.	सड़कों की स्थिति
V.	परिवहन सेवाएँ	VI.	रोजगार
VII.	विद्युतीकरण	VIII.	भूमि उपयोग (भूमि विकास)

4.1 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति

जयपुर जिले में साक्षरता का स्वरूप भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में विविधता को प्रदर्शित करता है। जयपुर जिले में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति में सुदृढ़ है। राजस्थान की राजधानी होने के साथ–साथ एक स्मार्ट सिटी के रूप में इस जिले का स्थान राजस्थान में सर्वोपरि है।

तालिका संख्या 4.1 में जयपुर जिले में ब्लॉक के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। सारणी के अनुसार वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2014–15 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 36.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में न्यूनतम वृद्धि 6.73 प्रतिशत दर्ज की गई। माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम वृद्धि का कारण सरकारी योजनाओं के अनुसार वर्ष 2013–14 में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किया गया था। उच्च शिक्षा में महाविद्यालयों (कला/विज्ञान/ वाणिज्य) में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सारणी संख्या 4.1

जयपुर जिले में ब्लॉक के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति

(वर्ष 2005–06 एवं 2014–2015)

क्र. सं.	ब्लॉक	प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		उच्च माध्यमिक विद्यालय		महाविद्यालय कला/विज्ञान/ वाणिज्य	
		2005	2015	2005	2015	2005	2015	2005	2015
1.	कोटपूतली	115	121	70	73	30	44	4	7
2.	विराटनगर	100	114	50	56	25	33	1	2
3.	शाहपुरा	75	82	45	50	25	30	2	2
4.	चौमू	95	106	58	61	23	35	4	5
5.	दूदू	130	182	68	71	29	34	3	4
6.	फुलेरा	120	130	55	59	28	32	3	4
7.	फागी	119	123	40	42	6	16	1	2
8.	सांगानेर	95	106	35	39	15	22	2	3
9.	जयपुर	45	55	27	30	16	21	4	6
10.	आमेर	140	170	78	81	35	48	2	3
11.	जमवारामगढ़	160	191	65	68	25	35	3	4
12.	बस्सी	150	174	60	63	30	37	0	0
13.	चाकसू	130	156	32	36	9	17	2	3
कुल योग		**1474**	**1690**	**683**	**729**	**296**	**404**	**29**	**39**
वृद्धि प्रतिशत		**14.65 प्रतिशत**		**6.73 प्रतिशत**		**36.48 प्रतिशत**		**34 प्रतिशत**	

स्रोतः प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड 2014–2015

आरेख संख्या 4.1

जयपुर जिले में ब्लॉक के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति (प्रतिशत में)

(वर्ष 2005–06 एवं 2014–2015)

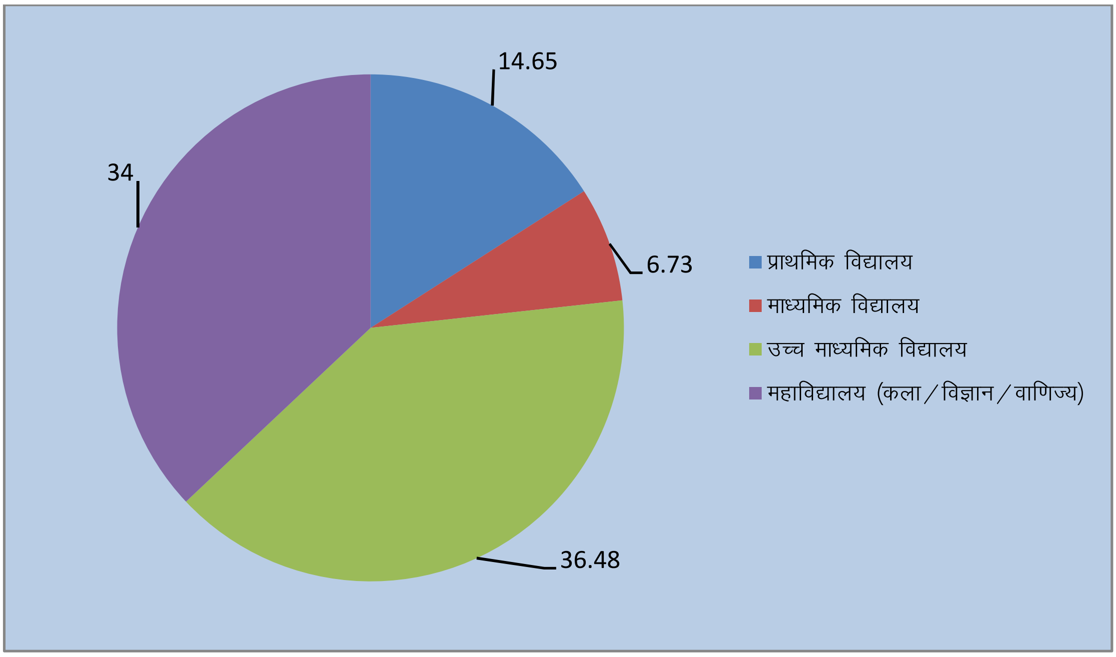

स्रोतः प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड 2014–2015

4.2 स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आरोग्य की अवस्था् माना जाता है, न कि रोग या दुर्बलता का अभाव मात्र। स्वास्थ्य किसी भी देश के विकास के महत्वपूर्ण मानकों में से एक है। मनरेगा योजना के पश्चात् अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष प्रगति देखने को मिली। साथ ही सरकार द्वारा निःशुल्क दवा वितरण एवं निःशुल्क जाँच योजना से स्वास्थ्य केन्द्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य केन्द्रों में हुए परिवर्तन को सारणी संख्या 4.2 में दर्शाया गया है–

सारणी संख्या 4.2

जयपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन (2005–2015)

ब्लॉक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		उप स्वास्थ्य केन्द्र	
	2005–06	2014–15	2005–06	2014–15	2005–06	2014–15
आमेर	4	14	1	2	46	55
जमवारामगढ़	9	11	2	4	52	58
सांगानेर	9	8	1	1	38	50
फागी	4	8	1	1	32	46
दूदू	9	11	1	2	57	72
सांभर (फुलेरा)	8	8	2	1	41	40
चौमू	8	10	2	4	38	70
शाहपुरा	6	10	3	3	26	39
कोटपूतली	10	12	1	1	40	46
विराटनगर	9	13	1	2	42	53
चाकसू	5	7	1	1	40	42
बस्सी	4	6	1	2	41	54
जयपुर	21	16	4	5	56	60
कुल योग	**106**	**132**	**21**	**28**	**549**	**685**
वृद्धि प्रतिशत	24.52		33.33		24.77	

स्रोतः प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड 2014–2015

आरेख संख्या 4.2

जयपुर जिले में ब्लॉक के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन

(प्रतिशत में)

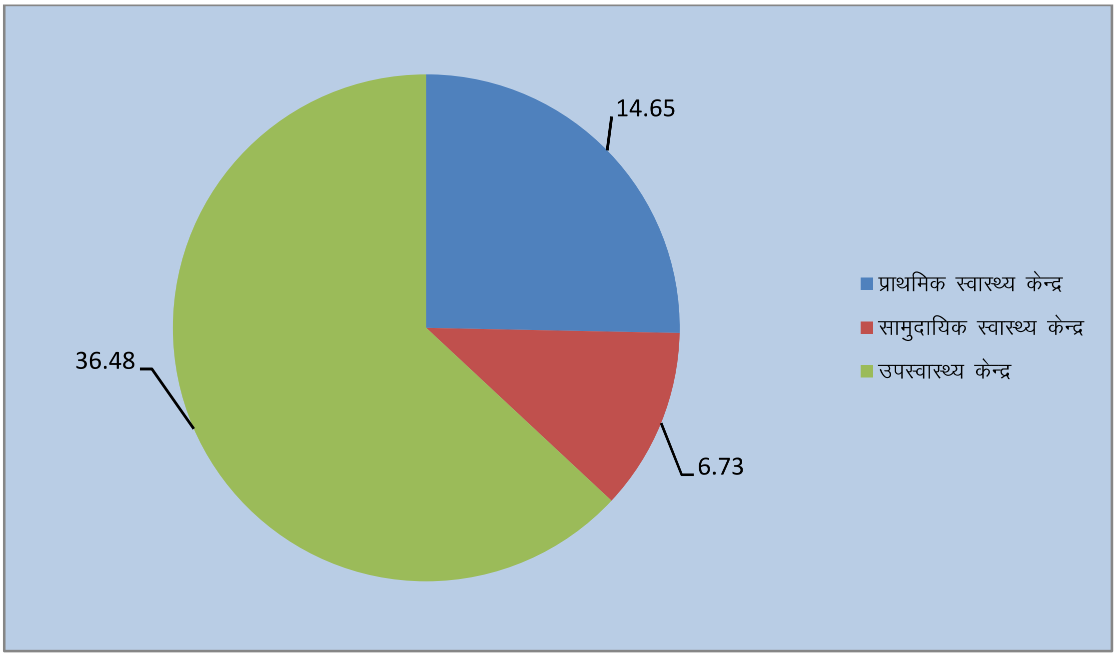

***स्रोतः** प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड 2014–2015*

सारणी संख्या 4.2 में जयपुर जिले में ब्लॉक में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। सारणी के अनुसार वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2014–15 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या में 24.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में 33.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में 24.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो कि सन्तोषजन कही जा सकती है।

ब्लॉक वाईज स्थिति का अध्ययन करें तो वर्ष 2005–06 में जयपुर ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 16 थी वहीं वर्ष 2014–15 में यह बढ़कर 21 हो गयी है। मनरेगा के पश्चात् स्वास्थ्य केन्द्रों में यह वृद्धि काफी सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। **(सन्दर्भ मानचित्र संख्या 16,17,18)**

मानचित्र संख्या 16

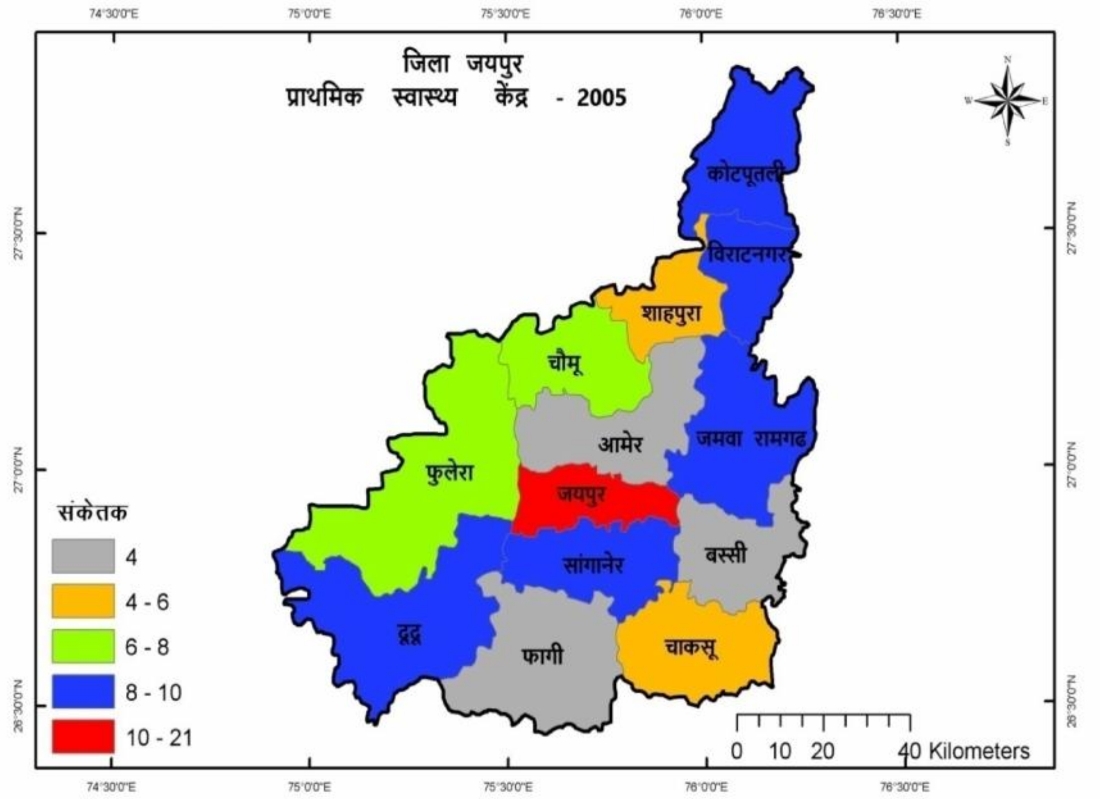

जिला जयपुर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - 2005
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
4
4 - 6
6 - 8
8 - 10
10 - 21
0 10 20 40 Kilometers
74°30'0"E
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
76°30'0"E
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N

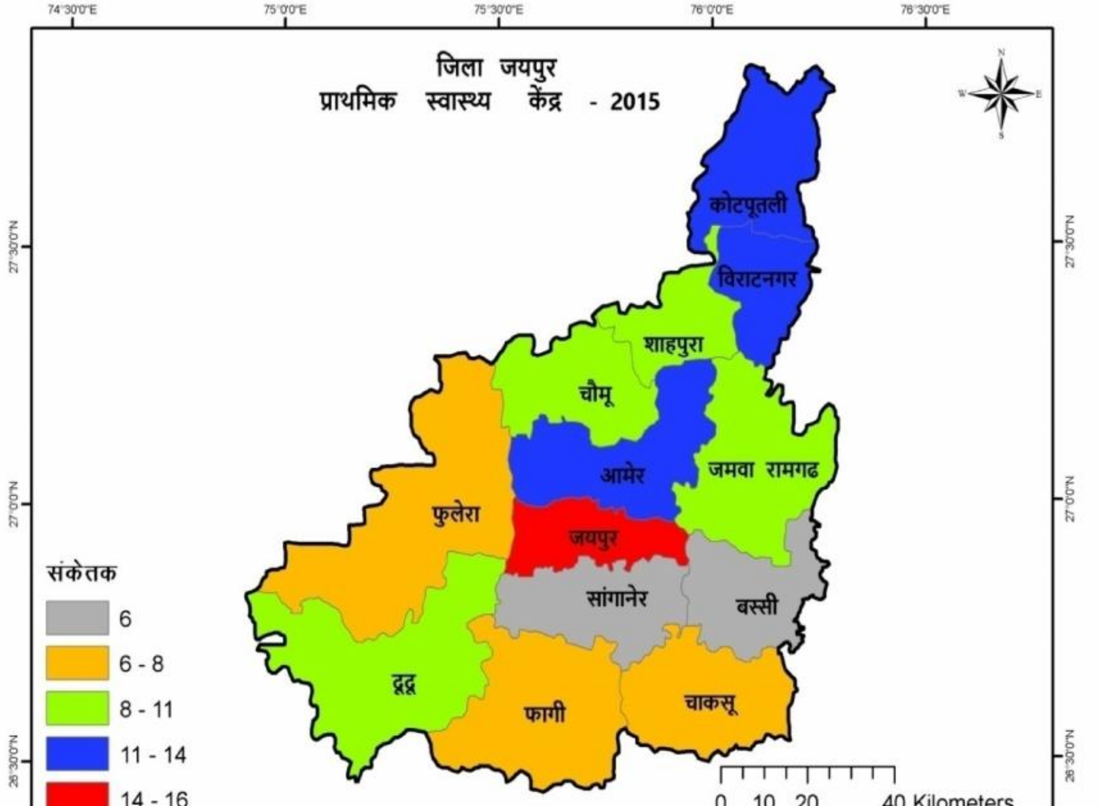

जिला जयपुर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - 2015
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
6
6 - 8
8 - 11
11 - 14
14 - 16
0 10 20 40 Kilometers
74°30'0"E
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
76°30'0"E
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N

मानचित्र संख्या 17

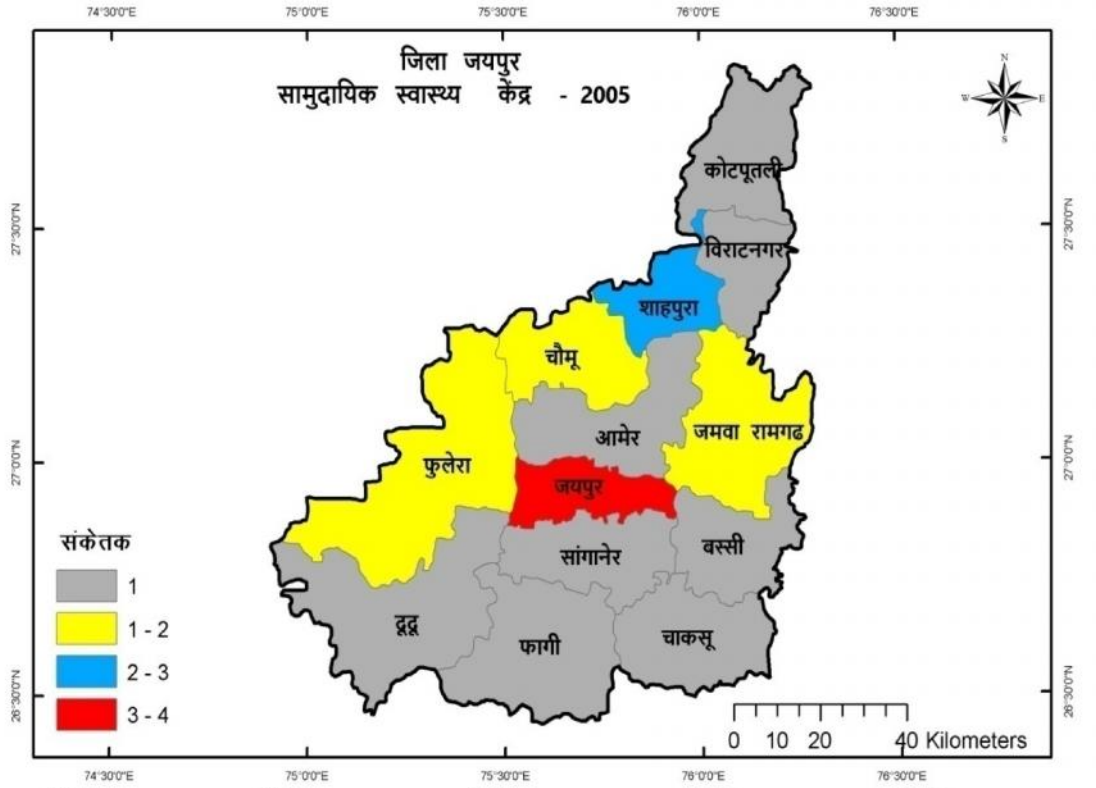
जिला जयपुर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - 2005
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
0 10 20 40 Kilometers

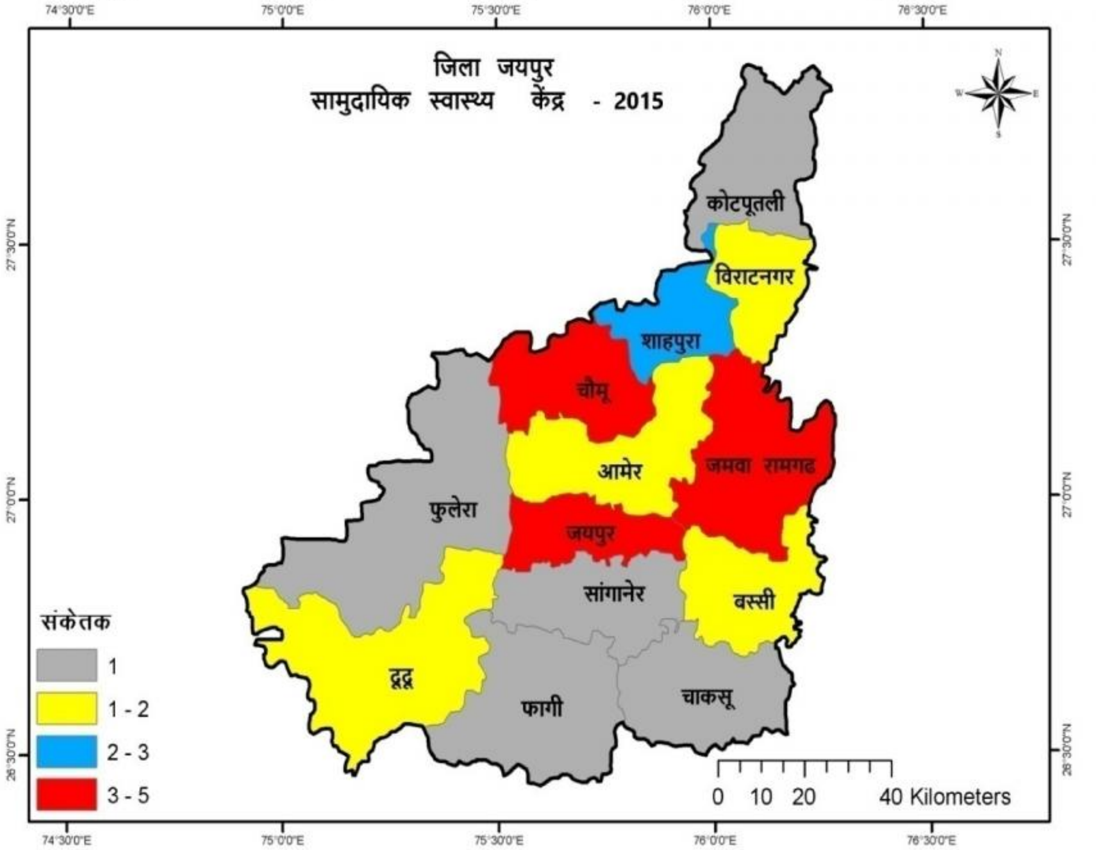
जिला जयपुर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - 2015
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
1
1 - 2
2 - 3
3 - 5
0 10 20 40 Kilometers

मानचित्र संख्या 18

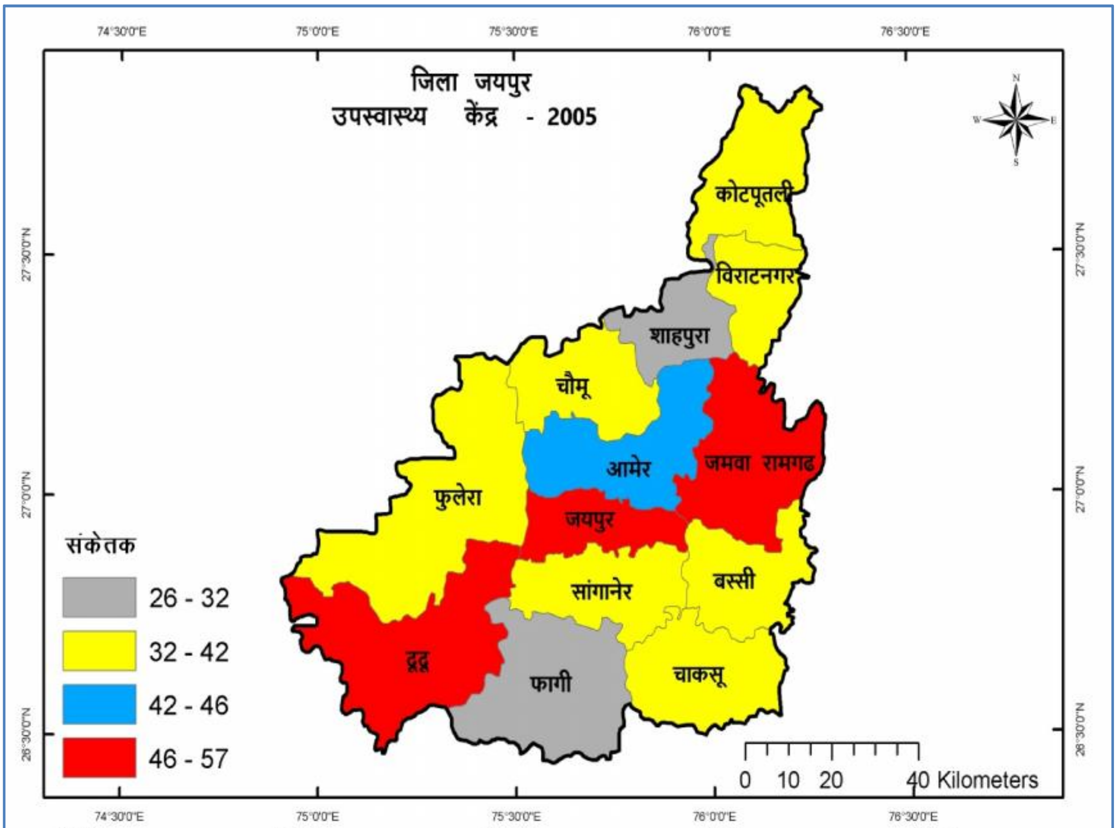
जिला जयपुर
उपस्वास्थ्य केंद्र - 2005
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
26 - 32
32 - 42
42 - 46
46 - 57
0 10 20 40 Kilometers

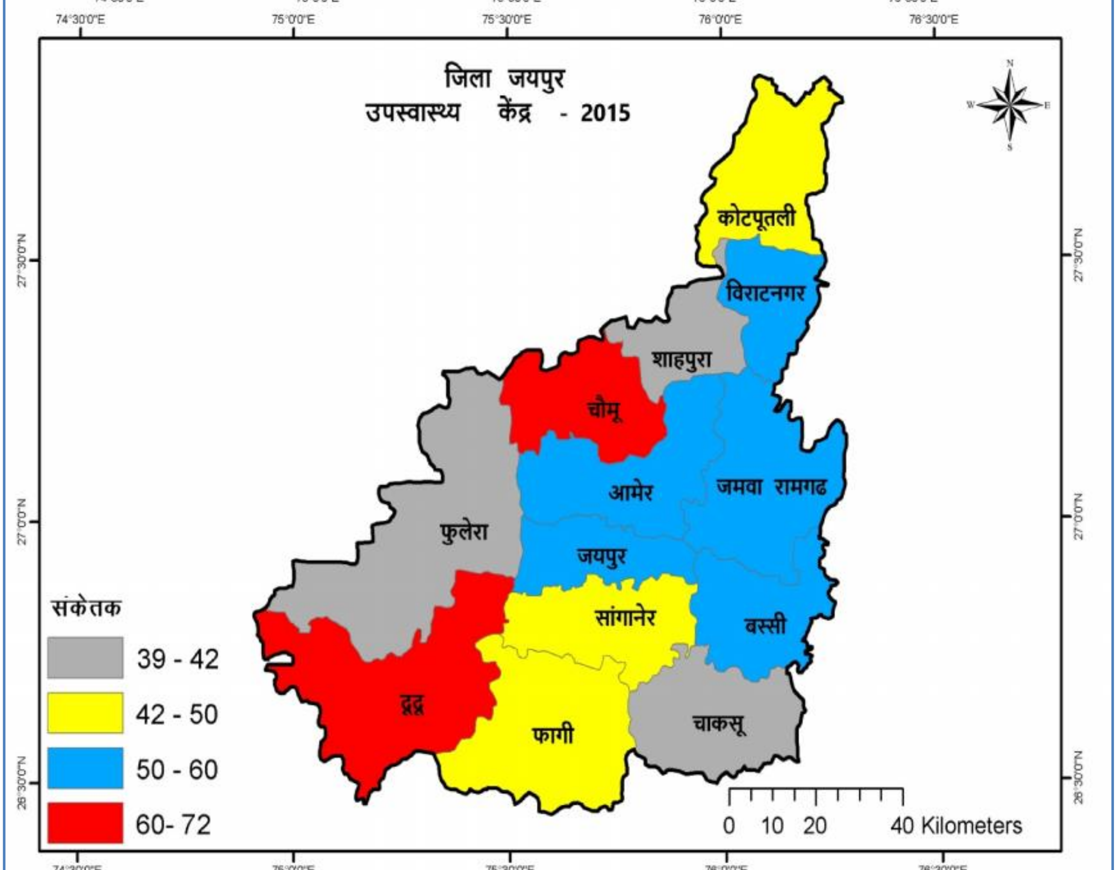
जिला जयपुर
उपस्वास्थ्य केंद्र - 2015
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
39 - 42
42 - 50
50 - 60
60- 72
0 10 20 40 Kilometers

4.3 ग्रामीण आधारभूत संरचना

जयपुर जिले के सन्दर्भ में मनरेगा के तहत् ग्रामीण आधारभूत संरचना के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों का समायोजन किया गया है। जिनमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, वृक्षारोपण, तालाब, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, मेड़बन्दी, ग्रेवल सड़कों का निर्माण, खन्दक निर्माण, खुर्रा निर्माण, ग्रामों में सफाई हेतु नालियों एवं ब्लॉकों का निर्माण, खेल मैदानों का निर्माण, खाद्यान्न भण्डारण का निर्माण, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि कार्यों को मनरेगा के तहत् गांवों के विकास हेतु समायोजित किया गया।

अधिवास पृथ्वी पर मानव की आदतों को दर्शाता है तथा यह मानव के एक संगठित समूह को दर्शाता है जिसमें वे एक साथ रहते है और अपने–अपने कार्य करते है एवं अधिवास का अध्ययन मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का एक लम्बा इतिहास है। इसी प्रकार अधिवासों का भौगोलिक अध्ययन आवास के बाह्य एवं आन्तरिक गुणों को दर्शाता है जिसमें घर एवं गलियाँ आवासीय इकाई के प्रमुख तत्व है। अधिवासों के ब्राह्य तंत्र में स्थानीय कारक एवं परिवहन के साधन और निर्माण सामग्री बाह्य कारक है।

अधिवास मुख्यतयाः बाह्य कारकों एवं भौगोलिक कारकों के द्वारा ही अधिक प्रमाणित होते है जिनमें निर्माण सामग्री की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर ही अधिकांश अधिवासों का रूप निर्भर करता है।

जयपुर जिले की ब्लॉकवार ग्रामीण आवासीय विस्तार कम देखने को मिलता जबकि आस–पास की गाँव–ढ़ाणियों में छितरे हुए आवासीय प्रतिरूप का विस्तार अधिक दिखाई देता है। यहाँ पर पक्के मकानों का निर्माण लगभग 75 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राजधानी जयपुर के निकट होने के कारण तथा नगर निगम जयपुर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ग्राम पंचायत के आसपास की जमीनों को अधिग्रहण करके पक्के मकानों की योजना भी लायी गयी है जिसमें ग्रामीण जनजीवन में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

चित्र संख्या 01

ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप

स्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित

मनरेगा के तहत् गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत् मनरेगा के मजदूरों के द्वारा आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें केन्द्र और राज्य का अंश 60 : 40 है।

तालिका संख्या 4.3

जयपुर जिले में आधारभूत सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन (2005–2015)

(संख्या हजारों में)

ब्लॉक	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना		शौचालयों का निर्माण		तालाबों का निर्माण		खेल मैदानों का निर्माण		पेयजल	
	2005	2015	2005	2015	2005	2015	2005	2015	2005	2015
आमेर	307	1250	0	1550	0	52	0	16	0	3750
जमवारामगढ़	477	3050	0	3350	0	63	0	15	0	9150
सांगानेर	250	1552	0	1752	0	42	0	26	0	4656
फागी	355	2030	0	2350	0	37	0	23	0	6090
दूदू	275	2979	0	3400	0	26	0	21	0	8937
सांभर	379	2490	0	2870	0	31	0	27	0	7470
चौमू	265	2700	0	3005	0	28	0	22	0	8100
शाहपुरा	278	1803	0	2105	0	38	0	33	0	5409
कोटपूतली	321	1877	0	2223	0	40	0	21	0	5631
विराटनगर	357	3059	0	3405	0	52	0	59	0	9177
चाकसू	210	2347	0	2652	0	47	0	32	0	7041
बस्सी	238	2754	0	3150	0	41	0	18	0	8262
जयपुर	225	1053	0	3027	0	27	0	22	0	3159

स्रोतः MIS रिपोर्ट कार्ड 2014–2015

तालिका 4.3 में मनरेगा के तहत् ग्रामीण विकास हेतु मनरेगा के तहत् किये गये कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जयपुर जिले में मनरेगा कार्य 1 अप्रैल, 2008 से शुरू हुए थे तो इसलिए हमारे पास मनरेगा के तहत् होने वाले कार्यों का डाटा 2005–06 का न होकर 2014–2015 के आंकड़े सारणी में दर्शाये गये हैं। जिसके तहत् शौचालयों का निर्माण,

तालाबों का निर्माण खेल मैदानों का निर्माण एवं पेयजल की सुविधाओं का विस्तार के बारे में उल्लेख किया गया है।

4.4 सड़कों की स्थिति

ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत् ग्रेवल सड़क व सीमेंट कंकरीट (सीसी) रोड़ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत् पंचायत मुख्यालय को आस–पास के गांव ढ़ाणियों से जोड़ना है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पंचायत मुख्यालय को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ना है। इन सड़कों का निर्माण मनरेगा के तहत् किया जा रहा है। जिले में ब्लॉक वार ग्रामीण सड़कों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन तालिका संख्या 4.4 में किया जा रहा है–

तालिका संख्या 4.4

जयपुर जिले में सड़क सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन (2005–2015)

(किमी. में)

ब्लॉक	डामरीकृत सड़क		ग्रेवल सड़क		सीसी सड़क	
	2005	2015	2005	2015	2005	2015
आमेर	153	255	459	1275	0	510
जमवारामगढ़	149	245	342	1225	0	490
सांगानेर	92	210	630	1470	0	120
फागी	95	160	487	800	0	320
दूदू	94	285	840	1425	0	570
सांभर	142	212	636	1269	0	530
चौमू	132	225	670	1125	0	450
शाहपुरा	57	114	342	684	0	95
कोटपूतली	139	235	709	1410	0	705
विराटनगर	134	294	882	1764	0	126
चाकसू	110	185	545	925	0	370
बस्सी	123	205	615	1250	0	410
जयपुर	63	147	441	1029	0	441
कुल योग	**1483**	**2772**	**7598**	**15651**	**0**	**5137**

स्रोतः MIS रिपोर्ट कार्ड 2014–2015

चित्र संख्या 02

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण ग्रेवल सड़क का एक दृश्य

स्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित

चित्र संख्या 03

अध्ययन क्षेत्र में डामरीकृत सड़क का एक दृश्य

स्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित

चित्र संख्या 04

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण सीसी सड़क का एक दृश्य

स्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित

4.5 परिवहन सुविधाएँ

वर्तमान समय में नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन का सबसे सस्ता साधन मोटर वाहन है। वर्तमान में यह साधन नगर को गांवों के समीप लाने में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं इसी साधन से दूधिए गांवों से दूध नगर में लाते हैं, विद्यार्थी पढ़ने, कामगार एवं श्रमिक काम करने आते हैं। यह वह साधन है जिसके लिए किसी भी प्रकार का इन्तजार नहीं करना पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के 20 से 35 किमी. के परिधिये क्षेत्रों से अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानों में आते हैं। अध्ययन क्षेत्र के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर एवं अधिकारी वर्ग मोटरसाइकिल, दुपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैम्पो गुड्स, टैम्पो यात्री वाहन, कार, जीप, ट्रैक्टर, ट्रेलर, टैक्सी, बस व मिनी बसों के द्वारा दैनिक आवागमन करते है। अध्ययन क्षेत्र में परिवहन के साधनों का वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान परिवहन विभाग में पंजीकृत हुए विभिन्न वाहनों का तुलनात्मक अध्ययन सारणी संख्या 4.5 में दर्शाया गया है–

तालिका संख्या 4.5

मोटर वाहनों का पंजीकरण (संख्या में)

मोटर वाहनों का प्रकार	**2005–06**	**2014–15**
दुपहिया वाहन	789737	1745280
ऑटो रिक्शा	11907	25852
टैम्पो गुड्स	6413	15128
टैम्पो यात्री वाहन	1274	5376
कार	115773	311152
जीप	29844	73262
ट्रैक्टर	26542	55617
ट्रेलर	2861	3051
टैक्सी	10645	31217
बस व मिनी बस	17178	25958
ट्रक	37338	91073
अन्य	939	6113
योग	**1050506**	**2589134**

स्रोतः *परिवहन विभाग*

आरेख 4.3
मोटर वाहनों का पंजीकरण (संख्या में)

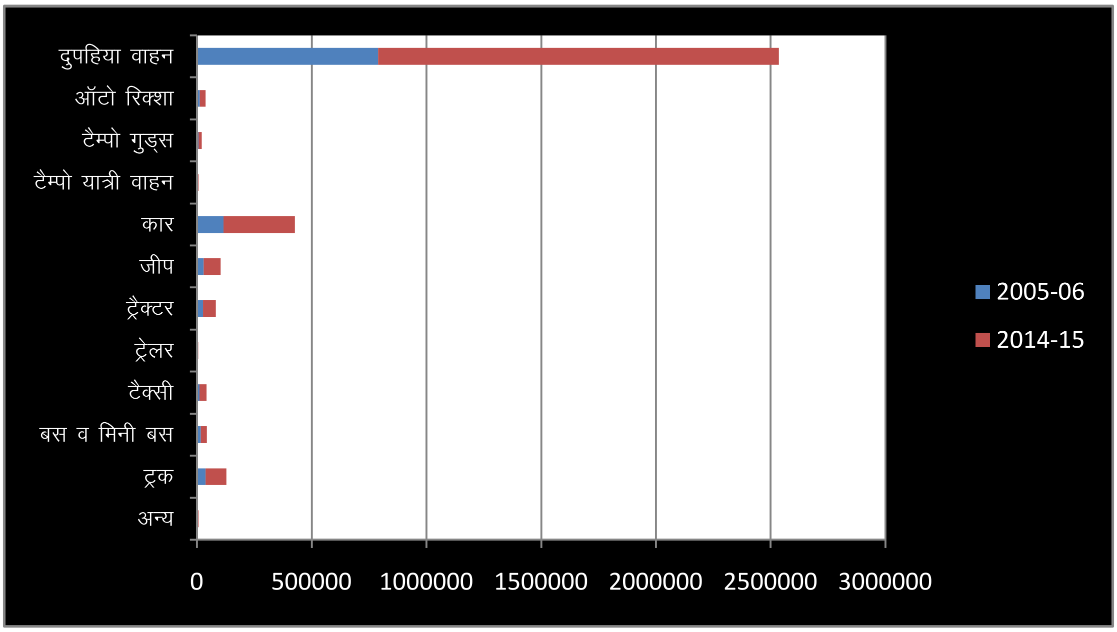

स्रोतः *परिवहन विभाग*

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2005–06 में विभिन्न प्रकार के कुल 1050506 मोटर वाहनों का पंजीकरण किया गया था जो कि बढ़कर वर्ष 2014–15 में 2389134 हो गया है। यहाँ परिवहन साधनों में लगभग 146.47 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि व्यक्ति के आर्थिक विकास का सूचक है। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कारण लोगों को रोजगार मिला और रोजगार से आर्थिक समृद्धि बढ़ी जिसका सूचक उपरोक्त सारणी के माध्यम स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

4.6 रोजगार की स्थिति

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने एवं रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अनेक नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। पूर्व के कार्यक्रमों को संशोधित कर उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने तथा विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में जन सुविधाओं का विस्तार, रोजगार के अधिकतम अवसर एवं गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु अनवरत् प्रयास किये जा रहे हैं। आज प्रत्येक मनुष्य अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वह अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक दशाएँ जुटाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वह राज्य के ओर से सहायता की आशा करता है। भारतीय गणराज्य की प्रकृति लोककल्याण राज्य की है ऐसे में राज्य का उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है, समाज में फैली सामाजिक व आर्थिक असमानता को समाप्त करना है लोगों को रोजगार के माध्यम से उनका सशक्तिकरण करना है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं रोजगार सृजन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा योजना को लागू किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर सुधार हुआ है। ग्रामीण परिवारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है लोगों के जीवनर स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। लोग पहले की तुलना में अधिक जागरूक हुए हैं। ऐसे तमाम सकारात्मक पहलू निकलकर आए हैं।

जयपुर जिले की व्यावसायिक संरचना की तुलना 2001 से 2011 की तालिका संख्या 4. 6 में स्पष्ट की गई है–

तालिका संख्या 4.6

व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत में)

सत्र	काश्तकार		खेतीहर मजदूर		पारिवारिक उद्योग		अन्य कार्य करने वाले	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
2001	26.71	59.60	2.53	9.14	4.13	5.06	66.63	26.21
2011	22.23	48.42	3.39	9.78	3.59	3.93	70.79	37.87

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

आरेख 4.4

व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों में 2001 व 2011 की तुलनात्मक जनसंख्या

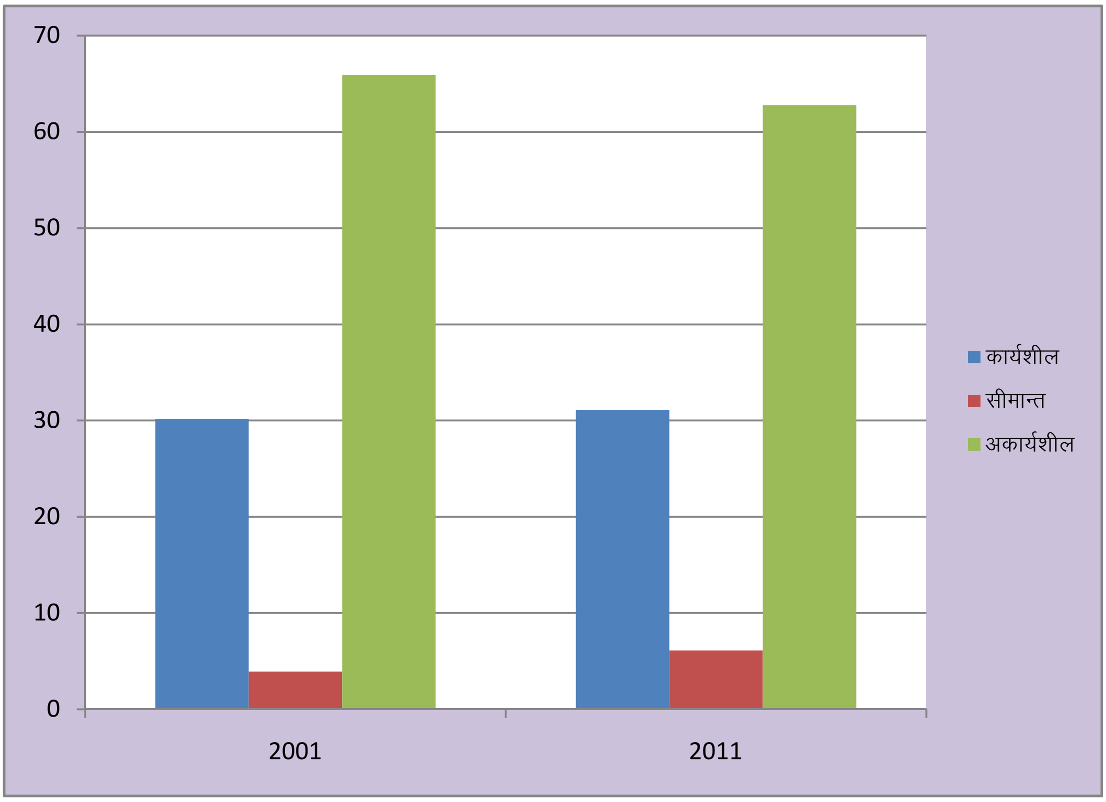

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

तालिका में ब्लॉकवार व्यावसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों का वर्ष 2001 एवं 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर किया गया है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जयपुर जिले की वर्ष 2001 में पुरुष काश्तकारों का प्रतिशत 26.71 तथा स्त्री काश्तकारों का प्रतिशत 59.60 रहा है तथा वर्ष 2011 में पुरुष काश्तकारों का प्रतिशत 22.23 एवं स्त्री काश्तकारों का प्रतिशत 48.42 रहा है। इससे ज्ञात होता है कि काश्तकारों में महिलाओं की भूमिका अधिक है। जिसमें पुरूष अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाँ अपने घरों से अन्यत्र कमाने हेतु जाते हैं वहीं महिलाएँ अपने ही क्षेत्र में काश्तकारी करके जीवन निर्वाह करती है।

तालिका में दिये गये ब्लॉकवार व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001 में सर्वाधिक पुरूष काश्तकार फागी ब्लॉक में 55.28 प्रतिशत है वहीं वर्ष 2011 में सर्वाधिक पुरुष काश्तकार दूदू ब्लॉक में 49.80 प्रतिशत रहा। वर्ष 2001 में सर्वाधिक स्त्री काश्तकार चाकसू ब्लॉक में 78.08 प्रतिशत रहा है वहीं वर्ष 2011 में सर्वाधिक स्त्री काश्तकार 67.84 प्रतिशत रहा है।

खेतीहर मजदूरों में वर्ष 2001 में सर्वाधिक पुरुष खेतीहर मजदूर कोटपूतली में 7.29 प्रतिशत है वहीं स्त्री खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत 18.73 दूदू ब्लॉक में दर्शाया है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक पुरुष खेतीहर मजदूर फागी ब्लॉक में 10.63 प्रतिशत रहा है वहीं सर्वाधिक स्त्री खेतीहर मजदूर 22.48 प्रतिशत है। फागी एवं दूदू ब्लॉक में खेतीहर मजदूरों की संख्या का निम्न होना जिला मुख्यालय से इनकी दूरी है। जिला मुख्यालय से दूदू एवं फागी ब्लॉक नजदीक होने के कारण स्त्री एवं पुरूष खेती कार्य करने के साथ–साथ नगरों की ओर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए चले आते हैं।

पारिवारिक उद्योगों में कुटीर उद्योगों का वर्चस्व अधिक है। जिनमें खिलौने बनाना, नमदे बनाना, छापाखाना, अचार एवं बागवानी प्रमुखतः होती हैं। वर्ष 2001 में सर्वाधिक पारिवारिक उद्योगों में 4.82 प्रतिशत संलग्न है वहीं स्त्रियों का प्रतिशत 9.74 है। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक पारिवारिक उद्योगों जयपुर ब्लॉक में 5.16 एवं स्त्रियों का प्रतिशत भी 7.63 रहा है। जिसका प्रमुख कारण नगरों में पारिवारिक उद्योगों के उत्पादन की एवं सुविधाओं का होना है।

तालिका संख्या 4.7

ब्लॉकवार व्यवसायानुसार अथवा आर्थिक क्रियाकलापों का वितरण (प्रतिशत में)

ब्लॉक	काश्तकार				खेतीहर मजदूर				पारिवारिक उद्योग				अन्य कार्य करने वाले			
	2001		2011		2001		2011		2001		2011		2001		2011	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
कोटपूतली	52.57	66.07	44.46	63.99	7.29	15.80	9.33	16.80	2.65	2.52	1.76	1.73	37.49	15.60	44.45	17.48
विराटनगर	53.67	64.60	49.55	64.05	3.65	10.13	7.14	12.96	3.95	5.55	1.90	2.71	38.72	19.72	41.42	20.28
शाहपुरा	45.82	75.73	39.16	65.96	2.39	5.35	3.73	7.46	4.34	5.48	2.29	3.33	47.45	13.44	54.83	23.25
चौमू	45.76	70.87	40.67	62.46	2.90	5.81	3.93	6.68	3.75	5.60	2.96	4.15	47.58	17.72	52.44	26.71
फुलेरा–मु. सांभर	40.81	71.19	29.64	47.90	3.96	10.11	3.77	7.86	3.62	3.75	2.14	1.81	51.61	14.95	64.44	42.43
दूदू–मु. मौजमाबाद	48.65	62.83	49.80	57.00	6.54	18.73	9.00	18.57	2.82	3.02	1.65	1.35	41.99	15.43	39.56	23.08
फागी	55.28	68.21	48.54	53.39	7.09	14.72	10.63	22.48	2.92	2.29	2.64	1.98	34.72	14.78	38.19	22.15
सांगानेर	15.52	43.13	8.35	23.96	2.08	9.47	1.97	6.49	4.30	7.46	3.65	5.66	78.11	39.94	86.03	63.79
जयपुर	2.73	13.33	2.72	10.06	0.36	2.06	0.88	2.38	4.82	9.74	5.16	7.63	92.09	74.86	91.24	79.93
आमेर	45.58	76.11	33.15	58.53	3.56	6.71	3.93	9.16	3.50	3.09	2.79	3.67	47.36	14.09	60.03	28.64
जमवारामगढ़	49.53	70.62	45.55	63.62	4.43	11.20	6.10	12.71	4.43	4.48	3.57	5.03	41.60	13.70	44.79	18.64
बस्सी	46.84	74.79	41.93	65.67	2.92	8.58	3.88	10.55	3.88	4.06	2.14	2.35	46.37	12.57	52.04	21.43
चाकसू	55.03	78.08	46.03	67.84	3.35	7.93	4.80	10.34	3.17	2.92	1.86	2.49	38.45	11.07	47.31	19.33
जिला जयपुर	**26.71**	**59.60**	**22.23**	**48.42**	**2.53**	**9.14**	**3.39**	**9.78**	**4.13**	**5.06**	**3.59**	**3.93**	**66.63**	**26.21**	**70.79**	**37.87**

स्रोतः जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर

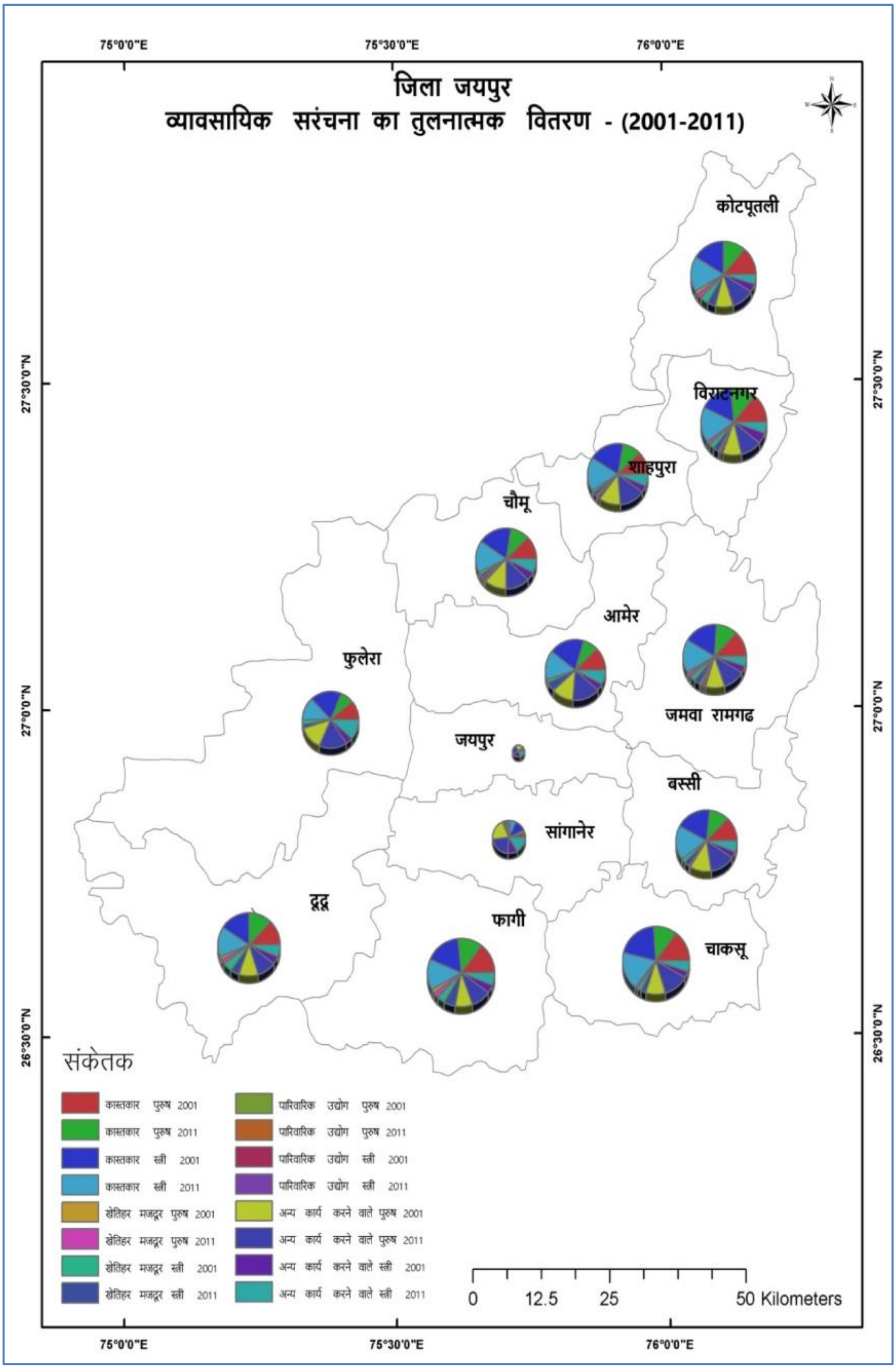
जिला जयपुर
व्यावसायिक सरंचना का तुलनात्मक वितरण - (2001-2011)
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
फुलेरा
जमवा रामगढ
जयपुर
बस्सी
सांगानेर
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
कास्तकार पुरुष 2001
कास्तकार पुरुष 2011
कास्तकार स्त्री 2001
कास्तकार स्त्री 2011
खेतिहर मजदूर पुरुष 2001
खेतिहर मजदूर पुरुष 2011
खेतिहर मजदूर स्त्री 2001
खेतिहर मजदूर स्त्री 2011
पारिवारिक उद्योग पुरुष 2001
पारिवारिक उद्योग पुरुष 2011
पारिवारिक उद्योग स्त्री 2001
पारिवारिक उद्योग स्त्री 2011
अन्य कार्य करने वाले पुरुष 2001
अन्य कार्य करने वाले पुरुष 2011
अन्य कार्य करने वाले स्त्री 2001
अन्य कार्य करने वाले स्त्री 2011
0 12.5 25 50 Kilometers

वर्ष 2001 में अन्य कार्य करने वाले सर्वाधिक पुरुष जयपुर में 92.09 प्रतिशत है वहीं स्त्रियों का प्रतिशत 74.86 जयपुर में दर्शाया है। वर्ष 2011 में सर्वाधिक पुरुष जयपुर ब्लॉक में 91.24 प्रतिशत रहा है वहीं सर्वाधिक स्त्री खेतीहर मजदूर 79.93 प्रतिशत है। पुरुष एवं स्त्रियों का सर्वाधिक प्रतिशत जयपुर जिले में होने का मुख्य कारण सरकारी नौकरीयों एवं उद्योगों का होना है।

चित्र संख्या 05

मनरेगा श्रमिकों के बीच शोधार्थी

स्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित

उपरोक्त तालिका का तुलनात्मक विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि 2001–2011 में काश्तकार, खेतीहर मजदूर एवं पारिवारिक उद्योगों में निरन्तर कमी आई है। वहीं अन्य कार्यों का प्रतिशत बढ़ा है। इसका मुख्य कारण साक्षरता बढ़ने से सरकारी नौकरियों की ओर रूझान तथा सरकारी नीतियों के तहत् उद्योगों का विकास है। अन्य कार्यों के अन्तर्गत मनरेगा को

शामिल किया जाता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का एक प्रमुख भाग मनरेगा के तहत् रोजगार प्राप्त करता है।

चित्र संख्या 06

सांगानेर ब्लॉक में मनरेगा योजना के तहत् कार्य करते मजदूर

स्रोतः शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षित

आयु के आधार पर मनरेगा में रोजगार की स्थिति

महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित योजना है। जयपुर जिले में वर्ष 2014–15 में योजनान्तर्गत आयु के आधार पर कार्यरत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या की तालिका 4.9 में दर्शाया गया है जिसमें जयपुर जिले की सभी 13 ब्लॉकों में आयु वर्ग के आधार पर पंजीकृत व्यक्तियों, कार्यरत व्यक्तियों के आधार पर तालिका में संख्या के आधार पर दर्शाया गया है। पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक दूदू में 65,982, फागी में 27,103, सांभर में 25,746, विराटनगर में 23,606, बस्सी में 23,017, आमेर में 22,288 है जबकि सबसे कम जयपुर शहर के पास के ब्लॉकों में यह मनरेगा 18–30 आयुवर्ग के व्यक्तियों की संख्या कम है जैसे जयपुर ब्लॉक में 4864 सांगानेर ब्लॉक में 8885 है। इसी प्रकार अगर रोजगार व्यक्तियों की संख्या देखें 18–30 आयु वर्ग में तो सबसे अधिक रोजगार में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या दूदू ब्लॉक में 8,339 व फागी ब्लॉक में 4535 है। उसी प्रकार 18–30 आयु वर्ग के रोजगार व्यक्तियों की सबसे कम संख्या जयपुर में 377 व्यक्ति, विराटनगर में 743 व्यक्ति, शाहपुरा में 807 व्यक्ति सांगानेर में 910 व्यक्ति आमेर में 910 व्यक्ति रोजगार में कार्यरत है।

सारणी संख्या 4.8

आयु वर्ग के आधार पर रोजगारो की संख्या वित्तीय वर्ष 2014–15

क्र. सं.	ब्लॉक	18–30		31–40		41–50		51–60		61–80		80 से अधिक	
		पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आमेर	22288	922	32238	2625	22393	1961	13938	1022	9807	431	731	2
2.	बस्सी	23017	1485	35172	3789	23740	2608	14885	1245	9344	388	463	10
3.	चाकसू	25641	1443	37967	3589	28003	3106	17619	1691	9339	491	525	5
4.	दूदू	65982	8339	68794	12079	43912	8559	28199	5216	22181	2753	1872	65
5.	फागी	27103	4535	37592	8055	25618	5867	16318	3686	12807	2000	1407	67
6.	चौमू	11548	967	20005	2715	13333	1875	7249	895	4051	376	129	6
7.	जमवारामगढ़	18183	1517	36036	4812	25835	3762	14365	1743	7039	521	325	7
8.	जयपुर	4864	377	8354	824	5635	607	3241	297	1578	102	78	1
9.	कोटपूतली	11785	1106	16841	2490	12694	2054	7562	1170	5141	600	280	19
10.	सांभर	25746	1974	35780	4900	25727	3790	15503	1995	12023	1084	823	17
11.	सांगानेर	8885	910	15551	2246	11743	1836	6748	908	3884	316	210	7
12.	शाहपुरा	12397	807	19508	2151	14501	1933	8328	1084	5524	542	181	8
13.	विराट नगर	23606	747	31918	1876	22986	1508	13276	823	9570	575	494	12
योग		**281045**	**24829**	**395756**	**52151**	**276120**	**39466**	**167231**	**21775**	**112288**	**10179**	**7518**	**226**

स्रोतः मनरेगा, राजस्थान सरकार, 2014–15.

मानचित्र संख्या 20

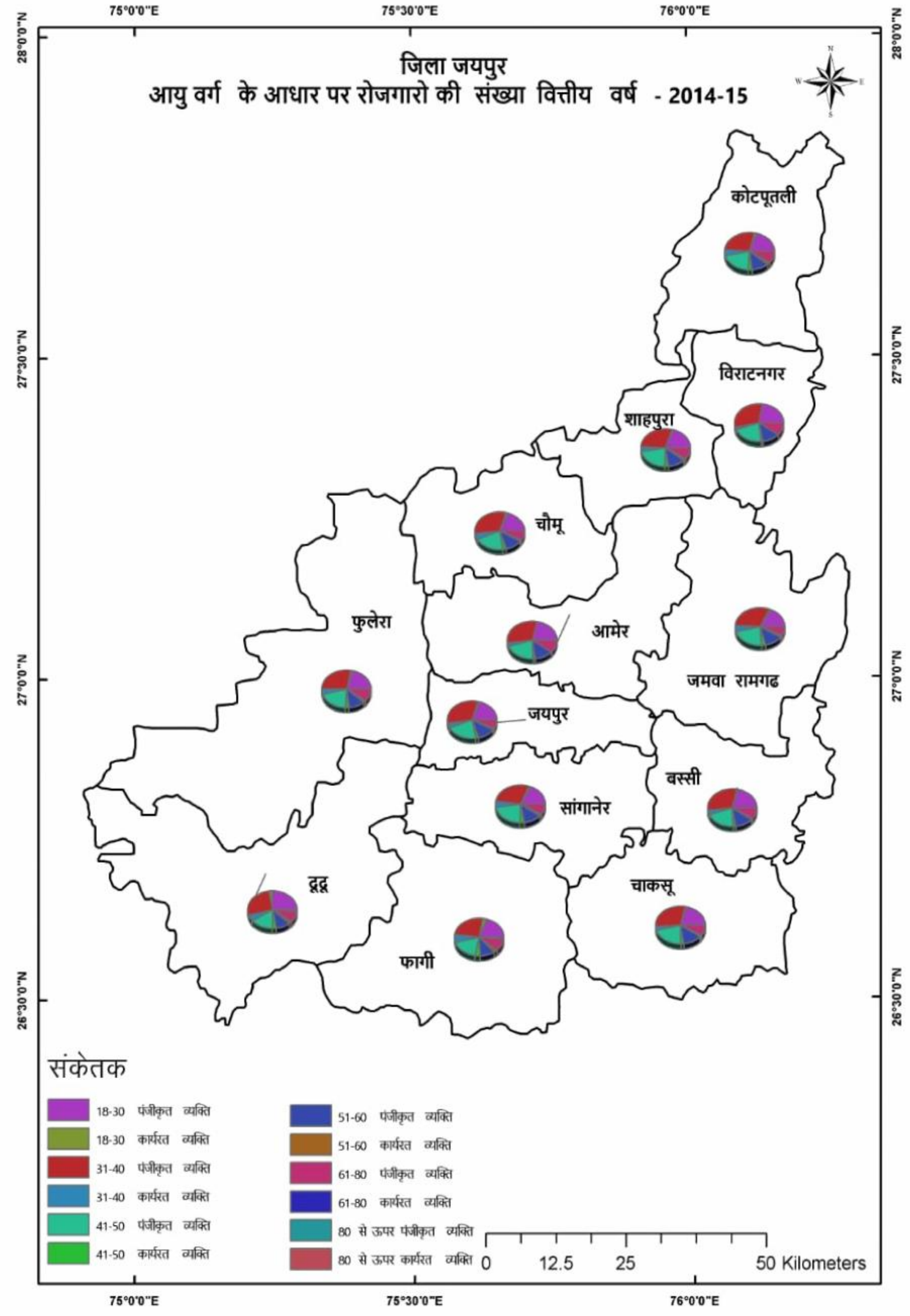

75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
जिला जयपुर
आयु वर्ग के आधार पर रोजगारो की संख्या वित्तीय वर्ष - 2014-15
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
फुलेरा
आमेर
जमवा रामगढ
जयपुर
बस्सी
सांगानेर
दूदू
चाकसू
फागी
संकेतक
18-30 पंजीकृत व्यक्ति
18-30 कार्यरत व्यक्ति
31-40 पंजीकृत व्यक्ति
31-40 कार्यरत व्यक्ति
41-50 पंजीकृत व्यक्ति
41-50 कार्यरत व्यक्ति
51-60 पंजीकृत व्यक्ति
51-60 कार्यरत व्यक्ति
61-80 पंजीकृत व्यक्ति
61-80 कार्यरत व्यक्ति
80 से ऊपर पंजीकृत व्यक्ति
80 से ऊपर कार्यरत व्यक्ति
0 12.5 25 50 Kilometers

इस प्रकार 2014–15 वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के आधार पर देखें तो जयपुर जिले की सभी ब्लॉकों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या तो बहुत अधिक है लेकिन वास्तविक रूप में मनरेगा में ग्रासरूट पर जाकर कार्य करने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिलती है। इसके पीछे अनेक कारण है जिनमें प्रमुख कारणों का ही यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं जैसे 18–30 आयु वर्ग के युवाओं का आकर्षण अस्थायी रोजगार से ज्यादा फोकस (लक्ष्य) स्थायी रोजगार की तरफ होता है। अधिकतर युवाओं का उद्देश्य कैरियर निर्माण होता है वे उस दौरान मनरेगा में अपने आप को पंजीकृत तो इसलिए करा देते हैं कि विकल्प के रूप में उन्हें खाली समय रोजगार मिल जायेगा जबकि उनकी वास्तविक इच्छा मनरेगा में जाकर कार्य करने की नहीं होती है। इस योजना का सबसे कमजोर भाग भी यही है। क्योंकि यह योजना गांवों के युवाओं को स्थायी रोजगार का अवसर नहीं देती है। इसलिए युवाओं का विकर्षण स्वाभाविक है।

दूसरी तरफ हम अगर 31–40 आयु वर्ग के व्यक्तियों की बात करें तो सबसे अधिक पंजीकृत व्यक्ति इस आयु वर्ग में मनरेगा के तहत् पंजीकृत श्रमिक के रूप में मिलेंगे। जयपुर जिले की सभी ब्लॉकों में इनकी संख्या कुछेक ब्लॉकों को छोड़कर सभी में अधिक देखी जा सकती है। अगर हम सबसे कम संख्या वाले ब्लॉकों की बात करें तो ब्लॉक शहर के अधिक निकट या फिर प्राथमिक क्षेत्र से हटकर द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे जयपुर में 8354 और सांगानेर में 15551 व्यक्ति ही पंजीकृत है जो इस बात का संकेत देते हैं कि ये मनरेगा में काम करने के बजाय शहरी क्षेत्र में आकर वर्ष भर कार्य करने वाली गतिविधियों में संलिप्त है।

सम्पूर्ण जिले का अध्ययन करते समय एक तथ्य उभरकर सामने आया वह है। मनरेगा में अधिकतर ब्लॉकों में 61–80 आयु वर्ग वाले व्यक्तियों की संख्या जो इस बात का संकेत देती है। मनरेगा में अनुत्पादक व्यक्तियों को भेजा गया है। इस आयु में व्यक्ति अच्छे से कार्य नहीं कर पाता वो मनरेगा के अन्दर एक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा है और इसमें भी पुरुषों से अधिक संख्या महिलाओं की है। कुछ ब्लॉकों में तो यह संख्या 2000 से अधिक है दूदू और फागी ब्लॉक में तो इन महिलाओं और पुरुषों की आयु 92 वर्ष से 95 वर्ष पाई गई है।

जयपुर जिले के सभी ब्लॉकों का अध्ययन करने से निम्न निष्कर्ष निकलकर सामने आये हैं, जिनका बिन्दुवार वर्णन निम्न प्रकार से है–

- दूदू, फागी, सांभर, जमवारामगढ़, चाकसू, आमेर, बस्सी ब्लॉकों में रोजगार की मांग अधिक है।

- इन ब्लॉकों में मानव सृजन दिवस भी अधिक है।
- जबकि सांगानेर, जयपुर, शाहपुरा, चौमू, विराटनगर कोटपूतली में रोजगार की मांग अपेक्षाकृत कम है।
- दूदू, फागी, सांभर, जमवारामगढ़, चाकसू, बस्सी, विराटनगर, ब्लॉकों में शिक्षा का स्तर भी जिले की कुल साक्षरता 75.51 से काफी नीचे है और महिला साक्षरता का स्तर तो सांगानेर और जयपुर ब्लॉक को छोड़कर 64.02 से काफी नीचे हैं।
- वहीं महिला कार्य सहभागिता दर जयपुर की 11.44 व सांगानेर की 16.59 सबसे कम है जबकि जयपुर जिले की महिला कार्य सहभागिता दर 23.75 है। शेष सभी ब्लॉकों की जिले की महिला कार्य सहभागिता दर से अधिक है। जबकि पुरुष कार्य सहभागिता दर दूदू, फागी, जयपुर और सांगानेर की जयपुर जिले की पुरुष कार्य सहभागिता दर 49.74 से अधिक है जबकि शेष सभी ब्लॉकों की इससे कम पाई गई है।
- पुरुष रोजगार के स्थायी तलाश के लिए शहर में रोजगार के लिए प्रवास कर जाते हैं। जबकि महिलाएँ मनरेगा में श्रमिक के रूप में कार्य करती है।
- औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार जयपुर जिले का 40 दिवस का है जो न्यूनतम है।
- 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या जयपुर जिले में 1.4 प्रतिशत है।
- महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस में 85.20 प्रतिशत है जबकि राज्य में 67 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किये गये हैं। सिरोही जिले में सर्वाधिक 86.9 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किये गये हैं इसके बाद जयपुर जिले का द्वितीय स्थान आता है।

अतः जयपुर जिले की सभी ब्लॉकों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि मनरेगा में आयु वर्ग के आधार पर औसतन 41–60 वर्ष की उम्र के लोगों की संख्या सबसे अधिक है वहीं पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक देखने को मिली है जिसकी आधार वर्ष 2014–2015 था।

4.7 विद्युतीकरण

विद्युत आज के वर्तमान दौर में एक आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत आता है। जयपुर जिले के सभी चयनित ब्लॉकों के ग्राम पंचायतों का में घरेलू, व्यापारिक एवं औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों की संख्या को तालिका संख्या 4.11 में स्पष्ट किया गया है–

तालिका संख्या 4.9

विद्युत सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन

ब्लॉक	**2005–06**			**2014–15**		
	घरेलू	**औद्योगिक**	**व्यावसायिक**	**घरेलू**	**औद्योगिक**	**व्यावसायिक**
जयपुर	4496	280	1989	4995	311	2210
कोटपूतली	5049	218	1854	5610	242	2060
विराटनगर	1158	32	425	1287	35	472
शाहपुरा	4257	257	1178	4730	285	1309
चौमू	8010	251	2129	8900	279	2365
सांभर	3531	217	1319	3923	241	1465
दूदू	1800	0	180	2000	0	200
जमवारामगढ़	765	0	270	850	0	300
बस्सी	3182	405	226	3536	450	251
चाकसू	4762	244	1011	5291	271	1123
फागी	892	230	367	991	256	408
सांगानेर	739	25	115	821	28	128
आमेर	728	36	142	809	40	158
कुल योग	**39369**	**2194**	**11204**	**43743**	**2438**	**12449**

***स्रोतः** विद्युत विभाग, राजस्थान सरकार*

उपरोक्त सारणी 4.11 में विद्युत सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाया गया है। सारणी के अनुसार ज्ञात होता है कि घरेलू विद्युत कनेक्शनों में लगभग सभी गांवों में है। दूदू तथा जमवारामगढ़ में किसी भी प्रकार के औद्योगिक कनेक्शन नहीं है। व्यावसायिक कनेक्शनों की संख्या में वर्ष 2014–15 में काफी अच्छी वृद्धि दिखाई दी है। जहाँ वर्ष 2005–06 में व्यावसायिक कनेक्शनों की संख्या 11204 थी वहीं 2014–15 में यह संख्या 12449 हो गयी है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2014–15 में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। अतः स्पष्ट होता है कि मनरेगा के फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

4.8 भूमि उपयोग

जयपुर जिले के भूमि उपयोग यहाँ की कृषि में प्रयुक्त भूमि एवं अन्य प्रकार के उपयोग में ली गई भूमि से सम्बन्धित है। इससे न केवल वर्तमान में विभिन्न उपयोगों में ली गई भूमि का ज्ञान होता है। अपितु भविष्य के नियोजन हेतु भी इसे आधार प्राप्त होता है। जिले का भूमि उपयोग तालिका संख्या 4.10 से स्पष्ट है–

तालिका 4.10

जयपुर जिले का भूमि उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन

भूमि उपयोग श्रेणी	कुल क्षेत्र का प्रतिशत (2005–06)	कुल क्षेत्र का प्रतिशत (2014–15)	परिवर्तन प्रतिशत में
जंगलात	7.33	8.49	+1.16
अकृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि	6.94	7.72	+0.78
बंजर तथा अकृषिकृत क्षेत्र	4.92	3.7	–1.22
स्थायी चारागाह भूमि	6.96	6.68	–0.28
वृक्षों के झुंड	0.08	0.05	–0.03
कृषि एवं उपवनों के अन्तर्गत (बंजर)	3.09	3.94	+0.85
चालू परती के अतिरिक्त अन्य परती	5.51	4.99	–0.52
चालू परती	8.89	4.19	–4.7
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	56.28	60.24	+3.96
कुल योग	**100**	**100**	**100**

स्रोतः *जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर*

आरेख 4.5

जयपुर जिले में भूमि उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन

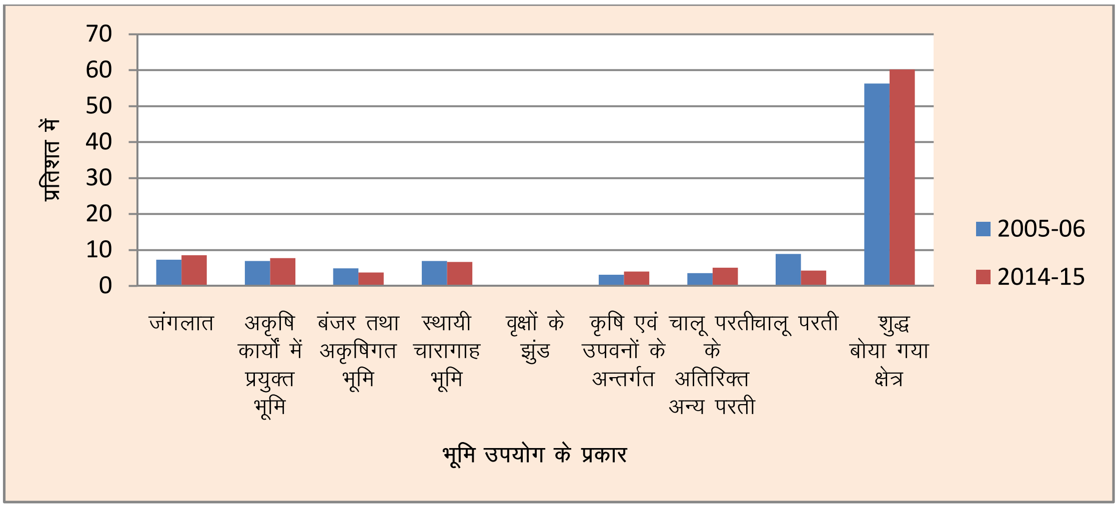

स्रोतः *जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर*

सिंचित क्षेत्र पर प्रभाव

सिंचाई, मिट्टी को कृत्रिम रूप में पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया है और आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान, शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा ना होने की स्थिति में पौधों की जल आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा फसल को पाले से बचाने, मिट्टी को कठोर बनने से रोकने व धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए भी किया जाता है। प्राचीन समय में सिंचाई कम वर्षा या अकाल के प्रभाव को कम करने का साधन था लेकिन आधुनिक काल में HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों, बहु फसली प्रारूप अपनाने से नियंत्रित सिंचाई से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मनरेगा के कारण शुद्ध बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गयी है।

जयपुर जिला अर्द्धशुष्क क्षेत्र में होने के कारण कृषि कार्य में जल की कमी होती है। इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई मिट्टी या जमीन के लिए पानी का एक बेहतरीन अनुप्रयोग है। यह कृषि फसलों, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से नमी को कायम रखने में मृदा और वनस्पति की मदद करता है। इसके अलावा सिंचाई कृषि के उत्पादन में भी मदद करता है और शीतकाल में पाला के खिलाफ पौधों की रक्षा भी करता है। **(सन्दर्भ मानचित्र संख्या 21)**

सारणी संख्या 4.11

ब्लॉकवार सिंचाई साधनों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टर में)

क्र.सं.	ब्लॉक	कुल सिंचित क्षेत्रफल (वर्ष 2005–06)	कुल सिंचित क्षेत्रफल (वर्ष 2015–16)
1.	जयपुर	29577	21499
2.	बस्सी	30816	32186
3.	चाकसू	11889	10464
4.	सांगानेर	17283	13315
5.	आमेर	54075	50086
6.	जमवारामगढ़	26572	29901
7.	चौमू	63321	57101
8.	फुलेरा मु. सांभर	52613	19239
9.	दूदू मु. मौजमाबाद	8715	6863
10.	फागी	8380	18167
11.	कोटपूतली	58040	48813
12.	शाहपुरा	19143	20254
13.	विराटनगर	28328	16381

स्रोतः *आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर*

मानचित्र संख्या 21

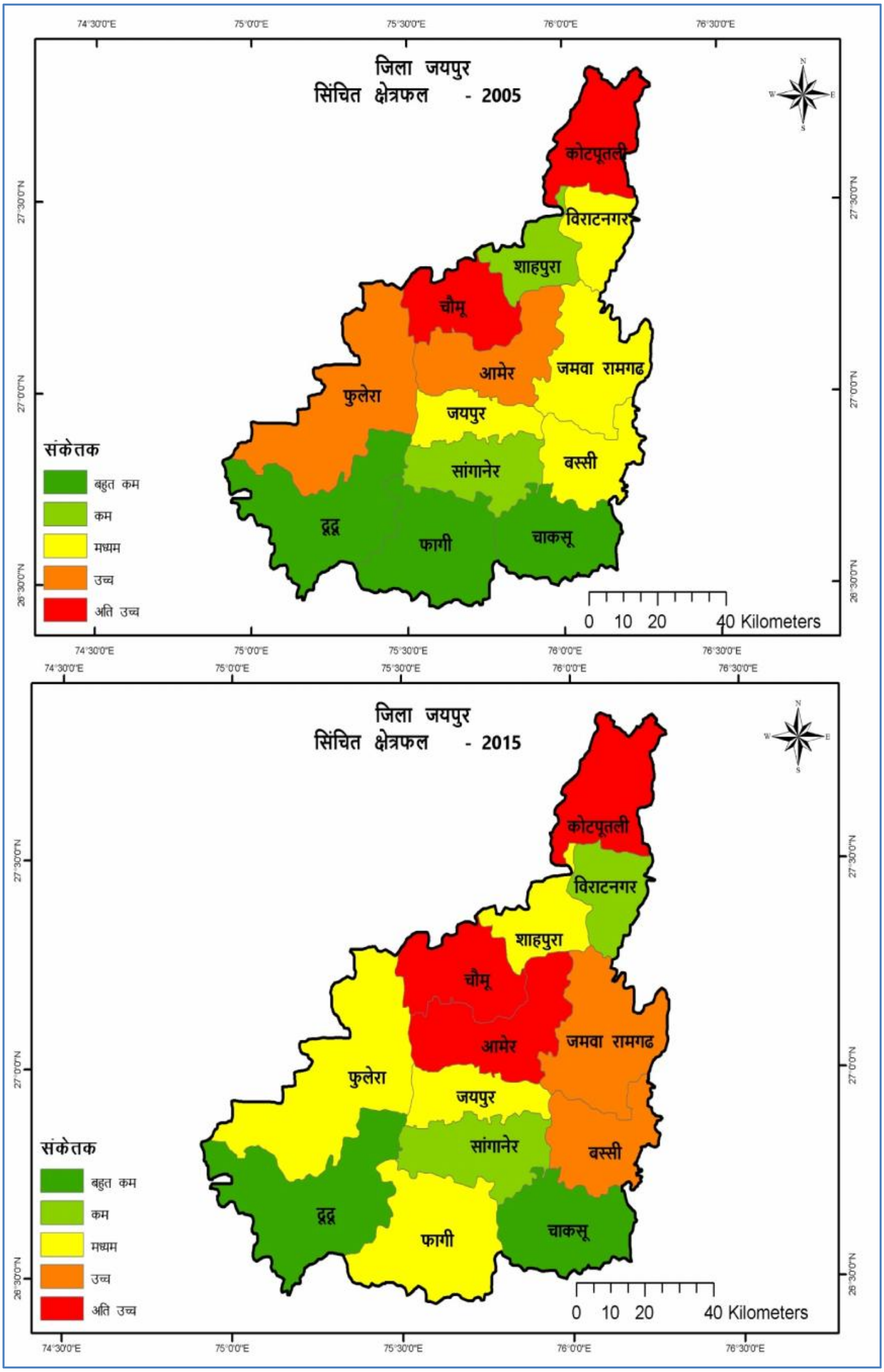
74°30'0"E
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
76°30'0"E
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
जिला जयपुर
सिंचित क्षेत्रफल - 2005
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
बहुत कम
कम
मध्यम
उच्च
अति उच्च
0 10 20 40 Kilometers
जिला जयपुर
सिंचित क्षेत्रफल - 2015
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
बहुत कम
कम
मध्यम
उच्च
अति उच्च
0 10 20 40 Kilometers

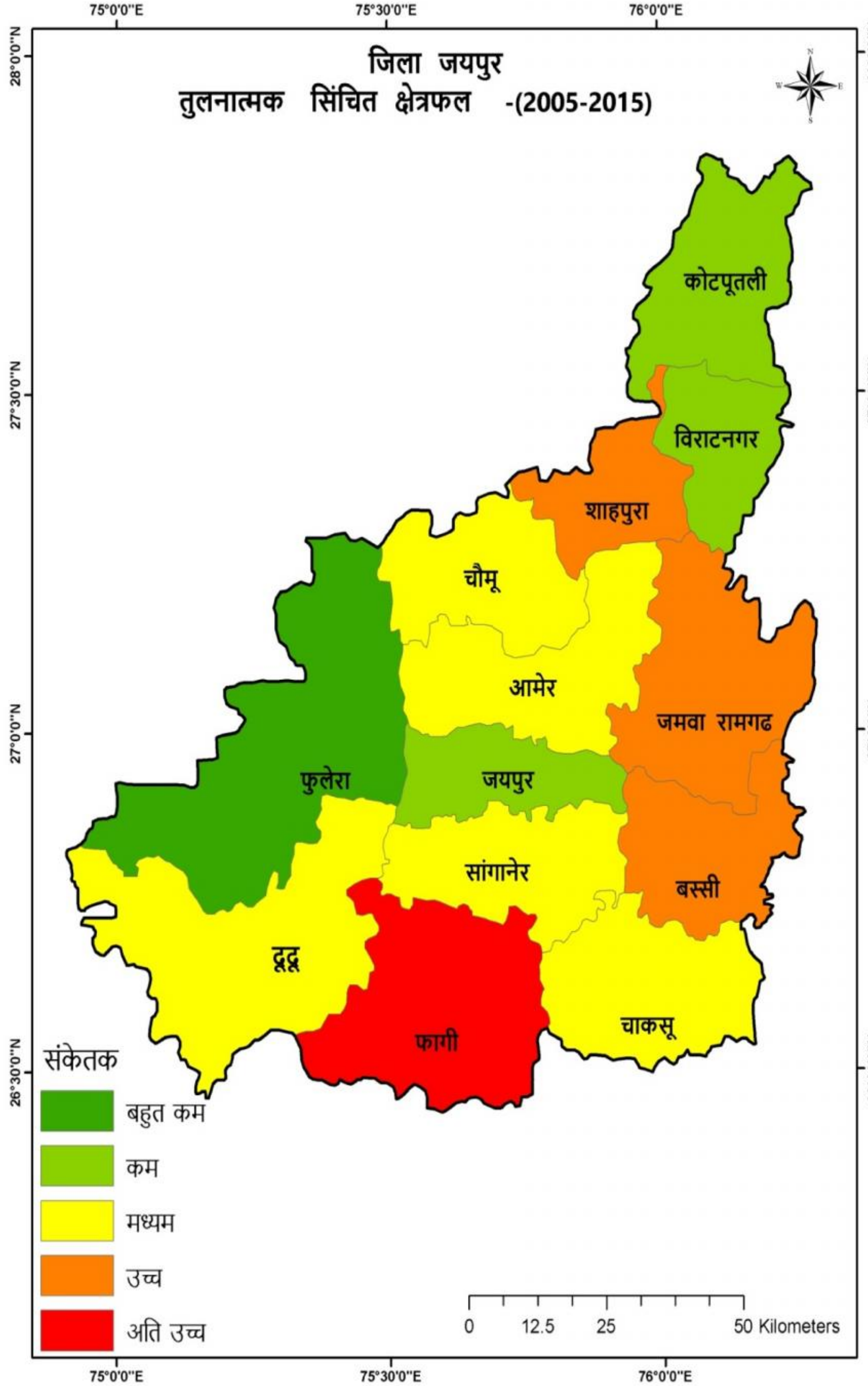
जिला जयपुर
तुलनात्मक सिंचित क्षेत्रफल -(2005-2015)
75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
बहुत कम
कम
मध्यम
उच्च
अति उच्च
0
12.5
25
50 Kilometers

उपरोक्त तालिका के अन्तर्गत ब्लॉकवार कुल सिंचित क्षेत्रफल का अध्ययन किया गया है। उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों में से वर्ष 2005–06 के मुकाबले वर्ष 2014–15 में बस्सी, जमवारामगढ़, फागी एवं शाहपुरा में सिंचित क्षेत्रफल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाकी के ब्लॉकों में सिंचित क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2005–06 के मुकाबले वर्ष 2014–15 में लगभग 15.77 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

❑❑❑

अध्याय पंचम

जयपुर जिले के सामाजिक आर्थिक स्वरूप का मूल्यांकन

अध्याय–पंचम

जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक स्वरूप का मूल्यांकन

प्रस्तुत अध्ययन जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका एवं उसमें चयनित ग्राम पंचायतों के भौगोलिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित है। इसमें 2005–06 एवं 2014–15 के उपलब्ध सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के विभिन्न चरों का भौगोलिक परिस्थितियों के माध्यम से प्रतिदर्श ज्ञात किया गया है।

विकास के स्तर की प्रक्रिया में वर्गीकरण सबसे मुख्य पहलू होता है, जिसमें विभिन्न चर मूल्यों व तत्वों का उनकी विशेषताओं व गुणों के साथ सामूहिक रूप से जोड़ ले तो इस प्रकार समरूप भेदों वाले क्षेत्रों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।

5.1 सामाजिक–आर्थिक विकास का स्तर

प्रायः सभी विज्ञानों में किसी क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक विकास ज्ञात करने के लिए विभिन्न चरों को आधार मानकर विश्लेषण किया जाता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न चरों के निरपेक्ष मूल्यों में से किसी स्थिर मूल्य के जोड़ने, घटाने, गुणा करने अथवा भाग देने से सभी चरों को सापेक्षिक मूल्यों के अनुसार एक समान मापक पर लाया जा सकता है। ऐसे सभी सापेक्षिक मूल्यों को संयुक्त करके प्रादेशिकरण किया जा सकता है।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा जैसे सामाजिक सुरक्षा की योजना को लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना और ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। इस प्रक्रिया के तहत् ग्रामीण स्तर पर संभावित संसाधनों का पूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना है। समुचित नियोजन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन करके ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास की उपलब्धि चारों ओर स्थित पर्यावरण की दशाओं में उपयुक्त दशाओं का चयन करके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मानव स्वयं के लिए संघर्षरत रहता है। इस प्रकार विकास एक सतत् गतिशील प्रक्रिया है जो अनवरत् चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया अन्ततः उन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत करती है, जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन में आये बदलावों को संकेत करती है।

शोध विषय हेतु चयनित प्रतिदर्श के रूप में जयपुर जिले की कुल 13 ब्लॉकों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि समस्त ब्लॉकों में मनरेगा के कारण कुछ कार्यों जैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, निवास स्थान पर

शौचालयों का निर्माण, सड़कों का निर्माण इत्यादि तो सभी ब्लॉकों में समान रूप से हुए हैं लेकिन कुछ ब्लॉकों अर्थात् अपेक्षाकृत पिछड़े ब्लॉकों जैसे दूदू, चाकसू, फागी, फुलेरा के अन्तर्गत कच्चे निर्माण कार्यों के साथ–साथ वर्षाजल संरक्षण के लिए कच्चे तालाबों का निर्माण, खेतों में मेडबन्दी, वृक्षारोपण इत्यादि कार्य अधिक मात्रा में किये गये हैं। इस प्रकार समग्र जिले के स्तर पर मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करने से पता चलता है कि 2005–06 और 2014–15 के दौरान जयपुर जिले में आर्थिक विकास तेज गति से हुआ है बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी तीव्र गति से बदलाव आया है जैसे लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ–साथ ग्रामीण लोगों के जीवन शैली में भी बदलाव देखने को मिला है।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जयपुर जिले के समस्त ब्लॉकों को सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। **(सन्दर्भ मानचित्र संख्या 23)**

जयपुर जिले के समस्त ब्लॉकों को सामाजिक–आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है उच्च विकास स्तर, मध्यम विकास स्तर और निम्न विकास स्तर पर इन तीनों आधारों के आधार पर हम प्रत्येक विकास स्तर से एक–एक ग्राम पंचायत का चयन किया है। जिसके आधार पर हम सभी ब्लॉकों के विकास स्तर का समग्र मूल्यांकन कर सके।

1) प्रयुक्त विधि तंत्र

जयपुर जिले के समस्त ब्लॉकों को सामाजिक–आर्थिक विकास स्तर के अनुसार तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में मनरेगा के परिणामस्वरूप सामाजिक व आर्थिक संकेतकों में आये बदलावों का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय विधियों एवं विकास का स्तर पता लगाने के लिए प्रयुक्त किये गये तत्वों के मानक मूल्यों की सहायता ली गई है। जयपुर जिले में मनरेगा कार्यों के परिणमास्वरूप आये बदलावों को ज्ञात करने के लिए वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2014–15 के आंकड़ों में निम्नलिखित तत्वों का सहारा लिया गया है–

1. विद्युत आपूर्ति सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
2. चिकित्सा सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
3. कुल क्षेत्र का कृषि क्षेत्रफल
4. कुल क्षेत्रफल का वृक्षारोपण क्षेत्र का प्रतिशत
5. साक्षरता प्रतिशत

6. पोस्ट ऑफिस सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत
7. संचार सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत
8. आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का प्रतिशत
9. सड़कों के निर्माण का प्रतिशत
10. पेयजल सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत

विकास के स्तर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त तत्वों के आधार पर सांख्यिकीय विधियों एवं मानक मूल्यों की सहायता से दो सारणियों का निर्माण किया गया है। प्रयुक्त तत्वों के आंकड़ों एवं सूचनाओं की विविधता के कारण से मानक मूल्य ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है, जिससे तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

$$Standardised\,Value = \frac{X - \bar{X}}{sd}$$

X = प्रयुक्त तत्व

$\bar{X}$ = समानान्तर माध्य

sd = मानक विचलन

1. क्षेत्रानुसार प्रयुक्त सभी तत्वों के मानक मूल्यों के योग से सकल मूल्य ज्ञात करना।
2. कम्पोजिट इंडेक्स ज्ञात करना।

$$CI = \frac{Gross\,Value}{No.of\,Variables}$$

3. कम्पोजिट इंडेक्स के आधार पर विकास कटिबंधों का निर्माण

तालिका संख्या 5.1

चर और मानक प्रभाग का वर्गीकरण

ब्लॉक	विद्युतीकरण गांवों का प्रतिशत		स्वास्थ्य सेवाओं से युक्त गांवों का प्रतिशत		कृषि क्षेत्र का प्रतिशत		वृक्षारोपण का प्रतिशत		साक्षरता का प्रतिशत		पोस्ट ऑफिस का प्रतिशत		संचार सुविधा प्राप्त का प्रतिशत		आंगनबाड़ी केन्द्र संयुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत		सड़कों का प्रतिशत		पेयजल सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	
	2005	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**
कोटपूतली	100	100	46.1	55.64	60.52	66.71	56.40	76.21	73.74	76.71	46.08	53.32	46.00	100	31.00	100	83.13	100	45.90	80.02
विराटनगर	99	100	34.6	48.95	56.04	62.81	62.10	78.60	72.42	70.93	42.48	68.60	57.00	100	20.00	100	87.25	100	43.89	78.73
शाहपुरा	100	100	57.16	69.85	52.18	60.29	54.71	62.00	70.29	76.29	46.66	52.00	54.00	100	19.00	100	90.85	100	49.41	82.11
चौमू	100	100	49.47	56.16	63.14	70.39	56.00	64.20	71.81	78.97	51.07	62.23	59.00	100	18.71	100	93.13	100	64.90	91.31
फुलेरा	97	100	39.46	45.28	62.00	69.19	59.79	71.72	70.04	76.83	37.10	45.90	48.00	100	14.00	100	76.95	93.05	60.84	86.43
दूदू	96.5	100	37.92	43.06	58.11	64.47	62.00	73.04	62.69	67.29	39.20	47.81	45.00	100	19.00	100	69.04	87.28	72.01	80.21
फागी	95.7	99.5	36.14	46.31	55.71	60.01	65.08	78.00	65.28	67.70	38.36	44.90	43.00	100	21.00	100	66.23	84.45	56.72	76.29
सांगानेर	100	100	56.14	63.48	69.00	52.92	55.00	60.11	77.79	82.12	46.03	60.11	80.00	100	32.00	100	95.55	100	86.11	97.25
जयपुर	100	100	62.96	71.40	71.88	54.14	51.00	56.40	83.00	89.69	53.82	65.90	95.00	100	40.00	100	97.60	100	87.49	96.84
आमेर	100	100	48.03	54.49	62.56	60.28	54.35	58.60	69.80	80.40	49.42	54.24	85.00	100	33.00	100	93.40	100	68.32	89.04
जमवारामगढ़	97	99.7	34.40	42.00	58.34	63.20	63.00	72.76	67.21	70.49	36.11	44.04	60.00	100	18.00	100	85.47	93.65	51.01	76.46
बस्सी	98.5	99.5	36.61	41.22	44.06	57.40	61.09	70.42	65.14	74.07	34.26	42.00	62.00	100	16.00	100	90.18	100	62.10	83.49
चाकसू	98	99.5	33.08	40.70	48.00	55.60	63.00	68.82	59.36	70.23	36.43	41.16	60.00	100	19.00	100	88.11	96.14	63.26	79.05
Mean	**98.59**	**99.86**	**44.00**	**52.19**	**58.58**	**61.33**	**58.73**	**68.52**	**64.12**	**75.51**	**42.84**	**52.47**	**61.30**	**100**	**23.13**	**100**	**85.91**	**96.50**	**62.45**	**84.40**
SD	**2.09**	**1.59**	**7.67**	**8.78**	**11.04**	**12.98**	**11.02**	**16.26**	**13.78**	**20.10**	**5.66**	**9.89**	**12.97**	**1.00**	**3.58**	**1.00**	**1.13**	**1.90**	**10.05**	**1.05**

तालिका संख्या 5.2

मानकीकृत मूल्य का वर्गीकरण

ब्लॉक	विद्युतीकरण गांवों का प्रतिशत		स्वास्थ्य सेवाओं से युक्त गांवों का प्रतिशत		कृषि क्षेत्र का प्रतिशत		वृक्षारोपण का प्रतिशत		साक्षरता का प्रतिशत		पोस्ट ऑफिस का प्रतिशत		संचार सुविधा प्राप्त का प्रतिशत		आंगनबाड़ी केन्द्र संयुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत		सड़कों का प्रतिशत		पेयजल सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	
	2005	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**	**2005**	**2015**
कोटपूतली	0.45	0.36	0.62	0.80	0.59	0.20	1.02	1.28	0.57	0.03	0.41	0.61	0.10	1.00	0.31	1.00	0.83	1.00	0.45	0.80
विराटनगर	-0.15	-0.36	-1.96	-1.28	-0.41	-0.44	1.40	2.03	0.56	-0.01	0.64	1.16	0.09	1.00	0.20	1.00	0.87	1.00	0.43	0.78
शाहपुरा	0.45	0.36	0.98	0.52	0.38	0.48	1.57	1.89	0.55	0.03	0.65	1.18	0.15	1.00	0.19	1.00	0.90	1.00	0.49	0.82
चौमू	0.45	0.36	0.39	0.70	0.62	0.67	1.92	2.27	0.56	0.04	0.67	1.19	0.19	1.00	0.18	1.00	0.93	1.00	0.64	0.91
फुलेरा	-0.63	0.36	-1.34	1.26	-0.60	0.66	1.80	2.45	0.55	0.03	0.49	1.03	0.07	1.00	0.14	1.00	0.76	0.93	0.60	0.86
दूदू	-0.62	-0.36	-1.32	-1.23	-0.57	-0.63	1.93	2.46	0.50	0.01	0.37	0.89	0.07	1.00	0.19	1.00	0.69	0.87	0.72	0.80
फागी	-0.60	-0.03	-1.30	-1.27	-0.53	-0.59	1.96	2.57	0.53	0.01	0.40	0.92	0.06	1.00	0.21	1.00	0.66	0.84	0.56	0.76
सांगानेर	0.45	0.36	0.97	0.50	0.68	0.73	0.78	1.01	0.60	0.05	0.89	1.42	0.80	1.00	0.32	1.00	0.95	1.00	0.86	0.97
जयपुर	0.45	0.36	1.05	0.78	0.54	0.74	0.73	0.97	0.65	0.07	0.97	1.56	0.85	1.00	0.40	1.00	0.97	1.00	0.87	0.96
आमेर	0.45	0.36	0.38	0.67	0.63	0.69	1.45	2.06	0.58	0.05	0.68	1.14	0.80	1.00	0.33	1.00	0.93	1.00	0.68	0.89
जमवारामगढ़	-0.64	-0.03	-1.28	-1.22	-0.58	-0.61	1.90	2.30	0.56	0.05	0.43	0.69	0.16	1.00	0.18	1.00	0.85	0.93	0.51	0.76
बस्सी	-0.66	0.03	-1.30	1.21	-0.44	0.57	1.87	2.41	0.50	0.03	0.27	0.90	0.18	1.00	0.16	1.00	0.90	1.00	0.62	0.83
चाकसू	0.65	-0.03	-1.26	-1.20	-0.48	-0.55	1.91	2.39	0.52	0.04	0.37	0.69	0.14	1.00	0.19	1.00	0.88	0.96	0.63	0.79

तालिका संख्या 5.3

सकल मूल्य और कम्पोजिट इंडेक्स

ब्लॉक	सकल मूल्य		कम्पोजिट इंडेक्स	
	2005–06	2014–15	2005–06	2014–15
कोटपूतली	2.49	-1.01	0.26	0.15
विराटनगर	-2.48	-3.07	-0.26	-0.32
शाहपुरा	3.69	4.79	0.28	0.37
चौमू	2.42	3.54	0.23	0.33
फुलेरा	-0.82	-2.32	-0.19	0.14
दूदू	-6.30	-3.67	-0.11	-0.29
फागी	-4.86	-2.90	-0.12	-0.19
सांगानेर	4.79	5.62	0.68	0.73
जयपुर	5.09	6.84	0.70	0.77
आमेर	2.81	3.07	0.22	0.27
जमवारामगढ़	-1.29	-0.98	-0.13	-0.32
बस्सी	0.68	1.31	-0.16	0.10
चाकसू	0.79	1.43	-0.12	-0.31

इन ब्लॉकों में राजधानी के निकट होने के कारण व फ्रेंच एरिया में होने के कारण अन्य ब्लॉकों की तुलना में विकास अधिक हुआ हैं यहाँ के लोग मनरेगा कार्यों के अतिरिक्त शहर के नजदीक होने के कारण अन्य कार्यों में अधिक संलिप्ता के कारण इन क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ है। इन ब्लॉकों में अधिकांशतः 90 प्रतिशत श्रमिक महिलाओं के रूप में मनरेगा से जुड़े हैं।

2) विकास कटिबन्ध

विकास का स्तर ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त 10 तत्वों से प्राप्त कम्पोजिट इंडेक्स के आधार पर विकास के तीन स्तर निर्धारित किये गये हैं।

तालिका 5.4

जयपुर जिले की ब्लॉकों में विकास कटिबंध

विकास का स्तर	कम्पोजिट इंडेक्स	2005–06 ब्लॉक का नाम	2014–15 ब्लॉक का नाम
विकास का उच्च स्तर	+0.40 से ऊपर	(2) जयपुर, सांगानेर	(2) जयपुर, सांगानेर
विकास का मध्यम स्तर	–0.10 से 0.40	(4) कोटपूतली, शाहपुरा, चौमू, आमेर	(6) कोटपूतली, शाहपुरा, आमेर, चौमू, फुलेरा, बस्सी
विकास का निम्न स्तर	–0.10 से नीचे	(7) फुलेरा, दूदू, फागी, चाकसू, बस्सी, जमवारामगढ़, विराटनगर	(5) दूदू, फागी, चाकसू, जमवारामगढ़, विराटनगर

विकास का स्तर ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त तत्वों को आधार मानते हुए कम्पोजिट इंडेक्स के आधार पर विकास के तीन स्तर निर्धारित किये गये हैं–

उच्च स्तर के विकास का कटिबंध–

उच्च विकास कटिबंध में वर्ष 2005–06 में जयपुर जिले के 2 ब्लॉकों जिनमें क्रमशः जयपुर (+0.70) व सांगानेर (+0.68) ब्लॉकों को उनके अधिक विकास के कारण शामिल किया गया है। इस कटिबंध के कम्पोजिट इंडेक्स का मान +0.40 के ऊपर पाया गया है।

इसी प्रकार 2014–15 में उच्च स्तर के विकास कटिबंध में सम्मिलित ब्लॉकों की संख्या भी 2 ही है। जिनमें क्रमशः जयपुर (+0.77) व सांगानेर (+0.73) ब्लॉक सम्मिलित हैं। इन ब्लॉकों में साक्षरता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, डाकघर सुविधा, संचार सुविधा, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सड़कों का निर्माण अन्य ब्लॉकों से तुलनात्मक रूप से अधिक विकास हुआ है।

मध्यम स्तर के विकास का कटिबंध

जयपुर जिले में इस कटिबंध में वर्ष 2005–06 कुल 4 ब्लॉक सम्मिलित थे। जिनमें क्रमशः कोटपूतली (+0.26), शाहपुरा (+0.28), चौमू (+0.23), व आमेर (+0.22) ब्लॉकों को उनके मध्यम विकास का स्तर होने के कारण इस कटिबंध में शामिल किया गया है।

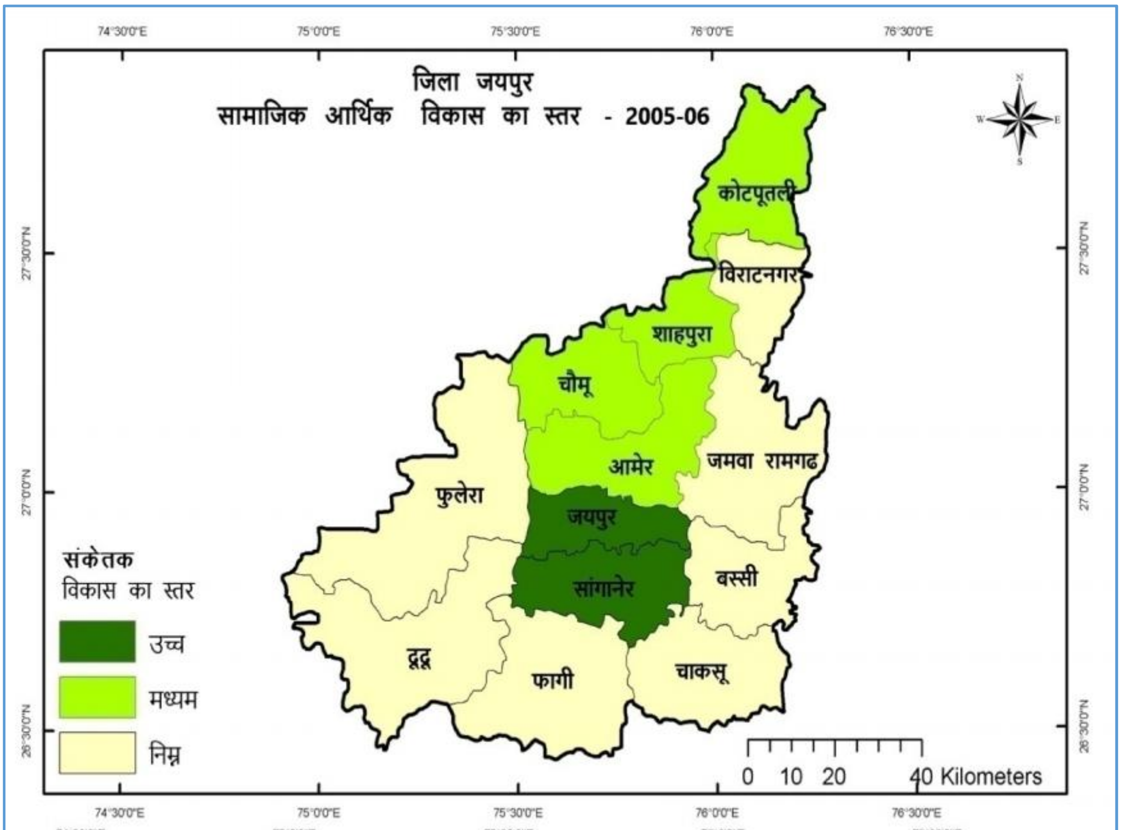
जिला जयपुर
सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर - 2005-06
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
विकास का स्तर
उच्च
मध्यम
निम्न
0 10 20 40 Kilometers

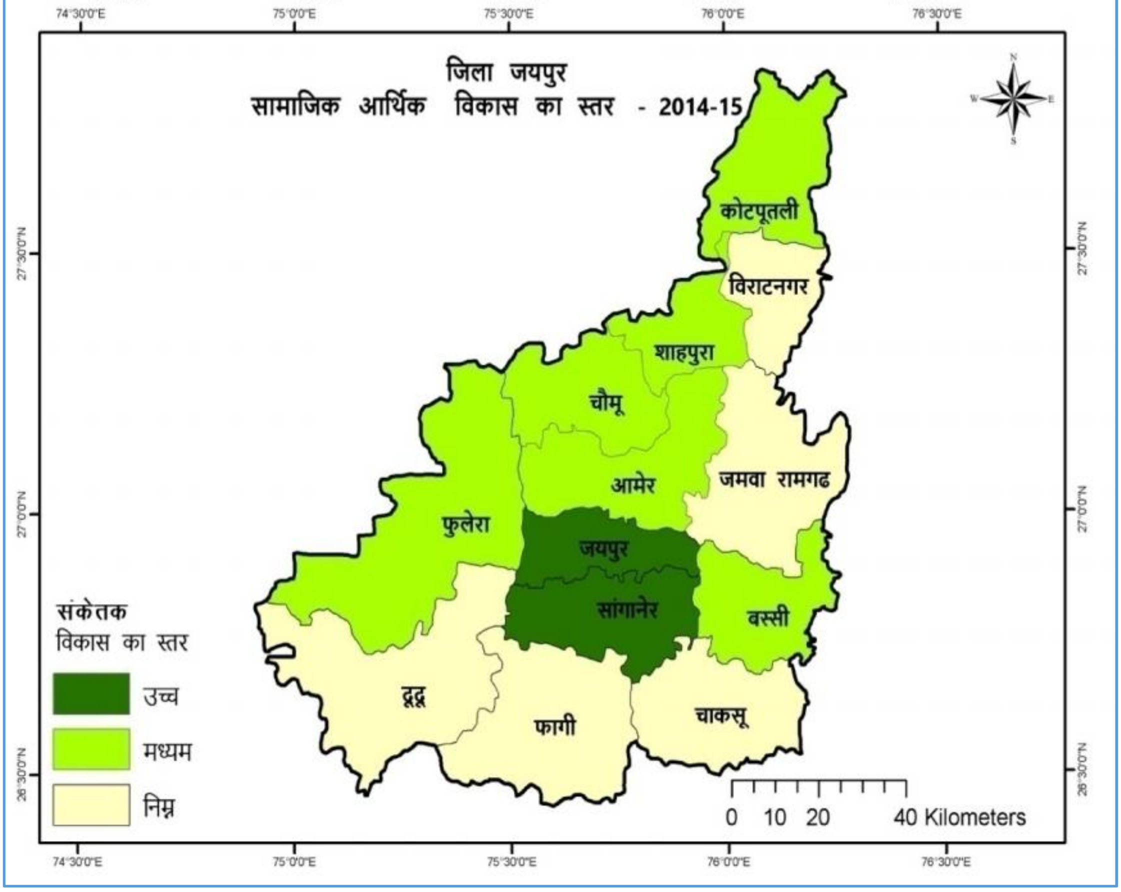
जिला जयपुर
सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर - 2014-15
कोटपूतली
विराटनगर
शाहपुरा
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
सांगानेर
बस्सी
दूदू
फागी
चाकसू
संकेतक
विकास का स्तर
उच्च
मध्यम
निम्न
0 10 20 40 Kilometers

इसी प्रकार 2014–15 में इन ब्लॉकों की संख्या बढ़कर छः हो गई। यह ब्लॉक क्रमशः कोटपूतली (+0.15), शाहपुरा (0.37), चौमू (+0.33), आमेर (+0.27), फुलेरा (+0.14) व बस्सी (0.10) 2005–06 की तुलना में 2014–15 में वृद्धि होने के कारण इन ब्लॉकों को मध्यम विकास स्तर में शामिल किया गया है।

यहाँ कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कृषि कार्यों में कार्यरत जनसंख्या, चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक, सिंचाई एवं कुल बोया गया क्षेत्र और डेयरी उद्योग के कारण यह कटिबंध मध्यम कटिबंध क्षेत्र में आता है। इस कटिबंध में श्रमिकों के कार्यों में विविधता के साथ–साथ कृषि प्रारूप में भी गहन कृषि की जाती है। इस कारण यहाँ मध्यम प्रकार का विकास हुआ है।

निम्न स्तर के विकास का कटिबंध

इस क्षेत्र में असमान धरातल, सिंचित भूमि की कमी, बिखरे हुये अधिवास, वर्षा आधारित एक फसल प्रतिरूप, भूमिगत जल का अभाव, पेयजल सुविधाओं का कम होना, साक्षरता दर में कमी इत्यादि कारणों से यह क्षेत्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लाभ से वंचित रहा है। इस कारण यहाँ विकास का निम्न स्तर पाया गया है।

वर्ष 2005–06 में इस क्षेत्र में सात ब्लॉक आते थे। जिनमें क्रमशः फुलेरा (–0.19), दूदू (–0.11), फागी (–0.12), चाकसू (–0.12), बस्सी (–0.16), जमवारामगढ़ (–0.13), विराटनगर (–0.26), जबकि 2014–15 में इनकी संख्या सात से घटकर पाँच रह गई अब दूदू (–0.29), फागी (–0.19), चाकसू (–0.31), जमवारामगढ़ (–0.32), विराटनगर (–0.32) है। इन ब्लॉकों में विकास की रफ्तार अपेक्षाकृत ऋणात्मक रही है। इस कारण इनको विकास स्तर के निम्न कटिबंध में सम्मिलित किया गया है।

5.2 प्रतिदर्श सर्वेक्षण का विवेचन

जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों के विकास के स्तर पर एकरूपता नहीं पाई जाती है। विकास को लेकर काफी असमानता है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के विभिन्न चरों (शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कृषि, परिवहन, संचार) की स्थिति के अनुसार स्तरित प्रतिदर्श विधि से कुछ चयनित ग्राम पंचायतों के अध्ययन से जयपुर जिले के विकास के बारे में मोटा–मोटा अनुमान लगाया गया (**सन्दर्भ मानचित्र संख्या 24**) है–

मानचित्र संख्या 24

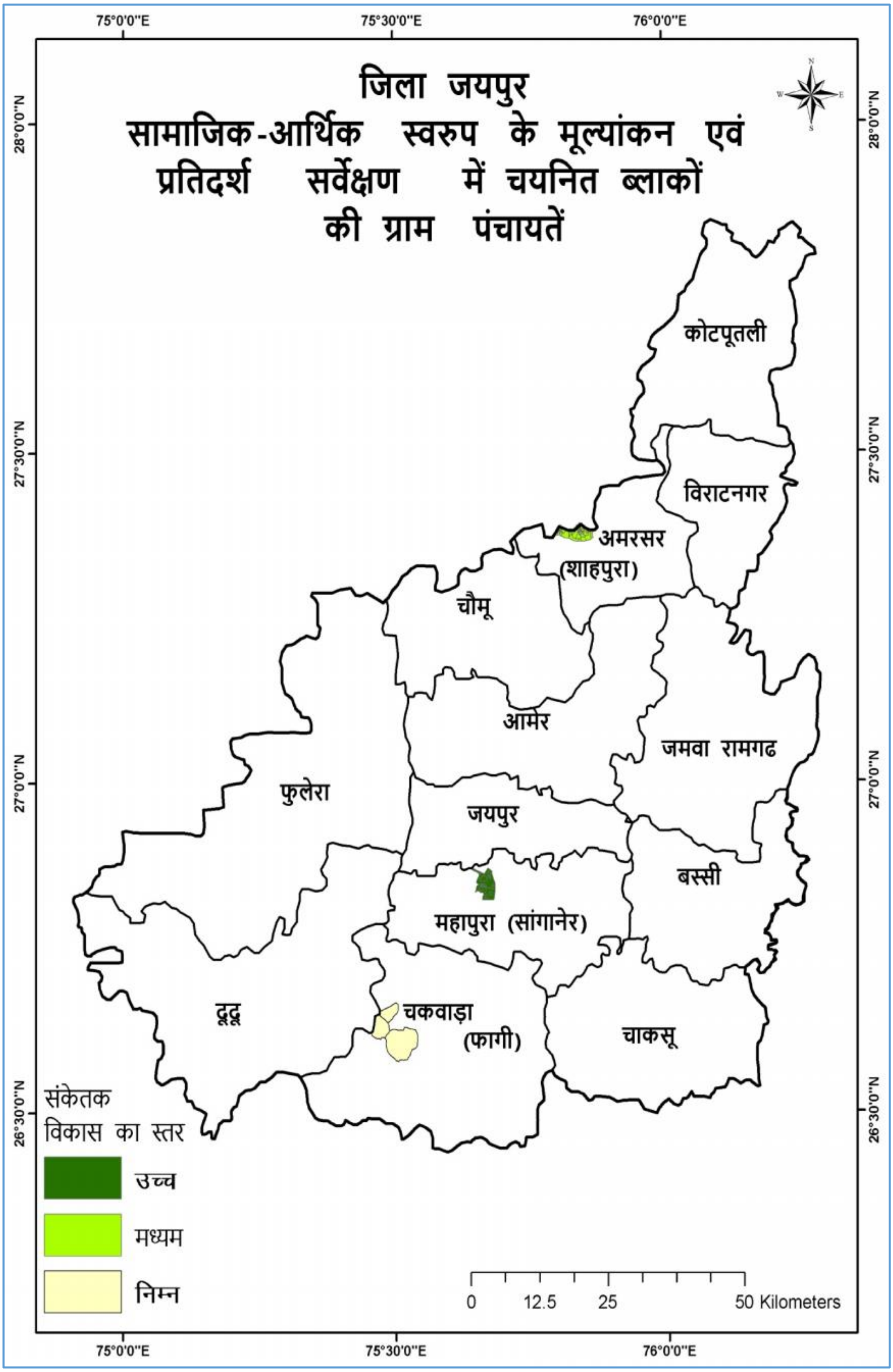

75°0'0"E
75°30'0"E
76°0'0"E
28°0'0"N
27°30'0"N
27°0'0"N
26°30'0"N
जिला जयपुर
सामाजिक-आर्थिक स्वरुप के मूल्यांकन एवं
प्रतिदर्श सर्वेक्षण में चयनित ब्लाकों
की ग्राम पंचायतें
कोटपूतली
विराटनगर
अमरसर
(शाहपुरा)
चौमू
आमेर
जमवा रामगढ
फुलेरा
जयपुर
बस्सी
महापुरा (सांगानेर)
दूदू
चकवाड़ा
(फागी)
चाकसू
संकेतक
विकास का स्तर
उच्च
मध्यम
निम्न
0
12.5
25
50 Kilometers

चयनित प्रतिदर्श ग्राम पंचायत

मनरेगा अधिनियम 2005 में एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई माना है। ग्राम पंचायत का क्षेत्र व्यापक होता है जो कम से–कम पाँच गांवों के समूहों से मिलकर बनती हैं यह ग्राम पंचायत मुख्यालय से कच्ची–पक्की सड़कों एवं पगडंडियों द्वारा जुड़े होते हैं। विभिन्न ग्रामों के अधिवास का प्रारूप भी अलग–अलग होता है जो एक–दूसरे से खेतों, चारागाहों द्वारा अलग किये जाते हैं।

मुख्य निवास क्षेत्र की स्थिति गांव के लगभग मध्य में होती है। जिसमें सामान्यतया उच्च जातियाँ निवास करती हैं। इसके चारों ओर छोटी–छोटी ढ़ाणियाँ बिखरी होती है जिनमें ज्यादातर कृषक समुदाय रहते हैं। गांव के चारों ओर निचली जातियों के अधिवास पाये जाते हैं। मुख्य आवास क्षेत्र एवं इसके चारों ओर स्थित ढ़ाणियाँ भौतिक रूप से अलग होते हुए भी कार्यात्मक तौर पर एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य करते हैं।

जहाँ तक भूमि उपयोग के प्रतिरूप का प्रश्न है इसमें सबसे उपजाऊ बहुफसली क्षेत्र आवास क्षेत्र के निकट सटा हुआ पाया जाता है। जबकि ग्राम की बाहरी सीमा की और भूमि की उत्पादकता उत्तरोत्तर घटती जाती है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ, एक फसली, बहुत कम सिंचाई या वर्षा की सिंचाई पर आधारित क्षेत्र होते हैं वर्तमान समय मनरेगा योजना में मनरेगा श्रमिकों द्वारा खेत सुधार एवं मेडबंदी कार्यों के द्वारा कृषक अपने खेतों को उपजाऊ बनाने का कार्य किया है। मनरेगा के तहत् इन खेतों में वृक्षारोपण, मेड़बन्दी, एनिकट आदि का निर्माण किया गया है जिससे वर्षा का जल संचय कर कृषि की जा सके। मनरेगा के दौरान कच्ची–पक्की सडकों का निर्माण हुआ जिससे सभी गांव आपस में एक–दूसरे से जुड़ सके हैं और पंचायत मुख्यालय को पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ा गया हैं इसी प्रकार प्राचीन ग्राम आज की तुलना में अधिक सघन बसे हुए थे, परन्तु अब उनमें प्रकीर्णन की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। जिसका कारण सामाजिक–आर्थिक क्रियाओं, यातायात प्रवाह, रोजगार की प्राप्ति आदि की दृष्टि से गांवों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुछ चयनित प्रतिदर्श ग्राम पंचायतों का अध्ययन ग्रामीण अधिवास के विभिन्न पक्षों के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए इस शोध में प्रमुखता से वर्णन किया गया हैं ये प्रतिदर्श ग्राम पंचायतें निम्नलिखित हैं–

महापुरा ग्राम पंचायत

स्थिति–यह ग्राम पंचायत जयपुर जिले के सांगानेर ब्लॉक में स्थित है। यह सांगानेर ब्लॉक मुख्यालय से 14 किमी दूर और जिला मुख्यालय जयपुर से 20 किमी दूर स्थित हैं ग्राम पंचायत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3778.06 हैक्टेयर है। महापुरा ग्राम पंचायत की कुल आबादी 6756 है। महापुरा ग्राम पंचायत में छत्रपुरा, लाल्या का बास और खटवाड़ा गांव और छोटी–छोटी ढ़ाणियाँ आती हैं। ग्राम पंचायत के आस–पास के गांवों में जान्या, अजमेर रोड़ पर रामचन्द्रपुरा, ठीकरिया उत्तर–पूर्व में सारंगपुरा अवस्थित हैं महापुरा ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित है। **(सन्दर्भ मानचित्र संख्या 25)**

भौगोलिक पृष्ठभूमि–महापुरा ग्राम पंचायत जयपुर जिले के सांगानेर ब्लॉक में अवस्थित हैं यह ग्राम पंचायत जयपुर शहर के निकट है इसका अधिकांश भाग जयपुर विकास प्राधिकरण और रीको क्षेत्र में पड़ता है। इस पंचायत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3778.06 हैक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। ग्राम पंचायत की भूमि का ढाल 10 मीटर प्रति किमी से भी कम हैं यहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती हैं यह ग्राम पंचायत राजस्थान के उत्तर–पश्चिम में स्थित है। इस कारण यहाँ की जलवायु अर्द्धशुष्क प्रकार की हैं औसत वार्षिक वर्षा 400–500 मि.मी. जबकि औसत वार्षिक तापमान 34 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है।

तालिका 5.5

महापुरा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011

जनसंख्या	**कुल**	**पुरूष**	**महिला**
जनसंख्या	6756	3488	3267
बच्चे (0–6)	1048	537	511
अनु. जाति	1451	753	698
अनु. जनजाति	932	483	449
साक्षरता	78.28%	86.58%	60.01%
कुल श्रमिक	2362	1031	1331
मुख्य श्रमिक	1973	995	978
सीमान्त श्रमिक	735	376	359

स्रोतः भारतीय जनगणना विभाग, 2011

मानचित्र संख्या 25

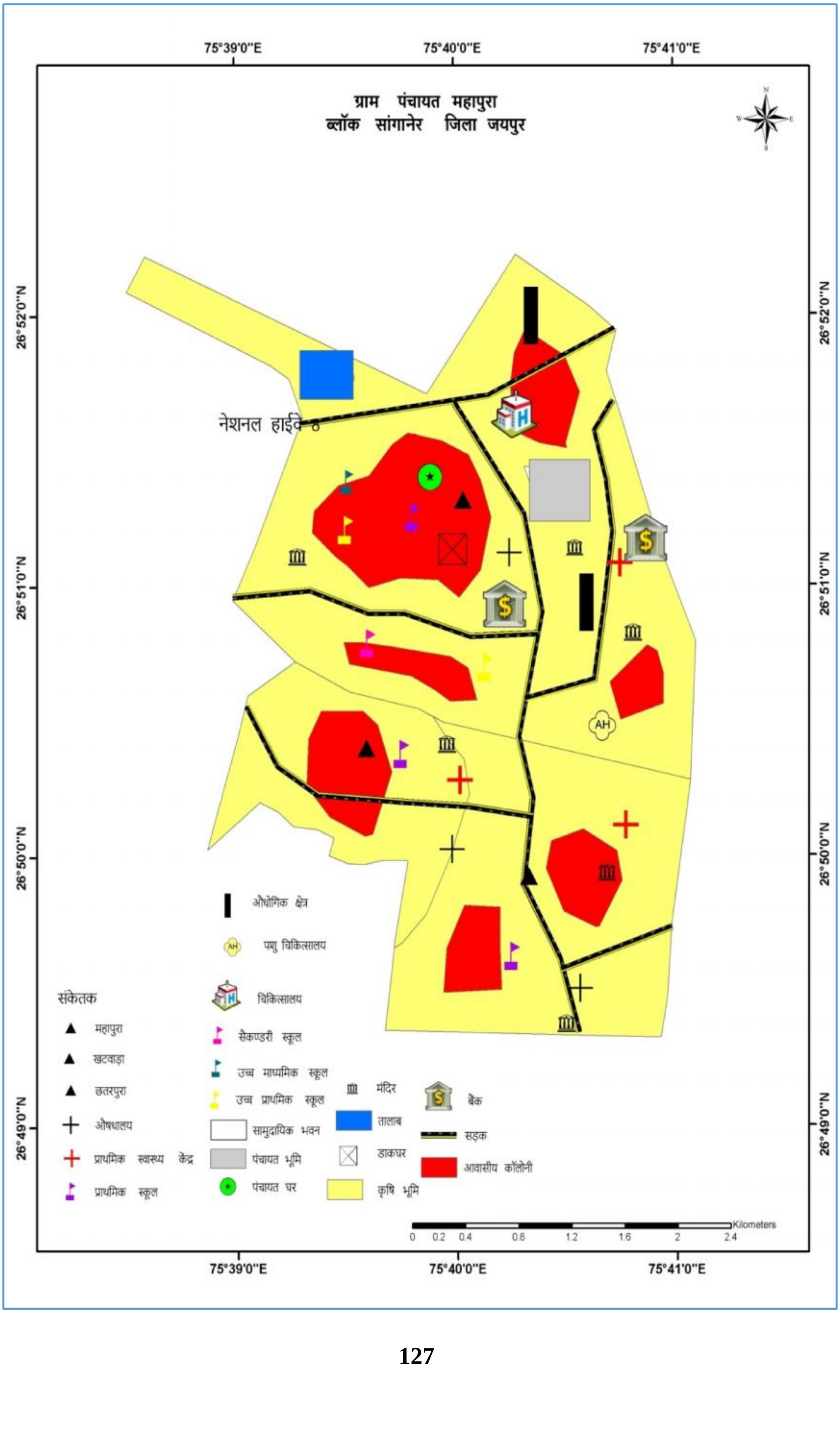

75°39'0"E
75°40'0"E
75°41'0"E
ग्राम पंचायत महापुरा
ब्लॉक सांगानेर जिला जयपुर
26°52'0"N
26°51'0"N
26°50'0"N
26°49'0"N
नेशनल हाईवे 8
AH
औद्योगिक क्षेत्र
पशु चिकित्सालय
चिकित्सालय
संकेतक
महापुरा
खटवाड़ा
छतरपुरा
औषधालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्कूल
सैकण्डरी स्कूल
उच्च माध्यमिक स्कूल
उच्च प्राथमिक स्कूल
सामुदायिक भवन
पंचायत भूमि
पंचायत घर
मंदिर
तालाब
डाकघर
कृषि भूमि
बैंक
सड़क
आवासीय कॉलोनी
Kilometers
0 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4

आरेख 5.1

महापुरा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011

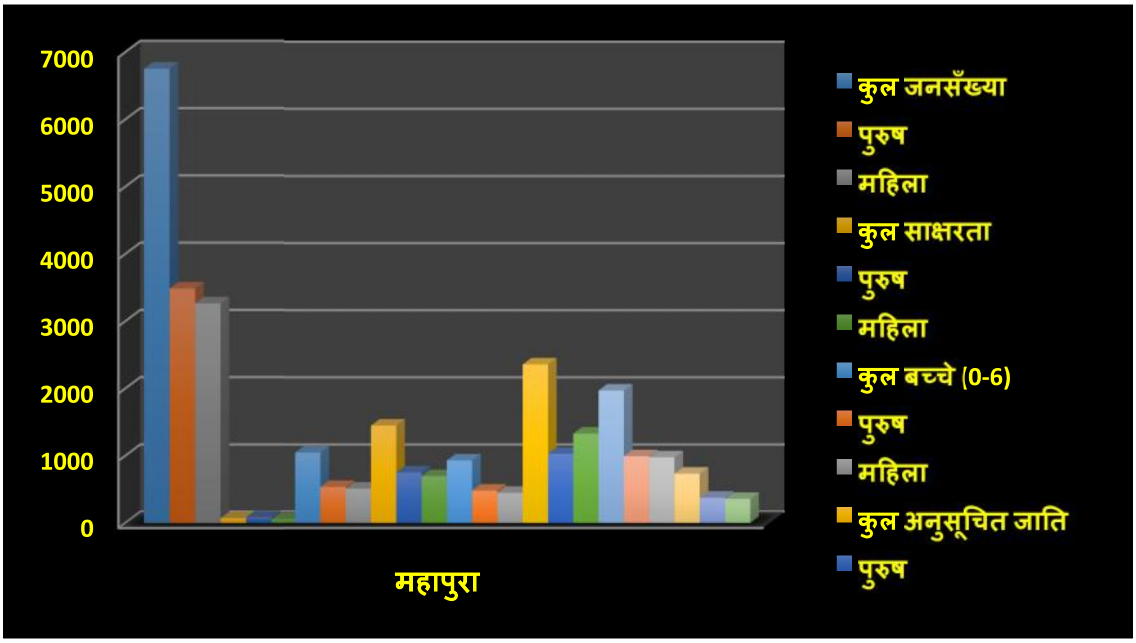

स्रोतः भारतीय जनगणना विभाग, 2011

महापुरा ग्राम पंचायत की सन् 2001 में 5270 जनसंख्या थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 6756 हो गयी। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर 22 प्रतिशत रही जो कि राज्य के औसत अनुपात से अधिक रही हैं वर्ष 2011 में गांव का लिंगानुपात 937 है जो जयपुर जिले के औसत से काफी अधिक है। गांव की साक्षरता दर 78.28 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 86.58 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 60 प्रतिशत रही है। ग्राम पंचायतों में कुल घरों की संख्या 1934 है। गांव में कुल श्रमिक 2362 हैं जो कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत है। इन श्रमिकों में से अधिकांशतः मनरेगा श्रमिक है।

भूमि उपयोग–महापुरा ग्राम पंचायत का राजस्व क्षेत्रफल 2347 हैक्टेयर है। सन् 2011 में सिंचित भूमि 1752.34 हैक्टेयर, कृषि योग्य बंजर भूमि 314.83 हैक्टेयर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 121.17 हैक्टेयर जबकि 158.66 हैक्टेयर भूमि असिंचित मय पड़त भूमि है।

तालिका 5.6

महापुरा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011

भूमि उपयोग का प्रकार	हैक्टेयर
वन	—
सिंचित भूमि	1752.34
असंचित मय पड़त भूमि	158.66
कृषि योग्य बंजर भूमि	314.83
कृषि के अनुपलब्ध भूमि	121.17

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

आरेख 5.2

महापुरा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011

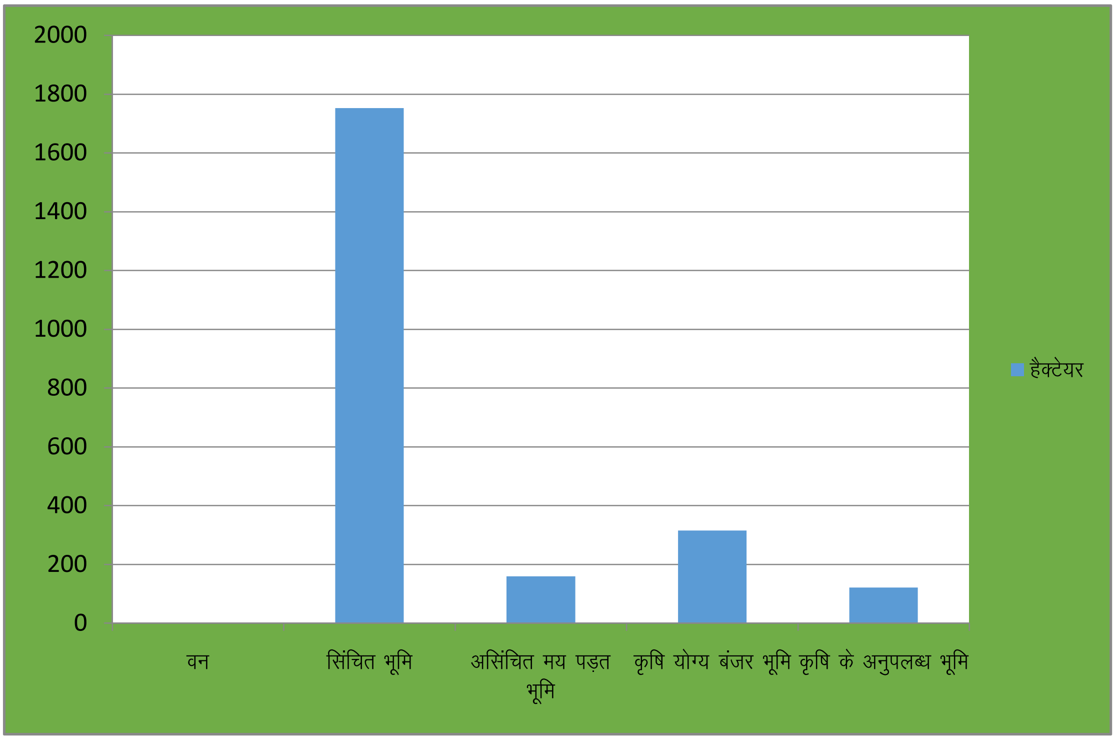

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

सिंचित क्षेत्र में ट्यूबवैलों द्वारा सिंचाई की जाती हैं यहाँ मुख्यतः गेहूँ, सरसों, जौ व चना रबी की फसलें व खरीफ की फसलों में बाजरा, ग्वार, मूंग बोया जाता है लेकिन भू–जल

स्तर में गिरावट के कारण और जयपुर शहर के नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र के लोग सब्जी पैदावार अधिक करते हैं।

पशुधन—महापुरा ग्राम पंचायत में वर्ष 2012 की पशुधन गणना में कुल पशुधन 4055 है जिसमें भैंस, गाय की संख्या अधिक है। तथा बकरी व भेड़ों की संख्या 1243 रही है गांव के लोगों का अन्य कार्यों में संलग्न होने के कारण पशुधन कम है।

आधारभूत सुविधायें—महापुरा ग्राम पंचायत में 2073 परिवार रहते हैं जो कि पूर्ण रूप से विद्युतीकृत है। गांव में शिक्षा के प्रति अत्यधिक रूझान है जिसके प्रमुख कारण जयपुर शहर के नजदीक होने के कारण समस्त शैक्षणिक संस्थाओं तक बच्चों की आसान पहुँच है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—8 ग्राम पंचायत के मध्य से होकर गुजरता हैं। पंचायत मुख्यालय पक्की रोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय की संख्या 5 है उच्च प्राथमिक विद्यालय 3, माध्यमिक विद्यालय 2 व 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त निजी विद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थान भी हैं। जयपुर शहर के नजदीक होने के कारण महापुरा ग्राम पंचायत का विकास तीव्र गति से हुआ है यहाँ सरकार के साथ—साथ निजी निवेश अधिक किया गया है। महापुरा ग्राम पंचायत में रीको के द्वारा औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित की गई हैं। वहीं उच्च शिक्षा के लिए निजी विश्वविद्यालय भी यहाँ संचालित है। ग्राम पंचायत आधुनिक संचार प्रणाली ब्राडबैण्ड से जुड़ी है। ग्राम पंचातय के लगभग सभी घरों में मोबाइल सुविधा उपलब्ध है। ग्राम पंचायत में पेयजल के लिए बीसलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होती हैं वहीं अन्य गांवों में 34 सरकारी ट्यूबवैलों के मध्यम से पेयजल की आपूर्ति होती है।

राजधानी के समीपस्थ होने के कारण यहाँ सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर समाचार—पत्रों में राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर प्रमुख है। इसके अलावा छात्र वर्ग अंग्रेजी न्यूज पेपर भी मंगाते हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पोस्ट ऑफिस व भारतीय स्टेट बैंक के साथ निजी क्षेत्र के बैंक भी हैं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा एक पशुचिकित्सा सेंटर भी है। 0—6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र भी संचालित है।

सामाजिक संरचना—महापुरा ग्राम पंचायत में सभी समाजों के लोग निवास करते हैं। यहाँ का अधिवास प्रारूप सघन न होकर प्रकीर्ण अधिवास वाली ग्राम पंचायत है। महापुरा ग्राम को छोड़कर अन्य गांव में आबादी कम है। महापुरा ग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग—8 पर अवस्थित होने के कारण इसका विकास राजमार्ग के दोनों तरफ अधिक हुआ है। जैसे—जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण का विस्तार होता गया वैसे—वैसे यहाँ के लोग कृषि भूमि को प्लाटों के रूप में

काटकर बेचने लगे इसके कारण यहाँ का आवासीय प्रतिरूप अधिक सघन होता चला गया। यहाँ सभी जातियों एवं धर्मों के लोग निवास करते हैं। जिसमें कुम्हार, रैगर, बलाई, सैनी, ब्राह्मण, जाट, यादव, मीणा आदि निवास करते हैं। महापुरा ग्राम पंचायत का सामाजिक जीवन उच्च स्तर का है क्योंकि यहाँ के लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है।

यहाँ लोगों का सरकारी सेवाओं के प्रति रूझान शुरू से है। जिनमें मुख्यतः शिक्षक, सेना, पेरामिलिट्री, नर्सिंग इत्यादि है। यहाँ के लोगों की ढूँढ़ाडी, राजावटी व हिन्दी भाषा है। यहाँ का पहनावा स्त्रियों का लहंगा, ब्लाऊज, ओढ़नी, पुरुषों का पायजामा, कुर्ता, धोती वर्तमान में नवयुवकों द्वारा जींस शर्ट लड़कियाँ सलवार सूट के साथ–साथ जींस भी पहनती हैं। शहरीकरण के कारण इनकी जीवन–शैली व पहनावे पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हैं यहाँ के लोगों का खान–पान पूर्णतः देशी है जिसमें बाजरे की रोटी व सरसों का साग प्रमुख हैं ग्राम पंचायत में यातायात की सुविधा के लिए ग्रामीण परिवहन बस सेवा के रूप में उलपब्ध है।

ग्राम पंचायत अमरसर

अमरसर ग्राम पंचायत जयपुर जिले के शाहपुरा ब्लॉक में स्थित है। यह उप जिला मुख्यालय शाहपुरा से 22 किमी दूर और जिला मुख्यालय जयपुर से 65 किमी दूर स्थित है। ग्राम ंपचायत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 11075 हैक्टेयर है। अमरसर ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 12725 है जिसमें अमरसर गांव की कुल जनसंख्या 5828 है। शाहपुरा अमरसर से निकटतम शहर है जो लगभग 22 किमी दूर है। यह ग्राम पंचायत जयपुर के उत्तर में स्थित हैं यहाँ की जलवायु अर्द्धशुष्क प्रकार की है। औसत वार्षिक वर्षा 300–350 मिमी है जबकि औसत वार्षिक तापमान 36–38 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। **(सन्दर्भ मानचित्र 26)**

जनसंख्या–वर्ष 2011 की जनगणना में अमरसर ग्राम पंचायत में कुल 2300 से अधिक घर थे। 2011 में कुल जनसंख्या 12725 हैं इनमें अमरसर ग्राम की जनसंख्या 5928 है जबकि पठानों के बास की 928 व पटेल नगर की जनसंख्या 1124 है व अन्य जनसंख्या ढ़ाणियों व कुओं पर छितराई हुई फैली है। जिसमें 7035 पुरूष तथा 5690 महिलाएँ हैं। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 9752 थी। 2001–'2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 31 प्रतिशत से भी अधिक रही है। 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत का लिंगानुपात 880 रहा है जो कि जयपुर जिले के औसत से कम हैं यहाँ 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 2763 है जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 14 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 5.7

अमरसर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2011

जनसंख्या	**कुल**	**पुरूष**	**महिला**
जनसंख्या	12725	7035	5690
बच्चे (0–6)	2763	1410	1353
अनु. जाति	1670	890	780
अनु. जनजाति	2479	1272	1207
साक्षरता	73%	93.83%	75.30%
कुल श्रमिक	5686	3643	2043
मुख्य श्रमिक	3347	1705	1642
सीमान्त श्रमिक	2339	1193	1146

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

आरेख संख्या 5.3

अमरसर ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2011

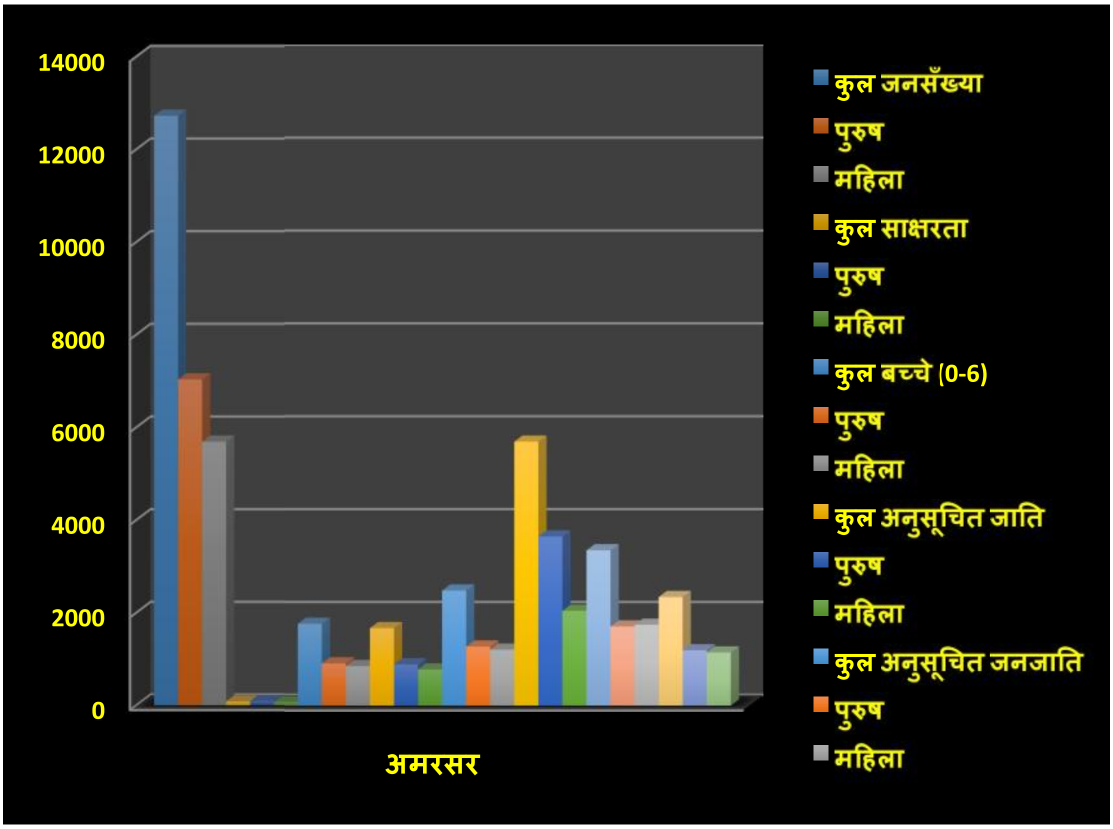

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

मानचित्र संख्या 26

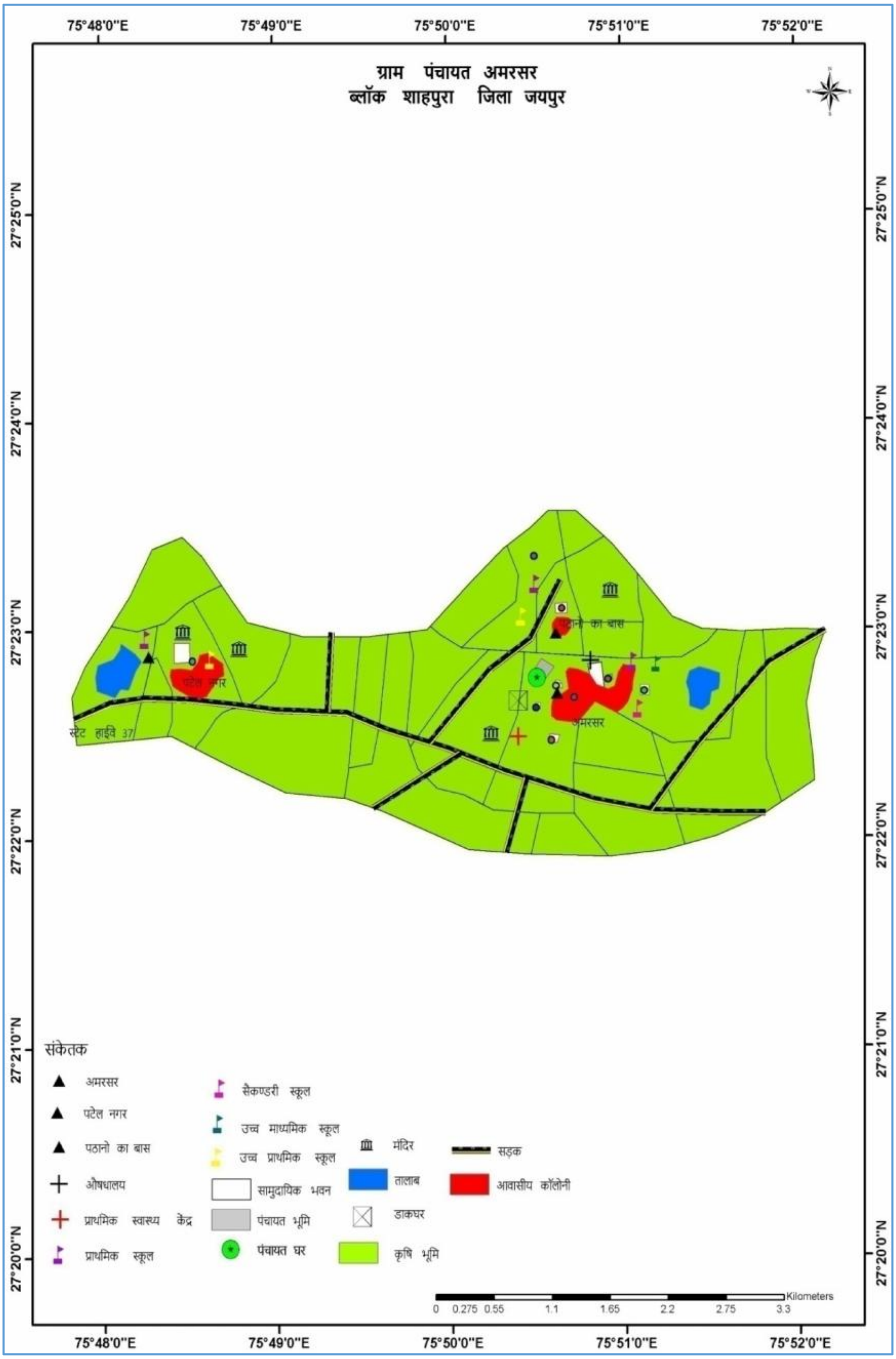
ग्राम पंचायत अमरसर
ब्लॉक शाहपुरा जिला जयपुर
75°48'0"E
75°49'0"E
75°50'0"E
75°51'0"E
75°52'0"E
27°25'0"N
27°24'0"N
27°23'0"N
27°22'0"N
27°21'0"N
27°20'0"N
पटेल नगर
अमरसर
स्टेट हाईवे 37
संकेतक
अमरसर
पटेल नगर
पठानो का बास
औषधालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्कूल
सैकण्डरी स्कूल
उच्च माध्यमिक स्कूल
उच्च प्राथमिक स्कूल
सामुदायिक भवन
पंचायत भूमि
पंचायत घर
मंदिर
तालाब
डाकघर
कृषि भूमि
सड़क
आवासीय कॉलोनी
0 0.275 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3
Kilometers

अमरसर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति की संख्या 1670 है जो कि कुल जनसंख्या के 13.4 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 2479 है जो कुल जनसंख्या का 19.83 प्रतिशत हैं यहाँ साक्षरता 84.73 प्रतिशत है जो इस गांव का शैक्षिक स्तर एवं जनसंख्या का प्रदर्शक है। जिसमें 93.83 प्रतिशत पुरूष साक्षरता तथा 75.30 प्रतिशत महिला साक्षरता है। महिला व पुरूष साक्षरता का अधिक होने का प्रमुख कारण शाहपुरा शहर व अजीतगढ़ कस्बे का नजदीक होना है। गांव में कुल श्रमिक 5686 है है जिसमें पुरूष श्रमिक 3643 हैं जबकि महिला श्रमिक 2043 है। कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत श्रमिक वर्ग है जिसमें काश्तकार, खेतीहर, मजदूर, पारिवारिक उद्योगों में संलग्न श्रमिक आते हैं।

भूमि उपयोग–अमरसर ग्राम पंचायत का राजस्व क्षेत्रफल 18956 हैक्टेयर है। सन् 2011 में सिंचित भूमि क्षेत्र 12387 हैक्टेयर, असिंचित मय पड़त भूमि 3027 हैक्टेयर, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 1002 हैक्टेयर तथा कृषि योग्य बंजर भूमि 2540 हैक्टेयर भूमि है।

तालिका 5.8

अमरसर ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011

भूमि उपयोग का प्रकार	**हैक्टेयर**
वन	–
सिंचित भूमि	12,387
असंचित मय पड़त भूमि	3027
कृषि योग्य बंजर भूमि	2540
कृषि के अनुपलब्ध भूमि	1002

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

आरेख 5.4

अमरसर ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011

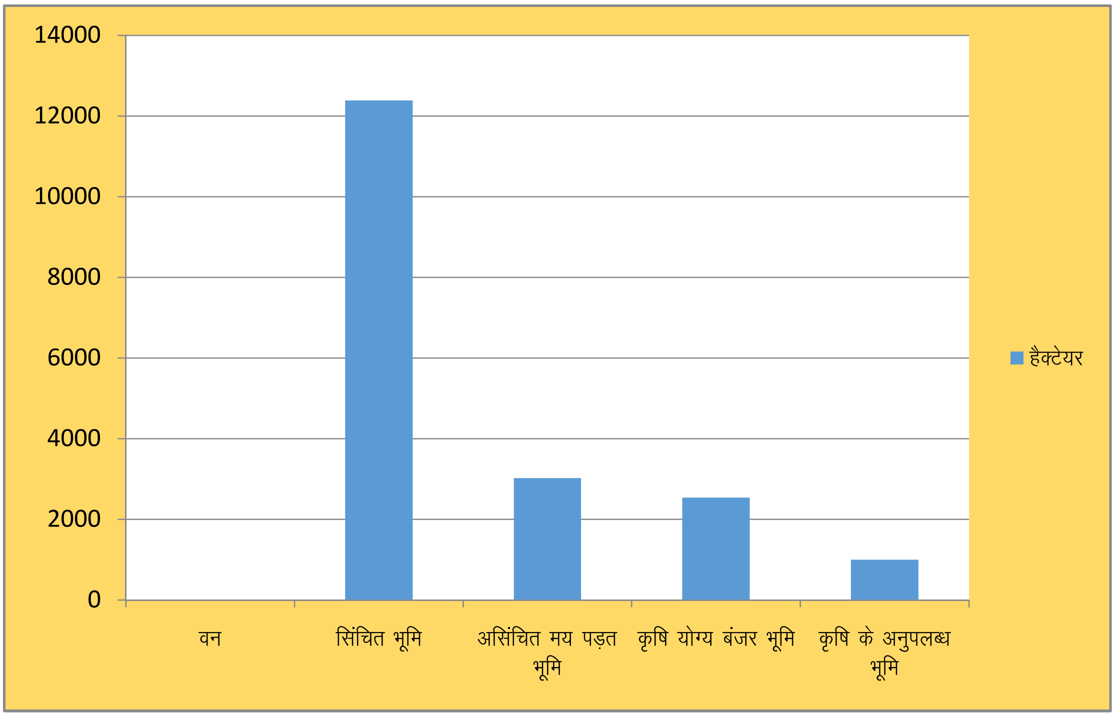

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोट

अमरसर ग्राम पंचायत में मुख्यत किसान बाजरा एवं गेहूँ की फसल का उत्पादन करते हैं। खरीफ फसलों में बाजरा, मूंगफली, ग्वार, मूंग का उत्पादन करते हैं जबकि रवी फसलों में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मैथी का उत्पादन करते हैं। वर्ष 2011 के उपरान्त इस क्षेत्र में लगातार भू–जल में गिरावट आने के कारण फसल प्रारूप एक फसली हो गया है अब यहाँ वर्षा ऋतु में सिर्फ खरीफ की फसल की पैदावार की जाती हैं शीत ऋतु में मावठ होने के कारण किसान तारामीरा एवं सरसों की खेती करते हैं।

पशुधन–अमरसर ग्राम पंचायत में कुल पशुधन 6000 के लगभग हैं। जिसमें भैंस गाय, बकरी, भेड़, ऊँट प्रमुखता से पाले जाते हैं। गांवों में चारागाह की अनुपलब्धता, बार–बार पड़ने वाले अकाल के कारण गांवों में पशुपालन पर कम ध्यान दिया जाता है लोग अन्य कार्यों में ज्यादा संलग्न है।

आधारभूत सुविधाएँ–अमरसर ग्राम पंचायत में शैक्षणिक दृष्टि ग्राम पंचायत पर एक सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, सैकण्डरी विद्यालय है पटेल नगर और पठानों का बास में उच्च

प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय है। पंचायत मुख्यालय ब्राडबैंड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, सहकारी खाद की दुकान, सरस डेयरी, आयुर्वेद व पशुचिकित्सा केन्द्र अवस्थित हैं पेयजल के लिए सार्वजनिक टंकी की सुविधा हैं पीने के पानी के लिए अमरसर में घर–घर पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था है। परिवहन के द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय अजीतगढ़, शाहपुरा, नायन व राडास से जुड़ा हुआ हैं सार्वजनिक परिवहन की सुविधा है। ग्रामीण परिवहन बस सेवा द्वारा नियमित परिवहन की सुविधा उपलबध कराई जाती हैं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिनी सहकारी बैंक व भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है। ग्राम पंचायत मुख्यालय आसपास के गांवों से कच्ची व पक्की सडकों द्वारा जुड़ा हुआ है। गांवों में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण और शौचालय हैं। ग्रांव में श्रमिक कृषि कार्यों के अतिरिक्त मनरेगा में मजदूरी करने जाते हैं। गांव में दैनिक समाचार–पत्रों के रूप में राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर की सुविधा उपलबध है। प्रत्येक घर में लगभग दो पहिया वाहन एवं मोबाइल फोन लोगों के पास उपलब्ध है।

सामाजिक संरचना–अमरसर ग्राम पंचायत की सामाजिक संरचना में विविधता पाई जाती है क्योंकि इस ग्राम पंचायत में सभी धर्मों मुख्यतः हिन्दू–मुस्लिम लोग निवास करते हैं और अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं। अमरसर गांव में सभी सातों जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, खेतीहर कौम व निचली जातियों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के 90 प्रतिशत लोगों का जीविका का साधन कृषि व कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ हैं। इसके अतिरिक्त दिहाड़ी मजदूरी के रूप में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करते हैं। गांव में 95 प्रतिशत पक्के मकानों का निर्माण है गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् इसका लाभ मिला है। मनरेगा के कारण लोगों को प्रत्यक्ष पैसा पहुँचने का लाभ मिला है। जिसका प्रभाव उनकी जीवन शैली पर भी पड़ा हैं जैसे सभी के पास मोबाईल होना, आधुनिक शैली का पहनावा जिसमें लड़के जींस व टी–शर्ट और लड़कियाँ में भी परम्परागत पोशाकों की जगह जींस व टी–शर्ट का प्रचलन आम हो गया है। यहाँ के लोग तोरावाटी व हिन्दी बोलते हैं। गांव में शिक्षा के प्रति अधिक रूझान है। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत में लगभग 150 से अधिक शिक्षक व 200 के लगभग युवा पुलिस और सेना की नौकरी में है। इस प्रकार सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से यह ग्राम पंचायत मध्यम विकास स्तर में आती है।

ग्राम पंचायत चकवाड़ा

चकवाड़ा ग्राम पंचायत फागी ब्लॉक में स्थित है। यह जयपुर जिले के दक्षिण–पश्चिम में स्थित हैं यह उप–जिला मुख्यालय फागी से 9 किमी दूर और जिला मुख्यालय जयपुर से 65

किमी दूर स्थित है। ग्राम पंचायत में चैनपुरा, भरतपुरा, शंकरपुरा और चकवाड़ा ग्राम आते हैं। इसके अलावा छोटी–छोटी ढ़ाणियाँ भी ग्राम पंचायत में आती है। इस ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल 4564 हैक्टेयर है जिसमें सबसे अधिक चकवाड़ा गांव का 2390 हैक्टेयर है। **(सन्दर्भ मानचित्र संख्या 27)**

भौगोलिक पृष्ठभूमि–चकवाड़ा ग्राम पंचायत दूदू विधानसभा क्षेत्र में आती है जबकि लोकसभा चुनावों में यह अजमेर क्षेत्र में पड़ती है। यह ग्राम पंचायत एक असमतल मैदानी भाग है जिसका ढ़ाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 600 मिमी होती है। जबकि औसत तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यहाँ की जलवायु अर्द्धशुष्क प्रकार की है। ग्राम पंचायत चकवाड़ा के निकटतम सबसे बड़ा शहर जयपुर हैं चकवाड़ा ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा गांव है जबकि इससे छोटा गांव शंकरपुरा है।

जनसंख्या–चकवाड़ा ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 6974 है। जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या चकवाड़ा गांव की 4468 है। जबकि चैनपुरा–भरतपुरा गांव की कुल जनसंख्या 460 हैं शेष जनसंख्या छोटी–छोटी ढ़ाणियों और कुओं पर निवास करती है। सन् 2001 की जनगणना में ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5760 थी। 2001 व 2011 के मध्य लगभग 17.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सिंचाई सुविधा, परिवहन के साधनों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है। वर्ष 2011 में गांव पंचायत का लिंगानुपात 978 था जो कि जयपुर जिले के औसत से अधिक था। चकवाड़ा ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है। साक्षरता दर 61.18 प्रतिशत है। जो जयपुर जिले से कम रही है।

तालिका 5.9

चकवाड़ा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011

जनसंख्या	कुल	पुरूष	महिला
जनसंख्या	6974	3526	3448
बच्चे (0–6)	1273	692	581
अनु. जाति	2324	1180	1144
अनु. जनजाति	1743	896	847
साक्षरता	61.18	78.12	54.40
कुल श्रमिक	2278	1110	1168
मुख्य श्रमिक	1650	790	860
सीमान्त श्रमिक	808	315	493

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

मानचित्र संख्या 27

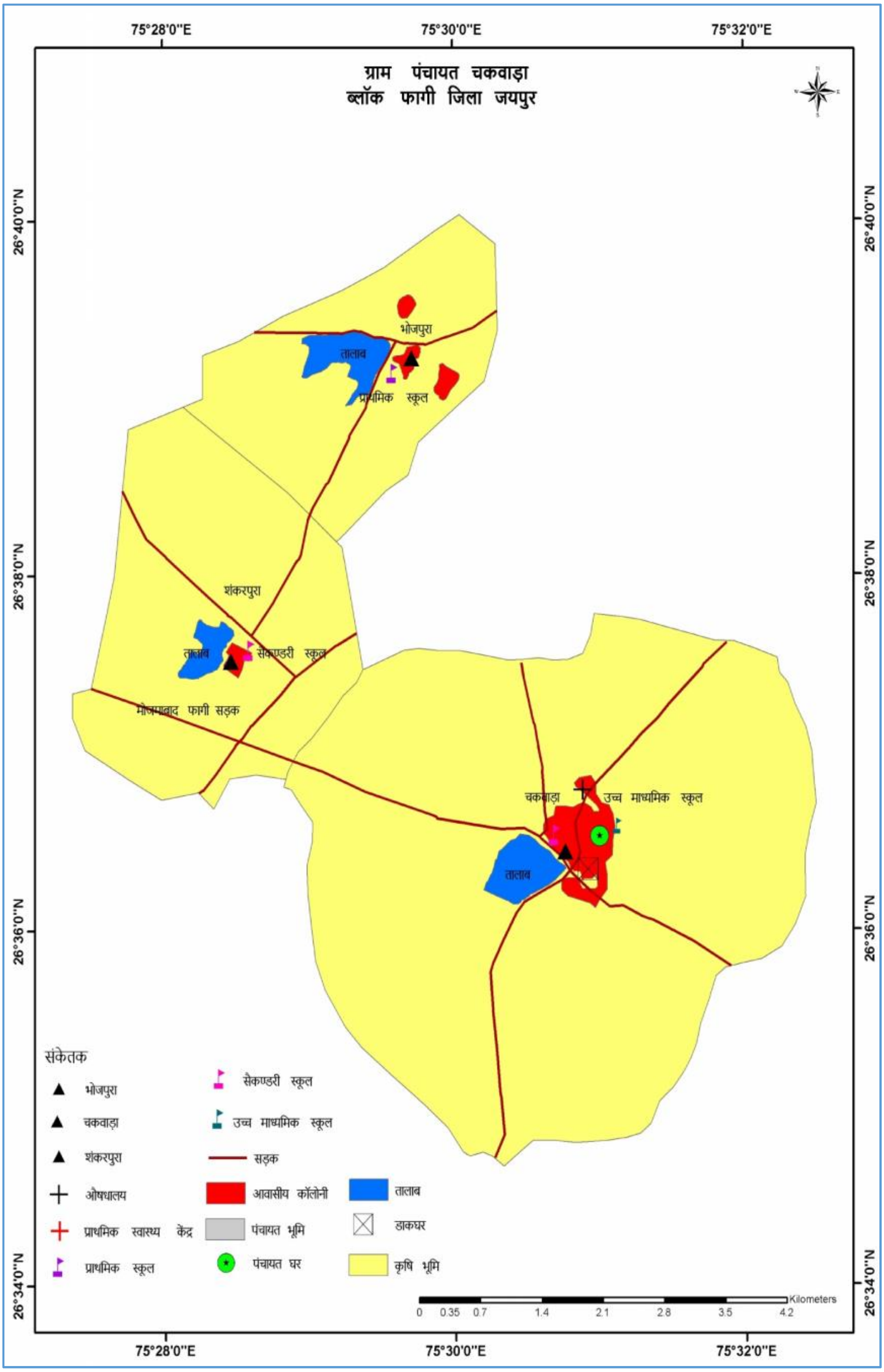

75°28'0"E
75°30'0"E
75°32'0"E
ग्राम पंचायत चकवाड़ा
ब्लॉक फागी जिला जयपुर
26°40'0"N
26°38'0"N
26°36'0"N
26°34'0"N
भोजपुरा
तालाब
प्राथमिक स्कूल
शंकरपुरा
तालाब
सैकण्डरी स्कूल
मौजमाबाद फागी सड़क
चकवाड़ा
उच्च माध्यमिक स्कूल
तालाब
संकेतक
भोजपुरा
चकवाड़ा
शंकरपुरा
औषधालय
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्कूल
सैकण्डरी स्कूल
उच्च माध्यमिक स्कूल
सड़क
आवासीय कॉलोनी
पंचायत भूमि
पंचायत घर
तालाब
डाकघर
कृषि भूमि
Kilometers
0 0.35 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2

आरेख 5.5

चकवाड़ा ग्राम पंचायत जनसंख्या 2011

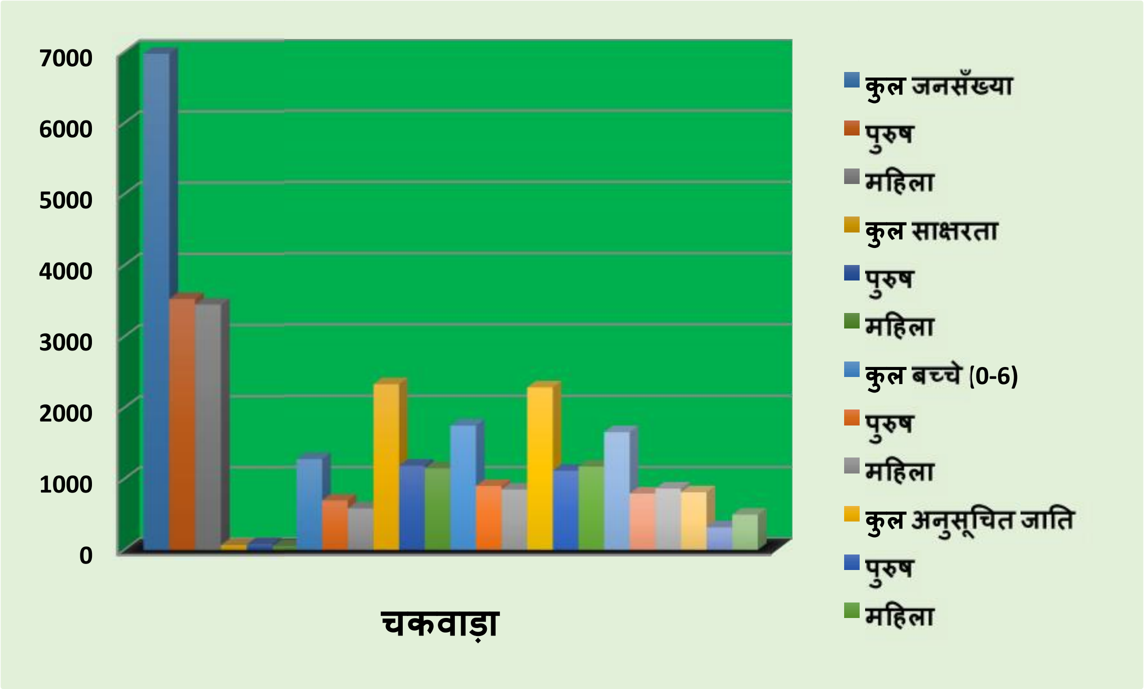

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

ग्राम पंचायत में पुरुष साक्षरता 78.12 एवं महिला साक्षरता 54.40 प्रतिशत है जो कि सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की कृषि कार्यो एवं घरेलू कार्यो में सहभागिता के कारण स्त्री साक्षरता कम रही है।

भूमि उपयोग–चकवाड़ा ग्राम पंचायत का राजस्व क्षेत्र 4564 हैक्टेयर है। सन् 2011 में सिंचित भूमि 3970.68 हैक्टेयर, कृषि योग्य बंजर भूमि 238.32 हैक्टेयर एवं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 130.88 हैक्टेयर भूमि है जबकि 107.44 हैक्टेयर क्षेत्रफल सिंचाई के बिना कृषि होती है।

सिंचाई अधिकतर नलकूपों एवं कुओं द्वारा की जाती हैं यहाँ खरीफ की फसल में बाजरा, मूंग, ज्वार, मूंगफली की खेती की जाती है। जबकि रबी की फसल में गेहूँ, सरसों, तारामीरा, चना इत्यादि की खेती की जाती है।

तालिका 5.10

चकवाड़ा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011

भूमि उपयोग का प्रकार	हैक्टेयर
वन	—
सिंचित भूमि	3970.68
असंचित मय पड़त भूमि	238.32
कृषि योग्य बंजर भूमि	107.44
कृषि के अनुपलब्ध भूमि	130.88

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

आरेख 5.6

चकवाड़ा ग्राम पंचायत भूमि उपयोग 2011

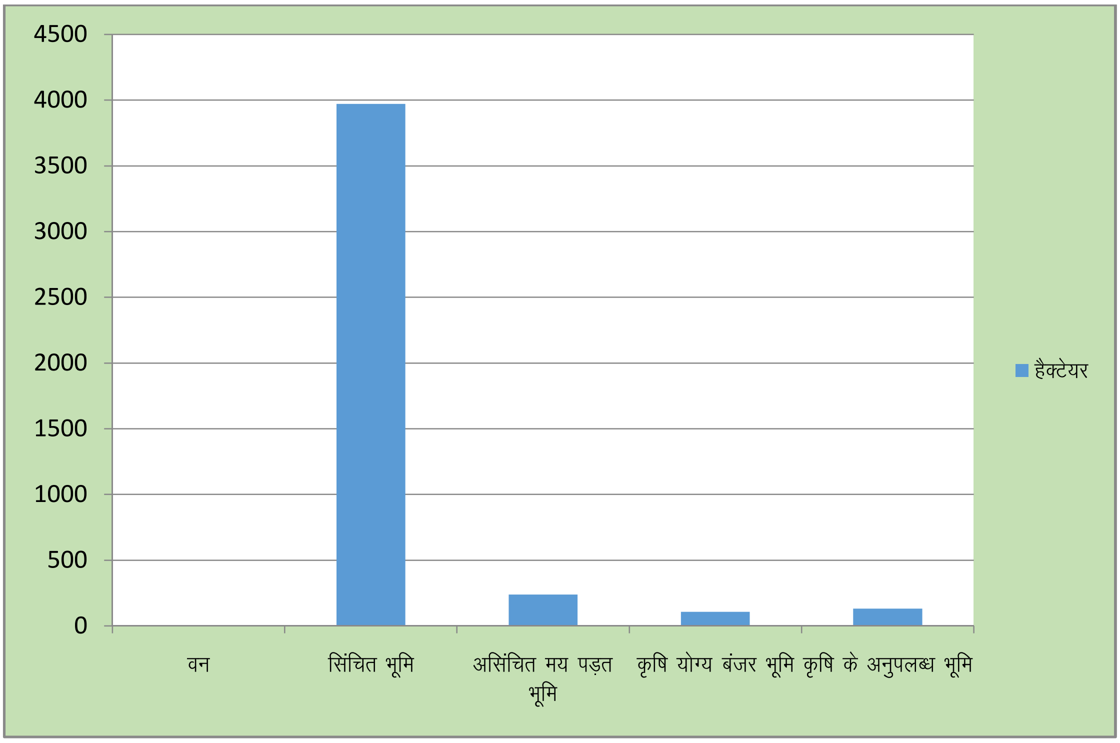

स्रोतः ग्राम सचिव पटवार रिपोर्ट

पशुधन–चकवाड़ा ग्राम पंचायत में कुल पशुधन 7651 के लगभग हैं। जिसमें भैंस गाय, बकरी, भेड़ ऊँट प्रमुखता से पाले जाते हैं। ग्राम पंचायत में दूधारू पशुओं के साथ–साथ मुर्गीपालन भी किया जा रहा है। जो कृषि के बाद आय का प्रमुख स्रोत है। गरीब लोग व

अधिकतर अनु. जाति व अनु. जनजाति के लोग घरेलू दूध की पूर्ति हेतु बकरी पालते हैं। पशु चिकित्सा उपकेन्द्र ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है।

आधारभूत सुविधाएँ–चकवाड़ा ग्राम पंचायत में पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल है व अन्य चैनपुरा–भरतपुरा और शंकरपुरा गांव में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम से पंचायत में एक छोटी डिस्पेन्सरी है जिसमें एक आशा कार्यकर्ता के साथ एक मेलनर्स कार्य करती है। प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र है जिसमें 0–6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ शिक्षा देने का कार्य करते हैं। लगभग कुछ घरों को छोड़कर सम्पूर्ण ग्राम पंचायत में लगभग 99.05 प्रतिशत विद्युतिकरण है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पंचायत समिति और जिला मुख्यालय से पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। व अन्य गांव कच्ची–पक्की सड़कों से ग्राम पंचायत से जुड़े हैं। ग्राम पंचायत भवन के पोस्ट ऑफिस है। ग्राम पंचायत में एक राशन वितरण प्रणाली की दूकान है। गांव में कोई बैंकिंग सुविधा नहीं है। इसके लिए नजदीक के कस्बे फागी, दूदू जाना पड़ता है।

सामाजिक संरचना–चकवाड़ा ग्राम पंचायत की सामाजिक संरचना अनेक विविधताअें को अपने समेटे हुए है। यहाँ अनेक छोटी–बड़ी जातियों के लोग निवास करते हैं। जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, यादव, जाट सैनी व निचली जातियों में चमार, बलाई, मीणा, हरिजन जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ का सामाजिक जीवन आपसी भाई–चारे व आत्मनिर्भरता पर आधारित है। सभी जातियों के लोग आपस में मिलजुलकर रहते हैं।

❒❒❒

अध्याय षष्ठम

सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय षष्ठम्

सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

6.1 शोध सारांश

प्रस्तुत शोध विषय का सम्बन्ध "जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)" विषय पर है। शोध विषय का सम्बन्ध जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषणात्मक एवं अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह विषय सामाजिक आर्थिक प्रगति की दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्व का है जिसका सम्बन्ध ग्रामीण सामाजिक–अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। देश के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इसी दिशा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आजीविका सुरक्षा के लिए महत्त्वाकांक्षी परियोजना की शुरूआत की जिसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी नरेगा के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ ओर इसे चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया गया। पहले चरण में इसे देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। वर्ष 2007–2008 के दौरान इसके दूसरे चरण में इसे 130 अन्य जिलों में क्रियान्वित किया गया। इसके तीसरे चरण में इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2008 से देश के शेष बचे सभी ग्रामीण जिलों में अधिसूचित किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जयपुर जिले के विकास में मनरेगा के महत्त्वपूर्ण भागीदारी और उसकी उपलब्धियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 1 अप्रैल, 2008 को मनरेगा लागू होने तक के इसके सफलतम प्रयासों का जानने का प्रयत्न किया गया है। जयपुर जिले की सभी ब्लॉकों में मनरेगा के कारण सफलतम बदलावों को देखा जा सकता हैं। सभी ब्लाकों के ग्राम पंयायतों में गांवों के अन्दर सीसी रोड़ और ब्लॉकों में सड़कों का जाल बिछाना, घर–घर शौचालयों का निर्माण, वर्षा जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जोहड़ निर्माण, चैक डैम का निर्माण इत्यादि कार्य सभी पंचायतों में समान रूप से हुये। इन कार्यों के परिणामस्वरूप गांवों की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है, क्योंकि गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ देने के कारण आवागमन के साधनों का तीव्र विकास हुआ जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। जैसे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिला, बागवानी और सब्जी की पैदावार करने वाले कृषकों की बाजार तक आसान पहुँच बढ़ी। वहीं शहरों की उपभोग की

वस्तुएँ भी ग्रामीण बाजारों में पहुँची जिससे अर्थव्यवसथा में तेजी आई और मांग और पूर्ति के अन्तर को पाटा गया। इसलिए मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं करवाये बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जिसका परिणाम हम 2008 में आई वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर ना के बराबर दिखाई दिया उसके पीछे भारत की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही माना जाता है।

विद्वानों में अनेक प्रकार के मिथक थे उन सब मिथकों को मनरेगा ने तोड़ने का कार्य किया है। जैसे गांवों की सामाजिक संरचना और जातिय संरचना को तोड़ने का कार्य किया मनरेगा ने, मनरेगा में सभी जातियों के लोगों को एक साथ मिलकर एक उद्देश्य अर्थात् गांव के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते देख समाजशास्त्रियों के तर्क फेल हो गये। सभी जातियों के श्रमिक एक ही कार्यस्थल पर कार्य करना, एक पेड़ की छांव में बैठना, एक घड़े में पानी पीना, एक साथ बैठकर भोजन करना और एक दूसरे का सहयोग करना इत्यादि बदलाव देखने को अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वह सामाजिक–आर्थिक कल्याण का कार्यक्रम मनरेगा ही है।

इसी प्रकार इसने गांवों की आर्थिक संरचना में भी बदलाव आया है। कल तक गांव के कमजोर और दुर्बल वर्ग के व्यक्ति बैंक के नाम से डरते थे, आज के मनरेगा श्रमिक के रूप में अपने वेतन का भुगतान बैंक से प्राप्त करते हैं। आज लोग अपनी न्यूनतम जरूरतों के लिए किसी सेठ साहूकार या जमींदार की कृपा पर आश्रित न रहकर मनरेगा श्रमिक के रूप में कार्य करने को ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए मनरेगा ने लोगों में आजीविका सुरक्षा का अवसर ही उपलब्ध नहीं करवाया बल्कि लोगों को काम करने की आजादी का चयन करने की स्वतन्त्रता का अवसर भी उपलब्ध कराया है।

इस प्रकार शोध प्रबन्ध में प्राथमिक अनुभवात्मक और व्यवहारिक स्रोतों से शोध सामग्री को एकत्रित करके इसे अधिक तर्कसंगत और व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है ताकि जयपुर जिले के संदर्भ में इसके परिणामों को अधिक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सारगर्भित और तार्किक ढंग से समझकर इसके सकारात्मक निष्कर्ष निकाले जा सके। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कतिपय निष्कर्ष उभरकर सामने आये हैं। जिनका विश्लेषण निम्न प्रकार से किया गया है–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जयपुर जिले की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास किया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगरी तथा प्राचीन कालीन रजवाड़ों की शरणस्थली रहा है। राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में स्थित जयपुर जिला 26º23´–27º57´

उत्तरी अक्षांश एवं 74°55´–76°50´ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। स्थलाकृतिक दृष्टिकोण से जयपुर जिला आर्कियन युग की अरावली श्रृंखला के पठारी क्षेत्र पर बसा हुआ है। जयपुर में नाहरगढ़, झालाना की पहाड़ियों के रूप में दिल्ली समूह का भाग भी पाया जाता है। इसके पूर्वी एवं उत्तरी भागों में अरावली की पर्वत श्रृंखला स्थित है तथा साथ ही विन्ध्ययन पर्वत श्रेणी का पर्वतीय भाग विस्तृत है। जिसमें खुदाई व खनन कार्य हो रहा है और पश्चिम क्षेत्र ग्रेनाइट तथा माइका चट्टानों की प्रधानता को प्रदर्शित करता है। जयपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा जलोढ़ मृदा वातोढ़ मृदा की एक मोटी परत से आच्छादित है। जयपुर का उत्तर व पूर्वी भाग पहाड़ियों द्वारा घिरा है जो की मैदानी भूमि से लगभग 200 मीटर की ऊँचाई लिये हुए है। जयपुर जिला औसत समुद्र तल से 431.90 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। जयपुर जिले की प्रमुख चोटियाँ मनोहरपुरा (747), नाहरगढ (599 मीटर), खो (920 मीटर), बरवाड़ा (786 मीटर), बैराठ (704 मीटर), व जयगढ़ (648 मीटर) है।

जयपुर जिले की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के आधार पर इस जिले की विभिन्न भागों में पायी जाने वाली चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार चट्टाने पायी जाती है। जिससे उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। इसके विपरित प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मृदा अनुपजाऊ होती है। लेकिन ऐसी चट्टानें धात्विक खनिजों की उपस्थिति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती है। जयपुर जिले में पाँच प्रकार की भूगर्भिक चट्टाने पायी जाती हैं। अपवाह तन्त्र दृष्टिकोण से बाणगंगा नदी जिले की प्रमुख नदी है। इस नदी पर रामगढ़ बांध का निर्माण किया गया है। ढूँढ नदी पर जयपुर शहर बसा हुआ है जिसे यूरोप की सीन नदी की उपमा दी जाती है। यह मोरेल की सहायक नदी है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जो उत्तरी जयपुर में बहते हुए अलवर में प्रवेश करती है। जयपुर जिले के दक्षिण–पश्चिम भाग में स्थित सांभर झील एक प्राकृतिक लवणीय झील है। नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, और आन्तरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण भी है। जयपुर शहरी क्षेत्र के अन्दर अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) एक प्रमुख जल अपवाह तंत्र का स्रोत है जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों से प्रारम्भ होकर शहर के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। जयपुर जिले के कुल क्षेत्रफल 11588 वर्ग किलोमीटर में से 948.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण पाया जाता है जो कुल क्षेत्रफल का 8.49 प्रतिशत है।

जयपुर जिला उपार्द्र जलवायु क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल है। यहाँ पर मौसम एवं जलवायु सम्बन्धी भिन्नताएँ पायी जाती हैं। यहाँ जलवायु के लक्षणों में उच्च तापमान, कम वर्षा तथा

ठण्डी शीतऋतु प्रमुख है। एक ओर जून माह में जहाँ सर्वाधिक तापमान पाया जाता हैं, वहीं दूसरी ओर जनवरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वर्षा सम्बन्धी दशाओं की प्राप्ति ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा होती है शेष 10 प्रतिशत वर्षा की प्राप्ति शीतकालीन चक्रवातों के माध्यम से होती है।

जयपुर जिले के विकास एवं बाहरी प्रवास के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सन् 1881 में इसकी जनसंख्या 1,42,578 थी जो 1981 में बढ़कर 10,15,160 हो गयी तथा 2011 में जनसंख्या 66,26,178 पर पहुँच गयी। इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि किस प्रकार कुछ दशकों में जयपुर जिले में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ी है। जयपुर जिले में इस अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जिले का जनघनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. पर पहुँच गया है। जो राजस्थान के सभी जिलों के जनघनत्व में सर्वाधिक जनघनत्व है। इस कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 33,67,879 तथा ग्रामीण जनसंख्या 32,58,299 है। जयपुर जिले की कुल जनसंख्या 66,26,178 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें 34,68,507 पुरुष और 31,57,671 स्त्रियाँ हैं। जनसंख्या का लिंगानुपात 910 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, 5 सितम्बर, 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित कर दिया गया जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियत किया गया।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनरेगा के आगमन से सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। शैक्षणिक सुविधाओं की दृष्टि से अगर देखा जाये तो प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2014–15 में 14.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जो कि एक अच्छे संकेत को दृष्टिगोचर करता है। शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त किये गये चरों में से स्वास्थ्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24.52 प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 33.33 प्रतिशत एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में 24.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत् करीब 635.17 प्रतिशत वृद्धि हुई है इसके साथ ही शौचालय निर्माण में 86 प्रतिशत, प्रत्येक ग्राम

पंचायत में तालाबों का निर्माण एवं विद्यालयों में खेल मैदानों के निर्माण में 67 प्रतिशत वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में सभी ग्रामों को विद्युतीकृत कर औद्योगिक स्वरूप को विस्तार मिला है तथा शक्तिचालित सिंचाई स्रोतों जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह वृद्धि व्यक्ति के आर्थिक विकास का सूचक है। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कारण लोगों को रोजगार मिला और रोजगार से आर्थिक समृद्धि बढ़ी।

शोध विषय हेतु चयनित प्रतिदर्श के रूप में जयपुर जिले की कुल 13 ब्लॉकों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि समस्त ब्लॉकों में मनरेगा के कारण कुछ कार्य जैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, निवास स्थान पर शौचालयों का निर्माण, सड़कों का निर्माण इत्यादि तो सभी ब्लॉकों में समान रूप से हुए हैं लेकिन कुछ ब्लॉकों अर्थात् अपेक्षाकृत पिछड़े ब्लॉकों जैसे दूदू, चाकसू, फागी, फुलेरा के अन्तर्गत कच्चे निर्माण कार्यों के साथ–साथ वर्षाजल संरक्षण के लिए कच्चे तालाबों का निर्माण, खेतों में मेडबन्दी, वृक्षारोपण इत्यादि कार्य अधिक मात्रा में किये गये हैं। इस प्रकार समग्र जिले के स्तर पर मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करने से पता चलता है कि 2005–06 और 2014–15 के दौरान जयपुर जिले में आर्थिक विकास तेज गति से हुआ है बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी तीव्र गति से बदलाव आया है जैसे लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ–साथ ग्रामीण लोगों के जीवन शैली में भी बदलाव देखने को मिला है।

जयपुर जिले की ब्लॉकों को सामाजिक–आर्थिक किवास स्तर के अनुसार तीन क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। इन क्षेत्रों में मनरेगा के परिणामस्वरूप सामाजिक व आर्थिक संकेतों में आये बदलावों का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय विधियों एवं विकास का स्तर पता लगाने के लिए प्रयुक्त किये गये तत्वों के मानक मूल्यों की सहायता ली गई है। जयपुर जिले में मनरेगा कार्यों के परिणमास्वरूप आये बदलावों को ज्ञात करने के लिए वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2014–15 के आंकड़ों में निम्नलिखित तत्वों का सहारा लिया गया है–

1. विद्युत आपूर्ति की सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
2. चिकित्सा सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
3. कुल क्षेत्र का कृषि क्षेत्रफल
4. कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र
5. साक्षरता प्रतिशत

6. पोस्ट ऑफिस सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत
7. संचार सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत
8. आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण
9. सड़कों का निर्माण
10. पेयजल सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत

विकास के स्तर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त तत्वों के आधार पर सांख्यिकीय विधियों एवं मानक मूल्यों की सहायता से दो सारणियों का निर्माण किया गया है। प्रयुक्त तत्वों के आंकड़ों एवं सूचनाओं की विविधता के कारण से मानक मूल्य ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है, जिससे तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

मनरेगा अधिनियम 2005 में एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने मनरेगा की बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई माना है। ग्राम पंचायत का क्षेत्र व्यापक होता है जो कम से–कम पाँच गांवों के समूहों से मिलकर बनती हैं यह ग्राम पंचायत मुख्यालय से कच्ची–पक्की सड़कों एवं पगडंडियों द्वारा जुड़े होते हैं। विभिन्न ग्रामों के अधिवास का प्रारूप भी अलग–अलग होता है जो एक–दूसरे से खेतों, चारागाहों द्वारा अलग किये जाते हैं।

मुख्य निवास क्षेत्र की स्थिति गांव के लगभग मध्य में होती है। जिसमें सामान्यतया उच्च जातियाँ निवास करती हैं। इसके चारों ओर छोटी–छोटी ढ़ाणियाँ बिखरी होती है जिनमें ज्यादातर कृषक समुदाय रहते हैं। गांव के चारों ओर निचली जातियों के अधिवास पाये जाते हैं। मुख्य आवास क्षेत्र एवं इसके चारों ओर स्थित ढ़ाणियाँ भौतिक रूप से अलग होते हुए भी कार्यात्मक तौर पर एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य करते हैं।

जहाँ तक भूमि उपयोग के प्रतिरूप का प्रश्न है इसमें सबसे उपजाऊ बहुफसली क्षेत्र आवास क्षेत्र के निकट सटा हुआ पाया जाता है। जबकि ग्राम की बाहरी सीमा की और भूमि की उत्पादकता उत्तरोत्तर घटती जाती है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ, एक फसली, बहुत कम सिंचाई या वर्षा की सिंचाई पर आधारित क्षेत्र होते हैं वर्तमान समय मनरेगा योजना में मनरेगा श्रमिकों द्वारा खेत सुधार एवं मेडबंदी कार्यों के द्वारा कृषक अपने खेतों को उपजाऊ बनाने का कार्य किया है। मनरेगा के तहत् इन खेतों में वृक्षारोपण, मेड़बन्दी, एनिकट आदि का निर्माण किया गया है जिससे वर्षा का जल संचय कर कृषि की जा सके। मनरेगा के दौरान कच्ची–पक्की सड़कों का निर्माण हुआ जिससे सभी गांव आपस में एक–दूसरे से जुड़ सके हैं और पंचायत

मुख्यालय को पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ा गया हैं इसी प्रकार प्राचीन ग्राम आज की तुलना में अधिक सघन बसे हुए थे, परन्तु अब उनमें प्रकीर्णन की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। जिसका कारण सामाजिक–आर्थिक क्रियाओं, यातायात प्रवाह, रोजगार की प्राप्ति आदि की दृष्टि से गांवों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

अतः एक लोकल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य की सफलता का आंकलन इस आधार पर किया जा सकता है कि उसने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर चढने में किस प्रकार राह दिखलाई है। मनरेगा को सच्चे अर्थों में ग्रामीण भारत के निर्धनतम और बेरोजगार लोगों की सामाजिक–आर्थिक प्रगति के वाहक के रूप में देखा जा सकता है। मनरेगा की इस सोच को यू.एन.डी.पी. की ग्लोबल ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट, 2005 से भी पहचान मिली है। ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरीमा' से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो प्रत्येक परिवार को अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को 100 दिन के गारंटीयुक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ते और परिवहन भत्ता (5 किमी से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान करता है। मनरेगा ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित कर समावेशी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास निश्चित ही सकारात्मक है। यदि इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए तो मनरेगा महज एक कल्याणकारी योजना बनकर रह जाने के बजाए, ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

'प्रोजेक्ट लाइफ' के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से मनरेगा कामगारों का कौशल विकास करने की परियोजना की शुरूआत की है। इससे मनरेगा में प्रशिक्षित श्रमिकों को तैयार किया जा सके और उनके माध्यम से गांवों में स्थायी और टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण कार्य करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न पहलों के मध्य समन्वय सभी कार्यकलापों की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) का विकास और सामाजिक लेखा व परीक्षण (Social Audits) के क्षमता विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन सभी उपायों के माध्यम से मनरेगा को अधिक कुशल और सक्षम तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के बदलाव के वाहक के रूप में लागू करना है।

मनरेगा व कृषि के मध्य बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत् 5 लाख से अधिक कुओं व तालाबों की खुदाई का लक्ष्य रखा गया है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए के लिये मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मीकंपोस्ट बनाने के लिए 10 लाख गड्डे बनाने का प्रस्ताव है। जयपुर जिले की बस्सी ब्लॉक के अनन्तपुरा, अखैपुरा, फाल्यावास, भूड़ला, सांभरिया और रोजवाड़ी गांवों में मनरेगा के तहत् बागवानी क्षेत्र से मनरेगा श्रमिकों को जोड़ा जा रहा है। जिससे मनरेगा श्रमिकों को बागवानी से लाभ हो सके। दूसरी और फसलों में रासायनिक खाद की जगह वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाने के लिए मनरेगा श्रमिकों से गड्डे खुदवाकर जैविक खाद तैयार करवाया जा रहा है। आमेर, जयपुर, सांगानेर और चौमू ब्लॉकों में इस कार्य को मनरेगा में शामिल कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद तैयार की जा रही है। बस्सी, चौमू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केन्द्र के रूप में जैतून और आंवला की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत् श्रमिकों को अभिनव पहल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार लाया जा सके।

उपलब्धियाँ

मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखने का आया है। गांवों में लोगों को आजीविका के पर्याप्त अवसर मिल रहे जिससे लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार आया है। इन उपलब्धियों को हम निम्न बिन्दुओं के आधार देख सकते हैं–

1) **मानव सृजन दिवस**–को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत जयपुर जिले में 18.96 लाख मानव दिवस सृजन किये गये जो कि अनुमोदित श्रम बजट से 7 प्रतिशत अधिक तथा गत 6 वर्षों में सर्वाधिक हैं वहीं सम्पूर्ण राजस्थान में मनरेगा मानव दिवस सृजन में 13वाँ स्थान है।

2) **महिलाओं की भागीदारी**–मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कुल मानव सृजन दिवस 18.96 लाख में से महिलाओं का 67प्रतिशत था जिसमें अनुसूचित जाति का 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का 22 प्रतिशत था।

3) **प्रति परिवार**–मनरेगा योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान प्रति परिवार उपलब्ध कराये औसत रोजगार दिवस 56 दिवस है जो अब तक का सबसे अधिकतम है।

4) **जॉब कार्ड**–मनरेगा योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में कुल जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या 31.51 लाख है। वहीं कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या 15.29 लाख (49 प्रतिशत) है।

5) **पलायन**–मनरेगा योजना आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों और पलायन में कमी देखी गयी है। जयपुर जिले में पलायन की औसत दर 1 अप्रैल, 2008 से दिसम्बर 2015 तक को इस प्रकार देख सकते हैं।

1 अप्रैल, 2008 को जयपुर जिले में मनरेगा लागू हुआ था। शुरूआत के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में लोगों की भागीदारी अधिक रही और लोगों को रोजगार के अवसर भी ग्राम स्तर पर ही मिलने लगा इससे पलायन की प्रकृति घटी। लेकिन 2010–11, 2012–13 के दौरान शहरों की और पलायन का प्रतिशत 2009–10 की तुलना में (18 प्रतिशत कुल श्रमिक आबादी का) इन वर्षों में बढ़कर 43 प्रतिशत पर पहुँच गया। जिसका मुख्य कारण मनरेगा से लोगों का मोहभंग होना, सरकार की उदासीनता रहा है और सरकार द्वारा बजट कटौती व श्रमिकों को वेतन भुगतान में देरी प्रमुख कारण रहा हैं। हालांकि 2013–14 और 2014–15 के दौरान पलायन में एक बार फिर कमी देखी गई और अब यह 37 प्रतिशत है।

6) **शौचालय**–मनरेगा के तहत् गांवों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों में से सांगानेर, जयपुर, आमेर, शाहपुरा कोटपूतली ब्लॉकों में तो 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण हो चुका है मनरेगा के तहत् जबकि शेष ब्लॉकों में अभी 86 प्रतिशत ही शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं अधिकांश ग्राम पंचायतें ओडीएफ मुक्त घोषित हो चुकी है।

7) **खेल मैदान**–मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक जयपुर जिले के सभी ब्लॉकों की पंचायतों में 67 प्रतिशत स्कूलों में खेल मैदान का निर्माण कार्य हो चुका है। शेष स्कूलों में कार्य किया जा रहा है।

8) **मजदूरी दर**–मनरेगा आने से पूर्व अकुशल मजदूरी दर 80 रुपये भी कम थी। मनरेगा आने के बाद मजदूरी दरों में बढ़ोतरी हुए और 1 अप्रैल, 2015 को मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 173 रुपये थी। जो कि 138.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मनरेगा आने से मजदूरों की ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और बारगेन पॉवर बढ़ी है। साथ ही इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा जैसे कृषि क्षेत्र में मजदूरी का बढ़ना।

9) **सड़क निर्माण**–मनरेगा के तहत् कच्ची व ग्रेवल सड़कों का निर्माण हुआ और आज प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी गांव कच्ची व पक्की सड़कों से एक–दूसरे से जुड़े हैं। मनरेगा के तहत् जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों में 7,856 किमी कच्ची व ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 तक पूर्ण कर लिया गया।

अन्य उपलब्धियाँ

- ग्रामीणों को महात्मा गांधी नरेगा से समाजिक–आर्थिक सुरक्षा मिली इसके परिणामस्वरूप गांवों में कई बदलाव भी देखे गये।
- महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने में।
- अनुसूचित जाति व अनु.जनजाति के लोगों का सशक्तिकरण।
- ग्रामीण इलाकों से शहरों की और पलायन पर रोक लगी।
- नरेगा कार्यो के तहत मिट्टी के कटाव में कमी।
- पर्यावरण अनुकूल रोजगार मिला।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और बारगेन पॉवर बढी।
- गरीबों के लिए मकान और शौचालयों का निर्माण हुआ।
- सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाने लगा।
- बारहमासी सड़कों का निर्माण।
- भूमि सुधार।
- ग्रामीण क्षेत्रो में विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण।
- सड़क किनारे व सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण।
- ग्रामीण क्षेत्रो में आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ।

– नरेगा के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में मजदूरी दर बढ़ी।

– महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।

मनरेगा में उत्पन्न समस्याएँ

1. तकनीकी क्षमता के अभाव में घटिया, अस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होने की शिकायतें आम हैं।
2. मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता की कमी।
3. मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, छाया, स्वास्थ्य सेवा एवं शिशु देखरेख का उचित प्रबन्धन का अभाव होना।
4. महंगाई के हिसाब से दैनिक मजदूरी कम प्राप्त होना।
5. मजदूरी का समय पर नहीं मिल पाना।
6. कृषि सर्वाधिक रोजगार देने वाला व्यवसाय है जिसे मनरेगा के तहत् जोड़ा नहीं गया है।
7. मनरेगा के तहत् अनुत्पादक कार्यों पर काम होता है, जिससे विकास दर कम दिखाई पड़ती है।
8. मांग के आधार पर रोजगार मुहैया नहीं करवा पाना।
9. मनरेगा के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में मजदूरी की समस्या बढ़ी है।
10. इस कार्यक्रम में स्थायी रोजगार नहीं मिलने के कारण प्रवास दर में अनुमान के अनुसार कमी नहीं आयी है।
11. यह योजना मानव श्रम आधारित है। इसमें मशीनों के उपयोग पर पाबन्दी होनी चाहिए।

6.2 समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

ग्राम पंचायत में इलाकाई जरूरत के हिसाब से कार्य ग्राम सभा तय करती है और इसको कराने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की ही होती है लेकिन परिसम्पत्तियों का टिकाऊ होना तकनीकी डिजाइन पर निर्भर करता है इसलिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी स्टॉफ देने की आवश्यकता है। तकनीकी क्षमता के अभाव में पंचायतें कमजोर हैं लिहाजा घटिया अस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होने की शिकायतें आम हैं। इसीलिए हाल ही में ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति ने राज्यों को पर्याप्त तकनीकी स्टॉफ देने की

सिफारिश की कि बड़ी आबादी के ग्राम पंचायतों में दो इंजीनियर जरूर हो। देश की यह पहली योजना है जो ग्राम पंचायत के माध्यम से ही क्रियान्वित होती हैं।

मनरेगा में कमजोरियाँ तो हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन इस योजना को राजनीतिक इच्छा शक्ति और पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाकर इसे अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। मनरेगा के कार्यान्वयन में राज्य सरकार और राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति अहम है जहाँ यह दोनों सकारात्मक हैं वहाँ की प्रशासन ने बहुत अच्छे काम किए हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमित सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। पंचायत की समस्त जानकारी को एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रकाशित करना है।

हालांकि सामाजिक–आर्थिक विकास स्तरों में विद्यमान विषमताओं का पूर्णतया समापन सम्भव नहीं है लेकिन इनका यथासम्भव न्यूनीकरण करने का प्रयास अनिवार्य है। जिसके लिए निम्नलिखित प्रयास मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर किये जा सकते हैं जिससे सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में समुचित प्रबंधन करते हुए इनके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनरेगा को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ सुझावों को निर्देशित किया गया है–

जल संरक्षण

मनरेगा योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण के कार्यों को अधिक संख्या में सम्मिलित करना। वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत् परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जिससे भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सके और भू–जल स्तर में सुधार किया जा सके। इसका लाभ यह होगा कि जयपुर जिले के जयपुर, आमेर और सांगानेर जैसे ब्लॉक जो भू–जल के अत्यधिक दोहन की वजह से डार्कजोन में चले गये ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल का समुचित प्रबंधन करके हम बेहतर तरीके से इस समस्या से निपट सकते हैं। मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले कार्य जैसे तालाबों का निर्माण, बावडियों की जीर्णोद्धार, एनीकट निर्माण, मेड़बन्दी आदि कार्यों के द्वारा समुचित जल संरक्षण के प्रयास किये जा सकते हैं।

सूखे की रोकथाम के अन्तर्गत वृक्षारोपण

मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम को समग्रता से और व्यापक स्तर पर शामिल कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे सूखे व बाढ़ जैसी विषय परिस्थितियों निपटा जा सके। व्यापक स्तर पर किया गया वृक्षारोपण सूखे की रोकथाम के साथ–साथ मरूस्थल के प्रसार, मिट्टी कटाव पर्यावरणी क्षति को भी रोकेगा। इसलिए मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिक के साथ–साथ ग्रामीण सडकों, राज्य मार्गों के सहारे भी वृक्षारोपण करके ध्वनि व वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भूमि विकास

मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत भूमि विकास एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। भूमि विकास एक व्यापक शब्द है इसके अन्तर्गत अनेक कार्यों को समाविष्ट किया जा सकता है। जैसे बंजर भूमि को उर्वरक भूमि में बदलना, व्यर्थ भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना इत्यादि कार्यों को मनरेगा के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए भूमि विकास के कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए इसलिए अगर मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत भूमि विकास पर अधिक बल दिया जायेगा तो इसका परिणाम कृषि पैदावार में सुधार होगा जिसका सापेक्ष लाभ किसानों को मिलेगा।

डेयरी विकास

मनरेगा के तहत् बंजर एवं व्यर्थ भूमि का विकास कर सामुदायिक चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। जिससे पशुपालन में वृद्धि होगी लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, डेयरी उद्योग का बढ़ावा मिलेगा। मनरेगा के अन्तर्गत सामुदायिक डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बागवानी

मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के साथ–साथ श्रमिकों को बागवानी के लिए प्रोत्साहन करना, बागवानी के अधिक पौधे लगाना, सामुदायिक स्तर पर बागवानी को प्रोत्साहन करना इत्यादि। अगर सरकार मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत बागवानी पर

अधिक बल देती है तो इससे श्रमिकों की भौतिक दशाओं में भी परिवर्तन आएगा और उत्पादक का स्तर भी बढ़ेगा।

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण

मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत गांवों को एक–दूसरे गांवों से सम्पर्क करने वाली मौसमी सड़कों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ना इससे गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आवागमन की आसान पहुँच होगी। इसलिए मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत कच्ची सड़कों का निर्माण, ग्रेवल सड़कों और डामरीकृत सड़कों के निर्माण कार्यो को सम्मिलित करने का प्रयास करना।

सामाजिक अंकेक्षण एवं जवाबदेहिता

सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को मनरेगा कार्यक्रम क्रियान्वयन में सुनिश्चित करना जिससे मनरेगा के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और इस कार्यक्रम में अधिक पारदर्शिता लायी जा सके।

कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएँ

मनरेगा कार्यस्थल पर मनरेगा श्रमिकों के लिए उचित मानवीय दशाएँ उपलब्ध हो जैसे पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ, छाया, शिशु देखरेख के लिए क्रेच का उचित प्रबंधन, महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का उचित प्रबंधन करने से मजदूरों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

- मनरेगा को लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ना जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, धातु के बर्तन, दरी, चटाई, सिलाई का कार्य, मसाला उद्योग एवं आचार उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलेगा एवं आर्थिक समृद्धता में वृद्धि होगी।
- मनरेगा का कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ना।
- मनरेगा के तहत् स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल देना चाहिए।
- इस कार्यक्रम के तहत् जैविक खाद उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा एवं मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। साथ ही बीमारियों में कमी आयेगी।
- नरेगा के तहत् लोगों को स्थायी रोजगार मुहैया करवाना चाहिए जिसे प्रवास में तीव्र कमी आ सके।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जयपुर जिले में मनरेगा के परिणामास्वरूप सामाजिक–आर्थिक स्वरूप में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ–साथ गुणात्मक परिवर्तन भी आया है। मनरेगा से विकास के साथ–साथ क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के कारकों में भी बदलाव आया है।

❑❑❑

शोध सार

शोध सार

सारांश किसी भी अध्ययन का मूल उद्देश्य होता है। मेरे शोध प्रबन्ध के अध्ययन क्षेत्र के अथाह ज्ञान का गहराई से विश्लेषण व संश्लेषण करने के पश्चात् इसके अनेक अनछुए पहलुओं को डाला गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य–

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–

1. मनरेगा के पूर्व एवं मनरेगा के पश्चात् ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. मनरेगा के फलस्वरूप जयपुर जिले में भूमि उपयोग में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. मनरेगा के फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन के सकारात्मक परिवर्तन का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रवास पर लगी रोक का अध्ययन करना।
5. पर्यावरण एवं जल प्रबन्धन में आये परिवर्तन का अध्ययन करना।
6. जिले में सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रवृत्ति ज्ञात करना।

जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका का स्तर क्षेत्र में अध्ययन से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई एवं उपरोक्त अध्ययन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर मनरेगा को अधिक प्रासंगिक एवं तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है आशा है कि इस क्षेत्र के विकास में अहम सहयोग मिलेगा।

शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध शीर्षक **"जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)"** पर निम्नलिखित परिकल्पनाएँ हैं–

1. मनरेगा से आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।
2. मनरेगा से श्रमिक प्रवास रूका है।
3. मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता में कमी हुई है।

4. मनरेगा के कारण ग्रामीण लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन आया है।

शोध विधि तंत्र

प्रस्तुत शोध संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया है। शोध मुख्यतः आंकडों के प्राथमिक स्रोत पर आधारित रहेगा जिसे निम्न तरीकों से प्राप्त किया गया है–

1. जिले का सर्वेक्षण
2. चयनित क्षेत्रों का सर्वेक्षण
3. मनरेगा श्रमिकों एवं सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ बातचीतों एवं साक्षात्कार द्वारा।

द्वितीयक स्रोतों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण मुख्यतः सरकारी प्रतिवेदनों, और मनरेगा से संबंधित पत्र–पत्रिकाओं द्वारा किया गया है।

अध्ययन के सही परिणाम प्राप्त करने के लिए एकत्रित अव्यवस्थित आंकडों का संक्षेपण, सारणीयन और विश्लेषण करके विभिन्न गणितीय व सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया है। अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के अध्ययन के लिए सारणी और मानचित्रों द्वारा अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। मनरेगा के दशक 2005–2015 को आधार मानकर मानक वर्ष 2005–2015 में आये दशकीय सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन से सम्बन्धित अध्ययन किया गया है तथा जयपुर जिले की समस्त ब्लाकों को क्षेत्रीय इकाई का आधार मानकर मनरेगा के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया तथा विविध गणितीय एवं सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुये अध्ययन का विश्लेषण किया गया एवं अध्ययन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मानचित्रों, आरेखों और सारणी का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015) देखने के लिए दो तथ्यों को चुना है।

1. सामयिक अन्तर देखना।
2. क्षेत्रीय अन्तर देखना।

सामयिक अन्तर देखने के लिए 2005–10 से 2011–2015 तक मनरेगा में किये गये कार्यों तथा सरकारी क्षेत्र के आंकड़ों में आये विभिन्न परिवर्तनों का तथा तकनीकीकरण के प्रभाव को आंकडों के अन्तर के आधार पर धनात्मक व ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है जिसे

भौगोलिक रूप से दर्शाने हेतु क्षेत्रीय अध्ययन की विभिन्न कार्टोग्राफी विधियों के माध्यम से जयपुर जिले कि विभिन्न तहसीलों में आयामों द्वारा दिखाया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में निम्न कार्यालयों से द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया है–

1. जिला गजेटियर्स जयपुर ।
2. भारतीय मौसम विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र जयपुर।
3. सांख्यिकी कार्यालय, जयपुर ।
4. उपक्षेत्रीय विकास मण्डल कार्यालय, जयपुर।
5. भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर।
6. भू–राजस्व मण्डल, अजमेर।

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध विषय का सम्बन्ध "जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005–2015)" विषय पर है। शोध विषय का सम्बन्ध जयपुर जिले के सामाजिक–आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषणात्मक एवं अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह विषय सामाजिक आर्थिक प्रगति की दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्व का है जिसका सम्बन्ध ग्रामीण सामाजिक–अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। देश के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इसी दिशा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आजीविका सुरक्षा के लिए महत्त्वाकांक्षी परियोजना की शुरूआत की जिसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी नरेगा के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ ओर इसे चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया गया। पहले चरण में इसे देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया। वर्ष 2007–2008 के दौरान इसके दूसरे चरण में इसे 130 अन्य जिलों में क्रियान्वित किया गया। इसके तीसरे चरण में इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2008 से देश के शेष बचे सभी ग्रामीण जिलों में अधिसूचित किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जयपुर जिले के विकास में मनरेगा के महत्त्वपूर्ण भागीदारी और उसकी उपलब्धियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 1 अप्रैल, 2008 को मनरेगा लागू होने तक के इसके सफलतम प्रयासों का जानने का प्रयत्न किया गया है। जयपुर जिले की सभी ब्लॉकों में मनरेगा के कारण सफलतम बदलावों को देखा जा

सकता हैं। सभी ब्लाकों के ग्राम पंयायतों में गांवों के अन्दर सीसी रोड़ और ब्लॉकों में सड़कों का जाल बिछाना, घर–घर शौचालयों का निर्माण, वर्षा जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जोहड़ निर्माण, चैक डैम का निर्माण इत्यादि कार्य सभी पंचायतों में समान रूप से हुये। इन कार्यों के परिणामस्वरूप गांवों की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है, क्योंकि गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ देने के कारण आवागमन के साधनों का तीव्र विकास हुआ जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला। जैसे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिला, बागवानी और सब्जी की पैदावार करने वाले कृषकों की बाजार तक आसान पहुँच बढ़ी। वहीं शहरों की उपभोग की वस्तुएँ भी ग्रामीण बाजारों में पहुँची जिससे अर्थव्यवसथा में तेजी आई और मांग और पूर्ति के अन्तर को पाटा गया। इसलिए मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ही उपलब्ध नहीं करवाये बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जिसका परिणाम हम 2008 में आई वैश्विक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर ना के बराबर दिखाई दिया उसके पीछे भारत की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही माना जाता है।

विद्वानों में अनेक प्रकार के मिथक थे उन सब मिथकों को मनरेगा ने तोड़ने का कार्य किया है। जैसे गांवों की सामाजिक संरचना और जातिय संरचना को तोड़ने का कार्य किया मनरेगा ने, मनरेगा में सभी जातियों के लोगों को एक साथ मिलकर एक उद्देश्य अर्थात् गांव के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते देख समाजशास्त्रियों के तर्क फेल हो गये। सभी जातियों के श्रमिक एक ही कार्यस्थल पर कार्य करना, एक पेड़ की छांव में बैठना, एक घड़े में पानी पीना, एक साथ बैठकर भोजन करना और एक दूसरे का सहयोग करना इत्यादि बदलाव देखने को अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वह सामाजिक–आर्थिक कल्याण का कार्यक्रम मनरेगा ही है।

इसी प्रकार इसने गांवों की आर्थिक संरचना में भी बदलाव आया है। कल तक गांव के कमजोर और दुर्बल वर्ग के व्यक्ति बैंक के नाम से डरते थे, आज के मनरेगा श्रमिक के रूप में अपने वेतन का भुगतान बैंक से प्राप्त करते हैं। आज लोग अपनी न्यूनतम जरूरतों के लिए किसी सेठ साहूकार या जमींदार की कृपा पर आश्रित न रहकर मनरेगा श्रमिक के रूप में कार्य करने को ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसलिए मनरेगा ने लोगों में आजीविका सुरक्षा का अवसर ही उपलब्ध नहीं करवाया बल्कि लोगों को काम करने की आजादी का चयन करने की स्वतन्त्रता का अवसर भी उपलब्ध कराया है।

इस प्रकार शोध प्रबन्ध में प्राथमिक अनुभवात्मक और व्यवहारिक स्रोतों से शोध सामग्री को एकत्रित करके इसे अधिक तर्कसंगत और व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया गया है ताकि जयपुर जिले के संदर्भ में इसके परिणामों को अधिक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सारगर्भित और तार्किक ढंग से समझकर इसके सकारात्मक निष्कर्ष निकाले जा सके। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कतिपय निष्कर्ष उभरकर सामने आये हैं। जिनका विश्लेषण निम्न प्रकार से किया गया है—

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जयपुर जिले की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास किया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगरी तथा प्राचीन कालीन रजवाड़ों की शरणस्थली रहा है। राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में स्थित जयपुर जिला 26º23′—27º57′ उत्तरी अक्षांश एवं 74º55′—76º50′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। स्थलाकृतिक दृष्टिकोण से जयपुर जिला आर्कियन युग की अरावली शृंखला के पठारी क्षेत्र पर बसा हुआ है। जयपुर में नाहरगढ़, झालाना की पहाड़ियों के रूप में दिल्ली समूह का भाग भी पाया जाता है। इसके पूर्वी एवं उत्तरी भागों में अरावली की पर्वत शृंखला स्थित है तथा साथ ही विन्ध्ययन पर्वत श्रेणी का पर्वतीय भाग विस्तृत है। जिसमें खुदाई व खनन कार्य हो रहा है और पश्चिम क्षेत्र ग्रेनाइट तथा माइका चट्टानों की प्रधानता को प्रदर्शित करता है। जयपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा जलोढ़ मृदा वातोढ़ मृदा की एक मोटी परत से आच्छादित है। जयपुर का उत्तर व पूर्वी भाग पहाड़ियों द्वारा घिरा है जो की मैदानी भूमि से लगभग 200 मीटर की ऊँचाई लिये हुए है। जयपुर जिला औसत समुद्र तल से 431.90 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। जयपुर जिले की प्रमुख चोटियाँ मनोहरपुरा (747), नाहरगढ (599 मीटर), खो (920 मीटर), बरवाड़ा (786 मीटर), बैराठ (704 मीटर), व जयगढ़ (648 मीटर) है।

जयपुर जिले की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के आधार पर इस जिले की विभिन्न भागों में पायी जाने वाली चट्टानों के स्वरूप एवं प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार चट्टाने पायी जाती है। जिससे उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। इसके विपरित प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मृदा अनुपजाऊ होती है। लेकिन ऐसी चट्टानें धात्विक खनिजों की उपस्थिति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती है। जयपुर जिले में पाँच प्रकार की भूगर्भिक चट्टाने पायी जाती हैं। अपवाह तन्त्र दृष्टिकोण से बाणगंगा नदी जिले की प्रमुख नदी है। इस नदी पर रामगढ़ बांध का निर्माण किया गया है। ढूँढ नदी पर जयपुर शहर बसा हुआ है जिसे यूरोप की सीन नदी की उपमा दी जाती है। यह मोरेल की सहायक नदी है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जो उत्तरी जयपुर में बहते हुए अलवर में प्रवेश करती है। जयपुर जिले के दक्षिण—पश्चिम भाग में स्थित सांभर झील एक

प्राकृतिक लवणीय झील है। नमक उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, और आन्तरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण भी है। जयपुर शहरी क्षेत्र के अन्दर अमानीशाह नाला (द्रव्यवती नदी) एक प्रमुख जल अपवाह तंत्र का स्रोत है जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों से प्रारम्भ होकर शहर के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। जयपुर जिले के कुल क्षेत्रफल 11588 वर्ग किलोमीटर में से 948.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण पाया जाता है जो कुल क्षेत्रफल का 8.49 प्रतिशत है।

जयपुर जिला उपार्द्र जलवायु क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल है। यहाँ पर मौसम एवं जलवायु सम्बन्धी भिन्नताएँ पायी जाती हैं। यहाँ जलवायु के लक्षणों में उच्च तापमान, कम वर्षा तथा ठण्डी शीतऋतु प्रमुख है। एक ओर जून माह में जहाँ सर्वाधिक तापमान पाया जाता हैं, वहीं दूसरी ओर जनवरी में सबसे कम न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वर्षा सम्बन्धी दशाओं की प्राप्ति ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा होती है शेष 10 प्रतिशत वर्षा की प्राप्ति शीतकालीन चक्रवातों के माध्यम से होती है।

जयपुर जिले के विकास एवं बाहरी प्रवास के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सन् 1881 में इसकी जनसंख्या 1,42,578 थी जो 1981 में बढ़कर 10,15,160 हो गयी तथा 2011 में जनसंख्या 66,26,178 पर पहुँच गयी। इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि किस प्रकार कुछ दशकों में जयपुर जिले में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ी है। जयपुर जिले में इस अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जिले का जनघनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. पर पहुँच गया है। जो राजस्थान के सभी जिलों के जनघनत्व में सर्वाधिक जनघनत्व है। इस कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 33,67,879 तथा ग्रामीण जनसंख्या 32,58,299 है। जयपुर जिले की कुल जनसंख्या 66,26,178 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिसमें 34,68,507 पुरुष और 31,57,671 स्त्रियाँ हैं। जनसंख्या का लिंगानुपात 910 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, 5 सितम्बर, 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित कर दिया गया जिसमें देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियत किया गया।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनरेगा के आगमन से सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। शैक्षणिक सुविधाओं की दृष्टि से अगर देखा जाये तो प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2005–06 की तुलना में वर्ष 2014–15 में 14.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जो कि एक अच्छे संकेत को दृष्टिगोचर करता है। शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त किये गये चरों में से स्वास्थ्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24.52 प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 33.33 प्रतिशत एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों में 24.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत् करीब 635.17 प्रतिशत वृद्धि हुई है इसके साथ ही शौचालय निर्माण में 86 प्रतिशत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में तालाबों का निर्माण एवं विद्यालयों में खेल मैदानों के निर्माण में 67 प्रतिशत वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में सभी ग्रामों को विद्युतीकृत कर औद्योगिक स्वरूप को विस्तार मिला है तथा शक्तिचालित सिंचाई स्रोतों जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह वृद्धि व्यक्ति के आर्थिक विकास का सूचक है। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कारण लोगों को रोजगार मिला और रोजगार से आर्थिक समृद्धि बढ़ी।

शोध विषय हेतु चयनित प्रतिदर्श के रूप में जयपुर जिले की कुल 13 ब्लॉकों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि समस्त ब्लॉकों में मनरेगा के कारण कुछ कार्य जैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, निवास स्थान पर शौचालयों का निर्माण, सड़कों का निर्माण इत्यादि तो सभी ब्लॉकों में समान रूप से हुए हैं लेकिन कुछ ब्लॉकों अर्थात् अपेक्षाकृत पिछड़े ब्लॉकों जैसे दूदू, चाकसू, फागी, फुलेरा के अन्तर्गत कच्चे निर्माण कार्यों के साथ–साथ वर्षाजल संरक्षण के लिए कच्चे तालाबों का निर्माण, खेतों में मेडबन्दी, वृक्षारोपण इत्यादि कार्य अधिक मात्रा में किये गये हैं। इस प्रकार समग्र जिले के स्तर पर मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करने से पता चलता है कि 2005–06 और 2014–15 के दौरान जयपुर जिले में आर्थिक विकास तेज गति से हुआ है बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी तीव्र गति से बदलाव आया है जैसे लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ–साथ ग्रामीण लोगों के जीवन शैली में भी बदलाव देखने को मिला है।

जयपुर जिले की ब्लॉकों को सामाजिक–आर्थिक किवास स्तर के अनुसार तीन क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। इन क्षेत्रों में मनरेगा के परिणामस्वरूप सामाजिक व आर्थिक संकेतों में आये बदलावों का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय विधियों एवं विकास का स्तर पता लगाने के लिए प्रयुक्त किये गये तत्वों के मानक मूल्यों की सहायता ली गई है। जयपुर जिले में

मनरेगा कार्यों के परिणमास्वरूप आये बदलावों को ज्ञात करने के लिए वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2014–15 के आंकड़ों में निम्नलिखित तत्वों का सहारा लिया गया है–

1. विद्युत आपूर्ति की सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
2. चिकित्सा सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
3. कुल क्षेत्र का कृषि क्षेत्रफल
4. कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र
5. साक्षरता प्रतिशत
6. पोस्ट ऑफिस सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत
7. संचार सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत
8. आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण
9. सड़कों का निर्माण
10. पेयजल सुविधायुक्त गांवों का प्रतिशत

विकास के स्तर का पता लगाने के लिए प्रयुक्त तत्वों के आधार पर सांख्यिकीय विधियों एवं मानक मूल्यों की सहायता से दो सारणियों का निर्माण किया गया है। प्रयुक्त तत्वों के आंकड़ों एवं सूचनाओं की विविधता के कारण से मानक मूल्य ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है, जिससे तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

मनरेगा अधिनियम 2005 में एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने मनरेगा की बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई माना है। ग्राम पंचायत का क्षेत्र व्यापक होता है जो कम से–कम पाँच गांवों के समूहों से मिलकर बनती हैं यह ग्राम पंचायत मुख्यालय से कच्ची–पक्की सड़कों एवं पगडंडियों द्वारा जुड़े होते हैं। विभिन्न ग्रामों के अधिवास का प्रारूप भी अलग–अलग होता है जो एक–दूसरे से खेतों, चारागाहों द्वारा अलग किये जाते हैं।

मुख्य निवास क्षेत्र की स्थिति गांव के लगभग मध्य में होती है। जिसमें सामान्यतया उच्च जातियाँ निवास करती हैं। इसके चारों ओर छोटी–छोटी ढ़ाणियाँ बिखरी होती है जिनमें ज्यादातर कृषक समुदाय रहते हैं। गांव के चारों ओर निचली जातियों के अधिवास पाये जाते हैं। मुख्य आवास क्षेत्र एवं इसके चारों ओर स्थित ढ़ाणियाँ भौतिक रूप से अलग होते हुए भी कार्यात्मक तौर पर एक संयुक्त इकाई के रूप में कार्य करते हैं।

जहाँ तक भूमि उपयोग के प्रतिरूप का प्रश्न है इसमें सबसे उपजाऊ बहुफसली क्षेत्र आवास क्षेत्र के निकट सटा हुआ पाया जाता है। जबकि ग्राम की बाहरी सीमा की और भूमि की उत्पादकता उत्तरोत्तर घटती जाती है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ, एक फसली, बहुत कम सिंचाई या वर्षा की सिंचाई पर आधारित क्षेत्र होते हैं वर्तमान समय मनरेगा योजना में मनरेगा श्रमिकों द्वारा खेत सुधार एवं मेडबंदी कार्यों के द्वारा कृषक अपने खेतों को उपजाऊ बनाने का कार्य किया है। मनरेगा के तहत् इन खेतों में वृक्षारोपण, मेड़बन्दी, एनिकट आदि का निर्माण किया गया है जिससे वर्षा का जल संचय कर कृषि की जा सके। मनरेगा के दौरान कच्ची–पक्की सडत्रकों का निर्माण हुआ जिससे सभी गांव आपस में एक–दूसरे से जुड़ सके हैं और पंचायत मुख्यालय को पंचायत समिति मुख्यालय से जोड़ा गया हैं इसी प्रकार प्राचीन ग्राम आज की तुलना में अधिक सघन बसे हुए थे, परन्तु अब उनमें प्रकीर्णन की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। जिसका कारण सामाजिक–आर्थिक क्रियाओं, यातायात प्रवाह, रोजगार की प्राप्ति आदि की दृष्टि से गांवों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

अतः एक लोकल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य की सफलता का आंकलन इस आधार पर किया जा सकता है कि उसने सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर चढने में किस प्रकार राह दिखलाई है। मनरेगा को सच्चे अर्थों में ग्रामीण भारत के निर्धनतम और बेरोजगार लोगों की सामाजिक–आर्थिक प्रगति के वाहक के रूप में देखा जा सकता है। मनरेगा की इस सोच को यू.एन.डी.पी. की ग्लोबल ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट, 2005 से भी पहचान मिली है। ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरीमा' से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो प्रत्येक परिवार को अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को 100 दिन के गारंटीयुक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ते और परिवहन भत्ता (5 किमी से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान करता है। मनरेगा ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित कर समावेशी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास निश्चित ही सकारात्मक है। यदि इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए तो मनरेगा महज एक कल्याणकारी योजना बनकर रह जाने के बजाए, ग्रामीण भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

'प्रोजेक्ट लाइफ' के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग

से मनरेगा कामगारों का कौशल विकास करने की परियोजना की शुरूआत की है। इससे मनरेगा में प्रशिक्षित श्रमिकों को तैयार किया जा सके और उनके माध्यम से गांवों में स्थायी और टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण कार्य करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न पहलों के मध्य समन्वय सभी कार्यकलापों की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) का विकास और सामाजिक लेखा व परीक्षण (Social Audits) के क्षमता विकास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन सभी उपायों के माध्यम से मनरेगा को अधिक कुशल और सक्षम तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के बदलाव के वाहक के रूप में लागू करना है।

मनरेगा व कृषि के मध्य बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत् 5 लाख से अधिक कुओं व तालाबों की खुदाई का लक्ष्य रखा गया है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए के लिये मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मीकंपोस्ट बनाने के लिए 10 लाख गड्डे बनाने का प्रस्ताव है। जयपुर जिले की बस्सी ब्लॉक के अनन्तपुरा, अखैपुरा, फाल्यावास, भूड़ला, सांभरिया और रोजवाड़ी गांवों में मनरेगा के तहत् बागवानी क्षेत्र से मनरेगा श्रमिकों को जोड़ा जा रहा है। जिससे मनरेगा श्रमिकों को बागवानी से लाभ हो सके। दूसरी और फसलों में रासायनिक खाद की जगह वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाने के लिए मनरेगा श्रमिकों से गड्डे खुदवाकर जैविक खाद तैयार करवाया जा रहा है। आमेर, झोटवाड़ा, सांगानेर और गोविन्दगढ़ ब्लॉकों में इस कार्य को मनरेगा में शामिल कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद तैयार की जा रही है। बस्सी, चौमू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केन्द्र के रूप में जैतून और आंवला की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत् श्रमिकों को अभिनव पहल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार लाया जा सके।

उपलब्धियाँ

मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखने का आया है। गांवों में लोगों को आजीविका के पर्याप्त अवसर मिल रहे जिससे लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार आया है। इन उपलब्धियों को हम निम्न बिन्दुओं के आधार देख सकते हैं–

1) मानव सृजन दिवस–को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत जयपुर जिले में 18.96 लाख मानव दिवस सृजन किये गये जो कि अनुमोदित श्रम बजट से 7 प्रतिशत

अधिक तथा गत 6 वर्षों में सर्वाधिक हैं वहीं सम्पूर्ण राजस्थान में मनरेगा मानव दिवस सृजन में 13वाँ स्थान है।

2) **महिलाओं की भागीदारी**–मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कुल मानव सृजन दिवस 18.16 लाख में से महिलाओं का 67प्रतिशत था जिसमें अनुसूचित जाति का 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का 22 प्रतिशत था।

3) **प्रति परिवार**–मनरेगा योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान प्रति परिवार उपलब्ध कराये औसत रोजगार दिवस 56 दिवस है जो अब तक का सबसे अधिकतम है।

4) **जॉब कार्ड**–मनरेगा योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले में कुल जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या 31.51 लाख है। वहीं कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या 15.29 लाख (49 प्रतिशत) है।

5) **पलायन**–मनरेगा योजना आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों और पलायन में कमी देखी गयी है। जयपुर जिले में पलायन की औसत दर 1 अप्रैल, 2008 से दिसम्बर 2015 तक को इस प्रकार देख सकते हैं।

1 अप्रैल, 2008 को जयपुर जिले में मनरेगा लागू हुआ था। शुरूआत के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में लोगों की भागीदारी अधिक रही और लोगों को रोजगार के अवसर भी ग्राम स्तर पर ही मिलने लगा इससे पलायन की प्रकृति घटी। लेकिन 2010–11, 2012–13 के दौरान शहरों की और पलायन का प्रतिशत 2009–10 की तुलना में (18 प्रतिशत कुल श्रमिक आबादी का) इन वर्षों में बढ़कर 43 प्रतिशत पर पहुँच गया। जिसका मुख्य कारण मनरेगा से लोगों का मोहभंग होना, सरकार की उदासीनता रहा है और सरकार द्वारा बजट कटौती व श्रमिकों को वेतन भुगतान में देरी प्रमुख कारण रहा हैं। हालांकि 2013–14 और 2014–15 के दौरान पलायन में एक बार फिर कमी देखी गई और अब यह 37 प्रतिशत है।

6) **शौचालय**–मनरेगा के तहत् गांवों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों में से सांगानेर, झोटवाड़ा, आमेर, शाहपुरा कोटपूतली ब्लॉकों में तो 95 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों का निर्माण हो चुका है मनरेगा के तहत् जबकि शेष ब्लॉकों में

अभी 67 प्रतिशत ही शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं अधिकांश ग्राम पंचायतें ओडीएफ मुक्त घोषित हो चुकी है।

7) **खेल मैदान**–मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक जयपुर जिले के सभी ब्लॉकों की पंचायतों में 63 प्रतिशत स्कूलों में खेल मैदान का निर्माण कार्य हो चुका है। शेष स्कूलों में कार्य किया जा रहा है।

8) **मजदूरी दर**–मनरेगा आने से पूर्व अकुशल मजदूरी दर 80 रुपये भी कम थी। मनरेगा आने के बाद मजदूरी दरों में बढ़ोतरी हुए और 1 अप्रैल, 2015 को मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दर 173 रुपये थी। जो कि 138.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मनरेगा आने से मजदूरों की ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और बारगेन पॉवर बढ़ी है। साथ ही इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ा जैसे कृषि क्षेत्र में मजदूरी का बढ़ना।

9) **सड़क निर्माण**–मनरेगा के तहत् कच्ची व ग्रेवल सड़कों का निर्माण हुआ और आज प्रत्येक ग्राम पंचायत के सभी गांव कच्ची व पक्की सड़कों से एक–दूसरे से जुड़े हैं। मनरेगा के तहत् जयपुर जिले के 13 ब्लॉकों में 7,856 किमी कच्ची व ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 तक पूर्ण कर लिया गया।

अन्य उपलब्धियाँ

– ग्रामीणों को महात्मा गांधी नरेगा से समाजिक–आर्थिक सुरक्षा मिली इसके परिणामस्वरूप गांवों में कई बदलाव भी देखे गये।
– महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने में।
– अनुसूचित जाति व अनु.जनजाति के लोगों का सशक्तिकरण।
– ग्रामीण इलाकों से शहरों की और पलायन पर रोक लगी।
– नरेगा कार्यो के तहत मिट्टी के कटाव में कमी।
– पर्यावरण अनुकूल रोजगार मिला।
– ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी और बारगेन पॉवर बढी।
– गरीबों के लिए मकान और शौचालयों का निर्माण हुआ।

- सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जाने लगा।
- बारहमासी सड़कों का निर्माण।
- भूमि सुधार।
- ग्रामीण क्षेत्रो में विद्यालयों में खेल मैदान का निर्माण।
- सड़क किनारे व सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण।
- ग्रामीण क्षेत्रो में आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ।
- नरेगा के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में मजदूरी दर बढ़ी।
- महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।

मनरेगा में उत्पन्न समस्याएँ

1. तकनीकी क्षमता के अभाव में घटिया, अस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होने की शिकायतें आम हैं।
2. मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता की कमी।
3. मनरेगा कार्यस्थल पर पेयजल, छाया, स्वास्थ्य सेवा एवं शिशु देखरेख का उचित प्रबन्धन का अभाव होना।
4. महंगाई के हिसाब से दैनिक मजदूरी कम प्राप्त होना।
5. मजदूरी का समय पर नहीं मिल पाना।
6. कृषि सर्वाधिक रोजगार देने वाला व्यवसाय है जिसे मनरेगा के तहत् जोड़ा नहीं गया है।
7. मनरेगा के तहत् अनुत्पादक कार्यों पर काम होता है, जिससे विकास दर कम दिखाई पड़ती है।
8. मांग के आधार पर रोजगार मुहैया नहीं करवा पाना।
9. मनरेगा के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में मजदूरी की समस्या बढ़ी है।
10. इस कार्यक्रम में स्थायी रोजगार नहीं मिलने के कारण प्रवास दर में अनुमान के अनुसार कमी नहीं आयी है।
11. यह योजना मानव श्रम आधारित है। इसमें मशीनों के उपयोग पर पाबन्दी होनी चाहिए।

समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

ग्राम पंचायत में इलाकाई जरूरत के हिसाब से कार्य ग्राम सभा तय करती है और इसको कराने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की ही होती है लेकिन परिसम्पत्तियों का टिकाऊ होना तकनीकी डिजाइन पर निर्भर करता है इसलिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी स्टॉफ देने की आवश्यकता है। तकनीकी क्षमता के अभाव में पंचायतें कमजोर हैं लिहाजा घटिया अस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण होने की शिकायतें आम हैं। इसीलिए हाल ही में ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति ने राज्यों को पर्याप्त तकनीकी स्टॉफ देने की सिफारिश की कि बड़ी आबादी के ग्राम पंचायतों में दो इंजीनियर जरूर हो। देश की यह पहली योजना है जो ग्राम पंचायत के माध्यम से ही क्रियान्वित होती हैं।

मनरेगा में कमजोरियाँ तो हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन इस योजना को राजनीतिक इच्छा शक्ति और पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाकर इसे अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। मनरेगा के कार्यान्वयन में राज्य सरकार और राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति अहम है जहाँ यह दोनों सकारात्मक हैं वहाँ की प्रशासन ने बहुत अच्छे काम किए हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमित सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। पंचायत की समस्त जानकारी को एम.आई.एस. पोर्टल पर प्रकाशित करना है।

हालांकि सामाजिक–आर्थिक विकास स्तरों में विद्यमान विषमताओं का पूर्णतया समापन सम्भव नहीं है लेकिन इनका यथासम्भव न्यूनीकरण करने का प्रयास अनिवार्य है। जिसके लिए निम्नलिखित प्रयास मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर किये जा सकते हैं जिससे सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में समुचित प्रबंधन करते हुए इनके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनरेगा को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ सुझावों को निर्देशित किया गया है–

जल संरक्षण

मनरेगा योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण के कार्यों को अधिक संख्या में सम्मिलित करना। वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत् परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जिससे भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सके और भू–जल स्तर में सुधार किया जा सके। इसका लाभ यह होगा कि जयपुर जिले के झोटवाड़ा, आमेर और सांगानेर जैसे ब्लॉक जो भू–जल के अत्यधिक दोहन की वजह से डार्कजोन में चले गये ऐसे

क्षेत्रों में वर्षा जल का समुचित प्रबंधन करके हम बेहतर तरीके से इस समस्या से निपट सकते हैं। मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले कार्य जैसे तालाबों का निर्माण, बावडियों की जीर्णोद्धार, एनीकट निर्माण, मेड़बन्दी आदि कार्यों के द्वारा समुचित जल संरक्षण के प्रयास किये जा सकते हैं।

सूखे की रोकथाम के अन्तर्गत वृक्षारोपण

मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम को समग्रता से और व्यापक स्तर पर शामिल कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे सूखे व बाढ़ जैसी विषय परिस्थितियों निपटा जा सके। व्यापक स्तर पर किया गया वृक्षारोपण सूखे की रोकथाम के साथ–साथ मरूस्थल के प्रसार, मिट्टी कटाव पर्यावरणी क्षति को भी रोकेगा। इसलिए मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिक के साथ–साथ ग्रामीण सडकों, राज्य मार्गों के सहारे भी वृक्षारोपण करके ध्वनि व वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भूमि विकास

मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत भूमि विकास एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है। भूमि विकास एक व्यापक शब्द है इसके अन्तर्गत अनेक कार्यों को समाविष्ट किया जा सकता है। जैसे बंजर भूमि को उर्वरक भूमि में बदलना, व्यर्थ भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना इत्यादि कार्यों को मनरेगा के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए भूमि विकास के कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए इसलिए अगर मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत भूमि विकास पर अधिक बल दिया जायेगा तो इसका परिणाम कृषि पैदावार में सुधार होगा जिसका सापेक्ष लाभ किसानों को मिलेगा।

डेयरी विकास

मनरेगा के तहत् बंजर एवं व्यर्थ भूमि का विकास कर सामुदायिक चारागाहों का विकास किया जाना चाहिए। जिससे पशुपालन में वृद्धि होगी लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, डेयरी उद्योग का बढ़ावा मिलेगा। मनरेगा के अन्तर्गत सामुदायिक डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बागवानीं

मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण के साथ–साथ श्रमिकों को बागवानी के लिए प्रोत्साहन करना, बागवानी के अधिक पौधे लगाना, सामुदायिक स्तर पर बागवानी को प्रोत्साहन करना इत्यादि। अगर सरकार मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत बागवानी पर अधिक बल देती है तो इससे श्रमिकों की भौतिक दशाओं में भी परिवर्तन आएगा और उत्पादक का स्तर भी बढ़ेगा।

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण

मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत गांवों को एक–दूसरे गांवों से सम्पर्क करने वाली मौसमी सड़कों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ना इससे गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आवागमन की आसान पहुँच होगी। इसलिए मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत कच्ची सड़कों का निर्माण, ग्रेवल सड़कों और डामरीकृत सड़कों के निर्माण कार्यो को सम्मिलित करने का प्रयास करना।

सामाजिक अंकेक्षण एवं जवाबदेहिता

सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को मनरेगा कार्यक्रम क्रियान्वयन में सुनिश्चित करना जिससे मनरेगा के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और इस कार्यक्रम में अधिक पारदर्शिता लायी जा सके।

कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएँ

मनरेगा कार्यस्थल पर मनरेगा श्रमिकों के लिए उचित मानवीय दशाएँ उपलब्ध हो जैसे पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ, छाया, शिशु देखरेख के लिए क्रेच का उचित प्रबंधन, महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का उचित प्रबंधन करने से मजदूरों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

- मनरेगा को लघु एवं कुटीर उद्योगों से जोड़ना जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, धातु के बर्तन, दरी, चटाई, सिलाई का कार्य, मसाला उद्योग एवं आचार उद्योगों से लोगों को रोजगार मिलेगा एवं आर्थिक समृद्धता में वृद्धि होगी।
- मनरेगा का कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ना।
- मनरेगा के तहत् स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल देना चाहिए।

❖ इस कार्यक्रम के तहत् जैविक खाद उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा एवं मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। साथ ही बीमारियों में कमी आयेगी।

❖ नरेगा के तहत् लोगों को स्थायी रोजगार मुहैया करवाना चाहिए जिसे प्रवास में तीव्र कमी आ सके।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जयपुर जिले में मनरेगा के परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक स्वरूप में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ–साथ गुणात्मक परिवर्तन भी आया है। मनरेगा से विकास के साथ–साथ क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के कारकों में भी बदलाव आया है।

❒❒❒

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुर्जर, हनुमान सिंह, (2005) ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम'', जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी
2. वाफना, राजेन्द्र, (2011), ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी मैन्युअल'', वाफना पब्लिकेशन, प्रा.लि.
3. तिवाड़ी, रघुनाथ प्रसाद; चौधरी, रामलाल; चौधरी, कंचन सिंह, (2011), महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर, ऋचा प्रकाशन
4. बजाज, चमल लाल; सिंघवी, मदन लाल, (2010) ''राजस्थान पंचायती राज एवं नरेगा कानून'', जयपुर, डोमीनियन लॉ डिपो
5. गठाला, डॉ. आर. एस.; कोटिया, के. के., (2010), ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना'', हरित राजस्थान, जल संरक्षण, नेशनल मीडिया एण्ड पब्लिसिटी
6. मेनारिया, श्यामलाल, (2005), ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून नपती की नई व्यवस्था एवं मेट की भूमिका, मार्गदर्शिका, पूरा काम – पूरा दाम'', उदयपुर, आस्था संस्थान
7. रोहतगी, वी.डी., (2009), ''इन्ट्रोडक्शन टू नेशनल रूरल एम्पलॉयमेन्ट गारण्टी एक्ट (नरेगा), नई दिल्ली, सुमित एण्टरप्राईजेज
8. बढ़ाना, एन.के., (1999) ''राजस्थान की अर्थव्यवस्था'' जयपुर, नाकोडा पब्लिशिंग हाउस
9. अजीज, अब्दुल; (1999) ''पावर्टी एलिवेशन इन इंडिया : पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स'' नई दिल्ली, आशीष पब्लिकेशन
10. कुरूक्षेत्र, मार्च, 2009, नई दिल्ली।
11. कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2010, पेज नं. 35, 36, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 67, 68, 69, 70
12. कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2009, नरेगा – अब गांवों में ही रोजगार
13. कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2010, जनजातीय विकास
14. कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2010, पंचायती राज विकास का राज, मनरेगा और पंचायती राज, चन्द्रभान यादव, मनरेगा ने बदली पोंग्री गांव की तकदीर– राजकुमार महोबीया
15. कुरूक्षेत्र, जुलाई 2010, मनरेगा ग्रामीण युवाओं के लिए आशा की किरण, ग्रामीण भारत के सौजन्य से

16. कुरूक्षेत्र, सितम्बर 2011, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा से सशक्त हुई महिलाएं, धनजी चौरासिया
17. कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2009, ग्रामीण अर्थव्यवस्था – विकास की नई शक्ति
18. कुरूक्षेत्र, अगस्त 2009, बदलते परिवेश में पंचायतों की भूमिका, आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज और स्वयंसेवी संगठन, डॉ. उदयसिंह
19. दिशा, वर्ष 2008–09, अंक 04, दिशा प्रकाशन, जयपुर।
20. नरेगा ग्रेडिंग रिपोर्ट, 2008.
21. मरू राजस्थान, जयपुर, 20 जून 2009
22. सेन, अमर्त्य; (2001) ''डेवलपमेंट एज फ्रीडम'' दिल्ली, ग्रंथ शिल्प इंडिया प्रा.लि.
23. जयन्ती लाल, समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, दिसम्बर 2009
24. घोष एवं ग्रिफिन, (1985), ''पावर्टी एण्ड डेवलपमेंट पॉलिसी'' इपीडब्ल्यू, मई 26जून, अंक 1
25. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 5 जून 2009
26. मदन जी आर, (1984) ''विकास का समाजशास्त्र'', नई दिल्ली, विवेक प्रकाशन
27. लर्नर डैनियल, (1958), ''द पालिग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी मोडर्नाइजिंग द मिडिल इस्ट ग्लैन्को तृतीय'', न्यूयॉर्क, द फ्री प्रेस
28. सिन्हा, आर, (1975), ''सोशल चैंजिग – इण्डियन सोसाइटी'', भोपाल, प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स
29. एपथोर्प, आर., (1970), ''पीपल, प्लानिंग एंड डिवेपमेंट स्टडीज'' लंदन, फेंन्क क्रॉस
30. अम्बेडकर, एस.एन; (1994), ''इंटिगेटेड रूरल डिवलपमेंट प्रोग्राम'' जयपुर, रावत पब्लिकेशन
31. भटनागर, पी.एम; (1995), ''कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम'' नागपुर, प्रकाश प्रिन्टिग प्रेस
32. चौरसिया, बी.पी; (1995), ''पावर्टी प्लानिंग एण्ड सोशल चेंज'' इलाहबाद, चुग पब्लिकेशन
33. चटर्जी, विश्वबंधु; (1969), ''माइक्रो स्टडीज इन कम्यूनिटी डिवेलपमेंट'' नई दिल्ली, एटलिंग पब्लिकेशन
34. देसाई,ए.आर; (1984), ''इंडियाज पाथ ऑफ डिवलपमेंट'' बम्बई, पापुलर प्रकाशन
35. दयाल, राजेश्वर; (1975), ''कम्यूनिटी डिवलपमेंट, पंचायती राज एण्ड सहकारी समाज'' नई दिल्ली, मेट्रो पॉलिटीन बुक कं.प्रा.लि.

36. डियोगोन्कर, एस.सी., (1979), ''एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डिवलपमेंट इन इंडिया'' नई दिल्ली, कन्सेप्ट पब्लिकेशन
37. दुबे, एस.सी; (1958), ''इंडिया चेंजिंग विलेजेज : ह्यूमन फेक्टर इन कम्यूनिटी डिवलपमेंट'' लदंन, रोटलेज एंड कोगनपॉल
38. हैरिसन, डेविड; (1986), ''द सोश्यिोलॉजी ऑफ माडर्नाइजेशन एण्ड डिवनपमेंट'' नई दिल्ली, हैरिटेज पब्लिशर्स
39. हे,एच.ए., (1986), ''इंटिग्रेटेड एप्रोच टू रूरल डिवलपमेंट'' नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशिंग प्रा.लि.
40. कोठारी, रजनी; (1988), ''रीथिंकिंग डिवेलपमेंट इन सर्व ऑफ ह्यूमन आल्टरनेटिव्स'' नई दिल्ली, अजंता पब्लिकेशन्स
41. कूरियन, सी.टी; (1978), ''पावर्टी, प्लानिंग एण्ड सोशल ट्रान्सफोरमेशन'' इलाहबाद, एलॉयड पब्लिशर्स प्रा.लि.
42. मेहता, एस.आर., (1984), ''रूरल डिवलपमेंट पालिसीज एण्ड प्रोग्राम्स'' नई दिल्ली, सेज पब्लिकेशन
43. मिश्रा, आर.पी; (1979), ''रूरल एरिया डिवेलपमेंट'' नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशिंग
44. मंजुल, सतीश; (1997), ''रूरल डिवेलपमेंट एण्ड कॉओपरेशन'' जयपुर, सबलाइम पब्लिकेशन्स
45. पियरिंज, आर; (1969), ''स्टडीज इन सोश्योलॉजी ऑफ रूरल डिवलपमेंट'' रोटेरडेम, रोटेरडेम यूनिवर्सिटी प्रेस
46. शर्मा, एस.आर; (1987), ''डिवलपमेंट–सोशियो–कल्चरल डायमेन्शन्स'' जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स
47. श्रीवास्तव, रतीश; (1979), ''द डिवलपमेंट डायमेन्शन ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया'' नई दिल्ली, बुक्स टुडे
48. विवेकानन्द,एम; (1988), ''प्लानिंग यूनिट एरिया फार इन्टीग्रेटेड रूरल डिवलपमेंट'' नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग हाउस
49. थोराट, सुखदेव; पीटर, सहेगन फान; हेजल, पी बी.आर., (1999), ''लिकेंज बिटवीन गोवर्नमेन्ट स्पेन्डिग ग्रोथ एण्ड पॉवरटी एण्ड रूरल इण्डिया'', नई दिल्ली, इंटरनेशनल फूड पॉलीसी रिसर्च इंस्ट्टीयूट
50. थोराट, सुखदेव; सुदेश, नानगिया, (2000), ''स्लमस् इन ए मेट्रोपोलिस द लिविंग एनवायरमेन्ट'', नई दिल्ली, शिप्रा पब्लिकेशन

51. सेन, अमर्त्य, (1982), ''पॉवरटी एण्ड फेमाइन एन ऐसे ऑन एनटाइटलमेन्ट एण्ड डेप्रीवेशन'', न्यूयॉर्क, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
52. हुसैन, अथर; ड्रेज, जीन; सेन, अमर्त्य, (2007), ''द पॉलिटिकल इकॉनोमी ऑफ हंगर'', लदंन, क्लेरेन्डन प्रेस
53. कुण्डु, अमिताभ, (2006), ''इण्डिया सोशल डवलपमेन्ट रिपोर्ट'', न्यूयॉर्क, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
54. सेन, अमर्त्य, (2008), ''भारतीय राज्यों का विकास'', नई दिल्ली, राजपाल पब्लिशिंग
55. सेन, अमर्त्य, (2001), ''विकास की दिशाएं'', नई दिल्ली, राजपाल पब्लिशिंग
56. राजस्थान गजट (सरवराज, मंडे, साका 1928–जुलाई 24, 2006)

रिपोर्टस् –

1. नरेगा अंकेक्षण रिपोर्ट, 2008
2. गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया, नाइंथ इयर प्लान्स, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली।
3. फॉर द रूरल पुअर, ग्रामीण विकास न्यूजलेटर, 2008
4. आर्थिक समीक्षा, 2001
5. जिला सांख्यिकीय रूपरेखा – 2008
6. प्रगति की मुस्कान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना, कोटा, जिला परिषद्, कोटा, 2010
7. राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत एवं संरपच के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियां, 2010–11, डॉ. अनिता, प्रोफेसर एवं समन्वयक पंचायती राज प्रशिक्षण, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर,
8. राजस्थान पंचायती राज समता का विकास अभियान 2010, पंचायती राज प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री, डॉ. अनिता, प्रोफेसर, आई. जी. पी. आर. एस., जयपुर,
9. संरपच हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना निर्देशिका, 2010, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
10. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, रचना सिन्हा, राज्य संदर्भ केन्द्र, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, दिसम्बर 2009
11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम ''मनरेगा'' ग्राम पंचायत गाइड बुक, पंचायती राज मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2010, टैन प्रिन्टर्स, प्रा. लि., भारत सरकार द्वारा प्रकाशित

12. सामाजिक अंकेक्षण अभियान, भीलवाड़ा (दिनांक 30 सितम्बर – 12 अक्टूबर 2009 तक), सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में छपी खबरों का संकलन
13. संविधान के 73वें संशोधन की ग्यारवीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण के संदर्भ में जारी आदेशों का संकलन (2 अक्टूबर 2010), जयपुर
14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान, महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट निर्देशिका (दिसम्बर 2010), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर,
15. सरल मेट मार्गदर्शिका (जनवरी 2011), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर,
16. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत हरित राजस्थान के क्रियान्वयन हेतु जारी महत्वपूर्ण शासन आदेशों व परिपत्रों का संकलन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
17. द महात्मा गांधी रूरल एम्पलॉयमेन्ट गारण्टी एक्ट, 2005 (न. 42 ऑफ 2005) (एज अमेन्डेड अपटू 20 अक्टूबर 2010), महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलॉयमेन्ट गारण्टी काउन्सिल, राजस्थान सचिवालय, जयपुर
18. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, महत्वपूर्ण जानकारियां
19. महात्मा गांधी नरेगा योजना, राजस्थान अन्तर्गत अकुशल श्रमिक द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य की मात्रा की विवरणिका, नरेगा टास्क पुस्तिका, 2010
20. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, रोजगार पुस्तिका, जिला परिषद्, झालावाड़, राजस्थान, 2008
21. वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011, प्रबंधन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
22. राजस्थान विकास, जुलाई–सितम्बर 2010, अंक 3, पंचायती राज विभाग, राजस्थान की त्रैमासिक पत्रिका
23. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005, दिशा निर्देश 2006, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली

24. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ई मस्टररोल दिशा निर्देश, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद्, शासन सचिवालय, जयपुर, जून 2010

25. अभिसरण वर्ष 2010 तक जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों का संकलन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद्, राजस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

26. तकनीकी मार्गदर्शिका 2010, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद्, राजस्थान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

27. द नेशनल रूरल एम्पलॉयमेन्ट गारण्टी एक्ट 2005 (नरेगा), ऑपरेशनल गाइडलाइन्स 2008, 3 एडिशन, मिनिशट्री ऑफ रूरल डवलपमेन्ट, डिपार्टमेन्ट ऑफ रूरल डवलपमेन्ट, गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली

28. जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्फ्रेंस, दिनांक 20.10.2010, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

29. मनरेगा समीक्षा – एन एन्थ्रोलॉजी ऑफ रिसर्च स्टडीज ऑन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलॉयमेन्ट गारण्टी एक्ट, 2005 (2006–2012), मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डवलपमेन्ट, गोवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया

WEBSITES

1. www.nrega.nic.in
2. www.nrega.gov.in
3. www.nrega.net
4. www.nrega.webs.in
5. www.nrega.ind.in
6. www.nrega.raj.nic.in
7. www.nregagrs.co.cc
8. www.nregalndc.nic.in

❑❑❑

प्रकाशित शोध लेख
एवं प्रमाण–पत्र

RESEARCH REVIEW JOURNALS

RESEARCH REVIEW
International Journal of Multidisciplinary
[Peer Reviewed Journal]

e-ISSN: 2455-3085
Impact Factor: 5.164 [SJIF]

Journal is Indexed in
Google Scholar, IIJIF, SJIFactor, RESEARCH BIBLE, DRJI, GIF, UGC, Zenodo

Crossref

Issued w.e.f. Nov-2018 Issue

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that Research Paper/ Article/ Case Paper entitled

राजस्थान के ग्रामीण विकास में मनरेगा का समावेशी योगदान

Authored By

राकेश कुमार सामोता

has been published in Volume-5 | Issue-10 | Oct-2020 in this International Peer Reviewed ISSN Indexed Online Research Journal.

Ref. No. RRJ2020051016
Issued Date: 15-Oct-2020
editor.rrjournals@gmail.com
www.rrjournals.com
https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i10.016

RESEARCH REVIEW JOURNALS eISSN 2455-3085 AHMEDABAD

Chief Editor

Research Review Journals All Rights Reserved

RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-10
October-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i10.016

राजस्थान के ग्रामीण विकास में मनरेगा का समावेशी योगदान

राकेश कुमार सामोता

शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बूंदी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 October 2020

Keywords
मस्टररोल, जॉबकार्ड, सार्वजनिक परिसम्पत्तियाँ, विकेन्द्रीकरण, सामाजिक सुरक्षा, यू–विदआऊट क्यू, सामाजिक अंकेक्षण, बेरोजगारी भत्ता, पारदर्शिता

ABSTRACT

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर सृजित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार देना है। यह कार्यक्रम यू–विदआउट क्यू तर्ज पर आधारित है। मनरेगा के द्वारा ग्रामीण भारत का आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन करके गांवों को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाना है।

प्रस्तावना

राजस्थान के समावेशी विकास में मनरेगा की भूमिका महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसे गृहस्थी को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को भारतीय गणराज्य की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया है। इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी, 2006 को देश में 200 जिलो में लागू की गई है। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया गया है। देश में इसका शुभारंभ आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले के नरपाला मंडल की बंदलापल्ली ग्राम पंचायत में किया गया। सन् 2007–08 में इसे देश के 130 जिलों में और लागू किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को इसे सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2009–10 में 2 अक्टूबर, 2009 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया है। भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है जब ग्रामीण श्रमिको के लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

राजस्थान में इस योजना की शुरूआत 2 फरवरी, 2006 को माकड़ादेव ग्राम पंचायत (झाड़ोल, उदयपुर) में की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 6 जिलों– बॉसवाड़ा, डूँगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में लागू की गई। द्वितीय चरण में 6 अन्य जिलों बाडमेर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर एव टोंक में 2 मई, 2007 से लागू की गई। दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना राज्य के समस्त जिलों सहित सम्पूर्ण देश में लागू हो गई है।

राजस्थान में यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006 के नाम से लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में यह देश की पहली योजना हैं जिसमें काम के अधिकार को कानूनी बाध्यता का रूप दिया गया है। यह योजना आपूर्ति आधारित न होकर एक माँग आधारित योजना है। इस योजनान्तर्गत ग्रामवासी स्वयं वार्ड सभा/ग्राम सभा के माध्यम से योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में से अपने गाँव के विकास के लिए कार्यो की प्राथमिकताओं का निर्धारण कर कार्य कराने की अभिशंसा कर सकते है। इस प्रकार यह विश्व की सबसे बडी रोजगार गारंटी योजना है जिससे तकरीबन 5 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है। वहीं भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कमी 2005–2006 से 2015–16 के बीच 27.1 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त एवं गरीबी दर 55.1 प्रतिशत से घटकर आधी 27.9 प्रतिशत रह गई है। इस प्रकार इस योजना के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, ग्रामीण आजीविका का विकास, ग्रामीण पर्यावरण में सुधार, वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम, इत्यादि विकास कार्यक्रमो के कारण इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्र मे क्रांतिकारी एवं रचनात्मक परिर्वतन लाने में अहम भूमिका निभाई है।"

मनरेगा में बडे पैमाने पर ग्रामीण बेरोजगारी के संकट को दूर करने का प्रयास किया और लोगों को आजीविका की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की तभी विश्व बैंक ने दुनिया का

RRIJM 2015, All Rights Reserved

सबसे बडा सार्वजनिक कार्यक्रम बताया था, जिसका उद्देश्य हाशिए पर खडे उस आदमी के जीवन की न्यूनतम रोजगार सुरक्षा करना था ताकि वह भी सम्मान के साथ जीवनयापन कर सके। मनरेगा से 4.50 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। रोजगार मिलने से उनका आत्मबल एवं स्वावलंबन बढा है।

इस प्रकार की दूरदर्शी सोच और मानवता के कल्याण का उद्देश्य जिसका स्वप्न महात्मागाँधी ने देखा था उनका मानना था कि जब तक ग्रामीण भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और सवावलंबन नहीं बनाएगे तब तक सच्चे भारत का निर्माण अधुरा है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में आर्थिक प्रतिस्पर्धा व बाजारवादी अर्थव्यवस्था में गाँधीजी के विचारो और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए यू.पी.ए. सरकार अपनी कार्यनीति में मनरेगा जैसी सामाजिक उत्थान की योजना को शामिल कर गाँधीजी के सपने को साकारित करने का प्रयास किया है। विगत 15 वर्षो से केन्द्र में मौजूदा सरकार द्वारा खासकर ग्रामीण विकास संबंधी सामाजिक क्षेत्र पर निरंतर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ "समावेशी आर्थिक विकास" के सिद्धान्त को बढावा देने वाले निरंतर अति सक्रिय और अनुकूल नीतिगत निर्णय लिए जाने की वजह से हमारी विशाल ग्रामीण आबादी न केवल वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से अछूती रही है, बल्कि वास्तव में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर भी अग्रसर है।

वर्ष 2011–12 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं कलयाणकारी क्रियाकलापों को अत्यंत उत्साह और जोश के साथ जारी रखा गया था महात्मा गाँधी नरेगा जैसे गांरटीयुक्त लोक निर्माण कार्यक्रमों के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसरों में वृद्धि, वाटरशेड विकास, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुदृढ़ सामाजिक– सुरक्षा नेटवर्क, के साथ–साथ संवर्द्धित ग्रामीण संपर्कता जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के अंतर्गत बेहत्तर मूलभूत सुविधा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीनों को मकान एवं वासभूमि क्षेत्र मुहैया कराने जैसे कल्याणकारी उपायों जैसे कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया गया। जहाँ हमारी 1.2 अरब से अधिक जनसंख्या की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों मे रहती है, विकास एवं कल्याण के अधिकांश क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के सम्पूर्ण विकास की इस कार्यनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है। मंत्रालय का विजन और मिशन, जैसा की रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (आर.एफ.डी.) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, आजीविका अवसरों को बढाते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए बहुसूत्री कार्यनीति के जरिए ग्रामीण भारत का स्थायी एवं समावेशी विकास करना, विकास संबंधी असंतुलन को दूर करने तथा समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों तक पहुंचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पर्याप्त तरजीह देने के लिए ग्रामीण भारत में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयोजनार्थ सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध करना और आधारभूत सुविधाए विकसित करना है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव पर विशेष बल दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रो में न्यूनतम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना उत्तरवर्ती सरकारों के लिए चुनौतिपूर्ण कार्य रहा है। गरीबी का कारगर ढंग से सामना करने के लिए मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 दिनांक 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया और 1 अप्रैल, 2008 को इसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है जो अप्रत्याशित स्तर पर अकुशल काम के लिए इच्छुक ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन तक का, माँग आधारित काम आवंटित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि जॉब कार्ड बनने के बाद काम मांगना श्रमिक का कानूनी अधिकार है। कानून के उपरोक्त महत्वपूर्ण पक्षों को वास्तविक रूप देने के लिए पंचायतों को प्रमुख भूमिका निभानी है और तृणमूल पर ही स्वंय के लिए उपयुक्त ऐसे कार्यों का, जो स्थायित्वपूर्ण विकास में सहायक हो, ग्राम सभा में जन सहभागिता द्वारा चयन करना, पंचायतों का दायित्व है। अतः पंचायतों के सभी प्रतिनिधियों को कानून के सफल और श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध होना आवश्यक है। इन सभी प्रतिनिधियों में भी सर्वाधिक जिम्मेदारी सरपंच की है, इसलिए उन्हे इस कानून के सभी पक्षों की जानकारी होना अति आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन एक ऐसी सतत् प्रक्रिया जिसमें कानून के दायरे में रहते हुए भी नई कार्यपद्धतियाँ सीखने और नवीन विचारों का लागू करने की क्षमता है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं की मुख्य भूमिका है, लेकिन उनमें भी ग्राम पंचायत की ही सर्वाधिक जिम्मेदारी है। जब तक ग्राम पंचायत सजग और सुदृढ़ नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य ठीक–ठीक संपादित नहीं किया जा सकेगा। अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के परिवारों के गरीबी उन्मूलन, पलायन पर रोक और सम्मानजनक जीवनयापन के लिए सरपंच तब ही सक्षम हो सकते है जब वे कानून की सभी प्रक्रियाओं को ठीक–ठीक समझे। उनके लिए यह समझना भी आवश्यक है कि ये सभी प्रक्रिया चरणबद्ध और समय पर निर्धारित होती है। इस प्रकार एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि वह विकास की रणनीति की योजन को किसी रूप में साकारित करें। मनरेगा में ग्राम–सभा ओर वार्ड सभा द्वारा कार्य योजना को तैयार किया जाता है और यह पंचायत की मिम्मेदारी होती है कि वह इन सभाओं को आयोजित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन संस्था है।

सम्पूर्ण भारत के साथ राजस्थान में भी मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से सम्पूर्ण राज्य में लागू हो गया। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायित्व की उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन व मॉंग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येंक गृहस्थी के लिए वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत रोजगार के रूप में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए कम से कम सौ दिन प्रदान करना जिससे निर्धन परिवारों को जीविका के संसाधन आधार को सुदृढ़ करना, सामाजिक अंतर्वेशन को अतिसक्रिय रूप से सुनिश्चित करना और अंत में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना। इस लक्ष्य को लेकर कि ग्रामीण भारत में गरीबी व बेरोजगारी को कम किया जाए व खाली समय में ग्राम स्तर पर सार्वजनिक परिसम्पतियों का सृजन किया जाए। रोजगार के अवसर उपलबध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलबध करना। टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों के निर्माण, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्चभूमि उत्पादकता के जरियें निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा करना, ग्रामीण भारत में सूखा रोधन और बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था करना, अधिकार आधारित कानूनी प्रक्रिया के जरिये सामाजिक रूप से लाभवंचित, विशेषकर महिलाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना है। इससे पहले भी ग्रामीण भारत में विभिन्न गरीबी उपशमन और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल के जरिये विकेन्द्रीकरण, भागीदारी–पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना व पंचायती राज संस्थाओं की सुदृढ करके जमीनी स्तरों पर लोकतंत्र को मजबूत करना और साथ ही स्थानीय स्तर पर भी शासन में बेहतर पारदर्शिता ओर जवाबदेही लाना। इस प्रकार महात्मा गॉंधी नरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतान्त्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सूनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

मनरेगा के तहत वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में राज्य की प्रगति निम्नानुसार तालिका के माध्यम से देख सकते हैः–

क्र.सं.	विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
1	कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या (लाखों में)	46.35	45.14	51.65
2	कुल सृजित मानव दिवस (लाखों में)	2596.75	2397.74	2942.36
	1. अनुसूचित जाति द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	537.56	505.49	611.39
	2. अनुसूचित जनजाति द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	579.36	515.26	653.02
	3. महिलाओं द्वारा सृजित मानव दिवस (लाखों में)	1740.61	1556.59	1944.06
3	औसत रोजगार दिवस (प्रति परिवार)	56	53	57
4	व्यय राशि (रूपए करोड़ो में)	5155.23	5137.80	5681.62

स्रोतः महात्मा गांधी नरेगा वेबसाइट्स

उपरोक्त तथ्यों के आधार से पता चलता है कि राजस्थान के समावेशी विकास में मनरेगा के परिणामस्वरूप व्यापक बदलाव हुआ है, वो चाहे ग्रामीण जीवन स्तर में बदलाव हो या श्रमिकों की दशा में परिर्वतन हो या फिर गांवों के आर्थिक समावेशन में बदलाव हो हर बदलाव का कारण मनरेगा के परिणामस्वरूप लोगो को स्थानीय स्तर पर मिलने वाला काम है। जिसमें सबसे अधिक भागीदारी महिला श्रमिको की है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की है। मनरेगा के कारण क्षेत्रों में दुर्बल और हाशिये पर चले गये समाज के लोग वापिस मुख्यधारा में लौटे हैं उन्हे आर्थिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा है उन्हें अपने श्रम का पारिश्रम प्रत्यक्ष मिलने लगा जिसका उपयोग वे अपने जीवन स्तर को सुधारने में करने लगे। मनरेगा के परिणामस्वरूप हम राजस्थान के विभिन्न जिलों खासकर दक्षिणी राजस्थान के जिलों में आये व्यापक बदलाव को देख सकते है। वहॉं मनरेगा के परिणमस्वरूप सम्पदाओं का निर्माण, वर्षा जल के संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण, गांवों से शहरों की और पलायन का कम होना, स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधनों की प्राप्ति, आदिवासी क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढना जिससें लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई इत्यादि परिर्वतन देखे जा सकते है। वैसे मनरेगा के परिणास्वरूप ग्रामीण राजस्थान में चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो समृद्ध हो या फिर अल्पविकसित या आदिवासी इस योजनान्तर्गत सभी लोगों को समावेशी लाभ मिला है। मनरेगा में कार्यों की प्राथमिकता में महिलाओं को अधिक प्राथमिकता देना उसमें भी दुर्बल वर्गो एस.सी., एस.टी. समुदायों की महिलाओं की अधिक भागीदारी देकर इन वर्गो की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना और समाज की मुख्यधारा में लाना प्रमुख उद्देश्य रहा है और इस उद्देश्य में मनरेगा योजना अधिकांशतः सफल भी रही है। कार्यभागीदारी दर की बात करे तो राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष दस राज्यों में महिलाओं को जॉबकार्ड देने में सबसे ऊपर रहा है। दुर्बल वर्गो और एस.सी., एस.टी., आदिवासी समुदाय के मामले में भी यह छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। मनरेगा योजनान्तर्गत रोजगार आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है कम–से–कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस लक्ष्य में राजस्थान भारत में शीर्ष के पाँच राज्यों में शामिल है। यहाँ

RRIJM 2015, All Rights Reserved

कार्य सहभागिता दर में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। इस प्रकार राजस्थान में मनरेगा के परिणामस्वरूप ग्रामीण जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। **यू–विदआऊट क्यू** के तर्ज पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम हर हाथ को काम और काम के अनुसार वेतन देने की योजना थी। यह सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसकी बदौलत ग्रामीण भारत की कायापलट करना चाहती थी लेकिन इस परियोजना के शुरू होने के 13 साल बाद भी इसमें अनेक खामियाँ समय के साथ निकलकर आयी है जिससे यह परियोजना कई हदों पर जाकर दम तोड़ती हुई नजर आती है। कार्यक्रम की कल्पना यह है कि ग्रामीण आजीविका का विकास, ग्रामीण पर्यावरण में सुधार, जल सुरक्षा, स्वच्छता, आधारभूत संरचना के कार्य, महिलाओं में आत्मनिर्भता बढे व उनका सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की और अधिक कार्यों में भूमिका बढे, गाँव के विकास में सभी समुदायों की भागीदारी, गाँव की विकास परियोजनाए गांव के लोगो द्वारा बनायी जाए और उन्ही के द्वारा पूर्ण की जाए और उसे आधार पर ही लोगो को काम मिले और जहाँ–जहाँ इस कार्यक्रम के तहत अच्छा काम हुआ है वहाँ यही देखने को मिला है जिसके परिणाम सबसे सामने है इसके कई कारण है जिसे प्रशासनिक अधिकारियों की अतिसक्रियता और ग्राम पंचायत की जागरूकता और लोगो की कार्य सहभागिता आदि तत्वों का सम्मिलित योगदान होने के कारण मनरेगा के परिणाम सबसे अधिक बेहतर आये है और इसके तहत होने वाले कार्यों की गुणवत्ता भी अधिक बेहतर है जैसे वर्षाजल संरक्षण के लिए जोहड़ का निर्माण, चैकडैम, एनिकट, वृक्षारोपण, कच्ची सड़कों का निर्माण स्कूल के चारदीवारी का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, शौचालय का निर्माण इत्यादि महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए लेकिन इसका दूसरा स्थाई पक्ष भी जहाँ प्रशासनिक उदासीनता ग्राम पंचायत में जागरूकता का अभाव, भ्रष्टाचार और बिना वजह कार्यों में देरी इत्यादि कारणों से इसके परिणाम आशाजनक नहीं आ पाये इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी तो दोषी है ही साथ ही साथ ग्राम पंचायत भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अजागरूक या उदासीनता के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए मनरेगा के कारण ऐसे क्षेत्रों में या तो कम काम हुआ है या जिस स्तर पर होना चाहिए नहीं हो पाया जिसका परिणाम ग्राम पंचायत का विकास कार्यों में पिछड जाना है। अतः इसके लिए ग्राम पंचायत का मुखिया की अहम भूमिका होती है कि वह अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए अति सक्रिय होकर विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण कराने की कोशिश करे।

मनरेगा में पिछले 15 वर्षों में राज्य के मजदूरो के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढोत्तरी करना, कार्य में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, एस.सी., एस.टी. समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने जैसे प्रमुख कार्यो पर बल रहा हैं। समय–समय पर राजस्थान सरकार मनरेगा की समीक्षा करती है और समीक्षा रिपोर्ट जारी करती है मनरेगा को अधिक सशक्त तरीके से क्रियान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा की मींटिग में इस कानून के तहत होने वाले कार्यों का चयन, श्रमिकों का चयन और ऐसे क्षेत्रों की अधिक प्राथमिकता के साथ रखना जिसकी आवश्यकता ग्राम पंचायत को है जैसे आधारभूत संरचना के लिए ग्रामपंचायत में सड़कों का विकास, पेयजल की सुरक्षा के लिए वर्षा जल का संरक्षण, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अभियान, शिक्षा के लिए आदर्श स्कूलो का निर्माण इत्यादि कार्य ग्राम सभा की होने वाली मींटिग में तय किये जाते है इन प्राथमिकता आधारित कार्यो के आधार पर ही ग्राम पंचायत में विकास कार्यो को असली जामा पहनाया जाता है। इसके लिए ग्राम सभा की नियमित बैठकें होना अतिआवश्यक है। ग्राम सभा बैठक में नए कार्यो की माँग, चालू कार्यो की निगरानी व कार्य पूर्ण हो चुके है उनकी समीक्षा करना है। ग्राम पंचायत ग्रामीण आजीविका के कार्यो का सृजन करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। राजस्थान में 2009–10 में मनरेगा में मांग बढी जिसका कारण 2009–10 में पड़ा अकाल–सूखा के कारण अब तक के 15 वर्षो में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों का सजृन मनरेगा में किया गया है जिसके कारण लोगो को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिली और एक प्राकृतिक आपदा से निकलने के लिए मनरेगा ने लोगो को एक अवसर प्रदान किया। इसके बाबजूद भी मनरेगा में समय के साथ अनके कमियाँ उभरकर सामने आई जैसे–

- ➢ मनरेगा कार्मिकों को भुगतान में विलंब
- ➢ पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का अभाव
- ➢ कार्य भागीदारी में महिलाओं की संख्या का घटना
- ➢ न्यूनतम मजदूरी को नहीं बढ़ाना (केन्द्र नहीं बढ़ाना चाहता जबकि राज्य बार–बार न्यूनतम मजदूरी की मांग करते है।)
- ➢ परिवारों का पंजीकरण में गिरावट
- ➢ जॉबकार्ड में एवं मस्टरोल में गड़बड़ियाँ
- ➢ Social Audit में सहयोग नहीं करना
- ➢ निर्माण–कार्यो की गुणवता खराब होना
- ➢ विकास योजना व नीतियो में ग्राम सभा की राय नही लेना।
- ➢ जॉबकार्ड ज्यादा हैं उनके अनुपात में कार्य कम है।
- ➢ कृषि सीजन में मजदूरों की कमी।
- ➢ घटिया और कमजोर परिसंपत्तियों का निर्माण
- ➢ बेरोजगारी भत्ते का भुगतान समय पर नहीं

इन सब कमियों के बाबजूद हम यह नहीं कह सकते कि मनरेगा एक असफल योजना है ओर इसमें ग्रासरूट पर लोगो को काम देने व लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई भूमिका नहीं अदा की तो इस योजना के साथ बेमानी होगी। प्रत्येक योजना के दो पहलू होते है। एक समय के साथ आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को चिन्हित कर उन्हे दूर

करना और अधिक समावेशी व लचीली बनाना। दूसरा पहलू है कि इन सब समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे जबकि भारत सरकार इस परियोजना कार्यन्वित और मांनीटरींग कर रही है केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद इस योजना की लगातार मॉनीटर कर रही है और आने वाली कतिपय समस्याओं को ट्रेस कर उन्हे दूर करने का प्रयास कर रही है इसके लिए निगरानी तंत्र को मजबूत कर रही है दुरूपयोग करने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। मनरेगा कार्यो को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है जिससे कार्यो में पारदर्शिता आयेगी, डी.बी.टी. के द्वारा भुगतान किया जा रहा हैं फर्जी जॉब कार्डों की मॉनिटरिंग करना, वेतन चोरी को रोकना, कृषि से जोड़ाने की पहल करना, 30 नए कार्यो के जोडने की पहल जिसमें जल प्रबंधन व मछली पालन भी शामिल होगा, मनरेगा से दूसरी हरित क्रान्ति लाने का प्रयास करना, डिमांड दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना, जॉब कार्ड को डी.बी.टी. से जोडना, बिचौलियों को खत्म करना, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना अगले वर्ष की कार्य योजना को सही समय पर प्रस्तुत करना, जिसमें कार्य की योजना रखी जाऐगी और इसमें लोगों को यह बताया जायेगा की क्या–क्या काम मिलेगा अगले वर्ष व कौनसे समय में ग्राम पंचायत में क्या–क्या काम होंगे इन सूचनाओं से अवगत कराने इत्यादि पर बल देना है ग्राम पंचायतों को मनरेगा से Productivity को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए और तकनीकी का सहारा लेकर पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। स्वयंसेवी समूह को जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए जिससे उनके कार्यों में अनुभव व लाभ का फायदा मिल सके। सरकार को मंहगाई के हिसाब से वेतन में समय–समय पर बढ़ोत्तरी करनी चाहिए।

राजस्थान सरकार ने 2018–19 के बजट में महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए रु. 2,084.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 5,681.57 करोड़ व्यय कर 2,942 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन किया गया जिससे 56.97 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिनमें 5.88 लाख परिवारों ने पूर्ण 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किया है।

निष्कर्ष:

अतः इस प्रकार दुनिया की सबसे बडी रोजगार गांरटी योजना जिसने देश के करोड़ों गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला इसकी सफलता की कहानियों में से एक है लेकिन इसमें समय के साथ अनेक विसंगतियों ने भी प्रवेश किया जिससे इस योजना को ग्रासरूट तक पहुचने में बाधक के रूप में कार्य किया जैसे भ्रष्टाचार, राज्य सरकारों की उदासीनता ग्राम पंचायतों व विकास योजनाओं में समन्वय का अभाव, वेतन विंसगतियाँ एवं कार्य की गुणवता इत्यादि लेकिन फिर भी इस मनरेगा में व्यापक जनभागीदारी बढ़ती गई और औसतन हर वर्ष पांच करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार का सहारा बनकर उन्हे विषम आर्थिक हालातो से बाहर निकालने का प्रयास किया। सरकार ने भी आपदा प्रभावित व सुखा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 200 दिन तक का कार्य श्रमिकों को दिया तभी विश्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा को क्रांति लाने वाला सूत्रधार कहा। आर्थिक मंदी के समय भी ग्रामीण अर्थव्यस्था को महत्वपूर्ण संबल मिला जिसके पीछे मनरेगा ही था। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नगदी का प्रमुख स्रोत बनकर उभरी है जिससे लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में सुधार हुआ है जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसलिए मनरेगा 21वीं सदी में ग्रामीण भारत के समावेशी विकास के साथ–साथ आर्थिक समावेशी विकास की और आगे बढ रही है। इसमें राजस्थान राज्य अपने प्रयासों के माध्यम से मनरेगा को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक व समावेशी बनाकर इसका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहा है।

संदर्भ सूची–

[1]. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार वार्षिक रिपोर्ट, 2016–17.
[2]. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी एक्ट, 2006.
[3]. महात्मा गाँधी समीक्षा रिपोर्ट 2017–18, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
[4]. मनरेगा, पंचायती राज एवं जनजातिय विकास, माधव प्रसाद गुप्ता, रावत पब्लिकेशन दिल्ली।
[5]. मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट 2017–18, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्थान सरकार।
[6]. राइट टू वर्क एण्ड रूरल इण्डिया, अशोक के. पंकज, सागा पब्लिशर्स इंडिया, नई दिल्ली 2012.
[7]. आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार 2017–18.

ABEER

A Journal of International Research

R.N.I. No. RAJBIL/36886/2011 I.S.S.N. No. 2249-3409 October-December 2016

ABEER

Chief Editor
DR. PRAVESH KUMAR

ABEER

(International Referred Journal of Multidisciplinary Research)

I.S.S.N. No. 2249-3409

R.N.I. No. RAJBIL/36886/2011 I.S.S.N. No. 2249-3409 October-December 2016

Editor
Dr. Pravesh Kumar

CONTENTS

1.	Utilization of Maternal Health Services from Human Right Perspective : Special Reference to Slum Women of Rajasthan	Prof. (Dr.) Laxmi Thakur Arvind Singhal	1-8
2.	A study of impact of Gender differences on Teaching competency and Intelligence	Galaxmi Sharma Dr. Abha Sharma	9-21
3.	Jam Trinity : A leap towards Financial Inclusion	Dr. Reeta Mathur Anupam Gupta	22-27
4.	Reflection of the Development of Negotiable Instruments : A view to maintain the Credibility of Cheque	Dr. Rachana Katta	28-33
5.	Crops of India : Production and Possibility	Naeem Khan	34-37
6.	लोक नायिका मीराँ	गीतांजली मीणा	38-42
7.	मानव अधिकार और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य	डॉ. सुनीता गुप्ता	43-46
8.	राष्ट्रीय राजनीति में महात्मा गाँधी का योगदान	सुरेश कुमार रूलानियाँ	47-52
9.	भारत में खाद्यान्न सुरक्षा के समक्ष चुनौतिया एवं समाधान	डॉ. मन्जू गुप्ता	53-59
10.	सुशासन व विकास के सन्दर्भ में मनरेगा : एक विवेचन	कमलेश	60-63
11.	सीमा पार आतंकवाद : नेपाल-भूटान के विशेष संदर्भ में	श्रीराम मीना	64-72
12.	बांग्लादेश के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भारत के लिए चुनौतियाँ	विनोद कुमार मीना	73-81
13.	भारतीय आधुनिक जनसाधारण कला में लोकतत्व	जितेश कुमार जाँगिड़	82-86
14.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की आर्थिक कूटनीति	मुकेश मीना	87-90
15	बदलते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत व इजरायल के मध्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग	विक्रम मीणा	91-94
16.	बांसवाड़ा जिले में शैक्षिक विकास	डॉ. अजय सुराणा ज्योति यादव	95-100
17.	भू-गर्भित जल स्तर में कमी की दर एवं ग्रामीण समाज : सीकर जिले के विशेष सन्दर्भ में	राजेन्द्र कुमार यादव	101-107
18.	जयपुर जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005-2015)	राकेश कुमार सामोता	108-111
19.	बीसवीं शताब्दी कालीन उर्दू पत्र-पत्रिकाएँ और राजनीति	नीलम	112-119
20.	महिला सशक्तिकरण में नरेगा की भूमिका	कृष्णकांत मीना भाग्यश्री	120-125
21.	कृषि में आधुनिकीकरण एवं पर्यावरण प्रबन्धन	सुमित्रा	126-130

जयपुर जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका (2005-2015)

- राकेश कुमार सामोता

प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास उस क्षेत्र के मानव संसाधन पर निर्भर करता है। इसके उचित उपयोग के लिए अनेक योजनाएँ आईं जिसमें सबसे मुख्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 को अधिसूचित हुए 12 वर्ष हो गये जबसे यह अधिनियम लागू हुआ, देश के निर्धनतम जिलों में लाखों लोगों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यह 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाला कानून है जो गरीब ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को कानूनी तौर पर बाध्य करता है।

नरेगा 2 फरवरी, 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। योजना का प्रारम्भ आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से हुआ। जिसे 2007-08 में 300 अतिरिक्त जिलों में लागू किया गया इसी द्वितीय चरण में जयपुर जिले को शामिल किया गया।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में विभिन्न उत्पादों की खपत को बढ़ावा मिला है। मनरेगा के अन्तर्गत भूमि सुधार पर जोर दिया गया है जिसके अन्तर्गत् वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है जिससे पर्यावरण सन्तुलन में मदद मिलेगी ग्रामीण तबके के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद मिल रही है और सतत् विकास की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है।

भौगोलिक स्थिति –जयपुर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक मैदानी जिला है।

अक्षांश व देशान्तर स्थिति – अक्षांश 26°23′ से 27°51′ उत्तरी अक्षांश

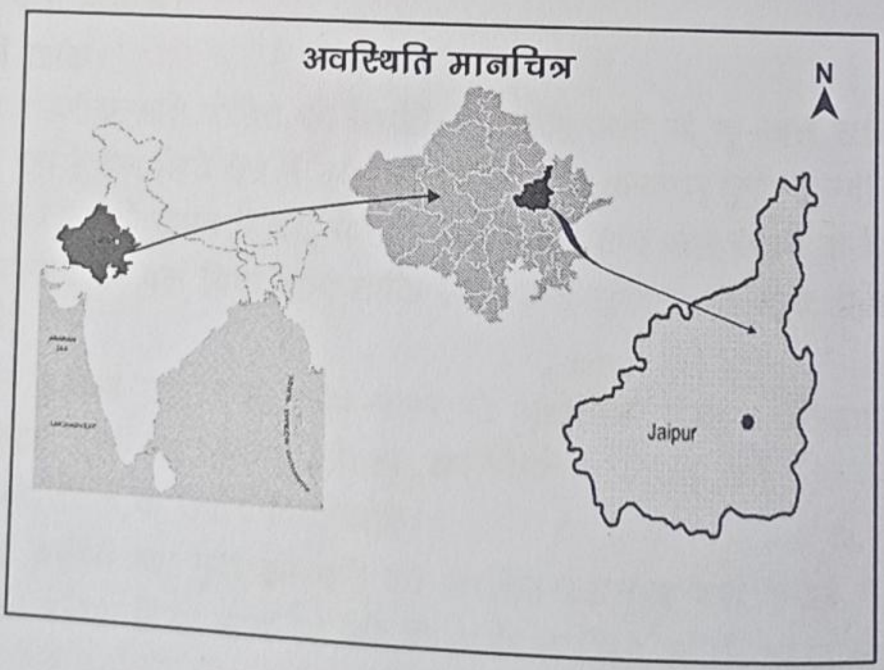

I.S.S.N. No. 2249-3409

देशान्तर 74°55′ से 76°50′ पूर्वी देशान्तर

क्षेत्रफल – 11143 वर्ग किमी जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत भाग है।

तापमान – औसत तापमान 24.26°C के बीच रहता है।

वर्षा – औसत वर्षा 60–80 सेमी के मध्य रहती है।

जलवायु आद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है।

मिट्टी – भूरी कछारी

जनसंख्या – जनगणना 2011 के अनुसार 66.63 लाख जो राजस्थान की कुल जनसंख्या 9.71 प्रतिशत भाग है।

अपवाह तंत्र – बाण गंगा, बांडी, ढूंढ, मोरेल, साबी, डाई, सखा, माशी आदि नदियाँ बहती हैं।

प्रशासकीय इकाईयाँ

1. उपखण्ड–13
2. तहसील–16
3. विकास खण्ड–15
4. ग्राम (आबाद) 2348
5. ग्राम (गैर–आबाद) 54
6. कस्बे–11
7. नगरपालिका / नगरपरिषद्–10
8. नगर निगम–1

शोध की परिकल्पना

1. मनरेगा से आर्थिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।
2. मनरेगा से सामाजिक प्रवास रूका है।
3. मनरेगा से अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता में कमी हुई है।

शोध के उद्देश्य एवं उपयोगिता

1. मनरेगा के पूर्व एवं मनरेगा के पश्चात् ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. मनरेगा के फलस्वरूप जयपुर जिले में भूमि उपयोग में हुए परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रवास पर लगी रोक का अध्ययन।
4. पर्यावरण एवं जल प्रबन्धन में आये परिवर्तन का अध्ययन करना।

जयपुर जिले में आर्थिक विकास मनरेगा की भूमिका

आंकड़ों के अनुसार मनरेगा ने 32 प्रतिशत तक ग्रामीण गरीबी को कम किया है। जबकि 14 मिलियन को गरीबी रेखा के नीचे जाने से रोका है। मनरेगा के चलते जहाँ ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि हुई है। वही श्रमिकों द्वारा मोलभाव की क्षमता भी बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार 2004–05 से 2014–15 के दौरान ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि देखी गई इसका परिणाम यह हुआ कि एक बड़ी ग्रामीण आबादी की कुल आय में वृद्धि हुई फलस्वरूप उनकी क्रय शक्ति बढ़ी जिससे मांग में वृद्धि दर्ज की गई।

साथ ही घरेलू बचत में वृद्धि हुई। गौरतलब है कि मनरेगा ने ग्रामीण जनसंख्या के वित्तीय समावेशन में बड़ी भूमिका निभाई है। जयपुर जिले के ऐसे गांव एवं परिवार जिन्होंने मनरेगा में भाग लिया उनकी शाहूकारों पर निर्भरता काफी घटी है। आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में काम करने वाले प्रतिभागियों में से 48 प्रतिशत लोगों ने 2004–05 तक साहूकारों से कर्ज लिया था लेकिन वर्ष 2014–15 के आंकड़ा घटकर 19 प्रतिशत रह गया।

इसी दौरान मनरेगा से जुड़े लोगों द्वारा संगठित क्षेत्र में ऋण लेने में इजाफा हुआ और यह 24 प्रतिशत से 34 प्रतिशत हो गई। इसका एक मुख्य कारण मनरेगा द्वारा सीधे भुगतान हेतु बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस खातों का प्रयोग करना रहा होगा इतना ही नहीं जिन गांवों में मनरेगा के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ मनरेगा में कार्य कर रहे गरीब घरों के बच्चों के शिक्षा स्तर में बेहतर सुधार भी दर्ज किया गया। जिले में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई तथा अकुशल श्रमिकों की बेरोजगारी में कम आयी।

जिले के सामाजिक विकास में मनरेगा की भूमिका

मनरेगा के लागू होने के बाद गांवों से शहरों की ओर हो रहे प्रवास में अब तक निरन्तर कमी आ रही है। गांवों के विकास के लिये इस कार्यक्रम में रोजगार के साथ–साथ सामाजिक एवं सृजनात्मक कार्य भी किये जाते हैं। सामाजिक विकास के लिये इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण में भी मनरेगा की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। जैसा कि प्रावधान है कि मनरेगा लाभार्थियों में एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। अतः इसका स्पष्ट लाभ महिलाओं को मिला है। अतः निश्चित ही मनरेगा ने महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारा है।

देखा जाए तो सामाजिक समता को स्थापित करने में भी नरेगा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जयपुर जिले स्तर पर इसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी काफी अधिक रही ध्यातव्य है कि वित्त वर्ष 2010–11 के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी क्रमशः 31 प्रतिशत व 21 प्रतिशत रही थी हालाकि इसके बाद इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई परन्तु इसके बावजूद अनुसूचित जातियों की भागीदारी 20 प्रतिशत से अधिक रही है। वित्त वर्ष 2015–16 के लिये अनुसूचित जातियों की भागीदारी 23 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी 17 प्रतिशत है।

मनरेगा में कुछ खामियाँ

1. भुगतान में विलम्ब और फर्जी हाजिरी रजिस्टर बनाकर फंड की निकासी करना।
2. मनरेगा के अन्तर्गत ज्यादातर अनुत्पादक कार्य किये जाते हैं।
3. ग्रामीण मजदूरी में हुई वृद्धि का श्रेय मनरेगा को दिया जाता है जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
4. मनरेगा के खराब कार्यान्वयन का ही नतीजा है कि अब तक 70 प्रतिशत गरीब मनरेगा में सहभागिता से वंचित है।

मनरेगा में निष्कर्ष एवं सुझाव

1. प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के कार्यों की योजना बनाने का व्यावहारिक रूप से ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाकर ही सम्भव हो सकता है।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों के लिए तैयार किये जाने वाले 'सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट' में समाज में वैज्ञानिकों की राय सम्मिलित किया जाना चाहिए।
3. मनरेगा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की योजना इस प्रकार बनायी जानी चाहिए उन ग्रामों में भविष्य में रोजगार के स्थायी साधनों का विकास हो सके।
4. इस कार्यक्रम में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार रोकने के लिये सामाजिक अंकेक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।

<u>सन्दर्भ</u>

1. इपस्टेन, टी.एस. 1964; इकोनोमिक डवलपमेन्ट एवं सोशल चैनज इन साउथ इण्डिया, मानचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, यू.एस.ए।
2. किशोर, चन्द 1990; ग्रामीण राजस्थान में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भौगोलिक आधार, प्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. जाट, बी.सी. 2003; भूगोल और आप (द्विमासिक पत्रिका, 2010), आइरिश पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. योजना (मासिक पत्रिका) अगस्त, 2008, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।
5. कुरूक्षेत्र (मासिक पत्रिका, दिसम्बर 2009) प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, दिल्ली।

शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

I.S.S.N. No. 2249-3409

सेमिनार में सहभागिता प्रमाण–पत्र

Organized by

Banasthali University
School of Earth Sciences

38th INDIAN GEOGRAPHERS MEET-2017
AND
NATIONAL CONFERENCE ON
SUSTAINABLE EARTH RESOURCE DEVELOPMENT

18th – 20th March, 2017

Certificate

Awarded to

Prof. /Dr. /Mr. /Mrs. /Ms. Rakesh Kumar Samota

of

कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान

For Chairing / Rapporteur / Invited Speaker in a Session / Participated / Young Scientist Award/ Oral Presentation on the topic सतत विकास की अवधारणा : पर्यावरण एवं विकास के बीच सामंजस्य सन्तुलन ।

Surya Kant

Prof. Surya Kant
President , IIG

Rashmi

Dr. Rashmi Sharma
Convener

RAJASTHAN GEOGRAPHY ASSOCIATION

44th Annual National Conference

October 6 to 8, 2016

ESTD. 1959

"RURAL DEVELOPMENT : ISSUES, CHALLENGES, LIVELIHOOD & SUSTAINABILITY"

Department of Geography, S.R.L.S. Govt. P.G. College, Kaladera

Certificate

Sr. No. ....

This is to certify that Prof. /Dr. Rakesh K. Samota

From Kota University, Kota

participated in the 44th Annual National Conference and presented paper entitled

'सामाजिक आर्थिक विकास में मनरेगा की भूमिका'

Dr. Jaideep Singh	*Dr. Milan Kumar Yadav*	*Principal*
Organizing Secretary	*President*	*S.R.L.S. Govt. P.G. College*
	Rajasthan Geography Association	*Kaladera*

परिशिष्ट

ग्राम पंचायतों के अध्ययन हेतु अनुसूचि

(क) उत्तरदाता के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सूचनाएँ एवं सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति

1. गांव का नाम : ....

2. उत्तरदाता का नाम : ....

3. लिंग : स्त्री ☐ पुरुष ☐

4. आयु (वर्ष में)
   - 20–30 ☐
   - 31–40 ☐
   - 41–50 ☐
   - 51 से अधिक ☐

5. वर्ग (जाति)
   - अनुसूचित जाति ☐
   - अनुसूचित जनजाति ☐
   - अन्य पिछड़ा वर्ग ☐
   - सामान्य वर्ग ☐

6. आवास में बिजली की सुविधा
   - हाँ ☐
   - नहीं ☐

7. आवास में पानी की सुविधा
   - हाँ ☐
   - नहीं ☐

8. आवास का स्वरूप
   - कच्चा ☐
   - पक्का ☐
   - मिश्रित ☐
   - ☐

(ख) उत्तरदाता के सम्बन्ध में मनरेगा योजना का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

क्र.सं.	क्षेत्र	स्थिति
1	कस्बा/गांव में मुख्य सडक का नाम व स्थिति	....
2	बिजली की उपलब्धता	....
3	पीने के पानी का मुख्य स्त्रोत	....
4	परिवारों की संख्या जिन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है	....
5	शिक्षण संस्थाओं की संख्या प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/महाविद्यालय	....
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (हॉ/नहीं)	....
7	पशु चिकित्सालय (हॉ/नहीं)	....
8	पोस्ट ऑफिस (हॉ/ नही)	....
9	बैंक ऑफिस (हॉ/नही)	....
10	मण्डी/ बाजार की सुविधा (हॉ/नही)	....
11	कृषि मण्डी (हॉ/नही)	....
12	दुग्ध संकलन केन्द्रो की संस्था (हॉ/नही)	....
13	आंगन बाडी केन्द्र (हॉ/नही)	....
14	राशन डीलर	....
15	मनरेगा योजना के कार्यों की क्रियान्विति में गांव वाले सहयोग करते हैं (हॉ/नही)	....
16	सहकारी सोसायटी	....
17	मनरेगा योजना में रोजगार पाकर संतुष्ट हैं (हॉ/नहीं)	....
18	बस स्टेण्ड/रेल्वे की सुविधा	....
19	पुलिस थाना/चौकी	....
20	गाडियों का सर्विस सेन्टर	....

21.	कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है। (हॉ/नही)	....
22.	कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिये छांव की व्यवस्था होती है।(हॉ/नही)	....
23.	कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होती है। (हॉ/नही)	....
24.	मस्टर रोल कार्यस्थल पर मजदूरों की उपस्थिति में भरा जाता है। (हॉ/नही)	....
25.	मनरेगा योजना के प्रावधानों के बारे में जानकारी है। (हॉ/नही)	....
26.	मनरेगा के उद्देश्यों को जानने के प्रति जिज्ञासा है। (हॉ/नही)	....
27.	मनरेगा योजना की पारिश्रमिक का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है। (हॉ/नही)	....
28.	कार्य समाप्त होने के बाद आपको पारिश्रमिका का भुगतान कितने समय में किया जाता है। (7 दिन/15 दिन/15 दिन से अधिक)	....
29.	मनरेगा योजना से बचत में वृद्धि हुई है। (हॉ/नही)	....
30.	मनरेगा योजना में पारिश्रमिक दर का बढ़ाया चाहिये। (हाँ/नही)	....

ब्लॉक वाइज साक्षरता दर

क्र.सं.	तहसील	कुल	पुरुष	स्त्री
1	जयपुर	75.51	86.05	64.02
2	कोटपूतली	71.71	84.95	57.12
3	विराट नगर	64.93	80.75	47.65
4	शाहपुरा	70.29	85.19	53.99
5	चौमू	72.97	86.76	58.24
6	फूलेरा	70.83	84.3	56.45
7	मौजमाबाद	61.29	76.41	45.3
8	फागी	61.7	76.22	46.17
9	सांगानेर	81.8	89.79	73.00
10	जयपुर	82.69	88.67	76.13
11	आमेर	71.52	85.01	56.87
12	बस्सी	68.07	83.86	51.14
13	चाकसू	64.23	79.55	47.8
14	जमवारामगढ़	64.49	81.22	46.37

स्रोतः भारतीय जनगणना विभाग, 2011

ब्लॉक वाइज साक्षरता दर (ग्रामीण एवं शहरी)

क्र.सं.	तहसील	कुल	ग्रामीण	शहरी
1.	जयपुर	75.51	67.62	82.47
2.	कोटपूतली	71.71	70.5	80.46
3.	विराट नगर	64.93	64.25	69.69
4.	शाहपुरा	70.29	69.21	74.63
5.	चौमू	72.97	71.52	79.39
6.	फूलेरा	70.83	68.39	80.45
7.	मौजमाबाद	61.29	61.29	0
8.	फागी	61.7	61.07	0
9.	सांगानेर	81.80	72.14	83.86
10.	जयपुर	82.69	74.19	83.18
11.	आमेर	71.52	69.15	77.21
12.	बस्सी	68.07	66.79	74.22
13.	चाकसू	64.23	62.81	72.29
14.	जमवारामगढ़	64.49	64.3	71.78

स्रोतः भारतीय जनगणना विभाग, 2011

ब्लॉक वाइज कार्य सहभागिता दर

क्र.सं.	तहसील	पुरुष	महिला
1.	जयपुर	49.44	23.75
2.	कोटपूतली	46.08	31.74
3.	विराट नगर	46.91	37.16
4.	शाहपुरा	45.96	30.32
5.	चौमू	47.76	33.84
6.	फूलेरा	48.43	31.75
7.	मौजमाबाद	50.86	41.62
8.	फागी	50.97	41.42
9.	सांगानेर	49.95	16.59
10.	जयपुर	51.61	11.44
11.	आमेर	47.23	25.17
12.	बस्सी	48.55	42.62
13.	चाकसू	46.38	34.44
14.	जमवारामगढ़	49.14	39.41

स्रोतः भारतीय जनगणना विभाग, 2011

मनरेगाः वित्तीय वर्ष 2015–16

क्र.सं.	ब्लॉक	शुरुआती कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कार्य पूर्ण होने की दर
1.	आमेर	869	817	52	94.02
2.	बस्सी	2055	1961	94	95.43
3.	चाकसू	2673	2263	410	84.66
4.	दूदू	9058	8557	501	94.47
5.	फागी	3675	3461	214	94.18
6.	गोविन्दगढ़	2740	2539	201	92.66
7.	जालसू	1495	1422	73	95.12
8.	जमवा रामगढ़	4191	3925	266	93.65
9.	झोटवाड़ा	666	647	19	97.15
10.	कोटपूतली	1007	960	47	95.33
11.	पावटा	1072	967	105	90.21
12.	सांभर	3155	2938	217	93.12
13.	सांगानेर	2161	2086	75	96.53
14.	शाहपुरा	2362	2242	120	94.92
15.	विराट नगर	1773	1626	147	91.71
योग		**38952**	**36411**	**2541**	**93.48**

स्रोतः मनरेगा MIS रिपोर्ट

आयु वर्ग के आधार पर रोजगारो की संख्या वित्तीय वर्ष 2014–15

क्र. सं.	ब्लॉक	18–30		31–40		41–50		51–60		61–80		80 से अधिक	
		पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	आमेर	22288	922	32238	2625	22393	1961	13938	1022	9807	431	731	2
2.	बस्सी	23017	1485	35172	3789	23740	2608	14885	1245	9344	388	463	10
3.	चाकसू	25641	1443	37967	3589	28003	3106	17619	1691	9339	491	525	5
4.	दूदू	65982	8339	68794	12079	43912	8559	28199	5216	22181	2753	1872	65
5.	फागी	27103	4535	37592	8055	25618	5867	16318	3686	12807	2000	1407	67
6.	गोविन्दगढ़	11548	967	20005	2715	13333	1875	7249	895	4051	376	129	6
7.	जमवारामगढ़	18183	1517	36036	4812	25835	3762	14365	1743	7039	521	325	7
8.	झोटवाड़ा	4864	377	8354	824	5635	607	3241	297	1578	102	78	1
9.	कोटपूतली	11785	1106	16841	2490	12694	2054	7562	1170	5141	600	280	19
10.	सांभर	25746	1974	35780	4900	25727	3790	15503	1995	12023	1084	823	17
11.	सांगानेर	8885	910	15551	2246	11743	1836	6748	908	3884	316	210	7
12.	शाहपुरा	12397	807	19508	2151	14501	1933	8328	1084	5524	542	181	8
13.	विराट नगर	23606	747	31918	1876	22986	1508	13276	823	9570	575	494	12
योग		**281045**	**24829**	**395756**	**52151**	**276120**	**39466**	**167231**	**21775**	**112288**	**10179**	**7518**	**226**

स्रोतः मनरेगा, राजस्थान सरकार, 2014–15.

ब्लॉक आमेर में कार्यरत आयु वर्ग के अनुसार व्यक्ति (2014–15)

क्र. सं.	पंचायत	18–30		31–40		41–50		51–60		61–80		80 से अधिक	
		पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति	पंजीकृत व्यक्ति	नियोजित व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ब्लॉकः आमेर													
1.	अखैपुरा	419	13	655	32	399	15	235	8	132	6	15	0
2.	खोर मीणा	297	6	502	32	388	21	207	9	73	1	2	0
3.	जाहोता	235	5	350	17	279	17	125	4	95	6	3	0
4.	बिलोची	1022	7	1343	32	924	25	576	20	405	5	27	0
5.	लबाना	706	24	884	44	619	47	397	21	216	5	10	0
ब्लॉकः बस्सी													
1.	अनन्तपुरा	684	30	824	66	617	60	430	37	302	12	7	0
2.	टोडा भाटा	602	39	802	71	504	31	326	14	193	6	5	0
3.	फाल्यावास	187	23	675	120	621	85	258	19	103	4	3	0
4.	भूडला	705	86	1046	199	665	126	436	72	347	33	14	1
5.	सांभरीया	637	49	710	94	478	80	266	28	162	1	12	1
ब्लॉकः चाकसू													
1.	कोटखावदा	1130	28	1736	68	1369	41	825	13	383	9	18	0
2.	तामडिया	395	26	872	152	698	137	432	91	326	25	7	0
3.	महादेवपुरा	846	23	855	57	653	54	444	33	274	12	11	0
4.	रामनगर	1159	30	1057	64	778	73	475	28	230	7	14	0
5.	शिवदासपुरा	513	31	772	58	582	58	357	29	237	6	34	0
ब्लॉकः दूदू													
1.	अखैपुरा	620	177	561	201	377	166	251	103	241	76	17	0
2.	गहलोता	1108	39	1468	122	1082	99	651	61	587	26	50	1
3.	झाग	1470	301	1116	269	641	185	449	148	381	76	42	3

4.	बिचून	1099	133	1156	205	686	150	507	104	334	29	19	0
5.	साखून	984	180	1053	253	700	204	518	129	414	61	58	2
ब्लॉकः फागी													
1.	चकवाड़ा	1106	218	1477	422	875	247	557	183	430	112	57	10
2.	लदाना	983	122	1648	251	951	147	646	104	415	36	25	1
3.	झाडला	614	71	1098	232	808	184	498	107	369	49	47	0
4.	किशोरपुरा	1246	99	1262	208	926	183	686	102	430	44	31	1
5.	पचाला	1034	153	1590	225	1065	171	635	99	552	72	93	14
ब्लॉकः गोविन्दगढ़													
1.	अमरपुरा	516	22	876	52	510	36	323	21	222	10	5	0
2.	खेजरोली	880	51	1404	131	944	99	472	36	322	17	10	0
3.	निवाणा	572	34	1040	88	657	44	325	20	93	10	0	0
4.	सींगोद खुर्द	109	9	242	33	190	17	89	10	47	0	4	2
5.	धोबलाई	229	14	458	55	293	25	180	16	85	7	3	0
ब्लॉकः जमवा रामगढ़													
1.	इन्द्रगढ़	710	39	1072	119	704	86	444	47	275	29	16	1
2.	जमवारामगढ़	971	42	1877	104	1312	95	662	39	423	9	29	0
3.	नेवर	835	106	964	226	702	148	440	50	323	5	14	0
4.	बहलोड	315	13	776	63	589	70	284	27	66	7	1	0
5.	लालवास	911	53	1194	142	879	109	586	44	380	12	25	1
ब्लॉक झोटवाड़ा													
1.	कालवाड़	358	39	571	95	401	54	180	23	126	9	5	1
2.	निवारू	294	37	519	65	319	44	177	22	89	8	2	0
3.	बेगस	368	17	616	34	427	39	236	18	158	9	9	0
4.	विजयपुरा	244	10	673	32	554	38	276	18	83	4	6	0
5.	सुमेल	263	8	503	27	339	34	195	12	68	4	2	0
ब्लॉकः कोटपूतली													
1.	कांसली	149	30	456	75	399	65	233	60	55	13	4	1
2.	चिमनपुरा	507	92	588	108	420	75	232	38	159	25	0	0

3.	बनार	238	13	282	54	230	38	113	26	113	19	3	1
4.	भैंसलाना	590	34	673	71	479	63	288	36	220	14	21	1
5.	सुन्दरपुरा	84	25	126	59	85	37	26	1	3	21	2	0
ब्लॉकः सांभर													
1.	अनन्तपुरा	566	43	782	110	471	64	332	34	362	38	37	6
2.	त्योद	829	44	946	93	687	69	504	56	419	34	44	0
3.	बांसड़ी खुर्द	498	15	813	83	620	98	349	45	285	23	15	0
4.	मुन्डौती	367	53	484	103	350	79	189	41	225	44	9	1
5.	सिनोदिया	614	44	658	62	474	43	294	17	241	4	19	0
ब्लॉकः सांगानेर													
1.	कपूरावाला	391	64	672	207	477	157	307	77	231	33	35	1
2.	गोनेर	452	29	590	50	481	67	247	16	85	5	3	0
3.	नेवटा	371	46	595	85	395	54	267	30	142	7	3	0
4.	महापुरा	251	11	376	36	283	39	146	26	91	12	5	0
5.	वाटिका	449	41	975	134	769	111	450	57	250	18	5	0
ब्लॉकः शाहपुरा													
1.	अमरसर	718	30	945	109	674	92	435	52	362	28	10	0
2.	खोरालाडखानी	691	56	788	106	491	72	271	36	280	19	7	0
3.	धवली	535	70	700	171	443	110	272	69	244	45	17	1
4.	बाड़ी जोडी	515	18	782	80	745	107	384	59	269	26	4	1
5.	म्हार खुर्द	483	88	812	162	641	109	370	85	251	42	9	2
ब्लॉकः विराटनगर													
1.	आंतेला	379	11	480	31	320	25	151	14	113	7	4	0
2.	छीतोली	705	21	991	28	602	22	405	10	300	8	26	0
3.	तुलसीपुरा	479	34	526	66	423	70	310	43	282	31	53	5
4.	नवरंगपुरा	864	6	1090	33	867	27	486	24	632	23	54	1
5.	सोठाना	1122	36	1321	56	810	40	478	29	369	21	13	0

Category Wise Household/Workers Financial Year 2014-15. State Rajasthan District : Jaipur

Sr. No.	Blocks	Number of Jobcard		Registered Workers					Number of Active Job Cards*	Active Workers*				
		Applied For	Issuded	SSc	Sts	Others	Total Workers	Women		Scs	Sts	Others	Total Workers	Women
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	योग	502723	495331	204634	138054	747785	1090473	546462	233795	59004	30868	170290	260162	199778
1.	कोटपूतली	23250	22645	13349	5091	32614	51054	22916	7344	4318	1429	6172	11919	7758
2.	विराटनगर	30121	29918	18025	6359	56255	80639	37914	9795	4360	1322	8704	14386	10611
3.	शाहपुरा	26454	25874	9703	3327	45541	58571	28201	8135	2590	857	7339	107486	8248
4.	गोविन्दगढ़	25307	24698	11510	5476	32505	49491	25356	10000	3203	1125	5009	9337	7579
5.	सांभर	46632	45989	11873	2537	80236	94646	47271	22459	3980	790	16022	20792	17976
6.	दूदू	95160	94828	32102	5799	167196	205097	102076	61276	12783	2519	55789	71091	49626
7.	फागी	47601	47488	19047	3884	71693	94624	46632	33911	8378	1877	31591	41846	28596
8.	सांगानेर	20582	19815	10320	5089	30863	46272	23027	8677	2316	1082	4315	7713	6499
9.	झोटवाड़ा	10760	10093	6523	1047	15002	22572	11470	3295	1457	157	1797	3411	2986
10.	आमेर	34406	32775	20798	13868	59642	94308	48718	10712	4321	2119	6324	12764	11424
11.	जमवारामगढ़	51200	50438	17006	33823	46864	97693	55019	23194	4492	8541	10804	23837	20042
12.	बस्सी	43336	43185	19116	33135	47713	99964	49835	16346	3648	5901	6783	16332	13502
13.	चाकसू	47914	47585	15262	18619	61661	95542	48027	18651	3158	3149	9641	15948	12931

स्रोतः मनरेगा एम.आई.एस. रिपोर्ट 2014–15

*Active Jobcards: any individuals of householdswho has worked any one day in either the last three financial year or in current financial year

Categorywise Household/workers financial year 2014-15 State Rajasthan District Jaipur

S.No.	Panchayats	Number of Jobcards		Registered workers					Number of Active Jobcards*	Active Workers*				
		Applied for	Issued	SCs	STs	Others	Total Workers	Women		SCs	STs	Others	Total Workers	Women
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ब्लॉक: आमेर														
1.	अखैपुरा	444	444	393	889	584	1866	1017	229	88	103	104	295	266
2.	खोर मीणा	644	644	382	660	514	1556	820	73	99	124	81	304	280
3.	जाहोता	356	353	737	22	329	1088	660	197	32	0	4	36	32
4.	बिलोची	1460	926	463	186	2357	3006	1539	419	190	31	371	592	551
5.	लबाना	1037	1037	514	1111	1366	2991	1747	389	134	200	195	529	486
ब्लॉक: बस्सी														
1.	अनन्तपुरा	952	950	479	1242	981	2702	1358	163	144	214	307	665	537
2.	टोडा भाटा	1115	1115	225	1094	921	2240	1139	310	46	332	166	544	484
3.	फाल्यावास	931	925	316	215	1305	1836	985	518	64	11	240	315	284
4.	भूडला	1332	1332	717	163	2325	3205	1603	853	220	67	485	772	615
5.	सांभरीया	804	804	906	87	1084	2077	992	384	180	14	156	350	303
ब्लॉक: चाकसू														
1.	कोटखावदा	2373	2373	602	206	2841	3649	1890	788	55	24	352	431	398
2.	तामडिया	818	818	784	332	1628	2744	1219	501	129	37	149	315	243
3.	महादेवपुरा	1323	1323	762	341	899	2002	944	307	133	49	131	359	319
4.	रामनगर	1319	1310	404	1318	1444	3166	1499	305	87	280	90	457	340
5.	शिवदासपुरा	884	882	446	520	1381	2347	1166	348	30	67	165	262	230
ब्लॉक: दूदू														
1.	अखैपुरा	942	938	322	57	1568	1947	987	687	182	31	799	1012	678
2.	गहलोता	1807	1797	326	38	2065	2429	1261	518	114	18	511	643	477
3.	झाग	1979	1979	765	55	3364	4184	2037	1389	254	10	1173	1437	968
4.	बिचून	1719	1717	664	189	2750	3603	1762	1018	200	60	798	1058	773

5.	साखून	1473	1469	870	131	2955	3956	1913	935	422	58	1128	1608	1132
ब्लॉकः फागी														
1.	चकवाड़ा	2001	1996	376	233	2658	3267	1623	1306	180	151	1188	1519	938
2.	लदाना	1504	1497	470	75	3026	3571	1719	1271	133	35	819	987	732
3.	झाडला	1225	1224	752	45	2212	3009	1485	990	253	21	984	1258	958
4.	किशोरपुरा	1495	1495	850	171	2002	3023	1490	1317	489	106	1470	2065	1229
5.	पचाला	2288	2287	479	26	2316	2821	1404	1229	210	0	813	1023	741
ब्लॉकः गोविन्दगढ़														
1.	अमरपुरा	1009	1009	493	66	1657	2216	1054	354	140	6	170	316	268
2.	खेजरोली	1725	1725	210	109	3365	3684	1882	584	37	16	517	570	461
3.	निवाणा	749	745	177	166	2221	2564	1319	341	39	19	401	459	305
4.	सींगोद खुर्द	416	416	235	52	408	695	378	97	75	11	58	144	106
5.	धोबलाई	454	451	442	89	576	1107	547	168	87	10	105	202	142
ब्लॉकः जमवा रामगढ़														
1.	इन्द्रगढ़	1113	1112	655	1055	1656	3366	1725	721	77	142	205	424	398
2.	जमवारामगढ़	1527	1431	1109	679	3035	4823	2451	739	151	43	362	556	510
3.	नेवर	1085	1085	421	1777	1095	3293	1564	593	63	240	169	472	406
4.	बहलोड	645	643	704	78	1578	2360	1297	596	267	16	489	772	586
5.	लालवास	1658	1643	582	1193	1351	3126	1550	749	174	400	263	837	686
ब्लॉक झोटवाड़ा														
1.	कालवाड़	852	850	555	97	910	1562	946	331	162	11	117	290	270
2.	निवारू	350	311	500	73	600	1173	615	138	82	7	53	142	134
3.	बेगस	458	449	250	150	2081	2481	1217	208	64	27	274	365	318
4.	विजयपुरा	352	352	950	48	364	1362	798	237	93	2	13	108	89
5.	सुमेल	658	658	440	201	637	1278	707	251	54	11	104	169	155
ब्लॉकः कोटपूतली														
1.	कांसली	600	464	213	108	557	878	441	134	81	38	108	227	162
2.	चिमनपुरा	924	924	553	304	947	1804	771	177	201	124	296	621	338
3.	बनार	415	411	216	111	501	828	385	157	77	45	130	252	167

4.	भैंसलाना	908	907	419	156	1829	2404	1105	229	75	15	205	295	200
5.	सुन्दरपुरा	198	196	267	3	507	777	390	88	133	1	190	324	174
ब्लॉकः सांभर														
1.	अनन्तपुरा	835	826	399	60	1829	2288	1147	513	113	22	290	425	360
2.	त्योद	1140	1140	532	7	2145	2684	1317	785	245	0	521	766	664
3.	बांसड़ी खुर्द	1090	1084	339	136	1754	2229	1192	426	138	49	485	672	595
4.	मुन्डोती	733	733	46	44	1408	1498	815	492	25	17	489	531	447
5.	सिनोदिया	960	960	415	51	1706	2172	1050	513	125	15	192	332	295
ब्लॉकः सांगानेर														
1.	कपूरावाला	642	641	646	118	1720	2484	1184	427	180	45	336	561	502
2.	गोनेर	779	778	655	103	706	1464	721	244	152	13	129	294	225
3.	नेवटा	756	721	350	360	1072	1782	886	416	91	88	159	338	289
4.	महापुरा	476	476	560	222	484	1266	616	163	76	72	44	192	155
5.	वाटिका	926	914	821	491	1450	2762	1394	343	145	76	187	408	367
ब्लॉकः शाहपुरा														
1.	अमरसर	1087	1025	523	80	2325	2928	1312	451	93	13	295	401	346
2.	खोरालाडखानी	1195	1109	496	51	1612	2159	1000	412	134	17	395	546	428
3.	धवली	821	818	349	280	1658	2287	1111	608	112	75	437	624	517
4.	बाड़ी जोडी	1211	1207	917	77	1664	2658	1265	423	267	23	416	706	553
5.	म्हार खुर्द	1158	1157	333	261	2076	2670	1284	559	139	130	599	868	565
ब्लॉकः विराटनगर														
1.	आंतेला	487	487	318	106	443	867	398	142	61	5	74	140	119
2.	छीतोली	725	725	709	116	2110	2935	1285	289	261	45	341	647	398
3.	तुलसीपुरा	507	507	382	99	1157	1638	758	297	138	36	229	403	279
4.	नवरंगपुरा	1267	1267	996	98	1728	2822	1330	378	172	29	336	537	420
5.	सोठाना	1124	1109	535	141	2406	3082	1415	366	75	32	328	435	283

स्रोतः मनरेगा एम.आई.एस. रिपोर्ट 2014–15

*Active Jobcards: any individuals of householdswho has worked any one day in either the last three financial year or in current financial year

Work Demand Pattern During the Financial Year 2014-2015 State Rajasthan District-Jaipur

Sr. No.	Blocks	Month Wise Hosehold											
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आमेर	1325	2790	2724	2093	1008	1079	994	815	1135	653	1322	763
2.	बस्सी	770	3934	4654	3023	468	705	433	1411	1912	441	845	764
3.	चाकसू	1025	4641	4922	3252	499	161	623	649	1092	740	310	301
4.	दूदू	2334	20127	21251	8028	1272	1159	1499	2106	3037	1250	3740	3248
5.	फागी	1367	12082	12278	4407	170	588	523	1549	2172	979	3431	1904
6.	गोविन्दगढ	604	2303	3082	2397	1533	1718	651	558	835	763	1093	703
7.	जमवारामगढ़	1352	3865	5380	4515	1418	1183	934	1862	1953	1772	2728	1715
8.	झोटवाड़ा	88	732	925	1007	483	588	260	250	170	45	51	44
9.	कोटपूतली	880	3366	3454	2534	1191	932	653	870	1219	861	463	302
10.	सांभर	2727	6099	7441	4507	1040	1639	1054	1923	1856	915	2555	1695
11.	सांगानेर	685	1587	2387	2268	778	984	740	396	557	372	736	668
12.	शाहपुरा	1355	2147	2200	3092	1826	772	713	1351	1208	753	1131	747
13.	विराटनगर	583	2274	2644	2146	959	1161	666	1395	1526	908	557	497
	योग	**15095**	**65947**	**73342**	**43269**	**12645**	**12669**	**9743**	**15135**	**18672**	**10452**	**18962**	**13051**